पंचम माला, अंड 37, अंक 25
Fifth Series, Vol. XXXVII, No. 25,

मंगलवार, 26 मार्च, 1974/5 चैत्र, 1896 (शक)
Tuesday, March 26, 1974/Chaitra 5, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र / Tenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 37 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. XXXVII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिंदी में दिये गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 25, मंगलवार, 26 मार्च, 1974/5 चैत्र, 1896 (शक)

No. 25 Tuesday, March 26, 1974/Chaitra, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
446	पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल तथा गैस के मूल्य Prices of Petrol, Kerosene, Diesel and Gas	1–4
447	फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड द्वारा केन्द्र तथा राज्य सरकारों को देय राशि Central and State Government dues from FACT . .	4–8
448	मैसर्स फ्राईजर की ओर से विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव Expansion Proposal from M/s Pfizer	8–10
449	मध्य प्रदेश में आदिवासियों द्वारा रेल गाड़ियों का लूटा जाना Looting of Trains by Adivasis in Madhya Pradesh . .	10–11
450	मरम्मत के लिये बेकार पड़े माल डिब्बे Wagons lying idle for Repairs .	12–14
455	चालू वर्ष में बिजली का उत्पादन Power Generation during Current Year	14–16

अल्प सूचना प्रश्न/SHORT NOTICE QUESTIONS

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
3.	अतिविशिष्ट व्यक्तियों के अनुरक्षक को अलाट की गई सिटों पर अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा यात्रा Unauthorised occupation of seats allotted to V. I. Ps. Escort.	18–19

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
444	अधिक भट्टी तेल की सप्लाई के लिये कुवेत की पेशकश Offer from Kuwait for supply of more Furnace Oil . .	20
445	गत तीन वर्षों में सिंचाई के लिये और बड़ी योजनायें Medium and Major Schemes for Irrigation during Last three Years	20

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—8 LSS (ND)/74

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
451	कर्मचारियों अर्थात् पति और पत्नी के स्थानान्तरण के बारे में नीति	Policy for Transfer of Emloyees viz. Husband and Wife .	21
452	अपर्याप्त संख्या में वैगन प्राप्त करने के कार्यक्रम का कोयला खानों पर प्रभाव	Effect felt by Coal Mines due to inadequate Wagon Acquisition Programme . .	21
453	वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से अशोधित तेल की सप्लाई के लिये की गई व्यवस्था	Arrangement made for Supply of Crude Oil through Commece Ministry . . .	21
454	हार्ड स्पीड डीजल तथा उर्वरकों की सप्लाई के लिये पंजाब सरकार का अनुरोध	Request from Punjab Government for Supply of H.S.D. and Fertilizers . . .	22
456	बाढ़ नियंत्रण के उपायों के लिये भारतीय विशेषज्ञों का अफगानिस्तान का दौरा	Visit of Indian Experts to Afghanistan for Flood Control Measures . . .	22
457	भारत बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की दिल्ली में बैठक	Meeting of Indo-Bangladesh Joint River Commission in Delhi	22
458	चीनी कारखानों द्वारा बिजली की सप्लाई	Supply of Power by Sugar Factories	23
460	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर दस घंटे की ड्यूटी लागू कराने के लिये लोको कर्मचारियों की हड़ताल	Locomen strike for Implementing 10-hours duty on North East Frontier Railway .	23–24
461	भारत को ओमान से तेल की सप्लाई	Oil Supplies from Oman to India	24
462	राजघाट पावर हाउस में कोयले की जलती राख गिरने से एक लड़की की मृत्यु	Death of a Girl due to fall of Burning Coal ash at Rajghat Power House . . .	24
463	नागार्जुन सागर परियोजना पर किये गये खर्च की जांच	Probe into Expenditure incurred on Nagarjunasagar Project .	25
464	उपभोक्ता सहकारी समितियां और उचित मूल्य की दुकानें	Consumer Cooperative Societies and Fair Price Shops . .	25

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
4520	नई दिल्ली में केबल एण्ड कन्डक्टर मैन्युफक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा रोल आफ कन्डक्टर इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर आयोजित विचार गोष्ठी	Seminar on Role of Conductor in Power Distribution organised by the Cable and Conductor Manufacturers' Association at New Delhi . .	26
4521	चुनावों पर व्यय	Expenditure on Elections . .	26–27

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4522	समुद्र कटाव विरोधी कार्य के लिये केरल की केन्द्रीय सहायता	Cenral Aid to Kerala for Anti Sea Erosion Work .	28
4523	एक करोड़ तथा इससे अधिक की प्रदत्त पूंजी वाले गैर सरकारी उपक्रम	Private Sector Undertakings with paid up Capital of Rupees one crore and above . .	28–29
4524	लुधियाना में तेल डिपो स्थापित करने के बारे में पंजाब सरकार का अनुरोध	Request from Punjab Government for setting up Oil Depot at Ludhiana . . .	29
4525	वर्ष 1972-74 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिये बिहार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance sought by Bihar for Rural Electrification Schemes during 1973-74	30
4526	चौथी योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न करने वाले राज्य	States which have not achieved Target fixed for Rural Electrification in Fourth Plan .	30
4527	वर्ष 1974 को फ्यूल एफीसेन्सी वर्ष के रूप में मनाना	Observance of 1974 as Fuel efficiency Year . . .	31
4528	फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी के रिजर्व और पूंजी गत रिजर्व	Reserve and Capitalised Reserve of Firestone Tyre and Rubber Company . .	31
4529	फायरस्टोन कम्पनी द्वारा विदेश स्थित अपनी अभिभाव कम्पनी को धन राशि का प्रत्यावर्तन	Remittances by the Firestone Company to its parent Company Abroad . .	32
4531	फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भारतीयकरण	Indianisation of Firestone Tyre and Rubber Company of India Pvt. Ltd. . . .	32–33
4532	गंगा सोन लिंक नहर	Ganga Son Link Canal . .	33
4533	पश्चिम बंगाल में निर्मित किये जाने वाले उपरिपुल	Proposed Over-Bridge to be Constructed in West Bengal .	33
4534	दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच	Departmental Enquiries against Employees of Southern Railway	33–34
4535	दक्षिण रेलवे में रेलवे प्लेटफार्मों पर पेय जल की व्यवस्था	Drinking of Water facilities at Railway Platform on Southern Railway	34
4536	आंध्र प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं	Irrigation and Power Projects in Andhra Pradesh	34
4537	अक्तूबर 1972 से सितम्बर, 1973 तक बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travelling during the period from October, 1972 to September, 1973 .	

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4538	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को एक निगम में बदलने के लिये समिति की स्थापना	Setting up of a Committee for converting DESU into Corporation	35
4539	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन	Publication of Annual Report of DESU	35
4540	साहिबाबाद रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर यात्रियों को होने वाली असुविधाओं के बारे में शिकायतें	Complaints regarding inconvenience suffered by Passengers at Sahibabad Railway Station (Northern Railway) . .	35–36
4541	रतलाम डिवीजन में खाद्यान्न का सस्ते मूल्यों पर वितरण	Distribution of Foodgrains at Cheap Prices in Ratlam Division	36
4542	बिलासपुर एक्सप्रेस गाड़ी को तेज रफ्तार की गाड़ी में बदलने का प्रस्ताव और पटरी को मजबूत बनाना	Proposal to convert Bilaspur Express Train into a Fast Speed Train and to strengthen Railway Track . . .	36
4543	मध्य प्रदेश में तवा बांध परियोजना	Tawa Dam Project Madhya Pradesh	36–37
4544	दहोद रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर पैदल उपरिपुल का विस्तार करने का प्रस्ताव	Proposal for extension of Foot Over-Bridge at Dahod Railway Station (Western Railway) . . .	37
4545	रेलवे प्लेट फार्म टिकट तथा सबसे कम टिकट के मूल्य मे अन्तर	Difference in value of Platform Ticket and Minimum Tickets	37
4546	कडकादूर स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर विकास कार्य	Development Work at Kadakadur Station (Southern Railway)	37–38
4547	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की कर्मचारी मजदूर सभा की मांगों का निपटारा	Settlement of Demands of the O & NGC Employees Mazdoor Sabha . . .	38
4548	औषध निर्माता फर्मों द्वारा उत्पादन के विविधीकरण के बारे में प्रैस नोट	Press Note regarding Diversification of Production by Drug Firms . . .	38–39
4549	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव पर औसत व्यय	Average Expenditure on Election, a Parliamentary Constituency	39
4553	गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में प्रस्तावित विधेयक	Proposed Bill on Free Legal Aid to the Poor . . .	39
4554	लोअर कोर्ट तथा हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार के बारे में समाचार	Reports about corruption in Lower Courts and High Courts . . .	39–40

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4555	केरल सोप्स एण्ड ओयल्स लिमिटेड को मटन चरबी का आवंटन	Allotment of Mutton Tallow to Kerala Soaps and Oils Ltd.	40
4556	मुर्शिदाबाद में गंगा नदी द्वारा भू कटाव को रोकने के लिये योजना	Protection Scheme for Erosion by Ganga at Murshidabad	40
4557	लद्दाख में भू तापीय जैनरेटर लगाना	Installation of a Geothermal Generator in Ladakh	41
4558	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 में संशोधन	Amendment to Section 13 of the Hindu Marriage Act, 1953	41
4559	उत्तर प्रदेश में इंजीनियरों की हड़ताल के संबंध में प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप की मांग	P. M.'s Intervention sought in Strike by U. P. Engineers	41–42
4560	स्मिथ स्टेनोस्ट्रीड एण्ड कम्पनी लिमिटेड	Smith Stanistreet and Co. Ltd.	42
4561	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग का मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई के बारे में प्रतिवेदन	Report of MRTP Commission on M/s. Hindustan Lever Ltd., Bombay	42–43
4562	पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों को गन्धक के तेजाब की सप्लाई	Supply of Sulphuric Acid to Small Scale Industries in East Bengal	43–44
4563	नायलोन परियोजनाएं आरम्भ करने के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Licence for Starting Nylon Projects	44
4564	नायलोन निर्माता एककों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिये कैप्रोलैक्टम परियोजनायें	Caprolactum Projects to Provide Raw Material to Nylon Manufacturing Units	44
4565	गोआ में सालोलिम सिंचाई परियोजना	Salaulim Irrigation Project at Goa	45
4566	संश्लिष्ट रबड़ के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	Tariff Commission Report on Synthetic Rubber	45
4567	चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये बिजली उत्पादन का लक्ष्य	Targets for Power Generation for Fourth Plan	45–46
4568	गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कोयले के भंडारों में रेलवे कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण प्रभाव	Effect of agitation by Railway Employees on Coal Stocks in Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh	46
4569	रेलवे स्टेशनों पर क्षतिग्रस्त रेल डिब्बों के स्थान पर अतिरिक्त रेल डिब्बों की व्यवस्था करना	Arrangement for providing Additional Coaches to replace damaged coaches at Railway Stations	46–47

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4570	भारतीय रेलवे में लेखा अधिकारियों के कार्यकरण के बारे में निर्देश	Issue of Instructions of Functioning of Accounts Officers on Indian Railways . .	47
4571	पश्चिम रेलवे पर बुकिंग तथा रिजर्वेशन कार्यालयों के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता जानने के लिये मापदण्ड	Guideline for Staff requirement for Booking and Reservation Offices (Western Railway)	47-48
4572	पश्चिम रेलवे के कुछ स्टेशनों पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये अपनाई गई कसौटी	Criteria adopted for posting of Staff at certain Stations of Western Railway . .	48-49
4573	पश्चिम रेलवे के बिजली कर्मचारियों द्वारा 12 घंटे की ड्यूटी दिया जाना	12 Hours duty performed by Electrical Staff on Western Railway	49-50
4574	अशोधित तेल की सप्लाई के लिये मलयेशिया के साथ बातचीत	Negotiations with Malaysia for Supply of Crude Oil . .	50
4575	पांचवी योजना के प्रथम वर्ष में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण	Electrification of Railway lines during First Year of Fifth Plan	50
4576	रेलवे द्वारा संचालित डाइनिंग कार और रिफ्रेशमेंट स्टाल	Dining Cars and Refreshment Stalls run by Railways . .	50
4577	मथुरा निर्वाचन क्षेत्र में मत पत्रों पर छापे गये चुनाव के उम्मीदवारों के नाम	Names of Contesting Candidates in Mathura Constituency Printed on Ballot Papers .	51
4578	कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र और उनको नेफ्था पर आधारित संयंत्र बनाने का प्रस्ताव	Coal Based Fertilizer Plants and Proposal for their Change-over to Naphtha Based Plants	51
4579	बेनामी सम्पत्ति रखने की प्रक्रिया को निषिद्ध करने के लिये कानून बनाना	Enactment of Law to prohibit the Practice of Holding Benami Property . . .	51-52
4580	इस्पात संयंत्रों को कोयले की महत्वपूर्ण सप्लाई में बाधा डालने के लिये रेलवे कर्मचारियों को भड़काने वाले राजनीतिक स्वार्थ रखने वाले तत्व	Politicals interests inciting railwaymen to disrupt vital coal supplies to Steel Plants	53
4581	पेट्रोलियम की नेपाल को तस्करी	Smuggling of Petroleum to Nepal	53
4582	फरवरी, 1974 में चुनाव अधिकारियों और निर्वाचन आयोग को प्राप्त चुनाव सम्बन्धी शिकायतें	Complaints about elections received by elections Officials and the Election Commission during the month of February, 1974 . . .	53
4583	जल संसाधनों के बारे में भारत-बांगला देश पेनल गठित किया जाना	Setting up of a Indo-Bangladesh panel for water resources .	54

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4584	प्रेडनीसोलीन की मांग को पूरा करने के लिये उस का उत्पादन	Production of Predinoslene to meet its demand . . .	54
4585	कर्नाटक में तेलशोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय	Decision to set up a refinery at Karnataka . . .	54–55
4586	फालतू रेलवे भूमि के लिये सर्वेक्षण	Survey for surplus Railway land	55
4587	मध्य रेलवे के श्रेणी एक, दो, तीन और चार के कर्मचारियों का स्थायीकरण	Permanancy for Class I, II, III and IV employees on Central Railway	55–56
4588	सिन्दीचेम लिमिटेड, नागपुर को डी० डी० टी० की सप्लाई	Supply of D.T.T. to M/s. Sindichem Ltd., Nagpur .	56
4589	आसाम में रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of trains in Assam	56–57
4590	पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता के लिये अनुश्रवण यंत्र की स्थापना	Setting up of a monitor for availability of petroleum products	57
4591	मिट्टी के तेल की मोटर स्पिरिट में मिलावट का पता लगाना	Detection of adulteration of motor spirit by Kerosene Oil	57–58
4592	वर्ष 1973–74 में भीड़ द्वारा खाद्य सामग्री से भरे माल डिब्बों का लूटा जाना	Wagons carrying food articles looted by mobs during 1973-74	58
4593	कम्पनियों द्वारा बनाये जाने वाले लागत विवरण	Cost statements maintained by Companies . .	59
4594	पोंग बांध के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by workers of Pong Dam	59–60
4595	सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के कारण कांगडा घाटी रेल के निर्माण में विलम्ब	Delay in construction of Kangra Valley Railway due to rise in price of Materials . .	60
4596	पुष्टि प्राप्त आरक्षण के बावजूद यात्रियों को उचित स्थान उपलब्ध न किया जाना	Passengers possessing confirmed reservation denied Rightful Accommodation .	60–61
4597	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान	Payment of Bonus to Employees of O & NGC . .	61–62
4598	वर्ष 1973 में गाड़ियों में जंजीर खीचने की घटनायें	Chain Pulling cases on train during 1973 . . .	62
4599	मेरठ सिटी स्टेशन पर माल डिब्बों से आयातित जस्ते के पिंडो और पट्टियों की चोरी	Imported Zinc Ingots and Slabs found Missing from Wagons at Meerut City Station .	62–63

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4600	अशोधित तेल की सप्लाई के लिये सऊदी अरब द्वारा बनाया गया नया सूत्र	Formula evolved by Saudi Arabia for Crude Oil Supplies	63
4601	रेल कर्मचारियों की अप्रैल में हड़ताल	Strike by Railway employees in April	63–64
4602	भारतीय उर्वरक निगम के वसूल न किए जा सकने वाले ऋण की जांच	Inquiry into bad debt of Fertilizer Corporation of India .	64
4603	गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई जल की कमी	Shortage of irrigation water in Saurashtra region of Gujarat.	64
4604	सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों को वैगनों की सप्लाई	Supply of wagons to industries in Public Sector . . .	64–65
4605	कोसी बांध में गाद जमा हो जाने की समस्या	Slitting problem of Kosi Barrage	65–66
4606	मैसर्स ए० एच० व्हीलर्स के लिये कमीशन की उचित दर निर्धारित करना	Fixing of reasonable rate of commission for M/s. A. H. Wheelers	66
4607	कर्नाटक को सिंचाई और बिजली के लिये अतिरिक्त सहायता	Additional assistance to Karnataka for Irrigation and Power	66–67
4608	बिहार में डीजल की मांग में वृद्धि	Increase in demand for diesel in Bihar	67
4609	"एनर्जी क्राइसिस एण्ड दी रोल आफ इंडियन इंडस्ट्री" (ऊर्जा संकट और भारतीय उद्योग की भूमिका) पर गोष्ठी	Seminar on Energy Crisis and the role of Indian Industry	67–68
4610	मोदी नगर से मुरादनगर जाने वाले विद्यार्थियों के लिये 12.00 बजे से लेकर 3.00 बजे शाम तक रेलगाड़ियों का न चलना	Absence of Railway trains for students going from Modi Nagar to Murad Nagar between 12.00 noon and 3.00 noon	68
4611	छात्रों द्वारा दौसा (राजस्थान) में मालगाड़ी लूटने का प्रयास	Attempt made to loot Goods Train at Daosa (Rajasthan) by Students . . .	68–69
4612	ईस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा बिजली उत्पादन के लिये थोरियम का प्रयोग करने का अनुरोध	Use of thorium for Power Generation Urged by Institution of Engineers (India) . .	69
4613	सर्वाधिक आमदनी वाली रेलवे लाइनें	Railway Lines Earning Maximum Revenue . . .	69
4614	सिन्दरी स्थित उर्वरक कारखाने में आग के कारण हुई हानि	Loss suffered due to Fire in Fertilizer Factory at Sindri	70–71

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4615	बिजली में किफायत संबंधी समिति की सिफारिशों को लागू करना	Implementation of Recommendation of Power Economy Committee	70
4616	रेलवे की ट्रेड यूनियनों के नाम	Names of Trade Unions in Railways	71–72
4617	राजस्थान वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल जयपुर द्वारा पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक से की गई मांगें	Demands made by Rajasthan Chamber of Commerce and Industry, Jaipur to General Manager, Western Railway .	72
4618	बदरपुर तापीय बिजली घर के इंजीनियरों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Engineers of Badarpur Thermal Power Station .	73
4619	95 एकाधिकार गृहों की कुल आस्तियों में वृद्धि	Increase in the Total Assets of 95 Monopoly Houses .	73–74
4620	बड़े पमाने पर बनी औषधियों (बल्क ड्रग्स) के बारे में कार्य दल (टास्क फोर्स) के प्रतिवेदन को औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को सौंपा जाना	Referring Report of Task Force on Bulk Drugs to Bureau of Industrial Cost and Prices .	74–75
4621	तेल उत्पादक देशों द्वारा गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को रियायती दरों पर अशोधित तेल की सप्लाई	Supply of Crude oil by Oil Producing Countries to Non-aligned Nations at concessional Rates	75
4622	पश्चिम तथा मध्य रेलवे डिवीजनों की रेल प्रयोक्ता समितियों की बैठक	Meetings of Railway Users Committees, Western and Central Railways Divisions	75
4623	राजस्थान नहर के लिये धनराशि	Funds for Rajasthan Canal.	75–76
4624	हिन्दी के समुचित प्रयोग कराने के लिये सलाहकार समिति	Advisory Committee to ensure proper use of Hindi . .	76
4625	डिवीजनल सुपरिटेंडेंट, बिलासपुर द्वारा प्रमुख व्यापारियों तथा राष्ट्रीय कोयला निगम को सप्लाई किये गए माल डिब्बे	Wagons supplied to prominent Traders by D. S. Bilaspur and National Coal Development Corporation . .	77
4626	26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी की औषध फर्मों को विस्तार की अनुमति	Permitting expansion of Drug Firms with more than 26 per cent Foreign Equity . .	77
4627	औषध फर्मों को नयी मिश्र औषधियां बनाने की अनुमति देना	Permitting production of new formulation by Drug Firms	77–78
4628	पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनों का निर्माण	Construction of Railway Lines in Backward Areas . .	78–79

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4629	वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 में फरवरी, 1974 तक माल-भाड़े की आय तथा क्षति के लिए दिए गए मुआवजे की राशि	Amount of Freight received and Damages paid by Railways during 1971-72, 1972-73 and 1973-74 upto February	79–80
4630	रेलवे पुलिस के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Railway police	80–81
4631	स्वयं दीवालिया हो जाने वाली कम्पनियां	Companies going into Voluntary liquidation	81
4632	1974-75 के लिए जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Electrification of Rural Areas in J & K, H.P. and U.P. for 1974-75	81–82
4633	अलाभकारी शाखा लाइनों संबंधी समिति	Uneconomic Branch Line Committee.	82
4634	गत तीन वर्षों में बदलने के लिए मंजूरी की गई रेलवे लाइनें	Railway Tracks sanctioned for conversion during past three years	82–84
4635	कोचीन के उर्वरक कारखाने को हुआ घाटा	Loss suffered by Cochin Fertilizer Plant	84
4636	1942 के पश्चात् नियुक्त स्टेशन मास्टरों को किराया मुक्त आवास	Rent free Accommodation to Station Masters appointed after 1942	84
4637	रेलवे कर्मचारियों को वर्दी का एक और जोड़ा	One more set of uniform to Railway Staff	85
4638	तेल कम्पनियों को नियंत्रण में लेने के सरकार के निर्णय को निष्फल बनाने का प्रयास	Bid to thwart take over of Oil Companies	85
4639	पश्चिम बंगाल और आसाम में बाढ़ को लाने वाली नदियों पर नियंत्रण	Control of Flood prone Rivers in West Bengal and Assam	85–86
4640	सेवानिवृत्ति आयु के बाद न्यायाधीशों की पुनःनियुक्ति	Re-Employment of Judges after the Age of Superannuation.	86
4641	रिवाड़ी, झुनझुन और बीकानेर स्टेशनों पर लाइसेंसधारी विक्रेता	Persons Holding Vending Licences at Rewari, Jhunjhunu and Bikaner Stations.	86
4642	विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of foreign Oil Companies	86–87
4643	तेल की खोज के बारे में भारत और श्रीलंका में समझौता	Agreement between India and Sri Lanka on Oil Exploration	87
4644	कटनी स्टेशन पर पार्सलों और ट्रालियों के जमा हो जाने से यात्रियों को असुविधा	Heaps of Parcels and trollies at Katni Station causing inconvenience to passengers	87–88

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4645	मध्य प्रदेश को अपर्याप्त माल डिब्बों की सप्लाई के कारण हर्रा की बरबादी	Wastage of Harra following Inadequate wagon supply M.P.	88
4646	दक्षिण भारत के बीडी उद्योग के लिए अपर्याप्त माल डिब्बे	Inadequate Rail Wagons for Bidi Industry of South India	88
4647	सोडियम ट्राइपोलीफास्फेट के उत्पादन के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु मिले आवेदन	Applications received for Seeking permission to manufacture Sodium Tripolyphosphate	88–89
4648	उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी और उड़ीसा विधान सभाओं के चुनावों में डाले गए मत	Votes Polled in Elections to Legislative Assemblies in U. P., Pondicherry and Orissa.	89
4649	गेस्टेटनर डुप्लीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड को नासिक ले जाना	Shifting of gestetner Duplicators Pvt. Ltd. to Nasik.	89
4650	मणिपुर और नागालैंड की विधानसभाओं के चुनावों में हुआ मतदान	Votes polled in Election to Legislative Assemblies of Manipur and Nagaland . .	90–91
4651	उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए दिल्ली क्लाथ मिल तथा शावाल्लेस को दिए गए लाइसेंस	Licences granted to DCM and Shaw Wallace for setting up Fertiliser Plants . .	91
4653	तेल का पता लगाने के लिए सोमाफरघाटी में छिद्रण स्थल	Sites for Drilling oil in Somafur Valley	92
4654	श्री आर० पी० गोयनका और उनके भाइयों के 30 प्रतिशत से अधिक शेयरों वाली कम्पनियां	Companies in which Shri R. P. Goenka and his Brothers Control more than 30 per cent of the Shares . .	92
4655	गोइनका फर्में और "जी उमाशंकर"	Goenka firms and 'G' Umashankar'	92
4656	दिनांक 20 अप्रैल, 1974 के पश्चात कोल्हापुर स्टेशन से रेलगाड़ियां न चलने देने के बारे में फौंड्री मालिकों तथा श्रमिकों का निर्णय	Decision of Foundry Owners and their workers not to allow movement of Trains from Kolhapur Station after 20th April, 1974	93
4657	27 फरवरी, 1974 को दिल्ली में हुआ श्रमिक संघों का सम्मेलन	Convention of Trade Unions held in Delhi on 27th February, 1974 . . .	93–94
4658	आल इंडिया सिगनल एंड टेलीकम्युनिकेशन्स स्टाफ एसोसियेशन द्वारा नियमानुसार काम करो आन्दोलन	Word to rule Agitation by All India Signal and Telecommunications Staff Association	94
4659	नैमित्तिक श्रमिकों को खपाने के लिए समान नीति	Uniform Policy for absorption of Casual Labourers . .	94–95

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4660	इराकी तकनीकी दल की भारत यात्रा — Visit of an Iraqi Technical Team to India	95
4661	पांचवीं योजना के दौरान तमिलनाडु में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें — Rural Electrification scheme for Tamil Nadu during Fifth Plan.	95–96
4662	प्रयाग एक्सप्रेस तथा 17 अप और 18 डाउन वैशाली एक्सप्रैस बरौनी और कटिहार के बीच प्रत्येक स्टेशन पर रोके जाने का प्रस्ताव — Proposal to stop Prayag Express and 17 Up. and 18 Dn. Vaishali Express at every Station Between Barauni and Katihar	96
4663	दिल्ली तथा वालटेयर के बीच सीधी रेल सम्पर्क — Direct Rail Link between Delhi and Waltair	96–97
4664	कोचीन तेल शोधक कारखाने में अशोधित तेल के परिष्करण में कमी होना — Decline in Processing of Crude Oil at Cochin Refineries.	97
4665	कृषि के लिए अशोधित तेल की सप्लाई संबंधी नीति — Strategy for Crude Oil Supplies to Agriculture	97
4666	पश्चिम बंगाल में सिंचाई तथा विद्युत योजनायें — Irrigation and Power Schemes in West Bengal	98–99
4667	हाल्दिया में सोडियम ट्रियोलीफासफेट संयंत्र लगाने के लिए हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड से प्रस्ताव — Proposal from Hindustan Lever Limited for Setting up of a Sodium Tripoly Phosphate Plant at Haldia	99–100
4668	पश्चिम बंगाल में मयुराक्षी तथा कांगसागरी परियोजना के लिए स्वीकृत राशि — Amount Sanctioned for Mayurakshi and Kangsabati projects in West Bengal	100
4669	सोडियम ट्रिपाली फासफेट संयंत्र तथा उनसे उत्पादन — Sodium Tripoly phosphate Plants and their production	100–101
4670	वर्ष 1973 में पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण से लाभान्वित लघु उद्योग — Small Industries benefited from Rural Electrification in West Bengal during 1973	102
4671	पश्चिम बंगाल के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी योजनाएं — Rural Electrification Schemes for West Bengal	102–103
4672	गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण — Rural Electrification in North Eastern Region States during last three years.	103–104
4673	पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण — Rural Electrification in West Bengal	104–105
4674	पांचवीं योजना में आसाम में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए धनराशि — Funds for Rural Electrification in Assam in Fifth Plan	105

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4675	स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) के विश्राम करने के लिए पर्याप्त आवास	Adequate Accommodation for Rest by Station Masters and Asstt. Station Masters (North East Frontier Railway)	106
4676	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में कर्मचारियों की बदली के लिए अपनाये गए मानदंड	Criteria followed for Transfer of Employees (North East Frontier Railway) . .	106
4677	फरक्का बांध परियोजना की जंगीपुर नहर का पूरा होना	Completion of Jangipur Canal of Farakka Barrage Project	106
4678	अशोधित तेल के मूल्य के बारे में तेल निर्यातिक छह देशों का निर्णय	Decision of six oil Exporting Countries on price of Crude.	107
4679	दिल्ली क्षेत्र/(उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों के कार्य का विश्लेषण	Job Analysis of Assistant Station Masters, Delhi Division (Northern Railway) . . .	107
4680	जोनल प्रशिक्षण स्कूल, मुजफ्फरपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	Refresher Courses in Zonal Training School, Muzaffarpur (North Eastern Railway) .	108
4681	आसाम आयल कम्पनी के अधिकांश शेयरों का अधिग्रहण	Acquisition of Majority Shares of Assam Oil Company .	108
4682	पश्चिम बंगाल के कटाई सब-डिवीजन के लिए बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी परियोजनाएं	Flood Control and Drainage Projects for Contai Sub Division of West Bangal .	108–109
4683	खड़गपुर और मद्रास के साथ डीघा को जोड़ना	Linking of Digha with Kharagpur and Madras . .	109–110
4684	हिली तथा बलुरघाट में सम्पर्क स्थापित करना तथा एक नई रेल लाइन बिछाना	Linking of Hili and Balurghat and setting up New Railway Line	110
4685	नई दिल्ली तथा दिल्ली से चलने तथा यहां तक पहुंचने वाली शटल रेल गाड़ियों का देरी से आना जाना	Late Running of Shuttles to and from New Delhi and Delhi.	110–111
4686	केरल में ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां	Joint Stock Companies in Kerala	111
4687	केरल राज्य में अधिक रेलवे अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र	More Railway Hospitals and Health Units in Kerala State	111
4688	केरल में चौथी योजना के लिए बिजली उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य	Target fixed for Power Generation in Kerala for Fourth Plan	112
4689	केरल में गैर-सरकारी तथा सरकारी लिमिटेड कम्पनियां	Private and Public Limited Companies in Kerala . .	112–113
4690	केरल में स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक कारखाने	Industrial Units to be set up in Kerala	113
4691	विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों की आस्तियां, लाभ तथा उत्पादन	Assets, profits and turn over of Foreign owned Companies .	113

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4692	दामोदर घाटी निगम विद्युत संयंत्रों की विद्युत जनित्र लागत	Generation Cost of Power at DVC Power Plants.	113–114
4693	केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान के राक फासफेट निक्षेपों के निकालने के कार्य को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना	Take over of Exploitation of Rock Phosphate Deposits in Rajasthan by Central Government	114–115
4694	दिल्ली में बिजली फेल होने के संबंध में प्रसाद समिति का प्रतिवेदन	Report of the Prasad Committee on Power Breakdown in Delhi	115
4695	दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका की बिजली की अलग अलग दरें	Different Rates of Electricity charges by DMC and NDMC	115–116
4696	राष्ट्र नायकों के विरुद्ध गवाही देने तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन करने वालों के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव	Proposal to debar those persons who appeared as approvers against National Heroes and who supported the British Imperialism from seeking Elections	116
4697	इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन के पैराक्सीलीन प्लांट के कम्प्रैसर के दोषपूर्ण कार्य के बारे में जाँच	Inquiry into Defective working of the Compressor of paraxyiene Plant of IPC	116–117
4698	गुप्त मतदान प्रणाली	Secret Voting System	117
4699	विवाह की आयु को बढ़ाने के लिए बाल विवाह रोक अधिनियम, 1929 में संशोधन	Amendment to child marriage Restraint Act, 1929 to raise the age for Marriage	117
4700	पांचवीं योजना के दौरान इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली नई सिंथेटिक दवाइयां	New Synthetic Drugs to be manufactured by IDPL in Fifth Plan	117–118
4701	विधि आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु विशिष्ट सैल	Special cell to implement the recommendations of Law Commission	118
4702	सिंचाई को केन्द्रीय विषय बनाना	Irrigation as Central subject	118
4703	सिकंदराबाद, बंगलौर और बंगलौर सेलम मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Secunderabad Bangalore and Bangalore Salem Metre Gauge to Broad Gauge lines	119
4704	जल विद्युत उत्पादन हेतु मशीनरी और कल पुर्जों का आयात	Import of Machineries and Components for Hydel Power Generation	119–120
4705	टुंडला (उत्तर प्रदेश) की रेलवे कालोनियों में बनाए गए "आउट हाउसिस"	Out-Houses Constructed in Railway Colonies at Tundla (Northern Railway)	120
4706	रेलवे इंटरमीडियट कालेज, टुंडला में प्राध्यापकों के पद	Posts of Lecturers in Railway Intermediate College, Tundla	120–121
4707	नार्दन रेलवे इंटर कालेज, टुंडला में अप्रशिक्षित अध्यापक	Untrained Teachers in Northern Railway Inter College, Tundla	121

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4708	मध्य प्रदेश में 1972 में हुए विधान सभा के चुनावों के बारे में याचिकाएं	Petitions about Elections held in 1972 to Legislative Assembly of Madhya Pradesh . .	121
4709	मध्य रेलवे में वर्धा और कटोल के बीच एक नई रेलवे लाइन	New Railway Line between Wardha and Katol on Central Railway	122
4710	कर्नाटक सरकार द्वारा 1974-79 के दौरान नई रेलवे लाइनें बिछाने और लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने संबंधी सिफारिशें	New Railway lines and conversion to Broad Gauge recommended by Karnataka Govt. during 1974—79 . . .	122–123
4711	रेलवे कर्मचारियों द्वारा चलाई जाने वाली उपभोक्ता सहकारी समितियों वाले रेलव स्टेशन	Stations on which consumer Co-operative Societies run by Railways Employees .	123–124
4712	बिहार में खिरोई नदी पर स्लूस फाटक एवं पुल बनाना	Construction of Sluice Gate cum-Bridge over River Khiroi in Bihar	124
4713	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कटिहार की समन्वय समिति द्वारा पेश मांगों पर कार्यवाही	Action taken on Demands submitted by Coordination Committee, North-East Frontier Railway, Katihar . .	124–125
4714	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में पर्यवेक्षकों के पद	Recruitment for the Post of Supervisors by C.W. & P.C. .	125
4715	पांचवीं योजना में उड़ीसा में जालपुर बांसपानी रलवे लाइन का निर्माण	Construction of Jalpur Banspani Railway line in Orissa in Fifth Plan . . .	125
4716	खुदरा रोड (दक्षिण-पूर्व रेलवे) डिवीजन में नैमित्तिक श्रमिक	Casual Labourers in Khurda Road Divisoin (South Eastern Railway)	125–126
4717	नार्थ बुक जूट कम्पनी लिमिटेड के लेखों में कथित हेर-फेर	Mis appropriation in the Accounts of The North Brooke Jute Company Limited . .	126
4718	धनबाद में पाटलिपुत्र एक्सप्रैस के रवाना होने के समय में परिवर्तन	Changes in the Departure Time of Patliputra Express at Dhanbad	126–127
4719	समाचर-पत्रों पर माल भाड़े की दरों में परिवर्तन	Changes in Freight Rates of Newspapers . . .	127
अविलंबनीय लोक महत्व के-विषय की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance	127–128
एल० आर० डी० इ० बंगलौर में इलेक्ट्रानिक उपकर बेकार पड़े होने का समाचार		Reported Electronics Equipment lying waste in the LRDE, Bangalore	128
	श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddi	129
	श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidyacharan Shukla	129–130
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में		Re. Question of Privilege . .	131
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers laid on the Table .	131–132

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अध्यक्ष द्वारा दिये गये निवेशों में संशोधन—सभा पटल पर रखा गया	Amendment to Directions by the Speaker—Laid	133
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	133
सदस्य की दोषसिद्धि और रिहाई— (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)	Conviction and Release of Member— (Shri Atal Bihari Vajpayee)	133
नियम 377 के अंतर्गत मामला—	Matter under Rule 377—	
गुजरात में सीमेंट और कोयले की कमी	Shortage of Cement and Coal in Gujarat	133-134
गुजरात बजट, 1974–75—सामान्य चर्चा और गुजरात राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—	Gujarat Budget, 1974-75— General Discussion and Gujarat State Legislature (Delegation of Powers) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	134-135
श्री भालजीभाई परमार	Shri Bhaljibhai Parmar	135-136
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A. K. M. Ishaque	136
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	136-137
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	137-140
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	141
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	141
अनुदानों की मांगें, 1974–75	Demands for Grants 1974-75—	
औद्योगिक विकास मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग—	Ministry of Industrial Development and Department of Science and Technology—	
डा० सरदीश राय	Dr. Sardish Roy	143-145
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	145
श्री एस० ए० मुरूगनन्तम	Shri S. A. Muruganantham	145-147
श्री राज देव सिंह	Shri Rajdeo Singh	147-148
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan	148-150
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	150-151
श्री चिरंजीव झा	Shri Chiranjib Jha	151-152
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	152-153
श्री देवेन्द्र नाथ मेहता	Shri Devendra Nath Mehata	154-155
श्री एस० एन० सिंह देव	Shri S. N. Singh Deo	155
श्री श्रीकशन मोदी	Shri Shrikishan Modi	155-156
श्री छोटे लाल	Shri Chhotey Lal	156
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	157
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	157-158
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya	158

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 26 मार्च, 1974/5 चैत्र, 1896 (शक)
Tuesday, March 26, 1974/Chaitra 5, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Prices of Petrol, Kerosene, Diesel and Gas

***446. Shri Jagannathrao Joshi :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the per litre price of petrol, kerosene and diesel and per kilogram of cooking gas on the 1st January, 1969 and at present;

(b) the percentage of Government duties and taxes included in the prices thereof;

(c) whether it is proposed to reduce the percentage of Government taxes therein for those weaker sections of the society which are living below poverty line; and

(d) if so, the broad outlines of the scheme in this regard ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) केन्द्रीय शुल्क की दर और कर की प्रतिशतता सहित दिल्ली और बम्बई में 1-1-1969 को और इस समय (2-3-74) से पेट्रोल, मट्टी के तेल, एच० एस० डी० तेल और ईंधन गैस (प्रति किलोग्राम) के प्रतिलिटर फुटकर विक्रय मल्य नीचे दिये गये हैं :—

	फुटकर मूल्य		शुल्क और कर की प्रतिशतता सहित	
	1—1—69	2—3—74	1—1—69	2—3—74
	रु०/ल०	रु०/लि०		
पेट्रोल—				
दिल्ली . . .	1.02	3.14	68	72
बम्बई . . .	0.98	3.19	77	75

	फुटकर मूल्य		शुल्क और कर की प्रतिशतता सहित	
	1-1-69	2-3-74	1-1-69	2-3-74
	रु०/लि०	रु०/लि०		
मिट्टी के तेल—				
दिल्ली	0.50	1.00	46	47
बम्बई . .	0.44	0.91	53	51
एच० एस० डी० तेल—				
दिल्ली . .	0.83	1.00	67	48
बम्बई .	0.77	0.97	73	53
इंधन गैस—	रु०/किग्रा०	रु०/किग्रा०		
दिल्ली . . .	1.52	1.75	18.3	19.7
बम्बई . . .	1.29	1.47	18.6	21.3

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले भी तीन बार यह कह चुका हूं कि लम्बे उत्तरों के मामले में विवरण सभा पटल पर रखा जाना चाहिये । आप अपने अधिकारियों को तदनुसार अनुदेश दे दें ।

Shri Jagannathrao Joshi : Actually I had asked about four metropolitan cities Delhi, Bombay, Madras and Calcutta but reply has been restricted to Delhi and Bombay. Had the statement been supplied, we would have got opportunity to study the same.

Our Administration forcefully says that they will reduce the prices, check the price spiral . But it is clear from the statement that Cost price of Petrol is 78 paise per litre and duty on it is Rs. 2.36 paise per litre and thus it is sold at Rs. 3.14 paise per litre. In 1969, when cost price of petrol was 32-33 paise, duty on it was 68 paise and the sale price of petrol was 1.02 paise per litre. I would like to know whether Government have formulated any criterion for imposing duty on petrol, diesel and kerosene *i.e.* what will be the percentage of duty on cost price ?

Shri Shahnawaz Khan : The matter regarding fixing up prices has already been debated in detail in Parliament. There is also Shah Committee's report in this regard. Generally diesel is used for transportation and agricultural purposes. Therefore, it is required that its price should not be raised. On the other side by saving petrol we can save naptha and increase production of fertilizer. Therefore, it is our constant endeavour that price of petrol be increased so that people may curtail its use and naptha may be made available for producing fertilizer.

Shri Jagannathrao Joshi : I had asked about the criterion but hon. Minister replied that to save naptha petrol should be saved. But does the way in which helicopters were used for election campaign show that Government want to save petrol. So far as the question of kerosene is concerned, it has been stated in the statement that duty has been raised from 46 per cent to 47 percent. *i.e.* it has been raised by one per cent. How the Government can claim that they are making efforts to make the kerosene oil available with people at cheap rates? The other day, the hon. Minister had stated that price of kerosene oil has been raised to avoid adulteration of kerosene oil and diesel. But the present statement shows that prices of both the commodities are same. Further, the hon. Minister has stated that they are trying to convert kerosene oil into blue colour. I would like to know the difficulties in the way of issuing cards to farmers and common men so that they may get diesel ? Will the Government make arragements foi making the kerosene oil available at reduced rates?

Shri Shahnawaz Khan : If we have to choose between diesel and petrol, we will give preference to production of diesel. Therefore, we have reduced the production of kerosene oil and increased the production of diesel in the same proportion. It has been done so that there should not be any dearth of diesel and we can tolerate the shortage, if any, of kerosene oil in villages.

So far as the question of cards is concerned, I myself went to many places and found that cards have been issued to farmers by Block Development Officers. In Uttar Pradesh, Punjab and Haryana, where tractors are used by most of the people or pumps are used cards have been issued. In Western U. P., 100 litres diesel for each pump and 300 litres for each tractor is given. Farmers go to pumps and get diesel. I agree that shortage of diesel is being felt at certain places. Reports regarding shortage of diesel are being received. But we are trying to solve the problem as early as possible.

Shri Jagannathrao Joshi : Is there any poposal to reduce the prices of kerosene oil and diesel ?

Shri Shahnawaz Khan : There is no such proposal.

Shri Nathu Ram Ahirwal : The hon. Minister has just stated that 100 litres diesel is issued on cards per month. I would like to bring the fact to the notice of the hon. Minister that in Jhansi district not more than 5 litres is issued. Will the hon. Ministei make enquiry into this?

Shri Shahnawaz Khan : 5 litres daily and not per month.

Shri Nathu Ram Ahirwal : No. 5 litres is issued per month. How it is possible to spend 3 rupees in conveyance for getting 5 litres?

Shri B. S. Bhaura : The hon. Minister has stated that they are increasing production of diesel and he has also stated that 100 litres diesel is issued on card. In Punjab one gets only 20 litres. But if the hon. Minister visits the pumps he will find that people sit for eight days at petrol pumps and even then they do not get diesel? What the Government are doing for this?

Shri Shahnawaz Khan : We are requesting Railways to expedite the availability of wagons and transport diesel to the destination. Due to Railway strike, difficulty arises in regard to movement of wagons ...

Shri B. S. Bhaura : Crops are affected. When will the Government make adequate arrangements ?

Shri Shahnawaz Khan : We are trying that Railway should expedite its work. We have requested them to do so.

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether the Railway Minister has accepted the request ?

Shri Shahnawaz Khan : Yes, Sir.

Shri Ram Surat Prasad : The hon. Minister has stated that prices have been raised to curtail the consumption of petrol. I would like to know the percentage of curtailment in consumption of petrol effected there by.

The hon. Miniter has stated that cards have been issued for diesel in the western districts of U. P., but in eastern districts of U.P. cards have not been issued. Will the Government inquire into the matter and ensure the supply of cards in the eastern districts of U. P.?

Shri Shahnawaz Khan : It is difficult to estimate the percentage but we think that consumption has curtailed from 15 percent to 20 percent due to increased prices of petrol.

Cards have been is sued in western U. P. I would call the attention of the State Government in case cards have not been issued in eastern U. P.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गत नवम्बर में मोटर स्पिरिट पर 1 रुपया प्रति लिटर उत्पादन शुल्क लगाया गया था। तब सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि उत्पादन शुल्क से प्राप्त धनराशि को महानगरों में नगरीय परिवहन के सुधार के लिये रखा जाएगा। क्या मूल्य नियत करते समय विभिन्न मंत्रालयों के समन्वित विचारों को ध्यान में रखा गया था? इसके बारे में क्या किया गया है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 1 रुपया प्रति लिटर उत्पादन शुल्क से प्राप्त धनराशि को कलकत्ता तथा अन्य महानगरों के नगरीय परिवहन के सुधार के काम में लगाया जाएगा?

श्री शाहनवाज खां : मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये जहां पहले 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी वहां अब हमें उतनी ही मात्रा के लिये 1300 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। हमें किसी न किसी प्रकार अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करनी है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि नगरीय परिवहन का सुधार आवश्यक है और सरकार इस पर निरन्तर ध्यान दे रही है।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड द्वारा केन्द्र तथा राज्य सरकारों को देय राशि

*447. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेखा वर्ष 1972-73 के अंत में फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड द्वारा विभिन्न राज्यों व केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों तथा अन्य सरकारी उपक्रमों को कुल कितनी राशि देय थी और प्रत्येक मामले संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ख) क्या देय राशि में से कुछ राशि, कम्पनी के वर्ष 1972-73 के तुलनापत्र तथा लाभ-हानि लेखे में शामिल नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन सभी देय राशियों को जोड़कर वर्ष 1972-73 में कम्पनी को कुल कितना घाटा हुआ ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक विवरण पत्र जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है, संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1972-73 के लेखा वर्ष के अन्त तक फटिलाइसर्ज एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लि० की भुगतान की जाने वाली बकाया रकमें जो विभिन्न राज्यों, केन्द्रीय एजेंसियों तथा अन्य सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों को भुगतान की जाती है तथा प्रत्येक मामले की मुख्य बातें।

राज्य का नाम एवं केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	भुगतान की जाने वाली रकम (लाख रुपयों में)	बकाया राशि की मुख्य मुख्य बातें
1. भारत सरकार .	4613.17	प्रायोजना ऋण तथा कार्यकारी पूंजी ।
2. भारत सरकार .	447.28	प्राप्त किया गया ब्याज किन्तु 31-3-1973 के बाद देय ।
3. हिन्दुस्तान कापर लि० . .	233.71	खैतरी ठेके के लिये अग्रिम राशि।
4. जिला नियंत्रक . . .	87.56	भूमि अधिग्रहण के लिये व्यवस्था ।
5. आई० एफ० सी० एल० . .	73.46	उद्योगमंडल प्रायोजना के लिये ऋण एवं ब्याज ।
6. एम० एम० टी० सी० आफ इंडिया लि० .	31.84	सल्फर एवं राक फास्फेट के सप्लाई हेतु ।
7. केरल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड . .	17.87	विद्युत् सप्लाई।
8. एस० टी० सी० आफ इण्डिया लि०	31.84	सलफर एवं राक फास्फैट की सप्लाई हेतु ।
9. भारतीय उर्वरक निगम	9.21	अमौनिया सप्लाई तथा किये गये कार्यों के लिये अग्रिम राशियों हेतु ।
10. बिक्री कर प्राधिकारी . .	6.86	बिक्री कर की अदायगी हेतु ।
11. कृषि निदेशक, केरल	6.71	सरकारी खाद की बिक्री आदि के लिये ।
12. कोचीन रिफानरीज लि० . .	3.90	नैफ्था सप्लाई के लिये ।
13. केरल सरकार ऋण एवं ब्याज . .	3.21	औद्योगिक आवासीय योजना के अन्तर्गत आवास गृहों के निर्माण हेतु ऋण ।
14. हिन्दुस्तान स्टील लि० . .	3.55	स्टील की सप्लाई हेतु ।
15. आयकर विभाग . . .	1.57	आयकर हेतु व्यवस्था ।
16. केरल सोप एण्ड आयल लि० .	1.11	ठेकों के लिये अग्रिम राशियां ।
17. हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्ज लि० .	1.07	स्पैन्ट एसिड की सप्लाई ।
18. इम्प्लाइज स्टेट इन्सोरेन्स कारपोरेशन .	1.09	ई० एस० आई० के अंशदान हेतु व्यवस्था ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : श्रीमान जी, जो विवरण प्रस्तुत किया गया है वह केवल अपर्याप्त और अपूर्ण ही नहीं है अपितु गलत भी है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह महोदय जानकारी कहां से एकत्रित करते हैं। यदि गलत जानकारी देने के लिये उनका मंत्रालय उत्तरदायी है तो सदन में उसकी निंदा की जानी चाहिये और यदि इसके लिये सरकारी उपक्रमों के अध्यक्ष उत्तरदायी हैं तो उनके विरुद्ध उपयुक्त सम्तियों द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिये क्योंकि यह विशेषाधिकार का प्रश्न भी है।

अब मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्ज, त्रावनकोर द्वारा त्रावनकोर-कोचीन कैमिकल्ज की ओर 40.2 लाख रुपया बकाया है और यदि हां तो क्या यह धनराशि विवरण में दिखाई गई है और यदि नहीं तो क्यों ? दूसरे, यह जानकारी सदन से क्यों छिपाई जा रही है ? तीसरे, कम्पनी की निधियों के मामले में जिस तरह कुप्रबंध व्याप्त है और जिस तरह उन्हें बर्बाद किया जाता है उस पर क्या गंभीर लेखा परीक्षा आपत्तियां की गईं, जिनके फलस्वरूप इस संगठन का नाश हुआ ? क्या उन्हें लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों की कोई जानकारी है और यदि हां, तो वह उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।

श्री शाहनवाज खां : मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले वार्षिक लेखे का परीक्षण अधिकृत लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत् रूप से किया गया था। वह प्रतिवेदन बिलकुल ठीक है। लेखा परीक्षकों द्वारा उसका सत्यापन किया गया है। कुछ आकस्मिक देय धनराशियां होती हैं। इन आकस्मिक धनराशियों को तुलना-पत्र में और एक अलग मद के अन्तर्गत दिखाया गया है। यही प्रक्रिया सरकारी उपक्रमों में अक्सर अपनाई जाती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा इस पर किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि सदस्य महोदय समाचारपत्रों की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें प्रबन्धकों और मंत्रालय के विरुद्ध सारहीन आरोप लगाने की आदत सी क्यों पड़ गई है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : विवरण की मद संख्या 6 के अनुसार 31.84 लाख रुपये की धनराशि सल्फर की सप्लाई हेतु एम०एम० टी० सी० द्वारा देय है। हाईड्रोजन क्लोराइड तथा क्लोरीन की सप्लाई को आकस्मिक लेखे के अन्तर्गत दिखाया गया है और यदि हां तो यह लेखा पद्धति किस प्रकार की है ? टी० सी० सी० की ओर बकाया धनराशि से सम्बद्ध मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। इससे पूर्व कि मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों को केवल मिथ्या कहें, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उन्हें सदन में आने से पूर्व इन बातों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये और केवल यहां आकर हमारे प्रश्नों को कपोल कल्पित नहीं कह देना चाहिये। क्या मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे ?

श्री शाहनवाज खां : मैं निश्चय ही उत्तर दूंगा। जिन मदों को सभा पटल पर रखे गये विवरण में देय धनराशि के रूप में दिखाया गया है, उन्हें देय राशियों के रूप में स्वीकार किया गया है। आकस्मिक देनदारियां वे हैं जिनके बारे में अभी भी विवाद चल रहा है। जब भी विवाद का फैसला किसी न किसी रूप में हो जाएगा, हम उसके बारे में अंतिम निर्णय ले लेंगे। इन मदों के अन्तर्गत केरल राज्य सरकार बिजली बोर्ड के दावे, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दावे, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों के दावे नेफ्था की अंतर की बकाया राशि, अमोनिया की अन्तर की देय राशि तथा केन्द्रीय विक्रय कर के दावे, आदि आते हैं। यह आकस्मिक देयता की मदें हैं जिनकी कुल संख्या 10.39 करोड़ रुपये के लगभग है। इन्हें तुलनापत्र और लाभ-हानि लेखे में भी दिखाया गया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : ये सब तो मैंने पूछा ही नहीं। मैंने तो स्पष्ट रूप से क्लोरीन की सप्लाई और त्रावनकोर-कोचीन कैमिकल्ज के भुगतान के बारे में पूछा है ? मैं तो इसका उत्तर चाहता हूं।

श्री शाहनवाज खां : जब हम क्लोरीन आदि खरीदते हैं तो उसे देयता माना जाता है और उसे इसी रूप में दिखाया जाता है। इस प्रकार की देयता के अन्तर्गत यदि कोई विवाद होता है तो उसे आकस्मिक देयता के अन्तर्गत दिखाया जाता है। सामान्यता यही प्रक्रिया अपनाई जाती है।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : विवरण के अनुसार अमोनिया आदि पर लगें लगभग तीन करोड रुपये के उत्पादन शुल्क को तुलना पत्र में नही दिखाया गया है। इस प्रकार लेखे में हेर-फेर किया जाता है और वे प्रबन्धकों को कुशल बताने के लिये केवल 2.32 लाख रुपये का घाटा दिखाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे तुलना पत्र में न दिखाने का क्या कारण हैं? क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्ज त्रावनकोर के कुप्रबन्ध के परिणामस्वरूप ऐसा हुआ है।

श्री शाहनवाज खां : नहीं, श्रीमन्, फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर में किसी प्रकार का कुप्रबंध नहीं है। फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। उनके वर्ष 1972–73 के वार्षिक लेखे का परीक्षण किया गया था और उन्हें वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष रखा गया। इसी प्रकार उसे निदेशकों के बोर्ड और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया और जहां भी किसी बात के बारे में कोई संदेह हुआ, उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया। यह सब कुछ होने के बाद भी यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि सदस्य महोदय उसे गलत क्यों कह रहे है। वह सभी प्रकार के विशेषणों का प्रयोग कर रहे है। मैं समझता हूं कि ऐसा करना उचित नहीं है।

श्री डी० एन० तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्ज त्रावनकोर के कार्यकरण की जांच 1967 के बाद सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा की गई है? जब 1967 में इसकी जांच समिति द्वारा की गई थी तो उस समय इसका कार्यकरण संतोषजनक नहीं था। उस समय मैं समिति का सदस्य था और इसी लिये मुझे मालूम है कि फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर का कार्यकरण ठीक नहीं था। इसी लिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 1967 के बाद इसके कार्यकरण का परीक्षण किया गया है और यदि किया गया है तो उसके निष्कर्ष क्या हैं?

श्री शाहनवाज खां : समिति की टिप्पणी तो हमने पढ़ ली है। "फैक्ट" के कार्यकरण की जांच के लिये विशेष लेखा परीक्षण किया गया था। विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से इस प्रकार के संकेत मिले हैं और यह मामला जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। सम्पूर्ण मामले की जांच की जा रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमान जी, मंत्री महोदय द्वारा इस कंपनी के आकस्मिक दायित्वों के अन्तर्गत दिखाई जाने वाली एक मद कर्मचारी राज्य बीमा की देनदारी है जो अभी तक अदा नहीं की गई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिकारियों द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई है और कंपनी द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा की देनदारी पर किस आधार पर आपत्ति की जा रही है?

श्री शाहनवाज खां : कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 2.69 लाख रुपये का दावा किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कंपनी द्वारा इस पर आपत्ति क्यों की जा रही है?

श्री शाहनवाज खां : लेखापालों द्वारा कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। इस मामले की जांच की जा रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या इन्हीं आपत्तियों के कारण इन मामलों में देर हो रही है?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या विवादास्पद बातों की आपको जानकारी है?

श्री शाहनवाज खां : उनकी सही-सही विवरण तो मेरे पास नहीं है।

श्री वयालार रवि : श्रीमान जी, मंत्री महोदय ने बताया है कि उस पर लेखा परीक्षा सम्बन्धी कोई आपत्ति नहीं थी। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या सल्फर से होने वाली आठ लाख रुपये की हानि के बारे में कोई लेखापरीक्षा आपत्ति की गई थी?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं थी ।

श्री वयालार रवि : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सल्फर से होने वाली लगभग 8 लाख रुपये की हानि के बारे में लेखा परीक्षा आपत्ति की गई थी ? यदि हां, तो यह हानि क्यों हुई, यद्यपि सल्फर के प्रयोग में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि "फैक्ट" के प्रबन्धकों का मैसर्ज प्रेयन एण्ड कम्पनी के साथ कोई करार हुआ है और प्रबंधकों द्वारा 13 लाख रुपये की धनराशि बट्टे खाते दाल दी गयी है ? क्या यह सच है या नहीं ? क्या यह भी सच है कि 13 लाख रुपये के दावे को घटाकर 1,70,000 कर दिया गया था । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसे तुलनापत्र में दिखाया गया है या नहीं ?

श्री शाहनवाज खां : श्रीमान जी, मुझे ऐसा लगता है कि सदस्य महोदय द्वारा "मलायला मनोरम" समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार का उल्लेख किया जा रहा है ।

श्री वयालार रवि : जी नहीं, मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं ।

श्री शाहनवाज खां : और इसमें प्रतिवेदन के सांविधिक लेखापरीक्षा पैरा (क) के अभिकथन का निर्देश है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें 31–3–73 के बाद किये गये सत्यापन से सल्फर, राक फास्फेट, पैकिंग सामग्री आदि की कमी के बारे में बताया गया है । निदेशकों के प्रतिवेदन के परिशिष्ट में कहा गया है : "सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के संदर्भ में, राक फास्फेट और सल्फर के वर्ष 1972–73 के स्टाक को वास्तविक स्टाक सत्यापन में पाया गया माना गया है ।"

सदस्य महोदय का सम्बन्ध उसी क्षेत्र से है और वह इस बात को जानते हैं कि सल्फर और राक फास्फेट तथा अन्य कच्चे माल का स्टाक जमा हो जाता है । उसकी सही मात्रा नहीं आंकी जा सकती । यह कार्य अंदाजे के आधार पर किया जाता है । स्टाक का सत्यापन भी अंदाजे के आधार पर किया जाता है और लेखापरीक्षकों का कहना है कि "हमें जो कुछ अंदाजन पैमानों के आधार पर दिया गया उसे हमने मान लिया ।"

श्री वयालार रवि : मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

मैसर्स फाईजर की ओर से विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव

*448. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स फाईजर ने डाक्सीसाइक्लिन के लिये विस्तार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) यह प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था और इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) यदि मैसर्स फाईजर की डाक्सीसाइक्लिन के लिए मंजूरी दे दी जाती है और इसके लिये लाइसेंस देने की सिफारिश की जाती है तो इसका इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड पर क्या प्रभाव होगा और

(घ) देश में कौन-कौन सी भारतीय फर्में डाक्सी साइक्लीन का विक्रय कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जी हां; अगस्त 1972 में मैसर्स फाईजर लिमिटेड ने औद्योगिक विकास एवं नियंत्रण अधिनियम, 1951, के अंतर्गत डाक्सीसाइक्लिन और अन्य औषधों के निर्माण हेतु एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था । 5,000

वी० यूज० प्रति-वर्ष **डाक्सीसाइक्लीन** की क्षमता के लिये प्रार्थना की गई थी और इसमें 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी-निवेश का अनुमान था। इसमें उपकरण आयात करने की कोई परिकल्पना नहीं की गई है।

(ग) यह प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन है। 22 फरवरी, 1974 को इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को 5000 बी० यूज० डाक्सीसाइक्लीन के निर्माण हेतु एक आशय-पत्र जारी किया गया।

(घ) डाक्सीसाइक्लीन सूत्र योगों के विक्रय हेतु, निम्नलिखित फर्मों को मूल्य स्वीकृति दी गई है :-

(1) ला मैडिका, दिल्ली ।

(2) वकहार्ड फार्मास्यूटिकल्स, बम्बई ।

(3) एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स, बम्बई ।

(4) खण्डेलवाल लेबोरेटीरिज, बम्बई ।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि डाक्सीसाइक्लीन का निर्माण करने हेतु मैसर्स फाईजर का प्रार्थना-पत्र एक बार मंत्रालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और बाद में उसे अपेक्षित सिफारिशों सहित पुनः प्रस्तुत किया गया था जिसका कि इस उद्योग के भारतीय क्षेत्र पर कुप्रभाव पड़ा और यदि हां, तो इसकेक्या कारण हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार यह समूचा मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपेगी ?

श्री शाहनवाज खां : इसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपने वाली कोई बात ही नहीं है। मैसर्ज फाईजर एक भारतीय फर्म है जिसमें कि 75 प्रतिशत विदेशी साम्य पूंजी लगी हुई है। अन्य भारतीय फर्मों की तरह ही इन्होंने भी लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है और इनका मामला विचाराधीन है। अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री के० एस० चावड़ा : इन्होंने, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया है कि इसे एक बार अस्वीकृत किया गया था और पुनः उसे अपेक्षित सिफारिशों के साथ प्रस्तुत किया गया था।

श्री शाहनवाज खां : ऐसा तो कई बार होता है। प्रार्थनापत्र प्राप्त करने के लिये तिथि निर्धारित की जाती है। उनके निपटारे के लिये तिथि निर्धारित की जाती है। कई बार प्रार्थना-पत्र इसी प्रकार के तकनीकी कारणों के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं और उन्हें पुनः प्रस्तुत करने के लिये कहा जाता है। इस मामले में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता कि यह प्रार्थना-पत्र किस आधार पर अस्वीकृत किया गया था। मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री के० एस० चावड़ा : मंत्री महोदय द्वारा बताया गया है कि मैसर्ज फाईजर का प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है। इस पर विचार करते हुए क्या सरकार द्वारा यह बात भी दृष्टिगत रखी जायेगी कि यदि मैसर्ज फाईज़र को डाक्सीसाइक्लीन का निर्माण करने की अपेक्षा उसे आयात करने का लाइसेंस दिया जाता है तो उससे देश 2 या तीन करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचा सकेगा ?

श्री शाहनवाज खां : हमारी यह नीति है कि जिन 'बल्क' औषधियों का आयात किया जा रहा है, उनका निर्माण करने का प्रयत्न किया जाये। जब 'बल्क' औषधियों के आयात के लिये किसी फर्म द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो उन्हें लाइसेंस देते वक्त हमारी एक शर्त यह भी होती है 'निर्धारित काल' में ही देश में उस औषध का निर्माण आरम्भ हो जाएगा। इसी सिद्धांत के आधार पर ही मैसर्ज फाईजर तथा अन्य फर्मों को लाइसेंस जारी किये जाते हैं।

श्री के० एस० चावड़ा : मेरे प्रश्न के (ग) भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने (ग) भाग में यह पूछा था कि यदि फाईज़र को डाक्सीसाइक्लीन का लाईसेंस देने की मंजूरी और सिफारिश कर दी जाती

है तो इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तो पहले ही घाटे में जा रहा है। इसे और घाटा होगा।

श्री शाहनवाज खां : जब भी किसी औषध विशेष के आयात के लिये हमारे पास प्रार्थना-पत्र आता है तो उस समय देश में उपलब्ध निर्माण क्षमता को भी दृष्टिगत रखा जाता है और इसके साथ ही सम्बद्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को भी दृष्टिगत रखते हुए निर्णय किया जाता है।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों द्वारा रेल गाड़ियों का लूटा जाना

*449. **श्री भागिरथ भंवर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1974 के अन्त में रतलाम (मध्य प्रदेश) के निकट एक रेलवे स्टेशन पर आदिवासियों द्वारा एक वैगन लूटने के प्रयास में रेलवे सुरक्षा दल की गोली से एक आदिवासी की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) क्या आदिवासियों द्वारा इस प्रकार लूटने की घटना पहले भी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी, हां।

शरारती तत्वों द्वारा माल-डिब्बों की लूटमार की घटनाओं की रोकथाम के लिये नीचे लिखे विशेष निरोधात्मक उपाय कर दिये गये हैं :—

1. इस खण्ड पर रात के समय चलने वाली माल गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र मार्ग-रक्षी चलते हैं।
2. मेघ नगर, उदय गढ़, बजरंग गढ़ और अन्नास जैसे भेद्य स्टेशनों पर टुकड़ियां तैनात कर दी गयी हैं।
3. इस खंड के क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कार्मिकों के साथ-साथ पुलिस द्वारा रेल-पथ की गहन गश्त की व्यवस्था की गयी है।

Shri Bhagirath Bhanwar : Mr. Speaker, Sir, I had asked the question whether incidents of looting take place also on this line. This question remained unanswered. I want to know the reasons for the continuous looting on this line. Please let me know the number of cases of looting detected so far and the amount of goods recovered. May I know whether the railway employees are involved in these lootings ? If so, the action taken by the Government in this regard ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Sir, the incidents of looting have been taking place usually on this section. During 1972 six incidents of looting took place and once R. P. F. had to resort to firing. During 1973 8 such incidents took place and R. P. F. had to resort to firing for 6 times resulting in death of a culprit and in the recent case also the R. P. F. had to resort to firing as a result of which a person has died. The reason for the thefts are better known to the thieves only. Specially the wagons of foodgrains are looted in this area.

Shri Bhagirath Bhanwar : The Hon'ble Minister has stated that the incidents have been taking place on the line. I want to know as to whether the incidents of looting take place due to famine and unemployment.

Mr. Speaker : You had asked the question about railways, but now you are asking him about famine and unemployment. Do you mean that firing should not be resorted and they should be allowed to loot as they have been suffering from famine ? How can the Railway Minister know the reasons for these lootings ?

Shri Bhagirath Bhanwar : I want to know the reasons for these lootings. May I know whether the administration have come to know that the Adivasis resort to looting of the trains only for the reason that they have been suffering from famine and unemployment?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सही सूचना प्राप्त करना चाहते थे जो उन्होंने दे दी है । यह संबद्ध प्रश्न नहीं है ।

Shri R. S. Pandey : The Minister has stated that the Adivasis have looted the train. How did you come to know that the Adivasis have done so? This is their character assasination.

Shri Mond. Shafi Qureshi : The person, who had been injured by the bullet of the Police, had given the names of four other persons and all these five persons are adivasis.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon'ble Minister has replied to the main question that the incidents of looting have been taking place usually in that area. During 1973 8 incidents of looting took place and many incidents had alrealy taken place before this incident and usually wagons of foodgrains are looted. It proves that they have been suffering from unemployment and famine. Adivasis of that area earn 50 paisa daily.

Mr. Speaker : I had prevented the member also. Then why are you asking the same thing?

Shri Hukam Chand Kachwai: The Minister has admitted that the trains of foodgrains are looted in that area and the Adivasis there earn only 50 paisa daily. Therefore, not only trains, but the passengers and their belongings are also looted. May I know whether you would make the arragement of sending more foodgrains to that area or the Central Government would issue instructions to the Government of Madhya Pradesh to send more grains to them to remove the famine there so that the looting of trains may be stopped?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरे मंत्री को संम्बोधित किया जाना चाहिये ।

He has not to send the foodgrains. His work is to resort to firing. If anybody resorts to the looting of a train, then it is his work to deal with it. If you have to ask about unemployment and famine, you should address your question to the concerned minister.

Shri Atal Bihari Bajpayee : Mr. Speaker Sir, uou have rightly stated that his work is to resort to firing.

Mr. Speaker : No, Sir it does mean this. It means that he has to protect the goods. So, the question of the member is not relevant to it.

Shri Ram Singh Bhai : The Minister has said that the incidents of looting usually take place on this line. May I know whether instead of resorting to firing he has ever considered other measures to prevent the incidents of looting?

Mr. Speaker : He is asking the same thing. You have not asked any thing new.

Shri Atal Bihari Bajpayee : Mr. Speaker, Sir, his question is relevant that whether instead of resorting to firing he is considering some other measures also.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : In the beginning we don't resort to firing. In the beginning they are warned. In this particular case when they were warned, they rushed and attacked the R. P.F. personnel with knives. Therefore, the Police had to resort to firing in self defence.

Shri S. M. Banerji: The incidents of looting take place only then, when foodgrains are sent in closed wagons. Will the Minister try to send the grains in the open wagons so that there should be no scope for this and the persons should carry them easily and then the Police may not be forced to resort to firing.

मरम्मत के लिए बेकार पड़े माल-डिब्बे

*450. **श्री फतहसिंहराव गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) रेलवे में ऐसे कितने माल डिब्बे बेकार पड़े हैं जिनकी मरम्मत होनी है या हो रही है ; और

(ख) उक्त माल डिब्बों की मरम्मत के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) कारखानों में या मरम्मत लाइनों पर मरम्मत में या मरम्मत की प्रतीक्षा में मालडिब्बे अनिश्चित समय तक नहीं पड़े रहते बल्कि नियमित रूप से उनकी ओर ध्यान दिया जाता है और उन्हें रोज़-के-रोज़ यातायात के उपयुक्त बना दिया जाता है । इस समय चौपहिया डिब्बों के हिसाब से बड़ी लाइन और मीटर लाइन के इस प्रकार के मरम्मत में या मरम्मत की प्रतीक्षा में खड़े दैनिक औसत संख्या 19,437 है ।

(ख) पांचवीं योजना अवधि में निष्पादन के लिए निम्नलिखित उपायों का कार्यक्रम बनाया गया है : —

(i) खराब माल डिब्बों की प्रभावी और शीघ्र मरम्मत के लिए मरम्मत लाइनों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया जा रहा है ।

(ii) कारखानों में माल डिब्बों के ओवरहाल के लिए अतिरिक्त क्षमता पैदा कि जा रही है और इसके लिए :—

(1) दक्षिण मध्य रेलवे पर विजयवाड़ा में माल डिब्बों की मरम्मत के लिए एक नये कारखाने की स्थापना की जा रही है ; और

(2) उत्तर रेलवे के जगाधरी कारखाने, मध्य रेलवे के झांसी कारखाने, दक्षिण पूर्व रेलवे के रामपूर कारखाने और पश्चिम रेलवे के कोटा कारखाने में ओवरहाल और मरम्मत की क्षमता बढ़ायी जा रही है ।

श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ : अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने से पूर्व मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं, अन्यथा वह विवरण के (क) भाग के दूसरे वाक्य को, जिसमें निम्न-लिखित बात कही गयी है, स्पष्ट करें :—

"इस समय चौपहिया डिब्बों के हिसाब से बड़ी लाइन और मीटर लाइन के इस प्रकार के मरम्मत या मरम्मत की प्रतीक्षा में खड़े दैनिक औसत संख्या 19,437 है।"

मैं इस के अर्थ को समझना चाहता हूं ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट है । इस में यह बताया गया है कि चौपहिया डिब्बे जो या तो मरम्मत लाइनों या मरम्मत कारखानों पर पड़े हुये है, उनकी संख्या 19,437 है ।

श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ : क्या यह दैनिक औसत है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जी हां, यह दैनिक औसत है ।

श्री फतहसिंहराव गायकवाड : अब मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछता हूं । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमें बतायें कि एक वैगन का औसत जीवन कितना होता है और एक डिब्बे को ठीक करने में कितना औसत समय लगता है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : बाक्स डिब्बों को सुधारने का समय छः वर्ष है ; चौपहिया माल डिब्बों के लिये यह पांच वर्ष है तथा ब्रेक वैनों के लिये यह समय एक वर्ष है ।

श्री फतहसिंहराव गायकवाड : 19,437 की यह संख्या रेलों की लाइनों पर काम में लाये जा रहे कुल माल डिब्बों का कितना प्रतिशत होती है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : 4.84 प्रतिशत ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या यह सच है कि उन माल डिब्बों की, जिनकी मरम्मत की जा रही है या मरम्मत के लिये पड़े हुये है, सब से अधिक संख्या पूर्वोत्तर रेलवे में है ; और यदि हां, तो क्या उस रेलवे में मरम्मत करने के पर्याप्त उपकरण नहीं हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह सच है कि माल डिब्बो के घटकों तथा फालतू पूर्जों की काफी अधिक उठाईगीरी होती है । इसी कारण से उस क्षेत्र में काफी अधिक माल डिब्बे खराब हो गये हैं ।

Dr. Govind Das Richhariya : The statement laid on the table of the House by the Minister reads "the Capacity of the repair shops is being expanded". If so, May I know the capacity the workshop in the Central Railways is being expanded? Please explain it.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : A new work shop would be opened in Vijayawada and the capacity of the workshop in Raipur would be increased from 7 thousand to 15 thousand. The capacity of workshop in Jhani would be increased from 14 thousands to 21 thousands and that of Kota would be increased from 9 thousands to 12 thousands.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि पांचवीं योजना की अवधि के दौरान रेलवे को कुल कितने माल डिब्बों की आवश्यकता होगी और अनुमानित आवश्यकता की तुलना में वर्तमान माल डिब्बों की कुल संख्या में, जो इस समय काम में लाये जा रहे हैं में कमी हो जायगी और यदि हां, तो कुल कितने नये माल डिब्बों के लिये क्रयादेश दिये जा चुके हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : पांचवीं योजना अवधि में 3000 लाख टन अतिरिक्त भार को ले जाने के लिये रेलवे को लगभग 1 लाख अधिक माल डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी । इस समय रेलवे के पास कुल 4,43,098 माल डिब्बे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आपने एक लाख माल डिब्बों के लिये क्रयादेश दिये हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हमारी आवश्यकता तो एक लाख माल डिब्बों की होगी किन्तु हम क्रयादेश 17,000 माल डिब्बों के ही दिये हैं ।

श्री ए० पी० शर्मा : कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में यह समाचार छपा था कि कुल माल डिब्बों के 33 प्रतिशत की जो रेलवे के पास हैं—माननीय मंत्री ने कहा है कि ये लगभग 4 लाख हैं—मरम्मत की जा रही है । किन्तु, आज उन्होंने बताया कि यह लगभग 4 प्रतिशत है, मैं जानना चाहता हूं कि इनमें कौनसी बात ठीक है । क्योंकि उस वक्तव्य

का, जो कुछ दिन पूर्व 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ था, खंडन नहीं किया गया है ? एक और बात जो मैं जानना चाहता हूं वह यह है कि एक लाख अधिक माल डिब्बों के इस लक्ष्य को पूरा करने का क्या लक्ष्य है जिसकी हमें पांचवीं योजना की अवधि में आवश्यकता पड सकती है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को, जो रेलवे के साथ इतने अधिक सम्बद्ध हैं, समय-समय पर किये जाने वाले ओवरहाल और मरम्मत के बीच अन्तर समझ में नहीं आ रहा है । माल डिब्बों की, जिनकी मरम्मत की जा रही है, प्रतिशतता 4.84 है और समय-समय पर किये जाने वाले ओवरहाल के, जिसे बहुत पूर्व किया जाना चाहिये था, संबंध में प्रतिशतता 22 है ।

श्री ए० पी० शर्मा : ओवरहाल भी एक तरह से मरम्मत ही है । इस में क्या अन्तर है? वे भी चालू स्थिति में नहीं हैं ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यदि एक माल डिब्बा खराब हो जाता है, तो इसे मरम्मत करने के कारखाने में भेज दिया जाता है और इसको काम में नहीं लाया जाता । यदि एक माल डिब्बे को छः वर्ष के पश्चात् समय-समय पर किये जाने वाले ओवरहाल के लिये भेजा जाता है, तो इसे 7 वर्ष के पश्चात् भी भेजा जा सकता है, किन्तु यह होता रेल पथ पर ही है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पन्नालाल बारूपाल—यहां नहीं हैं ।

श्री गजाधर माझी—भी उपस्थित नहीं हैं ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया—उपस्थित नहीं हैं ।

श्री पी० गंगादेव—भी यहां नहीं हैं ।

श्री महेन्द्र सिंह गिल—उपस्थित नहीं हैं ।

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा—भी उपस्थित नहीं हैं ।

श्री एस० आर० दामाणी ।

चालू वर्ष में बिजली का उत्पादन

*455. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में बिजली उत्पादन की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कई राज्यों में बिजली में अब भी कटौती किये जाने के क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष विद्युत उत्पादन में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति मुख्य रूप से विद्युत की मांग बढ़ने और नई परियोजनाओं के प्रचालन में विलम्ब के कारण कठिन बनी हुई है । इस कारण बहुत से राज्यों में बिजली की सप्लाई पर पाबन्दी लगाना जारी है ।

श्री एस० आर० दामाणी : यह बात विचित्र है कि गत वर्ष बिजली की कमी के कारण कृषि और औद्योगिक उत्पादन को काफी क्षति पहुंची ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इस वर्ष सप्लायी में पर्याप्त सुधार होगा। अब मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि अधिक मांग के कारण कमी बराबर बनी हुई है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस प्रकार की कमी के क्या कारण हैं और बिजली के उत्पादन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मंत्रालय ने बिजली बोर्ड तथा सरकारी अधिकारियों से बिजली की कमी के बारे में विस्तार में बात की है। इसके दो मुख्य कारण हैं : एक तो अपर्याप्त रख रखाव है और दूसरा कुछ ऐसी परियोजनाओं को चालू करने में हुआ विलम्ब है, जिनके निर्माण कार्य के चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा होने की आशा थी। राज्य बिजली बोर्डों ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के परामर्श से वर्तमान एककों के अच्छे रखरखाव के लिये एक प्रक्रिया बनायी है और नई परियोजनाओं के चालू करने के लिये कदम उठाये गये हैं। आशा है कि आने वाले महीनों में बिजली की स्थिति में सुधार होगा।

श्री एस० आर० दामाणी : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि कुछ विद्युत परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब हुआ है। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये परियोजनाएं कब तक चालू की जायेंगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि कितनी परियोजनाएं अपनी क्षमता से 60 प्रतिशत कम क्षमता पर काम कर रही हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : बदरपुर विद्युत केन्द्र भी उन नई परियोजनाओं में से एक है जिनका निर्माण कार्य निकट भविष्य में पूरा होना है। दूसरा भटिंडा केन्द्र है। एक अन्य केन्द्र फरीदाबाद में है। इस वर्ष पूरी होने वाली परियोजनाओं की मेरे पास सूची नहीं है।

जैसा कि मैंने अभी कहा, इन परियोजनाओं को चालू करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

मेरे पास उन परियोजनाओं की सूची नहीं है जो अपनी क्षमता से 60 प्रतिशत कम क्षमता पर बिजली का उत्पादन कर रही हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश के केवल कानपूर नगर में बिजली की भारी कमी के कारण उर्वरक कारखाना बंद पड़ा है और कपड़ा कारखानों के श्रमिक केवल एक ही शिफ्ट में काम कर रहें हैं और लगभग 54,000 श्रमिक बेरोजगार हैं और रक्षा उत्पादन को भी पर्याप्त क्षति पहुंच रही है। बनारस तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों में यही कुछ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस संकट को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं, क्योंकि अन्ततः इसके परिणामस्वरूप हर तरफ हानि होगी।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : पड़ोसी राज्यों से बातचीत करके तथा उन्हें उत्तर प्रदेश के लिये बिजली सप्लायी करने हेतु रजामन्द करके, हम उत्तर प्रदेश की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। गत कुछ महीनों से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा बिहार जैसे पड़ोसी राज्यों से प्रतिदिन लगभग 25 से 30 लाख एकक बिजली उत्तर प्रदेश को सप्लायी की जा रही है। कभी कभी यह सप्लायी 35 लाख एकक तक पहुंच जाती है। बदरपुर की सारी बिजली उत्तर प्रदेश को जा रही है। हमने उतनी ही सहायता प्रदान की है जितनी सहायता के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है। हरिद्वार में जब बिजली सप्लाई का कार्य ढप्प हुआ तो हमने उनके अनुरोध पर एक सदस्य (तापीय) को कठिनाई दूर करने के लिये यहां से भेजा। उनकी कठिनाईयों को दूर करने के लिय हमने ये कार्य किय हैं। हम और समस्याओं से परिचित हैं। हम उन्हें यथासम्भव सहायता देते ह, जैसे कि गत कुछ महीनों से देते आ रहे हैं।

श्री पी० के० देव : क्या यह सच है कि कृष्णा-गोदावरी आयोग अथवा नर्मदा आयोग आदि के विचाराधीन होने के कारण अनेक लाभकारी पन-बिजली योजनाओं को सरकार ने अभी तक अनिर्णित रखा है ? यह बात हर्ष की है कि वर्तमान मंत्री ने कुछ परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिये पहल की है और अनेक राज्यों के चीफ इंजीनियरों की बैठक बुलायी है ताकि एक समझौता सूत्र बनाया जा सके। अतः देश के बिजली संकट को ध्यान में रखते हुये, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अपर इन्द्रावती परियोजना

जिससे प्रति युनिट बिजली पैदा करने पर 3 पैसे की लागत आयेगी, को शामिल करने पर वे विचार करें। क्या इसे यथाशीध्र शुरु किया जायेगा ?

श्री कृष्णचन्द्र पंत : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने मुझे इस बारे में स्वयं भी सुझाव दिया है। मैंने उन्हें वचन दिया है कि हम इस पर अग्रेतर विचार करेंगे।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

Mr. Speaker : My name has figured in this question. It would have been better you had consulted me. In that case it would not have come here. . .

Shri Indrajit Gupta : Then how has it come ?

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ असाधारण सी बात है ; मैंने अपने स्टाफ से इस बारे में पूछा है...

प्रो० मधु दंडवते : यह बात स्पष्ट की जानी चाहिये कि प्रश्न माननीय अध्यक्ष के बारे में नहीं है... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा होता यदि वह मुझ से पूछ लेते। कृपया उतावले न हों। यह कुछ असाधारण सी बात है और मेरे विचार में हम इसमें भूल से पकडे गये हैं। यदि इससे कोई अन्य सदस्य सम्बद्ध होते तो मैं अपना विनिर्णय दे देता। लेकिन यह मेरा अपना मामला है; अतः यह बहुत कठिन है। मंत्री महोदय ने भी मुझ से नहीं पूछा कि क्या इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। उन्होंने मुझ से नहीं पूछा। यह विचित्र बात है कि मेरे स्टाफ ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की कि प्रश्न भेजा जा चुका है और उन्होंने इस पर कार्यवाही की है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : तो क्या हम इसे स्थगित करें? (**व्यवधान**)

श्री राम सहाय पांडे : हमें अध्यक्षपीठ की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिये...

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : इसके लिये सचमुच मैं जिम्मेवार हूं। अल्प सूचना प्रश्न को स्वीकार करना अथवा न करना मंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। मैंने इसे स्वीकार किया। जब मैंने आपका नाम देखा तो मैं ने सोचा मुझे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने कोई गलती नहीं की। इसके लिये मैं जिम्मेदार हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मेरा एक अनुरोध है। क्या हम इसे स्थगित करें ? आपके द्वारा मैं प्रो० मधु दंडवते से अनुरोध करता हूं कि वे इसे स्थगित करे क्योंकि इससे कुछ अन्य प्रश्न पैदा हो सकते हैं...

अध्यक्ष महोदय : किसी किस्म के प्रश्न पैदा होने वाली कोई भी बात नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह मेरा केवल अनुरोध मात्र है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूं ? कोई अन्य प्रश्न पैदा होने वाली कोई बात नहीं है। यह घटना घटी है। मैं था और प्रो० दंडवते भी उसी गाड़ी में थे। वह कुछ नहीं जानते थे। जब मैं उन्हें प्लेटफार्म पर मिला तो मैंन कहा "देखिए,

यह सब हमारे सामने भी हो रहा है। मैं इस पर बहुत अप्रसन्न हूं"। मैंने उनसे ऐसा ही कहा। मुझे दुख है कि बाद में उन्होंने इस प्रश्न की सूचना दे दी।

श्री श्यामनंदन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मामला नियम 54 से सम्बन्धित है। यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि क्या अन्य स्थान पर नहीं बल्की अध्यक्ष महोदय के कार्यालय में कोई गलती हुई है। अध्यक्ष महोदय के कार्यालय को सब से पहले इस बात की तसल्ली देनी है कि यह एक लोक महत्व का मामला है। जब तक यह बात स्पष्ट न हो उस समय तक मंत्री अपनी राय नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को मान चुका हूं कि मैं एक सदस्य के बारे में मैं हर बात की जानकारी रखता हूं और यदि अध्यक्ष इससे सम्बद्ध है तो इसकी सूचना स्टाप ने मुझे बिल्कुल नहीं दी। यह बात सचमुच विचित्र है कि मुझे इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी।

श्री पीलू मोदी : जो कुछ आपके साथ हुआ वह किसी और के साथ भी हो सकता था।

प्रो० मधु दंडवते : चुंकि माननीय सदस्य श्री साल्वे ने अनुरोध किया, इसलिये उत्तर देने से पहले मंत्री महोदय से मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जायेंगे जिसके फलस्वरूप अध्यक्षपीठ की प्रतिष्ठा और मर्यादा में वृद्धि होगी। इसी कारण मैंने यह प्रश्न दिया है।

डा० कैलास : आपने अभी अभी कहा है कि यह सब आपके सामने ही हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत उत्तेजित न हों। यह अध्यक्षपीठ के व्यक्तित्व की बात नहीं बल्कि यह एक प्रशासनिक मामला है और इसीलिये मैं ने इसकी अनुमति दे दी है।

श्री राम सहाय पांडे : मेरा एक अनुरोध है। हो सकता है कि इससे अध्यक्षपीठ की प्रतिष्ठा बढ़े। प्रश्न यह नहीं है। सदन के सामने प्रश्न यह है। चुंकि प्रश्न अध्यक्षपीठ तथा उनकी प्रतिष्ठा से सम्बन्धित है, इसलिये मैं प्रो० दंडवते से अनुरोध करूंगा कि वह यह प्रश्न वापस ले लें क्योंकि आपका परामर्श नहीं लिया गया और आपको विश्वास में नहीं लिया गया। आप इस बारे में कुछ नहीं जानते। हो सकता है मंत्री महोदय के उत्तर से आपकी प्रतिष्ठा बढ़े अथवा न बढ़े जो बात आपसे सम्बन्धित हो, उसकी सूचना उन्हें पहले ही आपको देनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। क्या मैं आपको एक बात बताऊं? जब मैंने प्रश्न को देखा, तो यह मुझ से अथवा मेरी प्रतिष्ठा आदि से सम्बन्धित नहीं था किसी तरह यह प्रश्न आ ही गया। यदि मैं इस के लिए अनुमति नहीं देता तो इससे एक और भ्रम पैदा होगा। मैं उन्हें अनुमति क्यों न दूं?

जहां तक मेरे अपने स्टाप का सम्बन्ध है, मैं उन्हें "इगनोर" नहीं करूंगा। जहां तक मेह और मंत्री महोदय के बीच की बात है तो उन्हें मुझे सूचित करना चाहिये था कि उन्रे इस बात का खेद है।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों के अनुरक्षक को अलाट की गई सीटों पर अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा यात्रा

अ०सू०प्र० संख्या 3. श्री मधु दंडवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब लोक सभा के अध्यक्ष 11 मार्च, 1974 को फ्रंटीयर मेल से जालंधर से दिल्ली आ रहे थे, तब अध्यक्ष के वातानुकुलित डिब्बे के साथ वाला डिब्बा उनके पुलिस अनुरक्षक के नाम में दिखाया गया था, यद्यपि उनके साथ कोई अनुरक्षक यात्रा नहीं कर रहा था;

(ख) क्या रेलवे प्राधिकारियों को शिकायतें भेजी गई है कि अध्यक्ष के अनुरक्षक को अलाट हुई दिखाई गई सीटें वास्तव में अन्य यात्रियों को अलाट कर दी गई थीं जिनके लिए रेल-कर्मचारियों को यात्रियों द्वारा अनाधिकृत भुगतान किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है।

विवरण

(क) 10-3-74 के 32 डाऊन फ्रंटेयर मेल से, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष जालन्धर से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, लगने वाले तीसरे दर्जे के एक अनारक्षित डिब्बे में 10 सीटों की एक कक्षिका अध्यक्ष के अनुरक्षकों के लिए निर्दिष्ट की गयी थी क्योंकि इसके लिए पुलिस कार्मिकों ने स्टेशन कर्मचारियों से अनुरोध किया था। पता लगा है कि इस उद्देश्य हेतु अनुरक्षकों ने अमृतसर से यात्रा की ।

(ख) रेलवे प्राधिकारियों को कोई शिकायत नहीं की गयी। लेकिन मालूम हुआ है कि दिल्ली स्टेशन पर कुछ यात्री अध्यक्ष महोदय श्री ढिल्लों के पास पहंचे और शिकायत की कि उनके अनुरक्षकों ने दिल्ली तक यात्रा नहीं की है और वह स्थान अन्य यात्रियों को बेच दिया गया है। इन यात्रियों ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि इस सौदेबाजी में रेल कर्मचारी शामिल थे ।

(ग) हिदायत जारी कर दी गयी है कि सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों द्वारा स्थान के दुरुपयोग से सम्बन्धित शिकायत की तुरन्त जांच पड़ताल की जाय और उपचारात्मक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित प्राधिकारियों को सूचित किया जाय । इस प्रकार के कदाचार की रोक थाम के लिए रेलवे जांच कर्मचारियों को भी सावधान किया जा रहा है। इस मामले को आगे कार्रवाई के लिये सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारियों अर्थात् सहायक महानिरीक्षक/सरकारी रेलवे पुलिस, पटियाला को भेज दिया गया है ।

प्रो० मधु दंडवते : अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मुझे यह बात स्पष्ट करनी चाहिये कि इस प्रश्न को सदन के सामने लाने से, मुझे विश्वास है कि अध्यक्षपीठ की प्रतिष्ठा और मर्यादा बढ़ेगी (**व्यवधान**)

मंत्री महोदय के उत्तर में कुछ परस्पर विरोधी बातें है। मुझे खुशी है कि इसमें से कुछ भाग निकाल दिये गये हैं लेकिन इस पर भी इसमें कुछ परस्पर विरोधी बातें रह गई हैं। परस्पर विरोधी बातों के बारे में मैं एक निश्चित प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बात की पुष्टि करते हैं अथवा खंडन करते हैं कि जब अध्यक्ष महोदय इस गाड़ी में यात्रा कर रहे थे तो क्या उनके साथ कोई पुलिस अनुरक्षक थे ? संशोधित

विवरण में इस बात की आपने न तो पुष्टि की और न ही इस बात से इन्कार किया है । अतः इस बारे में मैं एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सरकारी जी०आर०पी० लाईन्स, पतियाला हैडक्वार्टर्स से हमें यह सूचना मिली थी कि उन्होंने अध्यक्ष महोदय के साथ अनुरक्षण ड्यूटी के लिये जी०आर०पी० स्टाफ के चार कर्मचारियों की नियुक्ति की थी । यह 10 मार्च, 1974 को अमृतसर से अम्बाला जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी की बात है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जालंदर से आया था ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह सूचना रेलवे को जी०आर०पी० लाइन्स पतियाला से मिली थी । अतः इन लोगों ने अमृतसर से अम्बाला तक की यात्रा की । अम्बाला में किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिल्ली तक के लिय नये अनुरक्षक प्रदान किये जाने थे । लेकिन वे नहीं आये । जैसे कि मैं कह चुका हूं, इस मामले कि जांच हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस बात को यहीं छोड़ते हैं । अध्यक्ष या मंत्री कोई भी यात्रा करे, उन्हें यह बताया जाना उचित रहता है कि उनके साथ अनुरक्षक हैं । मैं आया और गाड़ी के अंदर चला गया । मुझे कोई जानकारी नहीं थी । जालंदर में मुझे किसी ने भी सूचित नहीं किया कि मेरे साथ कोई अनुरक्षक हैं । जब मैं दिल्ली में उतरा तो अगले कम्पार्टमेंट के लोगों ने, जिनमें से दो को मैं जानता था, मुझे बताया कि वे मुझसे शिकायत करना चाहते हैं । तीन अथवा चार कंस्टेबलों की ओर इशारा करते हुये उन्होंने कहा—"ये लोग पास वाले कम्पार्टमैंट में बैठे थे और बाहर लिखा गया है "डा० ढ़िल्लों, अध्यक्ष लोक सभा के अनुरक्षक" । मैंने इस पर गम्भीर आपत्ति की और मैंने कहा "आप कितने विचित्र अनुरक्षक हैं; आपने बाहर लिखा है कि 'अन्दर अमुक व्यक्ति बैठे हैं, ताकि यदि किसी को यह पता न हो कि मैं कहां पर हूं तो भी उसे यह पढ़ने पर अंदर आने की इच्छा हो जाय ।" उसके बाद जो लोग कम्पार्टमेंट में बैठें थे उनकी ओर इशारा करते हुये उन्होंने कहा कि इन्होंने उन अन्य यात्रियों को बैठने की अनुमति दी जिन्होंने पुलिस को 4-4 रुपये दिये थे । उसी समय मैंने रेलवे स्टाफ अधिकारियों को प्लेटफार्म पर बुलाया। मैंने कहा—"देखिये, यह शिकायत आपके सामने मुझ से की गई है और आपको इसकी जांच करनी है" ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या कोई कार्यवाही की गयी है ?

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद जब मैं प्लेटफार्म पर आया तो प्रो० दंडवते मुझे मिले और मैंने कहा—"देखिये क्या गड़बड़ हुई है ? यदि मेरे अनुरक्षक के नाम पर, यह जानते हुये कि मैं अंदर बैठा हूं, ऐसा हो सकता है, तो अन्यत्र क्या स्थिति हो सकती हैं ? अपने निवास स्थान पर पहुंचते ही सबके पहले मैंने रेलवे पुलिस के ए०आई०जी० को शिकायत भेजी और उसके बारे में मुझे अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Kindly enquire from him whether investigations have so far been completed now, when 15 days have elapsed?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हम अगले विषय को लें ।

श्री पीलू मोदी : क्या आपने रेल मंत्री को लिखा था ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अधिकारियों से उत्तर आने के बाद लिखूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अधिक भट्टी तेल की सप्लाई के लिये कुवैत की पेशकश

*444. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कुवैत ने भारत को अधिक भट्टी-तेल सप्लाई करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : (क) और (ख) जी हां । कुवैत नेशनल पेट्रोलियम कारपोरेशन, लन्दन द्वारा पेश की गई भट्टी के तेल की अतिरिक्त मात्रा स्वीकार कर ली गई है । तथापि यह 1974 के दौरान मांग की तुलना में भट्टी के तेल की उपलब्धता की कमी के केवल एक भाग को ही पूरा करता है । तेल मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, उपयोग की कार्यक्षमता में सुधार करके तथा देश में उपलब्ध कोयले की सप्लाई करके भट्टी के तेल की खपत में यथासम्भव कमी करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

गत तीन वर्षों में सिंचाई के लिए मध्यम और बड़ी योजनाएं

*445. **श्री वनमाली पटनायक :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई हेतु कितनी मध्यम और बड़ी योजनाएं बनाई गईं और पूरी की गईं ; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्य के लिए किस प्रकार का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और इससे देश की जरुरत किस सीमा तक पूरी हो सकेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गत तीनों वर्षों में 46 नई बृहत् और 192 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजे गए थे । इन तीन वर्षों में, योजना आयोग ने चौथी योजना की नई स्कीमों के रूप में 15 बृहत् तथा 39 मध्यम परियोजनाओं को कार्यान्वयनार्थ अनुमोदित किया । गत तीन वर्षों में ऐसी 4 बृहत् तथा 45 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो गई जिन पर पिछली योजनाओं से काम जारी था ।

(ख) पांचवीं योजना के प्रारूप में बृहत् परियोजनाओं के लिए 2401 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है । अधिकांश सतत बृहत् परियोजनाओं तथा सभी सतत मध्यम परियोजनाओं को पूर्ण करने का प्रस्ताव है । इसके अलावा बहुत सी नई स्कीमों पर काय शुरु करने का प्रस्ताव है और 6.2 मिलीयन हैक्टेयर सिंचाई शक्यता का योग करने का प्रस्ताव है । यह कार्यक्रम चौथी योजना में होने वाली उपलब्धि का लगभग दो गुना है और इसे समग्र संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में पर्याप्त माना गया है ।

कर्मचारियों अर्थात पति और पत्नी के स्थानान्तरण के बारे में नीति

*451. **श्री पन्नालाल बारुपाल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारियों अर्थात् पति और पत्नी के स्थानान्तरण के बारे में क्या नीति निर्धारित की गई है, जब कि उनमें से एक रेलवे में नौकरी कर रहा हो और दूसरा राज्य सरकार की सेवा में हो; और

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों (अर्थात् पति और पत्नी) को एक ही स्थान पर तैनात रखने के बारे में कोई आदेश जारी किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) नीति यह है कि कर्मचारी को उसके पति/पत्नि के काम करने के स्थान पर स्थानान्तरित करने की अर्जियों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय यद्यपि वास्तविक स्थानान्तरण प्रशासनिक सुविधा पर निर्भर करता है । इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं ।

अपर्याप्त संख्या में वैगन प्राप्त करने के कार्यक्रम का कोयला खानों पर प्रभाव

*452. **श्री गजाधार माझी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगन प्राप्त करने के कार्यक्रम का विस्तार न करने के बारे में रेलवे बोर्ड के निर्णय का कोयला खानों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) क्या कुछ राज्यों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी नहीं ।

वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से अशोधित तेल की सप्लाई के लिये की गई व्यवस्था

*453. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अशोधित तेल की सप्लाई के लिये वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से कोई व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत की अशोधित तेल की समस्त आवश्यकताओं को पुरा करने के लिये कोई देश सहमत हो गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख) यद्यपि अब तक इस प्रकार के कोई प्रबन्ध नहीं किये गये है, तथापि तेल का उत्पादन करने वाले कई देशों के साथ संयुक्त आर्थिक सहयोग के स्त्रोतों की खोज की जा रही है । कच्चे तेल की सप्लाई के लिये खाड़ी के कई देशों के साथ द्विपक्षीय प्रबन्ध भी किये गये अथवा किये जा रहे हैं ।

भारत की कच्चे तेल सम्बन्धी पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किसी एक ही देश से सहायता नहीं मांगी गई है और न ही ऐसा किये जाने का प्रस्ताव है ।

हाई स्पीड डीजल तथा उर्वरकों की सप्लाई के लिये पंजाब सरकार का अनुरोध

*454. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :**

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अपनी कृषि आवश्यकताओं के आधार पर उर्वरकों सहित हाई स्पीड और लाइट डीजल आयल की सप्लाई में वृद्धि करने का अनुरोध किया है क्योंकि इसका केन्द्रीय सरकार को दिये जाने वाले खाद्यान्नों के भण्डार में प्रमुख योगदान है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी हां । पंजाब सरकार ने, राज्य के लिए उर्वरकों और दोनों एच०एस०डी० और एल०डी०ओ० डिजल तेलों की सप्लाई में वृद्धि के लिए कहा है ।

(ख) यह निवेदन यथा संभव अधिकतम सीमा तक मान लिया गया है ।

बाढ़ नियंत्रण के उपायों के लिए भारतीय विशेषज्ञों का अफगानिस्तान का दौरा

*456. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान में बाढ़ नियंत्रण के उपायों को व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए भारतीय विशेषज्ञ के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा अफगानिस्तान का दौरा किये जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कौन-कौन होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी हां। प्रारंभिक विचार-विमर्श और अपेक्षित अध्ययनों के लिए एक विशेषज्ञ के शीघ्र ही अफगानिस्तान जाने की सम्भावना है ।

Meeting of Indo-Bangladesh Joint River Commission in Delhi

*457. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Shri P. Venkatasubbaiah :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the seventh meeting of the Joint River Commission of India and Bangladesh was held in Delhi on the 28th February, 1974; and

(b) if so, the decision taken by the Commission on the sharing of Ganga River Water•

The Minister of Irrigation and Power (Shri K.C. Pant): (a) and (b) Yes, Sir. The seventh meeting of the Joint Rivers Commission was held in Delhi from the 28th February to the 2nd March, 1974. The sharing of the Ganga waters was not considered at the meeting.

चीनी कारखानों द्वारा बिजली की सप्लाई

*458. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के चीनी कारखाने 160 करोड़ किलोवाट घंटा बिजली जनता को सप्लाई कर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त बिजली का प्रयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने सार्वजनिक समुपयोजन के लिए प्रणाली ग्रिड में बिजली देने के लिए चीनी कारखानों में विद्युत संयंत्रों के समुपयोजन हेतु समय-समय पर दिए गए सुझाव की जांच की है। यदि चीनी कारखानों में बिना पिराई अवधि में इन संयंत्रों को उपलब्धि के समय-समय प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता (200 मैगावाट) के समुपयोजन के प्रबंध भी संभव हो जाएं तो इस योगदान से यह ऊर्जा देश की कुल आवश्यकता के एक प्रतिशत का अंश होगी। और भी, इस मात्रा तक भी ऊर्जा का उत्पादन, बायलरों में ईंधन के रूप में खोई के प्रयोग के अतिरिक्त कोयले के प्रयोग करने हेतु परिवर्तन किए बीना तथा काफी पूंजीगत लागत पर चीनी कारखानों में वर्तमान प्रतिष्ठापनों में सुविधाओं और बेलेसिंग उपस्कर के लगाए बिना संभव न होगा। चीनी कारखानों में विद्युत संयत्र 0.5 से 5 मैगावाट तक की क्षमता वाले अपेक्षाकृत छोटे संयंत्र हैं और वे भी बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। अतिरिक्त ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग करने हेतु बायलरों में परिवर्तन बेलेसिंग उपस्कर को लगाने और इन बिखरे हुए लघु विद्युत केन्द्रों द्वारा उत्पादित विद्युत का समुपयोजन करने के लिए पारेषण एवं वितरण प्रणाली को आवश्यक सुदृढ़ करने एवं सुविधाएं देने के लिए लागत लाभ प्राप्ति की तुलना में अधिक होगी। इसके अतिरिक्त कि यह व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है, इससे विद्युत की वर्तमान कमी में राहत पहुंचाने में कोई तत्काल अथवा किसी विशेष मात्रा में, योगदान नहीं होगा।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर दस घंटे की ड्यूटी लागू कराने के लिए लोको कर्मचारियों की हड़ताल

*460. **श्री रानेन सेन :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लोको कर्मचारियों ने सरकार द्वारा स्वीकृत 10 घंटे की ड्यूटी का कार्यक्रम लागू करने की मांग को लेकर पुनः हड़ताल की थी ;

(ख) क्या उक्त हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने कड़ी कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त समझौते को लागू करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कुछ लोको रनिंग कर्मचारियों ने, 16-2-74 से, प्रस्थान स्टेशन के लोको शेड रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के समय से शुरु करके 10 घंटे की ड्यूटी पूरी हो जाने पर अपने आप ही विश्राम करने का दावा करना प्रारम्भ कर दिया। भारतीय रेल अधिनियम की धारा 100-ए के अन्तर्गत की गयी कार्रवाई के अलावा इस आन्दोलन में भाग लेने वाले और वर्तमान आदेशों की जान-बूझकर अवज्ञा करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई शुरु की गयी है।

13-8-73 के मूल विवरण में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं थी कि एक निर्दिष्ट अवधि के अन्दर-अन्दर 10 घंटे की ड्यूटी लागू कर दी जायेगी, बल्कि उसमें यह कहा गया था कि कार्यान्वयन की पद्धति और ढंग पर विचार किया जायेगा ।

लोको रनिंग कर्मचारियों के मामले में 10 घंटा ड्यूटी का कार्यान्वयन 1-12-73 से शुरु किया जा चुका है । चूंकि 10 घन्टा ड्यूटी के पूरी तरह कार्यान्वयन के लिए रनिंग रुम, कर्मी-दल यानों, लूप लाइनों कर्मचारी क्वार्टरों और लगभग 20,000 लोको कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण के रुप में व्यापक अतिरिक्त सुविधाएं दरकार हैं, इसलिए यह योजना केवल क्रमिक आधार पर ही लागू हो सकता है ।

भारत को ओमान से तेल की सप्लाई

*461. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तेल संकट में ओमान ने पहली बार भारत की सहायता करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ओमान के विकास मंत्री हाल में भारत आये थे; और

(ग) वर्ष 1974 में ओमान कितना तेल भारत को देने पर सहमत हो गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) से (ग) विश्व अशोधित तेल सप्लाई स्थिति में हाल के परिवर्तन के संदर्भ में कुछ खाड़ी देशों के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है । हाल ही में ओमन के विकास मंडी के साथ उनकी भारत यात्रा के दौरान मामले पर चर्चा हुई । प्रस्ताव बहुत प्रारंभिक अवस्था में है, और इस समय कोई ब्यौरा देना असंभव होगा ।

राजघाट पावर हाउस में कोयले की जलती राख गिरने से एक लड़की की मृत्यु

*462. **श्री राम प्रकाश :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 फरवरी, 1974 को राजघाट पावर हाउस, दिल्ली में कोयले की जलती राख गिरने से एक अवयस्क लड़की की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) क्या उक्त दुर्घटना की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) 23 फरवरी को राजघाट बिजली घर के अहाते में कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई जिसमें कोई जन-हानि हुई हो । बहरहाल, 24-2-1974 को अनियंत्रित राख के गिरने के कारण एक अवयस्क लड़की की मृत्यु हो गई थी जोकि अपने अन्य साथियों के साथ, डाली गई राख के ढेरों में से कोयले के टुकड़े चुन रही थी । पिछले कई वर्षों से, राजघाट बिजलीघर से, राख निकटवर्ती क्षेत्र में डाली जाती रही है, जहां अब एक झुग्गी बस्ती बन गई है दिल्ली नगर निगम द्वारा एक विभागीय जांच की गई थी । यह ज्ञात हुआ है कि यह एक दुर्घटना मात्र ही थी ।

नागार्जुनसागर परियोजना पर किये गये खर्च की जांच

*463. **श्री राम गोपाल रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागार्जुन सागर परियोजना पर किये गय भारी खर्च की उच्च स्तरीय जांच करवाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि नागार्जुनसागर परियोजना पर इस प्रकार की किसी उच्च-स्तरीय तहकीकात कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि नागार्जुनसागर दक्षिण तट नहर के पेरूभोतलपालम डोप कट पर कार्य के लिऐ ठेके के संबंध में मामलों की जांच करने तथा इस पर प्रतिवेदन देने के लिए उनके द्वारा एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई है। जांच के विषय निम्नलिखित हैं :—

(क) जनवरी, 1972 में मैसर्ज सुप्रिम कंस्ट्रक्शन कम्पनी, हैदराबाद के साथ नागार्जूनसागर दक्षिण तट नहर के पेरूभोतलापालम डोप कट नाम्क कार्य के संबंध में ठेके से सम्बन्ध समस्त परिस्थितियां;

(ख) क्या उपर्युक्त सौदा न्यायसंगत था ;

(ग) क्या उपर्युक्त सौदे में कोई अनौचित्य अथवा अनियमितता हुई और अगर हां, तो इसके लिए कौन-सा प्राधिकरण, व्यक्ति अथवा कौन से व्यक्ति उत्तरदायी हैं;

(घ) भविष्य में ठेकों में इस प्रकार की अनियमितताएं, अगर कोई हों, न होने देने के लिए किये जाने वाले उपाय; और

(ङ) उपर्युक्त से संबद्ध कोई अन्य मामला। आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

उपभोक्ता सहकारी समितियां और उचित मूल्य की दुकानें

*464. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे विभाग में उपभोक्ता सहकारी समितियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) रेलवे कर्मचारियों के लिये उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितनी है ;

(ग) उनकी वार्षिक विक्री की मोटी-मोटी बातें क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार के विचार में उचित मूल्य की अधिक दुकाने खोलनें की आवश्यकता हैं, और यदि हां, तो और कितनी दुकानें खोली गई है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग) रेलों में 432 उपभोक्ता सहकारी समितियां हैं। ये समितियां रेल कर्मचारियों के लिए उचित मूल्य की 362 दुकानें चलाती हैं इसके अलावा रेल कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा चलायी जा रही उचित मूल्य की दुकानों से भी लाभ उठा सकते हैं। 30 जून, 1973 को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष में सहकारी समितियों और उनके द्वारा चलायी जा रही उचित मूल्य की दुकानों—दोनों द्वारा 10.54 करोड़ रूपये के माल की बिक्री की गयी।

(घ) जी हां, अप्रैल, 1973 के बाद उचित मूल्य की 22 और दुकानें खोली गयी हैं।

नई दिल्ली में "केबल एण्ड कन्डक्टर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन" द्वारा "रोल आफ कन्डक्टर इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन" पर आयोजित विचार गोष्ठी

*4520. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "केबल एण्ड कन्डक्टर मेन्युफैक्चर्स एसोसिएशन" और नेशनल एलायन्स आफ यंग एन्टरप्रेन्यार्स ने नई दिल्ली मे अगस्त, 1973 में "रोल आफ कन्डक्टर इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन" पर विचार-गोष्ठी का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो विचार-गोष्ठी में क्या मुख्य सिफारिशें की गई; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) सेमिनार की मुख्य सिफारिशें ये हैं :—

(1) अल्युमिनियम की वार्षिक आवश्यकता आंकने के लिए एक विस्तृत अध्ययन किया जाए ताकि संवाहक निर्माता अपने उत्पादन कार्य क्रम तैयार कर सके।

(2) अल्युमिनियम का उत्पादन बढाने तथा ई० सी० ग्रेड के अल्युमिनियम की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये जाएं।

(3) राज्य बिजली बोर्डो द्वारा आदेश देने, निरीक्षण तथा अदायगी की वर्तमान प्रणाली का पुनर्वलोकन किया जाय तथा इसमें सुधार किया जाए।

(4) वायर-रोड़ बनाने वाली वर्तमान कम्पनियां तथा चालक निर्माता यूनिटों में योग्यता नियंत्रण अलाय चालकों के विकास तथा समस्त अल्युमिनियम चालक मुख्य वितरण लाइनों से टैपिंग कनेक्शन की तकनीक के सबंध में अनुसंधान तथा विकास कार्य किया जाए।

(5) इंजीनियरी निर्यात-वृद्धि परिषद को दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में विद्युत विकास के कार्यक्रमों का अध्ययन करना चाहिए ताकि इस देश को भी अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रवेश पाने की सुविधा प्राप्त हो सके।

(ग) सेमिनार के आयोजकों ने समुचित सरकारी तथा अन्य संगठनों से अनुरोध किया है तथा यह पता चला है कि समुचित कार्यवाही शुरु की जा चुकी है। सेमिनार में प्रकाश में लाई गई अल्युमिनियम चालक उद्योग की आवश्यकता सरकार को विदित है।

निर्वाचनों पर व्यय

4521. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में विभिन्न राज्य विधान मण्डलों के निर्वाचनों पर राज्यवार कितना व्यय किया-गया;

(ख) फरवरी, 1974 में नागालैंड विधान सभा के निर्वाचनों पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) वर्ष 1971 और 1974 के दौरान विभिन्न राज्यों में लोक सभा के उप-निर्वाचनों पर निर्वाचन क्षेत्रवार कितना व्यय हुआ ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) लगभग 11,00,000/- रुपए ।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1972 में हुए विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों पर किया गया व्यय
(1)	(2)
	रु०
1. आन्ध्र प्रदेश	1,27,28,152.00
2. आसाम	23,67,315.00
3. बिहार	1,47,68,153.00
4. गुजरात	1,14,34,704.00
5. हरियाणा	13,58,000.00
6. हिमाचल प्रदेश	10,30,408.00
7. जम्मू-कश्मीर	4,70,615.00
8. कर्नाटक	59,69,163.82
9. मध्य प्रदेश	65,46,160.00
10. महाराष्ट्र	1,17,60,666.00
11. मणिपुर	5,62,361.44
12. मेघालय	1,24,500.00
13. पंजाब	7,24,563.13
14. राजस्थान	42,96,230.75
15. त्रिपुरा	7,71,791.00
16. पश्चिम बंगाल	1,30,53,484.00
17. गोवा, दमण और दीव	1,38,111.12
18. मिजोराम	1,75,571.00

समुद्र कटाव विरोधी कार्य के लिए केरल को केंद्रीय सहायता

4522. **श्री वयालर रवि : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र कटाव विरोधी कार्य के लिए केरल राज्य को गत तीन वर्ष के दौरान कुल कितनी सहायता दी गई ;

(ख) कितनी राशि अनुदान के रूप में तथा कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई तथा इस ऋण पर ब्याज की दर कितनी थी; और

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इन ऋणों को सीधे अनुदान में परिवर्तित करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1970–71 से 1972–73 तक के वर्षों के दौरान समुद्र कटाव विरोधी कार्यों के लिए केरल सरकार को केन्द्र द्वारा योजना के बाहर दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता 2.20 करोड़ रुपये थी ।

(ख) यह सहायता 5% की वार्षिक ब्याज दर पर ऋण के रूप में दस बराबर वार्षिक किस्तों में वापिस करने के लिए दी गई थी । ब्याज और मूलधन की शीघ्र अदायगी के लिए 1/4% की छूट की भी व्यवस्था थी ।

(ग) जी, हां । राज्य सरकार के अनुरोध को मानना संभव नहीं पाया गया ।

एक करोड़ तथा इससे अधिक की प्रदत्त पूंजी वाले गैर-सरकारी उपक्रम

4523. **श्री डी० वी० चन्द्रगौडा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में एक करोड़ तथा इससे अधिक की प्रदत्त पुंजी वाली गैर-सरकारी निर्माता कम्पनियों की संख्या कितनी है; और

(ख) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों की संख्या कितनी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, निजी क्षेत्र में, 1 करोड़ रुपये एवं इससे ऊपर की प्रदत्त पुंजी युक्त निर्माणकर्त्ता कम्पनियां 351 थीं । उनका राज्य अनुसार विवरण संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है ।

(ख) इनमें से 181 कम्पनियां एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं ।

विवरण

निजी क्षेत्र के 1 करोड़ रुपये व इससे ऊपर की प्रदत्त पुंजी युक्त निर्माणकर्त्ता उपक्रमों (राज्य अनुसार) की संख्या

राज्य का नाम	एक करोड़ रु० या इससे अधिक की प्रदत्त पुंजीयुक्त निर्माणकर्ता कम्पनियों की संख्या
1. महाराष्ट्र	136
2. पश्चिमी बंगाल	78
3. तामिल नाडु	40
4. गुजरात	26
5. दिल्ली	12
6. आन्ध्र प्रदेश	13
7. उत्तर प्रदेश	11
8. मैसूर	10
9. गोवा	1
10. मध्य प्रदेश	6
11. उड़ीसा	6
12. केरल	4
13. बिहार	3
14. आसाम	2
15. पंजाब	1
16. राजस्थान	1
17. हिमाचल प्रदेश	1
	351

लुधियाना में तेल डिपो स्थापित करने के बारे में पंजाब सरकार का अनुरोध

4524. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने लुधियाना में तेल डिपो स्थापित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ?

(ख) जलन्दर के निकट पहले ही एक बड़ा पी० ओ० एल० संग्रह गोदाम है । अतः लुधियाना में दूसरे गोदाम की आवश्यकता नहीं समझी गई है ।

वर्ष 1973–74 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए बिहार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता

4525. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 के दौरान बिहार राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बिहार ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) मांग को किस सीमा तक स्वीकार किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण संबंधी कार्यक्रम राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा उनके राज्य योजना परिव्ययों में से बनाया तथा कार्यान्वित किया जाता है। बहरहाल, विभिन्न ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए अतिरिक्त ऋण सहायता ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा दी जा रही है।

वर्ष 1973–74 के दौरान, बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ग्राम विद्युतीकरण निगम को 24 स्कीमें प्रायोजित की गई थीं। इनमें से 11 स्कीमें स्वीकृत की जा चुकी हैं जिसमें 629.49 लाख रुपये की ऋण सहायता निहित है। शेष 13 स्कीमों में से, 710.07 लाख रुपये की लागत की 12 स्कीमें निगम द्वारा निश्चित मानदण्डों तथा मार्ग-निदर्शनों के अनुसार संशोधित करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड को वापस भेज दी गई हैं। एक स्कीम पर विचार किया जा रहा है, जिसमें 60.77 लाख रुपये का वित्तीय परिव्यय निहित है।

चौथी योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न करने वाले राज्य

4526. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने चौथी योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व बाकी बचे काम का पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चतुर्थ योजना के दौरान केवल पम्पो के ऊर्जन हेतु एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह लक्ष्य 15 लाख पम्पों का था। जनवरी 1974 के अन्त तक 12.84 लाख पम्पों का ऊर्जन किया जा चुका था। लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के मुख्य कारण ये हैं :—

(i) विद्युत सैक्टर में अपर्याप्त विकास,

(ii) पर्याप्त पारेषण एवं वितरण प्रणाली की कमी,

(iii) वित्तीय संसाधनों की तंगी।

पम्पों के ऊर्जन में कमी के संबंध में अंतिम आंकड़े योजना अवधि की समाप्ति के पश्चात उपलब्ध होंगे।

पम्पों के ऊर्जन के साथ संयोग से, ग्रामों का विद्युतीकरण हो जाता है। यह संभावना थी कि 50,000 ग्राम विद्युतीकृत हो जाएंगे। बहरहाल, इनकी संख्या उम्मीद से ज्यादा हो गई और जनवरी, 1974 तक 75716 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका था।

(ख) इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए गए हैं।

वर्ष 1974 को 'फ्यूल एफीसेन्सी' वर्ष के रुप में मनाना

4527. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बढ़ते हुए ऊर्जा संकट को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 1974 को 'फ्यूल एफीसेन्सी' वर्ष के रुप में मनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) चालू वर्ष में वाणिज्यिक ईंधन की कितनी बचत होगी और ईंधन के प्रयोग में कितनी बचत कुशलता आयेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, विश्व बाजार में कच्चे तेल तथा शोधित पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हुई भारी वृद्धि तथा इनकी कठिन उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पर रोक लगाना आवश्यक हो गया है। पैट्रोलियम उत्पादों की खपत तथा इन की बढ़ती हुई मांग में कमी करने के लिये विभिन्न उपाय अपनाये जाते हैं और साथ ही साथ जहां तक व्यवहार्य हो, इन्हें लागू किया जाता है। मोटे तौर पर इन्हें इस प्रकार बांटा जाता है :—

(i) पेट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर कोयला, कोक, बिजली आदि ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों का इस्तेमाल करने के लिये उपाय ।

(ii) अनावश्यक उपयोग के लिये पेट्रोलियन उत्पादों के इस्तेमाल किये जाने पर रोक लगाने के उपाय ।

(iii) ईंधन के रुप में तेल के इस्तेमाल में दक्षता प्राप्त करना तथा बचत करना ।

(iv) डिजाइन आदि में सुधार लाकर तेल से चलने वाले इंजन, वायलर आदि के परिचालन में बचत तथा दक्षता प्राप्त करने के उपाय ।

इस समय इन उपायों के परिणामस्वरुप होने वाली बचत का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी के रिजर्व और पूंजीगत रिजर्व

4528. श्री ब्रजराज सिंह : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 20,000 रुपये की मूल साम्य पूंजी पर हुए लाभों से रिजर्व और पूंजीगत रिजर्व की धनराशि 5 करोड़ रुपये हो गई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त धनराशि को अथवा इसके कुछ भाग को विदेशों में भेजने की अनुमति देने का है और कम्पनी से अपनी साम्य पूंजी का उचित शर्तों पर भारतीयकरण करने को कहने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) कम्पनी की मूल साम्य पूंजी 20,000 रु० थी। कम्पनी के 31–10–1972 तक के तुलन-पत्र के अनुसार रिजर्व व पूंजीगत रिजर्व की धन-राशि 17.5 करोड़ रुपये थी। इसमें बोनस हिस्सों के निर्गमन के मार्ग से प्राप्त 1,09,80,000 रु० की सीमा तक रिजर्व का पूंजीकरण भी सम्मिलित है।

(ख) साम्य पूंजी के भारतीयकरण तथा लाभों को बाहर भेजने की नीति, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों तथा इसके अन्तर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा बनाये गये मार्ग दर्शक नियमों द्वारा शासित होती है।

फायरस्टोन कम्पनी द्वारा विदेश स्थित अपनी अभिभावक कम्पनी की धनराशि का प्रत्यावर्तन

4529. श्री ब्रजराज सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड को अपनी आभिभावक विदेशी कम्पनी को लाभांश के रुप में 2 से 3 करोड़ रु० अदा करने की अनुमति है जिसके परिणामस्वरुप 100 प्रतिशत धनराशी का प्रत्यावर्तन हो रहा है जबकि फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इंण्डिया की साम्य पूंजी मूल रुप से केवल 20,000 रुपये थी।

(ख) क्या फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी को तकनीकी एवं एकस्वाधिकार की फीस के रुप में विदेश स्थित अपनी अभिभावक कम्पनी को एक करोड़ रुपये के धन के प्रत्यावर्तन की अनुमति है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) मैं० फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इण्डिया प्राइवेट लि० की मूल पूंजी 20,000 रु० थी। यह फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी एक्रोन ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्ण स्वामित्व में सहायक कम्पनी है।

वित्त मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मैं० फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इण्डिया प्राइवेट लि० द्वारा 1969 से 1972 तक वर्ष अनुसार बाहर भेजी गई धन राशियां निम्न प्रकार है :—

वर्ष	लाभांश (लाख रु० में)	तकनीकी जानकारी	अधिकार शुल्क (लाख रु० में)	मुख्य कार्यालय व्यय
1969—70 .	93.54	..	25.52	..
1970—71	235.10		9.16	
1971—72 . .	194.18	..	..	..

(ग) सरकार, भारत में विदेशी नियोजनों पर हुय लाभ तथा लाभांशों के बाहर भेजने के लिए अपनी नीति के अनुसार अनुमति जभी देती है—जबकि भारत में देय कर अदा कर दिये गये हों।

फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भारतीयकरण

4531. श्री ब्रजराज सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी साम्य पूंजी के भारतीयकरण के सब प्रयास निष्फल कर दिये हैं; और

(ख) उनके अधिकांश शेयरों का भारतीयकरण करने के लिये सरकार का क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों की साम्य पूंजी का भारतीयकरण करने सम्बन्धी विषय, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत शासित नहीं होता। कम्पनी कार्य विभाग को, कम्पनी द्वारा उसके साम्य पूंजी के भारतीयकरण करने सम्बन्धी सभी प्रयासों को विफल बनाने की कार्यवाही का कोई ज्ञान नहीं है।

(ख) उनकी हिस्सेधारिता का भारतीयकरण करने सम्बन्धी विषय, की परीक्षा, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 व इसके अन्तर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा निर्मित मार्गदर्शक नियमों के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जायेगी ।

गंगा-सोन लिंक नहर

4532. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा-सोन लिंक नहर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) यह लिंक नहर कब तक बनकर तैयार हो जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालयमें उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लिंक का अध्ययन और अनुसंधान अभी किया जाना है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Proposed over-Bridges to be constructed in West Bengal

4533. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of new over-bridges proposed to be constructed by Government in West Bengal during the financial year, 1974-75.

(b) the number of over-bridges for the construction of which the State Government have submitted proposals to the Central Government; and

(c) expenditure proposed to be incurred by Government on the construction of new bridges and over bridges in the State during the financial year, 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) No new work of road over-bridge in place of existing level crossing in West Bengal State has been included in the 1974-75 Budget. However, 4 road over-bridges in place of existing level crossings have been included as throw-forward works in the 1974-75 Budget.

In addition to the throw-forward works mentioned above, there are 12 more proposals from the State Government for construction of road over/under briages. These are in various stages of preliminary investigations and planning.

Railway's share of expenditure on costruction of road over-bridges in West Bengal State during 1974-75 is expected to be Rs. 6.00 lakhs.

In addition, there are proposals for 8 works of road over/under bridges to be constructed by the Railways as "deposit works" at the cost of the State Government/Road Authority. Two such work s are in progress and other 6 are in various stages of investigation planning and sanction.

Departmental Enquiries Against Employees of Southern Railway

4534. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees of the Southern Railways against whom departmental enquiry has been held on charges of theft of Railway property during the last two years;

(b) the number of persons against whom the question of departmental enquiry is under consideration of Government at present; and

(c) the number of persons against whom the enquiry was held by the Central Bureau of Investigation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) During the years 1972 and 1973, 149 Railway Employees were taken up departmentally on charges of theft of Railway property.

(b) 80.

(c) 4.

Drinking water facilities at Railway Platforms on Southern Railway

4535. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway platforms on the Southern Railway at present where drinking water facilities have not been provided; and

(b) the future scheme of Government for providing tap water to passengers at all the platforms ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) Drinking water facilities such as water taps, water coolers, hand pumps, water chatties etc. have been provided at all regular and flag stations of the Southern Railway. Water supply through taps is arranged at stations where pumps and over-head tanks are provided, on a programmed basis, according to availability of funds.

Irrigation and power Projects in Andhra Pradesh

4536. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Irrigation and power** be pleased to state :

(a) the names of the various irrigation and power projects being run by Central Government in Andhra Pradesh at present;

(b) the number of Irrigation and Power Projects for Andhra Pradesh under the consideration of Central Government at present;

(c) the total amount of financial assistance given to the State Government by the Central Government during the last two Years as against the amount sought by the State Government; and

(d) the total amount of financial assistance proposed to be given to the State Government during the financial year 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No irrigation or power project is being run by the Central Government in Andhra Pradesh.

(b) 4 medium irrigation and 6 power generation schemes, the reports for which have so far been received from the Government of Andhra Pradesh, are under technical examination in the Central Water and Power Commission.

(c) Central assistance to the State Plan is determined on the basis of the formula laid down by the National Development Council, and is given in the form of block loans and grants, and is not related to any individual sector of development or project. The Central assistance given to Andhra Pradesh during 1971-72 and 1972-73 was Rs. 48.00 crores and Rs. 50.33 crores respectively.

(d) The Annual Plan 1974-75 of Andhra Pradesh is yet to be finalised.

Ticketless Travelling during the period from October, 1972 to September, 1973

4537. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of persons found travelling without ticket on the Indian Railways during the period from October, 1972 to September, 1973?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : 16,61,010 persons were detected travelling without tickets or with improper tickets during the period, October, 1972 to September, 1973.

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को एक निगम में बदलने के लिए समिति की स्थापना

4538. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को एक निगम में बदलने की वांछनीयता की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति के निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या समिति की सिफारिशें उपलब्ध हैं और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन

4539. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान अपने वार्षिक प्रातवेदन का प्रकाशन न करके तथा इसे जनता को उपलब्ध न करा के अपने सांविधिक दायित्वों को नहीं निभा रहा है ;

(ख) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने वर्ष 1970–71 से अपने वार्षिक प्रतिवेदनों का प्रकाशन नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, दिल्ली नगर निगम के नियंत्रण में कार्य कर रहा है । पता चला है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति इस समय 1969–70 और 1970–71 के वर्षों के लिए वार्षिक रिपोटों पर विचार कर रही है । 1971–72 वर्ष के लिए रिपोर्ट संकलित कर ली गई है और यह शीघ्र ही दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति के सम्मुख रख दी जाएगी । 1972–73 के वर्ष के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है । रिपोर्ट में शीघ्रता लाने के लिए दिल्ली प्रशासन प्रयास कर रहा है ।

Complaints regarding inconvenience suffered by Passengers at Sahibabad Railway Station (Northern Railway)

4540. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Railway passengers are greatly inconvenienced at Sahibabad Railway Station;

(b) whether any complaints in this regard have been brought to the notice of the Railway Board, General Manager, and the Divisional Superintendent concerned several times; and

(c) if so, the reasons for which no action has been taken thereon so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) A few representations have been received from individuals and Passenger Association in regard to provision of platform sheds and stoppage of certain through trains at Sahibabad. While the proposals for stoppages of certain through trains could not be agreed to for operational reasons, a shed each on Up and Down platforms at Sahibabad has been sanctioned snd the provision of Public Address System is under consideration.

Distribution of Foodgrains at Cheap Prices in Ratlam Division

4541. Shri Chandra Bhal Mani Tewari : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether arrangements for the distribution of foodgrains at cheaper prices in Ratlam Division are being made by the Western Railway; and

(b) if so, when the aforesaid facility would be provided?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b) Arrangements for distribution of Foodgrains at reasonable prices to the railway employees in Ratlam Division through the fair price shops run by the Railwaymen's Consumer Cooperative Societies already exist. The Food and Civil Authorities are also being pursuaded by the Railway Administration to give adequate and regular supply of foodgrains to the Railway staff.

Proposal to convert Bilaspur Express Train in to a Fast speed Train and to Strengthen Railway Track

4542. Shri G. C. Dixist : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railways have under consideration any proposal for converting the Bilaspur Express train into a fast speed train and for strengthening the Railway track for the purpose; and

(b) if so, the main features thereof and the time by which a decision would be taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) There is no such proposal under consideration at present.

(b) Does not arise

Tawa Dam Project in Madhya Pradesh

4543. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the further progress made in regard to Tawa Dam project in Madhya Pradesh;

(b) the acreage of land in Hoshangapur District likely to be irrigated from this project; and

(c) The steps taken by Government to ensure the completion of this project in time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) :(a) and (c) The Project is being constructed in two phases. Phase I envisaging construction of the Dam upto RL 1180, the spillway upto RL 1126 and the Irrigation system on the Left Bank for 2 lakh acres is expected to be completed by June, 1974. the remaining work is to be done under Phase II and is expected to be completed by 1977-78.

(b) 3.31 lakh hectares.

दोहद रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर पैदल उपरिपुल का विस्तार करने का प्रस्ताव

4544. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहद रेलवे स्टेशन के पैदल उपरिपुल के विस्तार का प्रस्ताव गत 6 वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) दोहद रेलवे स्टेशन किस श्रेणी का स्टेशन है; और

(ग) क्या वहां अपेक्षित सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के लिए दोहद स्टेशन को रेल प्रशासन द्वारा श्रेणी 'ख' में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) जी हां।

Difference in value of Platform Ticket and Minimum Ticket

4545. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whethr the value of the platform ticket has been raised to 50 paise whereas the minimum value of a ticket has been fixed at 30 paise;

(b) whether this difference was only 5 paise last year; and

(c) the reasons for allowing this difference?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes, with effect from 1-4-74.

(b) No.

(c) The price of platform ticket is now being raised to 50 paise with a view to curb the tendency of visitors to flock to station platforms which results in inconvenience to passengers.

कडकाबूर स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर विकास कार्य

4546. **श्री वयालर रवि** : क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलव के क्विलोन-त्रिवेन्द्रम स्टेशन पर कडकाबूर रेलवे स्टेशन पर प्रारम्भ किये गय विकास कार्यों को पूरा करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उस स्टेशन पर यात्रियों की बहुत अधिक भीड़ को देखते हुए सरकार ने इसको शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) तिरुवन्तपुरमन्कोल्लम-एर्णाकुलम मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत कडकाबूर स्टेशन पर विकास के निम्नलिखित कार्य करने का प्रस्ताव है :—

(i) लम्बी गाड़ियां खड़ी करने के लिए नीची सतह वाले वर्तमान प्लेटफार्म का विस्तार ।

(ii) पटरी की सतह के बराबर एक नये द्वीप एकपार्श्विक प्लेटफार्म की व्यवस्था ।

(iii) माल गोदाम और माल प्लेटफार्म की व्यवस्था ।

प्लेटफार्म के ऊपर बड़ी लाइन के मानक की छत की व्यवस्था । उपर्युक्त चार निर्माण कार्यों में से (1) पर उल्लिखित निर्माण-कार्य चालू है और शेष निर्माण-कार्य आयात परिवर्तन योजना के साथ-साथ किये जायेंगे और इनके मार्च, 1976 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की कर्मचारी मजदूर-सभा की मांगों का निपटारा

4547. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की कर्मचारी मजदूर सभा ने बोनस संबंधी विवाद, पदोन्नतियां, मकान किराया भत्ता, वेतन संबंधी विषमताओं और वेतन पुनरीक्षण के बारे में तुरंत निपटारा करने की मांग की है ;

(ख) क्या सभा के अध्यक्ष ने कहा है कि इन मामलों पर उनके मंत्रालय के राज्य मंत्री की उपस्थिति में चर्चा हो चुकी है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के चेयरमैन से इन मामलों पर सभा के साथ बातचीत करनें के लिए कहा है ; और

(घ) क्या कोई चर्चा हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) ओ० एन० जी० सी० इम्पलाइज मजदूर सभा (तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी मजदूर सभा) के अध्यक्ष ने इन मांगों के बारे में पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के राज्य मंत्री को लिखा है, राज्य मंत्री ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष को इन मांगों के बारे में विचार करने की सलाह दी है। 5 मार्च 1974 को हुई बैठक में आयोग के अध्यक्ष ने विभिन्न मांगों के संबंध में सभा के प्रतिनिधियो को पर्याप्त रूप में समझा दिया है ।

औषध निर्माता फर्मों द्वारा उत्पादन के विविधीकरण के बारे में प्रेस नोट

4548. **श्री भालजीभाई परमार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिनांक 27 मई, 1969 का प्रैस नोट संख्या 3(3)/65—च III अभी भी लागू है।

(ख) यदि नहीं, तो यह कब वापिस लिया गया; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि औषध निर्माता फर्मों द्वारा इस प्रैस नोट की आड़ में अभी भी उत्पादन का विविधीकरण किया जा रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कथित प्रैस नोट में दी गई छूट, उन सूत्रयोगों तक जो संबंधित कम्पनी द्वारा मूल औषधों से निर्मित किए जाते हैं, सीमित है तथा इसके अन्तर्गत तैयार किये जाने वाले मूल औषधों की मात्रा को जिसके उत्पादन के लिए अनुमति दी गई है, और कैप्टिव प्रयोग के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली मात्रा को भी सीमित करती है।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव पर औसत व्यय

4549. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव पर औसत व्यय कितना होता है और अब तक राज्य-वार सब से अधिक एवं सबसे कम व्यय कितना-कितना हुआ है और जिन निर्वाचन क्षेत्रों में यह व्यय हुआ है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पहचान की पर्चियों की छपाई की लागत तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों को छोड़ कर केवल पहचान पर्चियों को साधारण डाक से भेजने पर क्या खर्चा होता है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में साधारण डाक द्वारा पहचान-पर्चियों के केवल भेजे जाने का ही खर्च डाक के लिफाफे के लिए बीस पसे के हिसाब से एक लाख पन्द्रह हजार रुपये बनता है।

गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में प्रस्तावित विधेयक

4553. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिये संसद के समक्ष एक विधेयक पेश करने के बारे में निर्णय कर लिया है जिसके लिये मंत्री महोदय ने लोक सभा के पिछले सत्र में एक गैर सरकारी विधेयक पर चर्चा के दौरान आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विधेयक कब पेश किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) कानूनी सहायता समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है। समिति की कुछ सिफारिशें दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक में, जिसके कि चालू सत्र में पुरस्थापित किए जाने की संभावना है, सम्मिलित की जाएंगी।

निचले न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों में भ्रष्टाचार के बारे में रिपोर्टें

4554. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निचले न्यायालयों में तथा कुछ मामलों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में निर्णय देने में भ्रष्टाचार बरता जाता है ;

(ख) क्या सरकार को अपने गोपनीय तथा गुप्त स्रोतों से इसके बारे में कोई रिपोर्ट मिली है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में अब तक क्या उपचारात्मक अध्युपाय किए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) सरकार को न्यायालयों में भ्रष्टाचार के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न हीं सरकार को इसके बारे में गोपनीय और गुप्त स्रोतों से कोई रिपोर्ट मिली है। कभी कभी, भ्रष्टाचार का अभिकथन करने वाली शिकायतें प्राप्त होती हैं जो कि अधिकांश मामलों में या तो गुमनाम होती हैं या कल्पित नाम वाली। तथापि, ऐसी शिकायतें समुचित प्राधिकारी के पास जांच और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी जाती हैं।

केरल सोप्स एण्ड आयल्स लिमिटेड को मटन चरबी का आवंटन

4555. श्री सी० एच० मुहम्मद कोया :

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के उद्योग मंत्री ने केन्द्र सरकार से केरल सोप्स एन्ड आयल्स लिमिटेड को 1340 टन मटन चरबी का आबंटन करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) केरल के उद्योग मंत्री ने केरल सोप्स एन्ड आयल्स लिमिटेड, कालीकत को 1340 मीटरी टन बकरे की चर्बी जिसकी उन्हें अपनी प्रतिवर्ष 4,300 मीटरी टन की साबुन के निर्माण की क्षमता के लिए आवश्यकता है, का आंबटन करने का अनुरोध किया था। क्योंकि उपक्रम की साबुन का निर्माण करने की लाइसेंसयुक्त क्षमता केवल 700 मीटरी टन 1 प्रतिवर्ष है, बकरे की चर्बी नीति के अनुसार उपर्युक्त लाइसेंस युक्त क्षमता के आधार पर राज्य व्यापार निगम की मार्फत दी गई है।

मूर्शिदाबाद में गंगा नदी द्वारा भू-कटाव को रोकने के लिये योजना

4556. श्री बी० के० दास्चौधरी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या योजना आयोग ने मुर्शिदाबाद में गंगा नदी द्वारा भू-कटाव को रोकने की योजना को अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) फरक्का बराज के अनुप्रवाह में गंगा के दाएं तट पर कटाव के प्रतिसुरक्षा के लिए 63 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की एक स्कीम मार्च, 1973 में पश्चिम बंगाल को राज्य सरकार से केन्द्र को प्राप्त हुई थी। इस स्कीम को केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में विस्तार से जांच की गई थी और यह देखा था कि यह स्कीम विस्तृत अनुसंधानों तथा प्रारुप अध्ययनो पर निर्धारित नहीं थी। अतः राज्य सरकार को सुझाव दिया गया था कि वे विस्तृत सर्वेक्षण तथा माडल अध्ययन करने के पश्चात् एक व्यापक स्कीम तैयार करें।

लद्दाख में भू-तापीय जैनरेटर लगाना

4557. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लद्दाख की पुगा घाटी में भू-तापीय जैनरेटर लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पुगा घाटी में गर्म चश्मा क्षेत्रों में भू-तापीय सर्वेक्षण किये गये है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) लद्दाख की पुगाघाटी में किए गए भू-वैज्ञानिक तथा भौगोलिक सर्वेक्षणों तथा खोज करने के लिए किए गए छेदों से पता लगा है कि वहां विद्युत उत्पादन के लिए भू-पात ऊर्जा विद्यमान है तथा पायलट विद्युत उत्पादन संयंत्र के प्रतिष्ठापन अथवा उपलब्ध ऊर्जा को किसी अन्य ढंग से समुपयोजन करने की संभावना की जांच की जा रही है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 में संशोधन

4558. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय प्रचलित अधिकृत चिकित्सा संबंधी इस मत के अनुसार कि कुष्ठ रोग अचिकित्सीय नहीं है, क्या सरकार का विचार हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 में उपयुक्त संशोधन करने का है ; और

(ख) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी किसी प्राधिकृत चिकित्सीय राय के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सभी प्रकार के कुष्ट रोग का इलाज किया जा सकता है। इस संबंध में व्यक्त किसी प्राधिकृत चिकित्सीय राय के आधार पर हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 में संशोधन किए जाने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव भी प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश में इंजीनियरों की हड़ताल के संबंध में प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप की मांग

4559. **श्री एम० कनामत्तु :**

श्री चन्द्रभाल मनी तिवारी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली जूनियर इन्जीनियर्स फेडरेशन की ओर से प्रधान मंत्री के नाम लिखा गया ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश के इन्जीनियरों की हड़ताल के संबंध में प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को दिल्ली फेडरशन आफ जूनियर इन्जीनियर्स द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के इन्जीनियरों की हड़ताल में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस पत्र के साथ "उत्तर प्रदेश के जनियर इन्जीनियरों की शिकायतें" के विषय पर डिप्लोमा-धारी इन्जीनियरों की अखिल भारतीय फेडरेशन द्वारा प्रधान मंत्री को संबोधित ज्ञापन की एक प्रति भेजी गई है और उसमें उत्तर प्रदेश के हड़ताल करनेवाले जूनियर इन्जीनियरों और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य सौहार्दपूर्ण समझौता के लिए प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप की मांग की गई है। फेडरेशन को यह सलाह दी गई है कि यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार से संबंध रखता है तथा इस मामले को उन्हीं के साथ उठाया जाए।

स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड

4560. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड को वर्ष 1972 में दो वर्ष के लिये अपने नियंत्रण में लिया था और उक्त अवधि 4 मई, 1974 को पूरी हो रही है ;

(ख) क्या कुछ निहित स्वार्थी लोग उक्त कम्पनी को उसके भूतपूर्व मालिकों को फिर से सौंप देने का प्रयास कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) : जी, हां। औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के खण्ड 18-क के अन्तर्गत मेसर्स स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटड का प्रबंध सरकारी नियंत्रण में लिया गया था। इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०, जिसे इसका अधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया था, ने 8 मई, 1972 से इसका प्रबन्ध कार्य संभाला।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग का मैसर्स हिन्दूस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई के बारे में प्रतिवेदन

4561. **श्री के० एस० चावडा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 की धारा 23(3)(ख) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के सदस्य डा० एच० के० परांजपे के मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० बम्बई, के मामले में विमति प्रतिवेदन के पैरा 6.25 की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या डा० परांजपे ने तथ्य और आंकड़े देकर यह दिखाया है कि यू० के० के मैसर्स यूनीलीवर ने इस देश में पूंजी निवेश पर बहुत ज्यादा लाभ कमाया है; और

(ग) क्या सरकार देश में कार्य कर रही दो या तीन दर्जन विदेशी फर्मों के बारे में, विशेषकर भेषणज तथा औषध निर्माण और अन्य उपभोक्ता तथा रसायन उद्योगों जैसे बहुत अधिक लाभ कमाने वाले उद्योगों के मामले में एसा ही अध्ययन कराएगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) हाँ, श्रीमान् जी।

(ख) वैमत्व सदस्य ने इस प्रकार का विचार प्रकट किया है। तथापि, इस असहमति के कार्यवृत के पैरा 6.25 में दिये गये तथ्यों तथा आंकड़ों पर आयोग की बहुमतीय रिपोर्ट में दिये गये विनिर्देशों तथा सरकार की वर्तमान औद्योगिक लाइसेंस नीति, सहित अन्य अनेक कारकों के साथ विचार किया जाना था। पुन: इन तथ्यों तथा आंकड़ों का सत्यापन करना शेष है।

(ग) विदेशी कम्पनियों द्वारा संव्यवहारित, कुछ उपभोक्ता उद्योगों, जैस चाकलेट, साफ्ट ड्रिंक, टुथ पेस्ट एवं कान्ति द्रव्यों, आदि की बाबत, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 31 (1) के अन्तर्गत निदेश कर दिये गये है, अथवा किये जा रहे है। आयोग ने अपनी 31 दिसम्बर, 1972 को वर्ष समाप्ति को वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अध्याय 4 के पैरा 5 में वर्णित अन्य अनेक मदों की बाबत स्वत: कार्यवाही की है।

पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों को गन्धक के तेजाब की सप्लाई

4562. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर (केन्द्रीय उत्पादन टैरिफ दर) गंधक का तेजाब उपलब्ध नहीं होता है ;

(ख) पश्चिम बंगाल में गंधक के तेजाब के उत्पादनकर्ताओं के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में लघु उद्योग संघ के गंधक का तेबाज निजको मूल कच्ची सामग्री है, कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त टैरिफ दर पर गंधक का तेजाब उपलब्ध कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस समय गंधक अम्ल किसी मूल्य या वितरण नियन्त्रण के अधीन नहीं है, केवल उत्पादन शुल्क की उगाही के लिए किसी आधार की व्यवस्था करने के लिए कुछ टैरिफ मूल्यों को नियत किया जाता है।

(ख) एक सूची सभा पटल पर रखी गई है।

(ग) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हूए हैं।

(घ) निर्यातओं से इस बात का अनुरोध किया गया है कि समस्त उपभोगकर्ताओं की अनिवायग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास करें, जिसमें लघु उद्योग एककों की आवश्यकताएं भी सम्मिलित हैं।

विवरण

पश्चिम बंगाल में गन्धकाम्ल के निर्यातओं के नाम

1. मैसर्स बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल वर्क्स, पानिहट्टी।
2. मैसर्स हिन्दुस्तान हैवी केमिकल्स लि०, खरदाहा
3. मैसर्स फास्फेट कम्पनी लिमिटेड, रिशरा।

4. मैसर्स केशोराम रेयॉन त्रिवेणी ।

5. मैसर्स जयश्री कैमिकल्स, खदोहा ।

6. मैसर्स सी० डी० ठाक्कर एण्ड कम्पनी, रुपनारायणपुर ।

7. मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कम्पनी, दुर्गापुर ।

8. मैसर्स इण्डियन आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी कलकत्ता,

उक्त सूची में लघु उद्योग क्षेत्र के एकक सम्मिलित नहीं है ।

नायलोन परियोजनाएं आरम्भ करने के लिये लाइसेंस जारी करना

4563. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में नायलोन परियोजनाएं आरम्भ करने के लिये विभिन्न राज्य औद्योगिक विकास निगमों और गैर-सरकारी क्षेत्र की पार्टियों को वर्ष 1973–74 और वर्ष 1974–75 के लिए कितने आशय-पत्र जारी किए गए हैं तथा इनमें से कितने आशय-पत्रों को लाइसेंस में बदल दिया गया है ;

(ख) क्या वर्तमान तेल संकट तथा परिणामत: पैट्रोलियम-रसायन के कच्चे माल की कमी के कारण इन परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उत्पादन कार्यक्रमों को पुनर्निर्धारित किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) वर्ष 1971 एवं 1973 के दौरान 19 आशय–पत्र में नायलोन यूनिटों की स्थापना के लिए (13 आशयपत्र राज्य औद्योगिक विकास निगमों को तथा नायलोन के उत्पादन के लिए अपनी क्षमता के पर्याप्त रूप में विस्तार करने के लिए, 6 आशय–पत्र प्राइवेट पार्टियों को) जारी किये गये। आज तक केवल एक आशयपत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदला गया है।

(ख) और (ग) देश में नायलोन धागे के समग्र विकास तथा नायलोन संयंत्रों के लिए विदेशी प्रोद्योगिकी के आयात की आवश्यकता जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर हो रही है ।

नायलोन निर्माता एककों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिये कैपरोलैक्टम परियोजनाएं

4564. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नायलोन उत्पादन परियोजनाओं के विस्तार के लिये तथा विभिन्न औद्योगिक निगम को जारी किये गये आशय-पत्रों के आधार पर स्थापित होने वाले नये नायलोन निर्माता कंपनियों को देखते हुए, क्या सरकार नायलोन निर्माताओं को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिये नई कैपरोलैक्टम परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो ये कैपरोलैक्टम परियोजनायें कहां-कहां होंगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) पंच-वर्षीय योजना में कोई अतिरिक्त कैप्रोलैक्टम क्षमता की परिकल्पना नहीं है और इसीलिये पंचवर्षीय योजना के पूरा होने तक अन्य कैप्रोलेक्टम संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव इस समय तैयार नहीं किया जा रहा है ।

गोआ में सालोलिम सिंचाई परियोजना

4565. **श्री सी० के० चन्द्रापन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में सालोलिम सिंचाई परियोजना को चालू करने के कारण 1 करोड़ 60 लाख टन ब्लैक आयरन तथा फेरियम मेंगनीज के डूब जाने की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस्पात तथा खान मंत्रालय द्वारा गठित एक दल ने 1973 में, सलौली परियोजना द्वारा जलमग्न होने वाले क्षेत्र में भण्डारों का मूल्यांकन किया था तथा यह अनुमान लगाया था कि लोह अयस्क, श्याम (ब्लेक) लोह अयस्क तथा लोहमय मैंगनीज अयस्क का कुल निकाला जाने वाला भण्डार 2.014 मिलियन मीट्रिक टन है ।

(ख) इस्पात तथा खान मंत्रालय ने गोवा सरकार को सलाह दी है कि इस क्षेत्र के जल-मग्न होने के पूर्व यथा संभव उपलब्ध भण्डारों के खनन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जाए ।

संश्लिष्ट रबड़ के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

4566. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संश्लिष्ट रबड़ के मूल्य ढाचे तथा संश्लिष्ट रबड़ के लिए दिये जाने वाले उचित मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग द्वारा दिया गया अंतिम प्रतिवेदन सरकार ने स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) टैरिफ आयोग ने सिन्थेटिक रबर के उचित विक्रय मूल्यों की जांच की थी और अपनी रिपोर्ट 28-8-71 को प्रस्तुत कर दी थी। जबकि इस रिपोर्ट की जांच की जा रही थी, उत्पादकों ने दिसम्बर, 1972 में सरकार को अभ्यावेदन दिया था कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें आयातित एल्कोहल का प्रयोग करना पड़ेगा, जिस की लागत देशी एल्कोहोल की लागत से लगभग तीन गुणा अधिक थी और कि टैरिफ आयोग द्वारा लागत संबंधी गणनाएं किये जाने के पश्चात् लागत के अन्य तत्वों में काफी वृद्धि हो गई थी, सरकार को रबर की विभिन्न किस्मों के मूल्य में तदर्थ वृद्धि किये जाने पर विचार करना चाहिए।

1-9-1973 से सरकार द्वारा सिन्थैटिक रबर के अंतरिम मूल्य ढांचे की घोषणा की गई थी। साथ ही साथ, उन संबंधित तथ्यों, जिन से उत्पादन लागत तथा सिन्थेटिक रबर के विक्रय मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है, के प्रकाश में लागत ढांचे का पुनरीक्षण करने के लिए यह मामला फिर से टैरिफ आयोग के पास भेजा गया है। टैरिफ आयोग के निष्कर्ष प्राप्त होने पर आगामी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए बिजली उत्पादन का लक्ष्य

4567. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या चौथी पंचवार्षिक योजना में बिजली उत्पादन का लक्ष्य अभी प्राप्त किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या किसी राज्य में बिजली उत्पादन का आधा लक्ष्य ही प्राप्त किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) चतुर्थ योजना के लिए प्रस्तावित लगभग 4.7 मिलियन किलोवाट की विद्युत उत्पादन क्षमता के अगली योजना में मिलने की संभावना है। चतुर्थ योजना में विभिन्न विद्युत स्कीमों के पूर्ण न होने के मुख्य कारण ये हैं; उपस्कर की सप्लाई तथा सिविल कार्यों के पूर्ण होने में देरी ; इस्पात, सीमेन्ट और औद्योगिक गैसों जैसी अनिवार्य निर्माण सामग्री की कमी, श्रम अशान्ति, धन की कमी और प्रबंध संबंधी कमजोरियाँ।

(ग) और (घ) जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम के राज्यों और दामोदर घाटी निगम में चतुर्थ योजना के दौरान क्षमता के रखे गये लक्ष्यों की प्राप्ति 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक रही है।

Effect of Agitation by Railway Employees on Coal Stocks in Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh

4568. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the situation in regard to coal stocks in Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh has become serious due to food agitation started by the Railway employees of Shahdol area of Madhya Pradesh;

(b) whether the agitating employees are obstructing the movement of trains in the areas of coal stocks from the 27th February, 1974;

(c) whether coal could not be transported for some days as a result thereof; and

(d) the time upto which this situation will last?

The Deuty Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) Yes. Food agitation launched by the public and railway employees in Shahdol from 09.00 hours on 27-2-74 to 18.30 hours on 1-3-74 resulted in a steep drop in coal loading in Central India Coalfields of Madhya Pradesh. The movement of loaded coal trains from Shahdol towards Katni was also obstructed by them. Movement of coal to Maharashtra and Gujarat States, which are served mainly by this field was adversely affected.

(d) The strike was called off at 18.30 hours on 1-3-74 and normal movement restored.

रेलवे स्टेशनों पर क्षतिग्रस्त रेल डिब्बों के स्थान पर अतिरिक्त रेल डिब्बों की व्यवस्था करना

4569. श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शनों पर, जहां से रेलगाड़ियां चलनी आरम्भ होती है, फालतू रेल डिब्बों की व्यवस्था न होने के कारण वहां क्षतिग्रस्त रेल डिब्बों के स्थान पर अतिरिक्त रेल डिब्बों को लगाने की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण विशेषकर तीसरी श्रेणी के यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) किसी प्रकार की क्षति हो जाने अथवा मरम्मत का कोई काम निकल आने पर निर्धारित सवारी डिब्बों को बदलने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर विशेष रूप से तीसरे दर्जे के पर्याप्त अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था रहती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रेलवे में लेखा अधिकारियों के कार्यकरण के बारे में निर्देश

4570. श्री पन्नालाल बारुपाल :

श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या रेल मंत्री भारतीय रेलवे में लेखा कार्यालयों के कार्यकरण के संबंध में निर्देश जारी करने के बारे में 11 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4218 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों के संबंध में कार्यकारी तथा वित्त अधिकारियों को जारी किये गये निर्देशों संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) इन निर्देशों की सही क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिय सरकार द्वारा कौन-सी व्यवस्था पठित की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) रेलों सम्बन्धी प्रशासनिक-सुधार आयोग के अध्ययन दल ने (सिफारिश सं० 235 में) सिफारिश की थी कि वित्त अधिकारियों का रुख कार्यकारी अधिकारियों को मदत करना होना चाहिए और अति सावधान होने से बचना चाहिए तथा इसी प्रकार कार्यकारी अधिकारियों को वित्तीय सलाह पर यथोचित विचार करना चाहिए और यदि मतभद फिर भी रह जाय तो मामले को उच्चतर स्तर पर निर्णय के लिये भेज देना चाहिए ।

सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है और इस बात के लिए रेलों को आवश्यक हिदायतें जारी की जा चुकी हैं कि कार्यकारी अधिकारी और वित्त अधिकारी दोनों अपने यथोचित उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में अपनी उचित भूमिका निभायें ।

(ख) कार्यकारी अधिकारियों और वित्तीय अधिकारीयों में मतभेद के मामले को उच्चतर स्तर पर निर्णय के लिए भेजा जाना चाहिए इन हिदायतों को संहिताबद्ध कर दिया गया है।

पश्चिम रेलवे पर बुकिंग तथा रिजर्वेशन कार्यालयों के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता जानने के लिये मापदण्ड

4571. श्री पन्नालाल बारुपाल :

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेल मंत्री अजमेर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के तीसरी श्रेणी के बुकिंग कार्यालय में कार्यभार के बारे में 4 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3369 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों की आवश्यकता जानने के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित न होने में आरक्षण और बुकिंग कार्यालयों में अधिक कर्मचारियों को रखने पर क्या रोक लगाई जाती है ;

(ख) पश्चिम रेलवे में जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद, बडौदा, बम्बई सेन्ट्रल, रतलाम, कोटा, राजकोट और भावनगर स्टेशनों पर आरक्षण हेतु तीसरी श्रेणी के शयन शायिकाओं और सीटों के आबंटित कोटे के तुलनात्मक आंकडे क्या है तथा इन स्टेशनों पर आरक्षण तथा बुकिंग क्लर्कों की स्वीकृत संवर्ग संख्या कितनी है; और

(ग) क्या मितव्ययिता अभियान के ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इन स्टेशनों पर तीसरी श्रेणी के बुकिंग कार्यालयों में कार्य कर रहे सभी आरक्षण तथा बुकिंग क्लर्कों के पदों को सरेन्डर करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हर पाली में किये गये कार्यों और क्रियाओं की संख्या का अनुमान लगा लेने के बाद कार्यभार के आधार पर कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है । आवधिक पुनरीक्षाओं के जरिये कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है ।

(ख) इन स्टेशनों पर तीसरे दर्जे की शायिकाओं और सीटों का आरक्षण-कोटा इस प्रकार आबंटित किया गया है :—

स्टेशन	शायिकाएं	सीटें
जयपुर . . .	192	317
अजमेर . .	245	222
अहमदाबाद .	715	1148
बडौदा .	210	216
बम्बई सेंट्रल . . .	2048	680+574 वातानुकूल कुर्सीयान सीटें
रतलाम .	32	12
कोटा . .	53	30
राजकोट .	74	104
भावनगर . . .	60	109

इन स्टेशनों पर स्थित तीसरे दर्जे के बुकिंग कार्यालयों में आरक्षण-एवं-बुकिंग क्लर्कों की व्यवस्था नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे के कुछ स्टेशनों पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये अपनाई गयी कसोटी

4572. श्री पन्नालाल बारुपाल :

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेल मंत्री बुकिंग कार्यालयों (पश्चिम रेलवे) में टिकट गिनने के लिये निर्धारित मापदण्ड के बारे में 4 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3358 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रशासन द्वारा कमर्शियल क्लर्कों की कितनी श्रेणियों के लिये मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया तथा उसके क्या कारण हैं;

(ख) कुछ कार्यालयों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति पर क्या नियंत्रण लगाये गये हैं जबकि रेलवे के लगातार घाटा हो रहा है ;

(ग) पश्चिम रेलवे के बम्बई सेन्ट्रल, दादर, बडौदा, रतलाम, कोटा आगरा फोर्ट, जयपुर, अजमेर, मेहसाना, अहमदाबाद, राजकोट और भावनगरपारा स्टेशनों पर टिकटों का स्टाक रखने के लिये कुल कितने कर्मचारियों की व्यवस्था है; और

(घ) इन स्टेशनों पर बुकिंग कर्मचारियों की मजूरी देने के लिये क्या कसौटी अपनाई गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वाणिज्यिक क्लर्कों की सभी कोटियों जैसे बुकिंग क्लर्क, पार्सल क्लर्क और गुड्स क्लर्क, के पदों के सृजन के लिए मार्गदर्शन के तरीके निश्चित किये गये है।

(ख) नियमित समीक्षाओं द्वारा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि पर नियंत्रण रखा जाता है ।

(ग) तैनात कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

बम्बई सेन्ट्रल	78
दादर	54
बड़ौदा	41
रतलाम	20
कोटा	21
आगरा फोर्ट	25
जयपुर	24
अजमेर	21
मेहसाना	11
अहमदाबाद	116
राजकोट	10
भावनगरपाड़ा	24

(घ) बुकिंग कर्मचारी कार्यभार के अनुसार लगाये जाते है ।

पश्चिम रेलवे के बिजली कर्मचारियों द्वारा 12 घंटे की ड्यूटी दिया जाना

4573. श्री पन्नालाल बारुपाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के कुछ स्टशनों पर बिजली कर्मचारियों से 12 घण्टे की ड्यूटी ली जाती है जबकि अन्य स्टेशनों पर केवल 8 घण्टे की ड्यूटी होती है; और

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों के नाम क्या है जिनपर अधिक समय की ड्यूटी ली जाती है और इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले बिजली कर्मचारियों सहित रेल कर्मचारियों के काम के घंटे आमतौर पर कार्य घंटा विनियमो के सांविधक उपबन्धों द्वारा विनियमित होते है। तदनुसार, 12 घंटे की

अवधि में जब किसी रेल कर्मचारियो के ड्यूटी के सामान्य घंटों में कुल मिलाकर 6 घंटे या इससे अधिक की वह निष्क्रियता अवधि शामिल होती है जिसमें इस तरह की कम से कम एक घंटे की अवधि अथवा प्रत्येक कम से कम आधेघंटे की इस तरह की दो अवधियां शामिल हो जिसके दौरान वह ड्यूटी पर तो हो लेकिन उसे शारीरिक रुप से अथवा दत्तचित्त होकर कोई काम करने क लिए न कहां जाता हो तो उसे "अनिवार्यत: सविरामी" के रुप में वर्गीकृत किया जाता है और उसे दिन में 12 घंटे के काम वाले रोस्टर में रखा जाता है जबकि "सतत" के रुप में वर्गीकृत कर्मचारियों को दिन में 8 अथवा $8\frac{1}{2}$ घंटे के काम वाले रोस्टर में रखा जाता है ।

अशोधित तेल की सप्लाई के लिए मलेशिया के साथ बातचीत

4574. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका मंत्रालय अशोधित तल की सप्लाई के बारे में मलेशिया के साथ बातचीत कर रहा है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : जी नहीं ।

पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण

4575. श्री एम० एस० संजीवीराव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण करने के लिये कितनी परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1974–75 में कोई नयी परियोजना शुरु नहीं की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Dining Cars and Refreshment Stalls run by Railways

4576. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of dining cars and refreshment stalls being run by the Railways themselves;

(b) the number of dining cars and refreshment stalls given on contract;

(c) whether Government propose to abolish contract system; and

(d) if so, the time by which it will be done?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) 28 dining cars and 304 refreshment stalls are managed by the Zonal Railways departmentally.

(b) 23 dining cars and 3393 refreshment stalls are run by the contractors.

(c) No.

(d) Does not arise.

Names of contesting Candidates in Mathura Constituency Printed on Ballot Papers

4577. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether the names of the contesting candidates in Mathura Constituency of Uttar Pradesh elections were printed on the ballot papers in the alphabetical order of English letters or of Hindi letters; and

(b) the actual serial order in which these were printed and the basis thereof?

The Minister of State in the Ministry of Law, Jutice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कोयलेपर आधारित उर्वरक संयंत्र और उनकी नेफ्था पर आधारित संयंत्र बनाने का प्रस्ताव

4578. श्री नवल किशोर सिन्हा :

श्री एस० आर० दमाणी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में कोयले पर आधारित कितने उर्वरक संयंत्र मंजूर किये गये, उन्हे कहां-कहां पर लगाया गया और उनकी अनुमानित लागत क्या है ;

(ख) इस से कितने पेट्रोलियम और विदेशी मुद्रा की बचत होगी; और

(ग) क्या नेफ्था पर आधारित संयंत्रों को कोयले पर आधारित संयंत्रों न बदलने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) रामागुण्डम, तालचर और कोरवा में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र कार्यान्वयनाधिन हैं। प्रत्येक प्रयोजना प्रतिदिन 900 मीटरी टन अमोनिया और प्रतिदिन 1500 मीटरी टन यूरिया के उत्पादन के लिए बनाई गई है । तीन संयंत्र यदि पेट्रोलियम फीडस्टाक पर आ ा-रित होते तो इनको प्रतिवर्ष लगभग 687,000 मीटरी टन पेट्रोलियम उत्पादों की आव-श्यकता पडती। पेट्रोलियम उत्पादों के प्रति मीटरी टन लगभग 80 डालर के आयात मूल्य पर लगते । तीनों योजनाओं की संयुक्त क्षमता के लिये बाहर भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष लगभग 55 मिलियन डालर होती।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

"बेनामी सम्पत्ति" रखने की पद्धति का निषेध करने के लिय विधि का अधिनियम

4579. श्री बेकारिया :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने "बेनामी सम्पत्ति" रखने की पद्धति का निषेध करने के लिये एक अलग विधि बनाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां तो सरकार का विचार इसके लिये कब आवश्यक विधि बनाने का है;

(ग) सम्पत्ति के बारे में इस आयोग द्वारा की गई अन्य सिफारिशों की मुख्य बातें क्या है; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (घ) जी हां । विधि आयोग ने अपनी 57 वीं रिपोर्ट में "बेनामी संव्यवहार" के संबंध में एक पृथक् विधि के अधिनियमित किए जाने की सिफारिश की है, जिसमें निम्नलिखित विधायी उपबंध हों (जिन्हें मैं रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा हूं) :—

"1.(1) बेनामी के रुप में धारित किसी सम्पत्ति की बाबत किसी अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिये कोई वाद उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके नाम में सम्पत्ति धारित हो या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जाएगा ।

(2) किसी वाद में बेनामी के रुप में धारित किसी सम्पत्ति की बाबत किसी अधिकार पर, चाहे वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हो, जिसके नाम में सम्पत्ति धारित है या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हो, आधारित कोई प्रतिरक्षा ऐसी सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी न्यायालय में अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3) इस धारा की कोई बात लागू नहीं होगी—

(क) चाहे वह व्यक्ति, जिसके नाम में सम्पत्ति धारित है, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का प्रबन्धक है या उसमें सहदायिक है, और सम्पति कुटुम्ब में सहदायिकों के फायदे के लिए धारित है; या

(ख) जहां वह व्यक्ति, जिसके नाम में सम्पत्ति धारित है, न्यासी है या वैश्वासिक हैसियत में आने वाला व्यक्ति है, और सम्पत्ति ऐसे अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए धारित है, जिसके लिए वह न्यासी है या जिसके प्रति वह ऐसी हैसियत में है।

2. निम्नलिखित उपबंध एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं, अर्थात्—

(क) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 82;

(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 66;

(ग) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 281 क ।

3. इस अधिनियम की कोई बात—

(क) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 53 के उपबन्धों को, या किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए अन्तरणों से संबंधित विधि को प्रभावित नहीं करेगी, या

(ख) इस अधिनियम के आरम्भ होने के समय बेनामी के रुप में धारित किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी ।"

ये सिफारिशें राज्यसंघ राज्यक्षेत्र सरकारों के पास, उनकी राय जानने के लिए, भेजी जा रही हैं और उनकी राय उपलब्ध होने पर ही आवश्यक विधान अधिनियमित करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

इस्पात संयंत्रों को कोयले की महत्वपूर्ण सप्लाई में बाधा डालने के लिये रेलवे कर्मचारियों को भड़काने वाले राजनीतिक स्वार्थ रखने वाले तत्व

4580. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री रामभगत पासवान :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजनीतिक स्वार्थ रखने वाले तत्व इस्पात संयंत्रों को कोयले की महत्वपूर्ण सप्लाई में बाधा डालने के लिए रेलवे कर्मचारियों को भड़काते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय क्या है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यह सच है कि खासतौर पर पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों पर कर्मचारियों के बार-बार आंदोलन करने से बंगाल और बिहार क्षेत्रों से इस्पात कारखानों को कोयले की ढुलाई और संचलन पर विपरित प्रभाव पड़ा है ।

(ख) सरकार समस्या से अवगत है और कर्मचारियों की सही शिकायतों को दूर करके रेल संचलन को प्रभावित करने वाले ऐसे आन्दोलनों को रोकने तथा हड़ताल के लिए भड़काने वाले तत्वों को हतोत्साहित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

पेट्रोलियम की नेपाल को तस्करी

4581. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलीगुड़ी से बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम की नेपाल को तस्करी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Complaints about elections received by Election Officials and the Election Commission during the month of February, 1974

4582. **Shri Atal Bihari Vajpayee:**

Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the broad features of complaints about elections received by the State Election Officials and the Election Commission during the month of February last; and

(b) the reaction of the Election Commission to each of these complaints and the results of the enquiries made in regard thereto and the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

जल संसाधनों के बारे में भारत-बंगला देश पेनल गठित किया जाना

4583. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगालादेश के बीच जल संसाधनों पर चर्चा करने के लिये एक पेनल बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निदेश पद क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग ने नई दिल्ली में हुई अपनी सातवीं बैठक में यह सिफारिश की है कि प्रदेश के जल संसाधनों के विकास पर संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाय।

प्रीडिन्सोलीन की मांग को पूरा करने के लिये उस का उत्पादन

4584. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की मांग को पूरा करने के लिये देश में पर्याप्त मात्रा में प्रीडिन्सोलीन का उत्पादन होता है;

(ख) क्या देश में निर्मित और आयातित प्रीडिन्सोलीन के मूल्यों में भारी अन्तर के कारण इस देश में प्रीडिन्सोलीन चोरी छिपे लाई जाती है; और

(ग) क्या सरकार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सीमित मात्रा में प्रीडिन्सोलीन का आयात करने और उसे तुलनात्मक (पूल्ड) मूल्य पर बेचने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) औषध तथा भेषज पर योजना आयोग के कार्यकारी दल ने सूचित किया है कि 1972–73 के लिए प्रीडिन्सोलीन की आवश्यकता 750 किलोग्राम है और 1975–76 के लिए अनुमानित आवश्यकता 1100 किलोग्राम है। 1972 और 1973 में इस विषय के लिए कुल देशी उत्पादन क्रमशः 596 किलोग्राम और 850 किलोग्राम था।

(ख) उत्पादित देशी प्रीडिन्सोलीन का विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम 14,266.21 रुपये है। आयातित प्रीडिन्सोलीन का सी आई एफ लग भग 4300 रुपये है। पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय को सूचित किए हुए प्रीडिन्सोलीन की एक तस्करी का मामला सी सी आई तथा ई के द्वारा जाच किया जा रहा है।

(ग) वर्तमान आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार इस विषय के आयात की अनुमति वास्तविक उपभोक्ता को प्रतिबंधित आधार पर दी जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से इस विषय के आयात को सरणी बद्ध करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

कर्नाटक में तेलशोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय

4585. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर में तेलशोधक कारखाना स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बाते क्या है ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फालतु रेलवे भूमि के लिये सर्वेक्षण

4586. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टेशन यार्डों में और रेलवे कालोनियों में तथा रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों की भूमि में जिसकी रेलवे प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने की सम्भावना नहीं है; फालतू रेलवे भूमि के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) क्या कुछ भूमि राज्य सरकार को अलाट की गई है या दी गई है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) रेलवे अपनी जमीनों की वर्तमान और भविष्य की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार सीमित करने के उद्देश्य से उनकी समीक्षा करती है और जिस जमीन की आवश्यकता नहीं रहती है उसे वह राज्य सरकार के जरिए स्थायी रूप दे देती है जो एक स्थायी प्रक्रिया है । इसके अलावा, स्टेशनों के बीच, पड़ी रहने वाली खेती योग्य जमीन जिसकी रेलवे के काम के लिए उपयोग करने के लिए तत्काल आवश्यकता नहीं होती है उसे अधिक अन्न उपजाओं के प्रयोजन से बाहरी व्यक्तियों को लाइसेंस पर देने के लिए राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसी प्रकार स्टेशन यार्डों और रेलवे बस्तियों की रेलवे की जमीनों का लाइसेंस रेल कर्मचारियों/रेल कर्मचारी सहकारी खेती समितियों को दे दिया जाता है। उपर्युक्त योजना के अंतर्गत 31-3-1973 तक लगभग 41,000 एकड़ और 31,000 एकड़ रेलवे की जमीन क्रमश: राज्य सरकारों को हस्तांतरित की गयी और रेल कर्मचारियों को लाईसेंस पर दी गयी थी ।

मध्य रेलवे के श्रेणी एक, दो, तीन और चार के कर्मचारियों का स्थायीकरण

4587. **श्री वसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में इस समय ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो 10 वर्ष से अधिक की सेवा के बाद भी अस्थायी है ;

(ख) श्रेणी एक, दो, तीन और चार पदों में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी कितनी है ; और

(ग) उनको स्थायी बनाने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख)

श्रेणी I	कोई नहीं
श्रेणी II	10
अस्थायी अधिकारी (अवर्गीकृत) . . .	49
श्रेणी III	162
श्रेणी IV	10

(ग) अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने तथा जहां औचित्य हो वहां उन पर पात्र व्यक्तियों को स्थायी करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है।

वरिष्ठता का अन्तिम निपटारा होते ही श्रेणी II के 10 अधिकारियों के स्थायीकरण के आदेश दे दिये जायेंगे ।

सिन्दीचेम लिमिटेड, नागपुर को डी० डी० टी० की सप्लाई

4588. श्री वसन्त साठे : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सिन्दीचेम लिमिटेड, नागपुर ने चालू वर्ष में मैसर्स हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड लिमिटेड से टेक्नीकल डी० डी० टी० सप्लाई करवाने के लिये सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या इस एकक को टेक्नीकल डी० डी० टी० न मिलने के कारण अपना संयंत्र चलाने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इस एकक को डी०डी०टी० की तत्काल सप्लाई करने के लिये, ताकि वह बन्द न हो जाये, कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में कम्पनी से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) इस कम्पनी को 1972–73 के दौरान लगभग 10 मीटरी टन तथा 1973–74 (फरवरी '74 तक) के दौरान 11 मी० टन तकनीकी डी०डी०टी० की सप्लाई की गई ।

आसाम में रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

4589. श्री वसंत साठे :

श्री मधु दण्डवते :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या 3 मार्च, 1974 को लोको कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आसाम को जाने वाली अनेक रेलगाड़ियां रद्द कर दी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये रेलगाडियां आसाम को खाद्य पदार्थ ले जा रही थी;

(ग) लोको कर्मचारियों ने 3 मार्च, 1974 को कितनी रेलगाडियां छोड़ दी थी ;

(घ) स्थिति को सामान्य बनाने के लिये रेलवे ने क्या कदम उठाये थे ; और

(ङ) क्या लोको कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर लोको रनिंग कर्मचारियों के आंदोलन के कारण 3-3-74 को उक्त रेलवे द्वारा गाडियां लेने में असमर्थता प्रकट किये जाने के फलस्वरूप उस दिन पूर्व रेलवे है केवल तीन गाडियां रद्द की गयी थी।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) दो ।

(घ) और (ङ) भारतीय रेल अधिनियम के अनुच्छेद 100- क के अनुसार कार्रवाई किये जाने के अतिरिक्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गयी है। खाद्यान्न, पेट्रोल तेल स्नेहक, इंजन का कोयला प्राथमिकता 'क' के यातायात आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं का संचलन सुनिश्चित करने के लिये उपलब्ध साधनों का उपयोग किया गया था ।

पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता के लिए अनुश्रवण यंत्र की स्थापना

4590. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता के लिये उनके मंत्रालय में अनुश्रवण यन्त्र स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत् सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) मंत्रालय में इस प्रकार के मोनीटर की स्थापना नहीं की गई है, तथापि महत्वपूर्ण सप्लाई स्थलों तथा मांग के भारी संकेन्द्रण स्थलों में मुख्य तेल उत्पादों की उपलब्धता को देखने के लिए एक नियंत्रण पद्धति स्थापित की गई है ।

मिट्टी के तेल की मोटर स्पिरिट में मिलावट का पता लगाना

4591. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने यह सूचित किया है कि मोटर स्पिरिट में पांच प्रतिशत से अधिक मिट्टी के तेल की मिलावट का मिट्टी के तेल में नीले रंग के प्रयोग से पता लगाया जा सकता है जो देश में उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अनुरोध पर, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम (आई० आई० पी०) में मिट्टी तेल को रंगने, ताकि देखने मात्र से ही पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट का पता चल जाए, के लिए एक रंग का उपयोग आरम्भ करने हेतु अनेक परीक्षण किए। विस्तृत रूप में विचार करने के पश्चात् आई० आई० पी० ने मिट्टी के तेल में मिलाने के लिए नीले रंग की सिफारिश की। मिट्टी के तेल के प्रत्येक एक मिलियन भाग के लिए 20 भाग रंग की मात्रा के निर्धारण की सिफारिश की गई थी । मिलाए जाने वाले नीले रंग की इस भारी मात्रा निर्धारण से पेट्रोल में 10% मिट्टी तेल की मिलावट किये गए 10% तक की मात्रा वाले मामलों को भी देखने मात्र से ही पता लगा लेना संभव पाया गया। लेकिन जहां पर मिट्टी के तेल की मिवावट केवल 5% हो, देखने मात्र से मिलावट का पता लगा लेना इतना स्पष्ट नहीं पाया गया । इस रंग के देशीय निर्माण की संभावना को सम्मिलित करते हुए सारा मामला विचाराधीन है तथा इस बारे में सरकार द्वारा अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है । लेकिन इस रंग को व्यवहार में

लाए बिना भी पेट्रोल को एक साधारण फिल्टर पेपर की सहायता से ढुंढ सकना संभव हो सकता है जैसे यदि पेट्रोल में मिट्टी तेल की मिलावट हो तो उसमें फिल्टर पेपर डालने से उस पर एक नए किस्म के तेल के धब्बे अंकित हो जाएंगे। इस संदर्भ में भी मिट्टी के तेल की 10% से कम की मिलावट होने पर सभी मामलों में मिलावट को निर्णयात्मक रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। फिर भी सारे फुटकर विक्री केन्द्रों में अंग्रेजी, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में पोस्टर लगाए जा रहे हैं ताकि संदिग्ध मामलों में मोटर चालक मौके पर परीक्षण कर सकें।

वर्ष 1973–74 में भीड़ द्वारा खाद्य सामग्री से भरे माल डिब्बों का लूटा जाना

4592. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में प्रत्येक रेलवे ज़ोन में भीड़ दवा खाद्य सामग्री से भरे कितने माल डिब्बे लूटे गये; और

(ख) ऐसी लूट-पाट को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहमद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) खाद्यान्न के परेषणों के साथ मार्ग में किसी प्रकार की आपराधिक छेड़-छाड़ को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा दल द्वारा सुरक्षा प्रबन्ध में कड़ाई की गयी है। अनाज और दालें ढोने वाली गाड़ियों में खास तौर से खतरनाक खण्डों पर रात के समय रेलवे सुरक्षादल के सशस्त्र मार्ग रक्षी तैनात किये जाते हैं। खतरनाक स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियां तैनात की जा रही हैं और चुने हुए खण्डों में रेल मार्गों पर सशस्त्र रक्षकों की गस्त में तेजी लायी गयी है। समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों को कम करने के लिये स्थानीय पुलिस से निकट सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

विवरण

क्रम सं०	क्षेत्रीय रेलवे का नाम	खाद्य सामग्री ले जाने वाले माल डिब्बो की संख्या जो लूटे गये	हानि की शुद्ध रकम
1	मध्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	पूर्व	27	10,700 रुपये
3	उत्तर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	पूर्वोत्तर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5	पूर्वोत्तर सीमा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6	दक्षिण पूर्व	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7	दक्षिण मध्य	37	24,510 रुपये
8	दक्षिण	1	1,200 रुपये
9	पश्चिम	2	1,950 रुपये

कम्पनियों द्वारा बनाये जाने वाले लागत विवरण

4593. श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक कम्पनियां उस अवधि के लिये नियत लागत विवरण नहीं बनाती जिस के लिए कम्पनी विधि प्रशासन लागत लेखा परीक्षा का आदेश नहीं देता ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रति वर्ष लागत लेखा-परीक्षा करवाने का है ; और

(ग) क्या शीघ्र ही कोई उपयुक्त विधान बनाया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) यह बिल्कुल संभव है कि कुछ कम्पनियां, उस अवधि के लिये, जिसके लिये लागत लेखा-परीक्षा के आदेश नहीं दिये गये हों, विहित लागत लेखांकन अभिलेख न बनाती हों ।

(ख) वर्तमान में लागत लेखा-परिक्षा प्रति वर्ष करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, सरकार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209(1)(घ) के अन्तर्गत प्रेषित, अधिसूचनाओं के अन्तर्गत आने वाली सभी वर्ग की कम्पनियों की लागत लेखाओं की कम से कम एक बार, इस अधिनियम की धारा 233ख (1) के अन्तर्गत, लेखा-परीक्षा के लिये आदेश, यह सुनिश्चित करने के लिये प्रेषित करती है कि इस प्रकार की सभी कम्पनियां यथा विहित लागत लेखांकन अभिलेख संधारण करें । आवश्यकता होने पर परवर्ती वर्ष अथवा वर्षों के लागत लेखा-परीक्षा के निर्देश भी दिये जाते हैं ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

पोंग बांध के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4594. श्री विक्रम महाजन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है ; यदि हां, तो कब और उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या पोंग बांध के कर्मचारियों ने हड़ताल करने से तीन महिने पूर्व अपना मांग-पत्र प्रस्तुत किया था; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों पर पहले विचार न करने के क्या कारण हैं और अब समझौते की शर्तें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां । पोंग बांध के कर्मचारियों ने 22 अक्तूबर, 1973 को 'काम रोको हड़ताल' (टुल डाउन स्ट्राइक) की थी तथा भारी मृदावाही प्रचालकों ने भी 1 दिसम्बर, 1973 से 13 जनवरी, 1974 तक 'धीमी गति हड़ताल' (गो स्लो स्ट्राइक) की थी । ये हड़तालें प्रबंधकों तथा संघ के बीच हुए समझौते के विरुद्ध थीं ।

पोंग बांध के कर्मचारियों की मुख्य मांगें ये थीं : (1) सेवा सुरक्षा तथा (2) कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन संशोधन 1 जनवरी, 1970 से करने की बजाए 1 फरवरी, 196१

से किए जाएं। भारी मृदावाही प्रचालकों ने, इसके अतिरिक्त, भविष्य निधि अधिनियम को 1964 से लागू करना, सेवांत लाभ, वर्दियां, सताया न जाए तथा ग्रेच्युटी अधिनियम आदि लाभों की भी मांग की थी।

(ख) जी, नहीं। पोंग बांध के कर्मचारियों ने 8 अगस्त, 1973 तथा 28 सितम्बर, 1973 को अपनी मांगें प्रस्तुत की थीं जबकि मृदावाही प्रचालक संघ ने 18 सितम्बर, 1973 को अपनी मांगें प्रस्तुत की थीं।

(ग) मांगों के प्राप्त होने पर उन पर विचार किया गया था तथा अक्तूबर, नवम्बर, 1973 के दौरान ब्यास परियोजना प्राधिकारियों ने मजदूर-संघों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी।

प्रबंधकों के साथ हुए समझौते की शर्तों के अनुसार, वर्कर्ज यूनाइटेड फ्रंट ने 11 नवम्बर, 1973 को विश्वास दिलाया कि पोंग बांध के पूर्ण होने तक कार्य नहीं रोका जाएगा। जनवरी 1974 में भारी मृदावाही प्रचालकों ने भी वचन दिया था कि वे बांध के पूर्ण होने तक किसी प्रकार की हड़ताल/धीमी गति या अन्य प्रकार की आंदोलनकारी कार्यवाही नहीं करेंगे।

सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के कारण कांगड़ा घाटी रेल के निर्माण में विलम्ब

4595. श्री विक्रम महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा घाटी रेलवे के निर्माण पर खर्च का मूल अनुमान कितना था और इसके पूरा होने का मूल लक्ष्य क्या था ;

(ख) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के कारण निर्माण में विलम्ब से निर्माण लागत में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) क्या परियोजना को शीघ्र पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिये दूसरी अथवा तीसरी शिफ्ट प्रणाली आरम्भ करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1965 में निर्धारित मूल अनुमानित लागत 3.62 करोड़ रुपये थी और काम पूरे होने की मूल लक्ष्य तारीख 30-6-1973 थी।

(ख) मजदूरी और सामानों की लागत बढ़ जाने के कारण अनुमानित लागत 3.62 करोड़ रुपये से बढ़कर 6.94 करोड़ रुपये हो गयी है। सामानों के मूल्य में वृद्धि के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई इसे अलग से बताना संभव नहीं है।

(ग) जी, हां। महत्वपूर्ण पुल के निर्माण कार्यों की पारी पहले ही बढ़ायी जा चुकी है और अन्य निर्माण-कार्यों पर पारी कार्यप्रणाली लागू करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

पुष्टि प्राप्त आरक्षण के बावजूद यात्रियों को उचित स्थान उपलब्ध न किया जाना

4596. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पुष्टि प्राप्त आरक्षण के बावजूद, विशेषकर लम्बे सफर वाले यात्रियों को परेशान किया जाता है और उन्हें आरम्भ से ही अथवा यात्रा के दौरान उनके उचित स्थान से भी वंचित किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने और इन शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का क्या तुरन्त कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ऐसे अवसर आते हैं जब निर्धारित आरक्षण वाले यात्रियों को कर्मचारियों की गलतियों/भूल, गाड़ियों के रद्द हो जाने, चल स्टाक की खराबी आदि के कारण आरक्षित स्थान नहीं मिल पाता।

(ख) किसी प्रकार की अनियमितताएं न होने पाएं इस उद्देश्य से वाणिज्य तथा सतर्कता विभागों के अधिकारियों एवं निरीक्षक कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। जहां कहीं कर्मचारियों को उत्तरदायी पाया जाता है, उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो।

श्री कृष्ण कान्त की अध्यक्षता में आरक्षण एवं बुकिंग पर संसद समिति द्वारा यात्रियों की असुविधा को न्यूनतम करने के उद्देश्य से, सीटों/शायिकाओं के आरक्षण से संबंधित सभी प्रकार के कदाचार की पहले से जांच की जा रही है। समिति की सिफारिशों पर विचार किया जायेगा और सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

4597. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से देश में विभिन्न एककों और ज़ोनों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को कितना बोनस दिया गया है;

(ख) यदि दिये गये बोनस की रशियों में कोई अंतर है तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों ने अधिक बोनस दिये जाने की मांग की है और यदि हां, तो कितना ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) विभिन्न यूनिटों तथा क्षेत्रों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को बोनस एकसमान दर से दिया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोग के कर्मचारियों को दिय गये बोनस/अनुग्रह पूर्वक अदायगी के रूप में दी गई राशि इस प्रकार है :—

(i) लेखा-वर्ष 1970–71 (जो 1971–72 में अदा किया गया था) के लिए 86.73 लाख रु०

(ii) लेखा–वर्ष 1971–72 (जो 1972–73 में अदा किया गया था) के लिए 95.83 लाख रु०

(iii) लेखा–वर्ष 1972–73 (1973–74 में दिये जाने का अनुमान है) के लिये 106.00 लाख रू०

(ख) दिये गये/दिये जाने वाले बोनस/अनुग्रह पूर्वक अदायगी की राशि में भिन्नताओं के कारण हैं (i) कर्मचारियों के वेतन आदि में वार्षिक वृद्धि और (ii) कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि।

(ग) और (घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अपने कर्मचारियों को 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 के लेखा वर्षों के लिए 10% के हिसाब से बोनस/अनुग्रह पूर्वक अदायगी करेगा; तथापि आयोग की कुछ यूनियनों ने इन वर्षों के लिये 20%तक की उच्च दर पर बोनस दिये

जाने की मांग की है और यह मामला, दोनों तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबन्धकों तथा यूनियनों द्वारा की गई अपील पर, उच्च न्यायालय के समक्ष है। किसी भी उद्यम में दिया जाने वाला बोनस 'पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट' द्वारा विनियमित किया जाता है और यह किसी संस्था के नियत किये जाने योग्य बेशी पर निर्भर करता है।

वर्ष 1973 में गाड़ियों में जंजीर खींचने की घटनायें

4598. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में समस्त देश में गाड़ियों में जंजीर खींचने की कितनी घटनाएं हुई ;

(ख) क्या ऐसी घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 2,82,619।

(ख) और (ग) 1973 में खतरे की जंजीर खीचने के मामलों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई थी । इस प्रकार के अधिकांश मामले देश में कानून और व्यवस्था में सामान्य गिरावट के कारण हैं। इस बुराई की रोकथाम के लिए रेल प्रशासन द्वारा उठाये गये मुख्य कदम इस प्रकार हैं :—

(i) गाड़ियों में सादे कपड़ों में रहने वाले चल टिकट परीक्षकों और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को तैनात करना ;

(ii) चल टिकट परीक्षकों और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों के दस्तों द्वारा अचानक और घात लगा कर जांच करना;

(iii) अखबारों, पोस्टरों, सिनेमा स्लाइडों आदि के जरिए और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर लाउड स्पीकरों पर घोषणाओं द्वारा शैक्षणिक अभियान चलाना;

(iv) शिक्षा संस्थाओं में रेल अधिकारियों के भाषण के माध्यम से खतरे की जंजीर खींचने की बुराई के संबंध में विद्यार्थियों में चेतना पैदा करना;

(v) जंजीर खीचने वालों को पकड़ने के लिए पुरस्कार देना;

(vi) जिन गाड़ियों में खतरे की जंजीर खींचने की अधिक घटनाएं होती हैं उनमें उन जंजीरों के उपकरणों को निष्क्रिय कर देना।

मेरठ सिटी स्टेशन पर माल डिब्बों से आयातित जस्ते के पिंडों और पट्टियों की चोरी

4599. **श्री घनशाह प्रधान :** क्या **रेल** मंत्री मेरठ सिटी स्टेशन पर माल डिब्बों से आयातित जस्ते के पिंडों और पट्टियों की चोरी के बारे में 4 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 3386 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा दल के उन चार कर्मचारियों के नाम तथा पद क्या हैं जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का स्वरूप क्या है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार रेलवे सुरक्षा दल के ऐसे कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने का है, जिनकी मेरठ सिटी में हुई नियुक्ति को तीन वर्ष से अधिक समय हो गया है जिससे उनका समाज-विरोधी तत्वों से सम्पर्क टूट सके ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) रेलवे सुरक्षा दल नियम 1959 के नियम 44 के अंतर्गत प्रधान रक्षक राम गोपाल, वरिष्ठ रक्षक लाखा सिंह, रक्षक त्रिखा राम और राम शबद को बड़ी सजा के अभियोग पत्र दिये गये हैं और विभागीय कार्यवाई की जा रही है।

(ख) रेलवे सुरक्षा दल के जिन कर्मचारियों का सम्पर्क समाज विरोधी तत्वों के साथ पाया जाता है या इस बात की आशंका होती है उन्हें सदा उनकी तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

सामान्यत: रेलवे सुरक्षा दल के जो कर्मचारी किसी विशेष स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं उन्हें अन्य स्टेशनों पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

प्रधान रक्षक राम गोपाल और रक्षक त्रिखा राम को मेरठ से पहले ही स्थानान्तरित किया जा चुका है। वरिष्ठ रक्षक लाखा सिंह और रक्षक राम शबद को अप्रैल, 1974 में स्कूल का चालू सत्र खत्म होने पर स्थानान्तरित किया जायेगा।

अशोधित तेल की सप्लाई के लिए सऊदी अरब द्वारा बनाया गया सूत्र

4600. **श्री राम कंवर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब ने उत्पादन में सभी प्रकार से कटौती करने के लिये विभिन्न मित्र देशों के लिये अशोधित तेल की सप्लाई का कोटा निर्धारित करने हेतु एक सूत्र बनाया है;

(ख) क्या भारत द्वारा सऊदी अरब से अशोधित तेल के आयात पर इस कोटा प्रणाली का विपरित प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) पश्चिम एशिया में युद्ध के परिणामस्वरूप सऊदी अरबिया सरकार ने एक फार्मुला बनाया था जिसके अन्तर्गत वर्ष 1973 की पिछली तिमाही में विभिन्न मित्र देशों को की जाने वाली संशोधित तेल की सप्लाई कोटे का निर्धारण उत्पादन में समग्र रूप से हुई कमी को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इस फार्मुले जिसे भारत पर भी लागू किया गाया था के अन्तर्गत की जाने वाली सप्लाई का आधार वर्ष 1973 के प्रथम नौ महीनों में उठाए गए अशोधित तेल के दैनिक औसत अथवा सितम्बर, 1973 में उठाए गए अशोधित तेल के दैनिक औसत इसमें जो भी अधिक हो, सऊदी अरबिया सरकार ने यह विश्वास दिलाया था कि भारत को की जाने वाली अशोधित तेल की सप्लाई पर सदैव विशेष ध्यान रहेगा।

रेल कर्मचारियों की अप्रैल में हड़ताल

4601. **श्री भान सिंह भौरा :**

श्री नारायण चन्द पराशर :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों ने अप्रैल में हड़ताल करने की धमकी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 27-2-74 को रेल कर्मचारियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें रेल कर्मचारियों की 6 तात्कालिक और सामान्य मांगों की सूची बनायी गयी और सरकार से कहा गया था कि 10-4-74 तक इनके संबंध में

फैलास किया जाये अन्यथा इसके बाद किसी भी तारीख से रेल कर्मचारी अनिश्चित काल तक सामान्य हड़ताल पर जाने के लिए अपने आप को स्वतंत्र समझेंगे। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय उर्वरक निगम के वसूल न किए जा सकने वाले ऋण की जांच

4602. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 के दौरान भारतीय उर्वरक निगम के मार्केटिंग डिवीजन में वसूल न किये जा सकने वाले ऋण की राशि कितनी थी ;

(ख) वर्ष 1972–73 में गुजरात के क्षेत्रों से कितना ऋण वसूल नहीं किया जा सका;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नावज खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई जल की कमी

4603. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र में आगामी तीन–चार महीनों में सिंचाई जल की भारी कमी होने की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो जल सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु गुजरात राज्य को अतिरिक्त सहायता की मंजूरी देने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने सूचना दी है कि कम वर्षापात के कारण, सौराष्ट्र क्षेत्र में जलाशयों में सामान्यतया कम पानी भर पाया है। खरीफ और रबी की सिंचाई पेय जल की भीषण कमी का सामना कर रहे महत्वपूर्ण कस्बों और नगरों को जलपूर्ति आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखने के उपरांत जल की उपलब्धता के अनुसार आयोजित की जाती है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इन परिस्थितियों में उष्ण मौसम में सिंचाई व्यवहार्य नहीं है।

सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों को वैगनों की सप्लाई

4604. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर–सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को कम वैगन सप्लाई किये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय म उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) विभिन्न उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं को मालडिब्बों की सप्लाई, मांग की वरीयता, ऐसी मांगों की अपनी प्राथमिकता तथा मांग की गयी माल डिब्बों की संख्या के आधार पर की जाती है। लेकिन, निजी और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को कितने-कितने मालडिब्बों की सप्लाई की गयी, इसके अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जातें।

कोसी बांध में गाद जमा हो जाने की समस्या

4605. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी बांध में गाद जमा हो जाने से नहर व्यवस्था के उचित कार्यकरण में बाधा आ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ; और

(ग) कोसी बांध से गाद हटाने पर अब तक सरकार ने कितना व्यय किया हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गाद-जमाव की समस्या के कारण पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में कुछ कठिनाइयां अनुभव की जाती हैं।

(ख) इस समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार ने बहुत से उपाय आरंभ किए हैं। राज्य इंजीनियरों द्वारा नहर पर सतर्कतापूर्वक निगरानी भी रखी जा रही हैं। हाथ में लिए गए/अपेक्षित मुख्य उपाय ये हैं:—

(1) जब-जब आवश्यक होता है नहर का डीसिल्टिंग किया जाता हैं। डीसिल्टिंग कार्य को जारी रखने के लिए सक्शन ड्रेजरों को भी प्राप्त किया गया हैं।

(2) जब भी शीर्ष नियामक पर तलछट अधिक जमा हो जाती हैं (3,000 भाग/मिलियन) नहर को बंद कर दिया जाता हैं।

(3) मुख्य नहर में गाद के एक अंश के प्रवेश को रोकने के लिए 1971 में एक सिल्ट इजेक्टर चालू किया जा चका हैं।

(4) बराज नियमन अनुसूची में सुधार किए गए हैं।

(5) वराज प्रतिप्रवाह गाइड बंध का विस्तार किया गया है। इससे तलछट अपवर्जन में सुधार होगा।

(6) दसरे सिल्ट इजेक्टर/सिल्टि इजेक्टर/सिल्टिंग बेसिन के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

यह देखा गया हैं कि इन किए गए सुधारों के परिणाम स्वरुप अब हाल के वर्षों में नहर में गाद का जमा होना कम हुआ हैं।

श्री वाई० के० मूर्ति, कार्यवाहक अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति ने दिसम्बर, 1973 में कोसी नहर को गाद समस्या से निपटने के लिए विभिन्न लघुकालीन और दीर्घकालीन उपायों का सुझाव दिया है। राज्य सरकार इन उपायों के कार्यान्वयन पर विचार कर रही है।

6—8 L. S. S. (N.D.)/74

(ग) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि कोसी नहर के डीसिल्टिंग के लिए 1973 तक 1.3 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। कोसी बराज के डीसिल्टिंग कार्य पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

मैसर्स ए० एच० व्हीलर्स के लिए कमीशन की उचित दर निर्धारित करना

4606. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ए० एच० व्हीलर्स गैर-सरकारी प्रकाशकों से पुस्तकें, पत्रिकाएं और रेलवे टाइम टेबिल बेचने के लिये कमीशन की बहुत अधिक दरें ले रहे हैं ;

(ख) सरकार द्वारा कमीशन की उचित दरें निर्धारित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) ए० एच० व्हीलर्स के बहुत से रेलवे प्लेटफार्मों पर प्रायः एकाधिकारी की स्थिति में होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध मे स्थिति मे कब तक सुधार होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) पुस्तकें बेचने के लिय कमीशन की दर प्रकाशकों और मसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी के बीच किये गय करार के आधार पर निश्चित की जाती हैं। अतः सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है।

(ग) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कंपनी का एकाधिकार नहीं है। मैसर्स व्हीलर के अलावा अनेक ठेकेदार कई रेलवे स्टेशनों पर किताबों की दुकानें चलाते हैं। कुछ स्टेशनों पर तो जहां कि मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कंपनी की दुकानें हैं, गीता प्रेस और सर्वोदय जैसे अन्य पुस्तक विक्रेता भी काम कर रहे हैं।

(घ) इस समय काम लगभग संतोषजनक चल रहा है। फिर भी अब नीति यह अपनायी जा रही है कि (i) जिन स्टेशनों पर इस समय किताबों की दुकानें नहीं हैं, (ii) भविष्य मे जो स्टेशन खोले जायेंगे और जहां किताबों की दुकानें खोलना आवश्यक होगा, और (iii) जिन स्टेशनों पर भविष्य मे स्थान खाली होगा, वहां किताबों की दुकानों के ठेके बेरोजगार स्नातकों द्वारा गठित सहकारी समितियों/पंजीकृत एसोसियेशनों/सांझेदारी मे चलाये जाने वाले उद्यमों को दिये जायें।

कर्नाटक को सिंचाई और बिजली के लिए अतिरिक्त सहायता

4607. **श्री के० मालन्ना** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार और केन्द्रीय सरकार राज्य में सिंचाई और बिजली के लिय अधिक व्यवस्था करने हेतु राज्य के 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लक्ष्य के लिये सहमत हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का सिंचाई परियोजनाओं के लिये पृथक पृथक कितनी वित्तीय सहायता की मंजुरी देने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कर्नाटक राज्य की वार्षिक योजना 1974-75 के लिए संसाधनों का मुल्यांकन करते समय 1974-75 में अतिरिक्त संसाधनों का संग्रहण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के फलस्वरूप अतिरिक्त संभूति के रूप में 5 करोड़ रुपए हिसाब में लगा लिए हैं।

(ख) राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋणों तथा अनुदानों के रूप मे दी जाती है तथा यह विकास के किसी क्षेत्र अथवा परियोजना विशेष रूप से संबद्ध नहीं होती । राज्य का 1974-75 के लिए वार्षिक परिव्यय 110.75 करोड़ रुपए रखने का विचार है जिसमें केन्द्रीय सहायता 35-46 करोड़ रुपए की है ।

बिहार में डीजल की मांग में वृद्धि

4608. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण बिहार राज्य में हाई स्पीड डीजल की मांग बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य की कृषि संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डीजल की सप्लाई बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या आवश्यक कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मिटी तेल तथा हाइस्पीड डीजल तेल के मूल्य लगभग बराबर हो जाने के कारण पश्चादुक्त उत्पाद की मांग बढ़ गई हैं ।

(ख) शोधन शालाओं मे मिट्टी तेल के उत्पादन को घटा कर, हाई स्पीड डीजल तेल का उत्पादन बढ़ा दिया गया है । अन्य सफेद तेल उत्पादों की तुलना में, हाई स्पीड डीजल तेल के भेजने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही हैं ।

एनर्जी क्राइसिस एण्ड दी रोल आफ इंडियन इंडस्ट्री (उर्जा संकट और भारतीय उद्योग की भूमिका) पर गोष्ठी

4609. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिये 'एनर्जी क्राइसिस एंड दी रोल आफ इंडियन इंडस्ट्री' पर हाल ही मे कोई गोष्ठी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) विचार गोष्ठी में की गई चर्चा के मुख्य विषय जैसे कि बतलाए गए हैं, इस प्रकार हैं :—

(1) न केवल ऊर्जा के परिवर्तन की आवश्यकता पर किन्तु ऊर्जा के नए स्त्रोतों को ढुंढने के लिए भी बल दिया गया था;

(2) तेल इंधन वाले उपस्कर को कोयला इंधन वालों में परिवर्तन करना;

(3) कोयले के खनन एवं परिवहन, तेल अन्वेषण आदि में सुधार करना;

(4) कोयला खनन तथा परिवहन में उत्पादकता को बढ़ाना;

(5) उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के उत्तम प्रयोग के लिये अनुसंधान (अणु ऊर्जा सहित) तथा सूर्य शक्ति, वायु और ज्वार भाटा, हाइड्रोजन इंधन आदि जैसे नए संसाधनों का विकास करना;

(6) बायलर और थर्मल स्टेशनों के अन्य उपस्करों के अनुरक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता ;

(7) तेल खपत के वर्तमान स्तर का स्थायीकरण करना; और

(8) राष्ट्रीय ऊर्जा बोर्ड का गठन करना जो स्पष्ट समन्वित तथा विश्वसनीय ऊर्जा नीति व्यापक ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारूप तैयार करेगा और उपयुक्त राज्य स्तर ऊर्जा बोर्डों के माध्यम से उसके निष्पादन को सुनिश्चित करेगा ।

Absence of Railway trains for students going from Modi Nagar to Muradnagar between 12.00 Noon and 3.00 p.m.

4610. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is no Railway train between 12.00 Noon and 3 P.M. for student going from Modi Nagar to Muradnagar; and

(b) if so, the efforts being made to remedy the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) 2 scheduled trains *viz.*, 2 DSU Ambala-Delhi Passenger (leaving Modi-Nagar at 12.20 hours and arriving Muradnagar at 12.32 hours (and372 Dn Hardwar-Delhi Passenger (leaving Modi Nagar at 14.58 hours and arriving Muradnagar at 15.20 hours) are available between 12 hours and 3 P.M. for travelling from Modi Nagar to Muradnagar. 2DSU, however, at present stands cancelled on account of the difficult coal position and will be restored as and when the position in this regard improves.

Attempt made to loot Goods train at Dausa (Rajasthan) by students

4611. Shri Chandu Lal Chandrakar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether students tried to loot a goods train at Dausa (Rajsthan) Railway Station;

(b) if so, broad features of the incident; and

(c) the measures being taken by Government to deal with such situations?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) On 25-2-1974, at about 09.30 hrs. a mob of about 700 students collected at the Level Crossing Gate No. 181 near Dausa Station and they interferred with signal wires. At about 10.30 hrs. goods train No. 516 Dn. arrived and stopped at the outer signal for want of signals. The said mob of students attacked the goods train, broke seal of 15 wagons and looted 10 bags of Moth and 3 bags of Moong worth Rs. 1,950/- from wagons No. 28356 and 14425. RPF staff camping at Dausa Station for 'bandobast' duty in connection with Rajasthan Bandh and the Distt. Police rushed to the spot. On seeing the RPF and police approaching, the students ran away.

Thorough search of the area was done by RPF and police and recovered 2 bags full and 69 Kg. Moth and 67 Kgs Moong worth Rs. 750/- . The GRP, Bandikui has registered a case at Cr. No. 12/74 u/s 395 IPC. No arrest has been made.

(c) This is a solitary case of students' vandalism in the wake of Rajasthan 'Bandh'. Preventive measures taken to safeguard against such incidents are, armed escorting of goods and passenger trains to the extent possible posting of armed pickets at vulnerable places and sections, track patrolling of selected section etc.

इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा बिजली उत्पादन के लिए थोरियम का प्रयोग करने का अनुरोध

4612. श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीटयूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) ने सरकार को बिजली उत्पादन के लिये अधिकांशतया परमाणु विद्युत कार्यक्रमों पर निर्भर रहने का अनुरोध किया है और इसके लिये थोरियम का प्रयोग करने का भी सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अभियंता संस्थान के तत्वाधान में पूना में हाल में हुए सेमिनार में निकट भविष्य में परमाणु ऊर्जा के बढ़ते हुए प्रयोग और उपलब्ध थोरियम संसाधनों के समुपयोजन के लिये ब्रीडर रीएक्टरों पर अनुसंधान पर तीव्रता लाने के साथ साथ वर्तमान भारी जल रीएक्टर कार्यक्रम को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया था ।

(ख) सेमिनार द्वारा की गई सिफारिश की जांच की जा रही है ।

Railway Lines Earning Maximum Revenue

4613. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the names of railway lines earning the maximum revenue in the country and the income earned therefrom during 1973?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : A statement is enclosed.

STATEMENT

The term 'Railway Lines' has been taken to mean the 'Zonal 'Railways' and the term 'Income Earned' has been taken to mean as the 'Surplus or Shortfall' of the Zonal Railways. Since surpluses/shortfalls are worked out only for complete financial years, information is given for the year 1973-74, which is based on the revised Estimates for the year.

(In Crores of Rs.)

Name of the Railway	Revenue Earnings (*i.e.* Gross Earnings)	Income Earned (*i.e.* Surplus)
1. Western	192.51	21.25
2. Central	184.34	16.90

Loss suffered due to Fire in Fertilizer Factory at Sindri

4614. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether great loss has been suffered as a result of a fire in the Fertilizer Factory, Sindri in February, 1974 ; and

(b) if so, the causes of fire; the loss suffered and the action taken against the guilty persons ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Implemantation of Recommendation of Power Economy Committee

4615. Shri M· C. Daga : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the power Economy Committee submitted its report in March, 1971;

(b) if so, the salient features of recommendations made by the Committee; and

(c) how far those recommendations have been implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Yes, Sir.

(b) The recommendations mainly relate to the various measures to be undertaken for:—

(i) development of power in the country in the most economical manner;

(ii) integrated operation of power systems;

(iii) reduction of transmission and distribution losses;

(iv) reduction in delay of execution of power project;

(v) making electricity available in rural areas at economical rates; and

(vi) research and development in power sector.

(c) Various recommendations of the Power Economy Committee have been taken into account while framing the Fifth Five Year plan proposals in the Power sector. The recommendations have also been communicated to the State Governments and State Electricity Boards, for necessary action in regard to their projects and other activities. Implementation of the recommendations of the Committee is a continuous process and action is being taken to utilise the findings of the Committee in full measure.

Names of Trade Union in Railways

4616. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the total number and the names of the trade unions in which employees of the Railway Department are divided and the number of members in each Union ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Safi Qureshi): A statement is attached.

STATEMENT

The names of recognised trade unions on Indian Railways and the number of members in them are given below:—

Railway	Names of the recognisedUnion/Association	Membership as on
Central . .	1. National Railway Mazdoor Union	75,908 (31-12-73)
	2. Central Railway Mazdoor Sangh	64,934 (31-12-73)
Eastern .	1. Eastern Railwaymen's Union	66,116 (31-12-72)
	2. Eastern Railwaymen's Congress	60,330 (31-12-72)
	3. Railway Press Workers Union	1,097 (31-12-73)
	4. Eastern Railway Employees Congress	Not available.
Northern. .	1. Northern Railwaymen's Union	50,200 (31-12-73)
	2. Uttariya Railway Mazdoor Union	47,000 (31-12-73)
North Eastern .	1. North Eastern Railway Mazdoor Union	45,311 (31-12-73)
	2. North Eastern Railway Employees Union (PRKS).	38,206 (31-12-73)
Northeast Frontier .	1. Northeast Frontier Railway Mazdoor Union.	40,500 (31-12-73)
	2. Northeast Frontier Railway Employees Union.	30,229 (31-12-73)
Southern	1. Southern Railway Mazdoor Union	38,126 (31-12-73)
	2. Southern Railway Employees Sangh	45,290 (31-12-73)
South Central .	1. South Central Railway Mazdoor Union	36,569 (31-12-73)
	2. South Central Railway Employee's Sangh	35,000 (31-12-73)
South Eastern	1. South Eastern Railwaymen's Union	50,146 (31-12-72)
	2. South Eastern Railwaymen's Congress	46,850 (31-12-72)
Western .	1. Western Railway Employees Union	81,000 (31-12-72)
	2. Western Railway Mazdoor Sangh	72,356 (31-12-72)

In addition to these recognised unions, there are about 60 unrecognised trade unions of railway employees membership of which is not known.

Demands Made by Rajasthan Chamber of Commerce and Industry, Jaipur to General Manager, Western Railway

4617. **Shri M. C. Daga :** Will the Ministr of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Rajasthan Chamber of Commerce and Industry, Jaipur, placed their demands before the General Manager, Western Railway on 23rd January, 1974;

(b) whether the General Manager promised to fufilll the demands and if so, which demands and by what time; and

(c) the demands which could not be fulfilled for want of funds?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) and (c) Besides the subjects pertaining to day-to-day working of the railway, the following items were discussed by the representatives of Rajasthan Chamber of Commerce and Industry, Jaipur with the General Manager, Western Railway, Bombay at the periodical meeting held on 23-1-1974:—

1. Construction of road over-bridges at railway level crossings in the State;

2. Expansion of railway's net-work in the State to meet the growing needs of traffic; and

3. Conversion of Delhi-Ahmedabad route along with Jaipur-Sawaimadhopur M. G. section nto Broad-Guage.

The position as explained by the General Manager, Western Railway at the meeting is as under seriatim:—

The construction of road overbridges to replace level crossings is taken up at the instance of the State Government who draw up the list of such overbridges indicating the priority, as the State Government has to bear a portion of the cost. The roadoverbridge near Gandhinagar in Jaipur would be completed next year.

With regard to the expansion of Railway net-work in Rajasthan, it may be further stated that construction of Udaipur-Himmatnagar and Pokaran-Jaisalmer M.G. lines and Hindumalkot-Sriganganagar B. G. line, falling wholly or partly in Rajasthan, was completed in the recent past. Construction of 33 kms. long Dabla-Singhana M. G. line, partly falling in Rajasthan, is in progress. This line is likely to be completed by May, 1974. Surveys carried out in the past for Kota-Chittorgarh and Kota-Ajmer new lines falling in Rajasthan had shown that these lines would be unremunerative and will offer very little traffic. Due to paucity of funds, it would be difficult to consider construction of these lines.

A traffic-*cum*-engineering survey has been carried out for the conversion of Delhi Ahmedabad metre gauge line into broad guage. The project is under active consideration and it has already been stated in the Budget Speech that the project is being considered for being taken up during the 5th Plan period subject to availability of funds.

बदरपुर तापीय बिजली घर के इंजीनियरों द्वारा आन्दोलन

4618. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर तापीय बिजली घर के इंजीनियरों ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिये 3 मार्च, 1974 से "नियमानुसार काम करो" आंदोलन आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) हड़ताल से बिजली घर का कार्य कहां तक प्रभावित हुआ है ?.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्र प्रसाद) : (क) और (ख) अभियंताओं ने रविवारों तथा अन्य छुट्टियों में कार्य न करने और नियमानुसार कार्य करने का 1-3-1974 को एक संकल्प पारित करके नियमानुसार कार्य करने का आन्दोलन आरंभ कर दिया है।

अभियंताओं की मुख्य मांगें हैं:—निर्माण कार्य पर फील्ड स्टाफ और पारी में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए निर्माण भत्ता तथा विशेष वेतन और प्रचालन तथा अनुरक्षण कर्मचारियों के लिये प्रचालन और अनुरक्षण भत्ते की अदायगी।

इन मांगों पर विचार किया जा चुका है तथा सरकार निर्माण कार्य पर लगे हुए कर्मचारियों को "बदरपुर के लिए विशेष निर्माण भत्ता" तथा विद्युत केंद्र के प्रचालन और अनुरक्षण पर कार्यरत उन तकनीकी कर्मचारियों को विद्युत उत्पादन भता देने के लिये सहमत हो गई है, जिन्हें इस उद्देश्य के निमित्त कोई अन्य विशेष वेतन अथवा समयोपरि भत्ता नहीं मिलता है।

(ग) विद्युत केन्द्र सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

95 एकाधिकार गृहों की कुल आस्तियों में वृद्धि

4619. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री बयालार रवि :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार गृहों की अस्तियों में कमी किये जाने के सरकारी निर्णय के बावजूद देश में 95 एकाधिकार गृहों की कुल अस्तियों में गत तीन वर्षों के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां तो इन 95 एकाधिकार गृहों की आस्तियों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) इन एकाधिकार गृहों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इनकी अस्तियों में कमी किये जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) 1. प्रश्न में उल्लिखित "एकाधिकारी घरानों" से उन बृहत व्यापार घरानों के लिये निर्देश प्रतीत होता है, जिनपर एकाधिकार जांच आयोग तथा औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्टों में चर्चा की गई थी। इन घरानों में से पहले केवल ऐसे बीस घरानों, जिनकी

परिसंपत्तियां 35 करोड़ रुपयों से अधिक थी, को औद्योगिक लाइसेंस नीति के प्रसंग मे बृहत घरानों के रूप मे माना गया था । फरवरी, 1973, जब सरकार ने अपनी संशोधित लाइसेंस नीति की घोषणा की थी, से बृहत औद्योगिक घरानों के संबंध में आधारभूत परिवर्तन हो गए हैं । इस संशोधित नीति की दृष्टि से, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत उपक्रम, अर्थात :

(1) वे उपक्रम, जिनके पास स्वयं अथवा अपने अंत:-संबंधित उपक्रमों सहित, 20 करोड़ रुपयों से कम नहीं की परिसंपत्तियां हों, जिससे वे धारा 20(क) के उपबंधों को आकर्षित करते हों, अथवा

(2) वे प्रमुख उपक्रम, जिनके पास स्वयं अथवा अपने अंत:-संबंधित उपक्रमों सहित, 1 करोड़ रुपए से कम नहीं की परिसंपत्तियां हों, जिससे वे एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 20(ख) के उपबन्धों को आकर्षित करते हों, बृहत औद्योगिक घराने समझे जाते हैं ।

2. एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत, इसकी धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों के लिये, अपनी परिसंपत्तियों के मूल्यों में वर्ष प्रतिवर्ष के परिवर्तनों के बाबत सूचना, भेजना अपेक्षित नहीं है ।

(ग) एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों की सूची, हाल ही म, दिनांक 11 दिसम्बर, 1973 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4304 के उत्तर में, सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई है ।

(घ) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अध्याय 3 के विनियमकारी उपबंधों का मुख्य उद्देश्य अत्याधिक विस्तार के विनियम, विधियों के व्ययवर्तन तथा प्रविस्तार की प्रक्रिया के माध्यम से, जनहित से विरुद्ध आर्थिक शक्ति से संकेंद्रण को रोकना है। इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए पग, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के कार्य एवं प्रशासन पर द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट, जो लोक सभा पटल पर गत वर्ष प्रस्तुत की गई थी, में वर्णित है ।

बड़े पैमाने पर बनी औषधियों (बल्क ड्रग्स) के बारे में कार्य दल (टास्क फोर्स) के प्रतिवेदन को औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों को सौंपा जाना

4620. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री निहार लास्कर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 24 बड़े पैमाने पर निर्मित औषधियों के मूल्यों के पुन: निर्धारण के बारे में कार्यदल के प्रतिवेदन को औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को वापस सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ब्यूरो ने पुन: प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सरकार ने औद्योगिक लागत एवं मूल्य के ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता के अधीन स्थापित किये गये कार्यकारी दल की रिपोर्ट तैयार होने के बाद लागतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रपुंज औषधों के उचित विक्रय मुल्यों की सिफारिश करने के लिए औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो से आग्रह किया था ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल उत्पादक देशों द्वारा गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को रियायती दरों पर अशोधित तेल की सप्लाई

4621. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

श्री धामनकर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उत्पादक देशों ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को रियायती दरों पर अशोधित तेल सप्लाई किये जाने के बारें में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Meetings of Railway Users Committees, Western and Central Railways Divisions

4622. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Ministe of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Railway User's Committees of the Central and the Western Railway divisions have been organised;

(b) if so, when; and

(c) the number of meetings held by such Committees?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) The Divisional Railway Users' Consultative Committees of the Central and Western Railway Divisions have been reconstituted for the two year term from 1-1-1974 to 31-12-1975. However, the nomination of representatives of certain Associations and interests to be granted representation on these Committees and those of State Governments and Legislatures are not yet complete. As such, no meeting of the new Divisional Railway User's Consultative Committees has so far been held.

Funds for Rajasthan Canal

4623. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the amount of funds advanced by the Centre for the Rajasthan Canal by way of grants or loans, separately together with the dates thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : Funds advanced to the State Government for the Rajasthan Canal Project by way of Central loan assistance from 1957-58 to 1968-69 are indicated below: —

Year	Amount of Central Loan Assistance (Rupees in crores)
1957-58	0.25
1958-59	2.00
1959-60	5.30
1960-61	5.40
1961-62	7.00
1962-63	6.39
1963-64	6.00
1964-65	5.60
1965-66	8.13
1966-67	5.00
1967-68	2.99
1968-69	6.30
TOTAL	60.36

No grants were given to Rajasthan Government for this Project.

Beginning with the Fourth Plan, the Central assistance to the State Governments has been in the form of block grants/loans and is not tied up to any particular schemes, groups of schemes or head of development. However, in view of the importance of Rajasthan Canal Project, special non-Plan loan assistance as detailed below has been given for the projects:—

Year	(Rs. in crores)
1968-69	3.50
1969-70	3.20
1971-72	3.00
1972-73	3.50
1973-74	1.97
TOTAL	15.17

Advisory Committee to ensure proper use of Hindi

4624. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether an Advisory Committee has been set up with a view to ensuring proper use of Hindi in Railway work;

(b) if so, the number of meetings of this Committee held so far and the names of the places where these meetings were held; and

(c) if no meeting was held, the reason therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) The first meeting of the Railway Hindi Salahkar Samiti was held at New Delhi on 14-3-1974.

(c) Does not arise.

Wagons Supplied to Prominent Traders by D. S., Bilaspur and National Coal Development Corporation

4625 : Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether on the eve of the recent by-election in Madhya Pradesh during February 1974, some of the prominent traders were supplied with a large number of Rail wagons by the Divisional Superintendent of Bilaspur by ignoring priority;

(b) whether it is true that while the private traders or orgnisations were supplied with large number of Railway wagons, the National Coal Development Corporation was not provided with wagons for loading of coal during this period; and

(c) the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली औषध फर्मों को विस्तार की अनुमति

4626. श्री भालजी भाई परमार : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली विदेशी फर्मों को नई मूल औषधियां बनाने और पुराने औषधियों को विस्तार करने की अनुमति दी गई;

(ख) गत तीन वर्षों मे 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली विदेशी फर्मों को नई मूल औषधियां बनाने और पुराने औषधियों का विस्तार करने की अनुमति देने के बारे में तकनीकी प्राधिकरण और औद्योगिक सलाहकार (स्वास्थ्य) की क्या सिफारिशें थीं और कितने मामलों मे प्रशासनिक मंत्रालय मात्रा और क्षमता के बारे में तकनीकी प्राधिकरण से सहमत नहीं था और उक्त मतभेद के क्या कारण थे; और

(ग) प्रत्येक मामले में विस्तार के लिये मुख्यतया क्या शर्तें रखी हैं और उनमे से कितनी शर्तों को पूरा किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 26 %से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली फर्मों को नये मूल औषधों के निर्माण के लिये दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों का तथा अनुमोदित विस्तार संबंधी ब्यौरों का उल्लेख संलग्न विवरण-पत्र में किया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6539/74]**

(ख) औद्योगिक लाइसेंसों के प्रतिवेदनों पर विभिन्न प्राधिकारियों के मत गोपनीय समझे जाते हैं ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर से संबंधित विवरण-पत्र में उन शर्तों का भी उल्लेख है जो प्रत्येक मामले मे लगाई गई है । शर्तों को पूरा किये जाने के बारे में सूचना एकत्र की जा रही हे और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

औषध फर्मों की नयी मिश्र औषधियां बनाने की अनुमति देना

4627. श्री भालजी भाई परमार : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली फर्मों को कितनी असम्बद्ध मिश्र दवाइयां बनाने की अनुमति दी गई;

(ख) भारतीय फर्मों के मुकाबले विदेशी प्रभुत्व वाली फर्मों को उनके लाइसेंस देने में तरजीह देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी फर्मों को लाइसेंस देने से पूर्व उनकी विस्तार योजनाएं प्रकाशित करने का अनुरोध करने का है, जैसा कि एम० आर० टी० पी० फर्मों और पूंजीगत माल के लिये 7.5 लाख रुपए से अधिक के आवेदन-पत्र के मामले में किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 1971 से 1973 तक पिछले तीन वर्षों की अवधि में 26% से अधिक की विदेशी साम्य पूंजी वाली फर्मों को केवल 4 सूत्रयोगो के लिये लाइसेंस दिये गये जिनमें मूल निर्माण के लिये कोई शर्तें या कच्चे माल के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था ।

(ख) 26% से कम की विदेशी साम्य पूंजी वाली फर्मों से उन्हीं मदों के निर्माण हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए थे ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) औद्योगिक लाइसेंसो के लिये आवेदन पत्रो पर, लाइसेंसिंग कमेटी द्वारा सरकार अधिकारियो के साथ, अनेक परामर्श करने के बाद गुणो के आधार पर विचार किया जाता है, तथा इन लाइसेंस का निपटारा निर्धारित समय के भीतर करना होता है ।

पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनों का निर्माण

4628. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रेल लाइनों के निर्माण के उद्देश्य से भारत में किन क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र माना जाता है; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इनमें किन क्षेत्रों में नई लाइनें बनाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस संबंध में रेल मंत्रालय मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों के निर्णय को ध्यान में रखता है ।

(ख) पांचवीं योजना के पहले वर्ष अर्थात् 1974-75 में देश के पिछड़े क्षेत्रों में नीचे लिखी नयी रेलवे लाइनें बनाने का प्रस्ताव है :

1. धर्मनगर—कुमारघाट
2. नाडिकुडे—बीबीनगर
3. रोहतक—भिवानी
4. मुरादाबाद और रामपुर से रामनगर और काठगोदाम तक बड़ी लाइन
5. झझारपुर से लौकहा बाजार
6. सकरी—हसनपुर
7. जाखापुरा—बासपानी

1974-75 में धन की कमी के कारण अन्य पिछड़े क्षेत्रों में और नयी रेल लाइनों के निर्माण शुरू करना संभव नहीं हैं। फिर भी निम्नलिखित नयी लाइनों के लिये सर्वेक्षण किये गये हैं अथवा 1974-75 में करने का विचार हैं और पर्याप्त धन उपलब्ध हुआ तो पांचवीं योजना में इन लाइनों के भी बनाने का प्रस्ताव हैं :—

1. दल्ली—रांजहरा—जगदलपुर
2. भावनगर—तारापुर
3. दसगांव—मंगलूर
4. कुमारघाट—अगरतला—साबरूम
5. सिलचर—जिरिबाम
6. नांगल डैम—तलवाड़ा
7. माल्दा—बेलूरघाट
8. डेहरी-ओन-सोन—पिपराडीह
9. देवघर—दुमका—रामपुर हाट
10. गया—राजगीर

वर्ष 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 में फरवरी, 1974 तक माल-भाड़े की आय तथा क्षति के लिए दिए मुआवजे की राशि

4629. श्री शंकरराव सावंत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और फरवरी, 1974 तथा 1973-74 में रेलवे को माल ढुलाई से कुल कितनी आय हुई;

(ख) उक्त अवधि में मार्ग में गुम हुई तथा क्षतिग्रस्त वस्तुओं के मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी गई;

(ग) माल को गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने में रेलवे कितना समय लेती हैं;

(घ) क्या देर से माल पहुंचाने के लिये भी रेलवे ने कोई क्षतिपूर्ति की हैं और यदि हां तो उपरोक्त अवधि में कितनी राशि दी गई; और

(ङ) क्या किसी रेल कर्मचारी से उपरोक्त अवधि में माल गुम होने या देर से पहुंचने के लिए कोई वसूली की गई हैं; और यदि हां, तो कितनी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलों का माल और पार्सल यातायात से हुई आय इस प्रकार हैं :—

1971-72	696.73 करोड़ रुपए
1972-73	734.25 करोड़ रुपए
1973-74 (फरवरी '74 तक)	*635.50 करोड़ रुपए

*ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) खोये, चोरी गये, क्षतिग्रस्त हुए आदि माल की क्षतिपूर्ण के रूप में किये गये भुगतान की रकम इस प्रकार हैं :—

1971-72 . . .	12.68 करोड़ रुपए
1972-73 . . .	12.29 करोड़ रुपए
1973-74 (फरवरी '74 तक) .	*12.46 करोड़ रुपए

(ग) रेले किसी निर्धारित समय के भीतर माल की ढलाई की गारंटी नहीं देती । लेकिन माल की शिघ्र ढुलाई के लिये हर संभव प्रयास किया जाता है ।

(घ) जी हां । परिवहन में विलम्ब हो जाने के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में किये गये भुगतान की रकम नीचे दी गयी हैं :—

1971-72	18.50 लाख रुपए
1972-73 . .	27.70 लाख रुपए
1973-74 (फरवरी '74 तक) .	*20.03 लाख रुपए

(ङ) जी हां । वेतन वृद्धि रोक देने, पास और सुविधा टिकट आदेश रोक देने, निन्दा आदि के रूप में दिये गये दंड के अलावा, रेल कर्मचारियों से निम्नलिखित रकम भी वसूल की गयी हैं:—

1971-72	45,881 रुपए (इसमें पूर्व रेलवे से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं है क्योंकि ये उपलब्ध नहीं हैं)
1972-73 . .	45,270 रुपए
1973-74 (फरवरी '74 तक)	60,273 रुपए

रेलवे पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

4630. श्री शंकरराव सावंत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पुलिस के विरुद्ध इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वह यात्रियों और माल की उपयुक्त सुरक्षा नहीं कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं मिली । लेकिन यात्रियों, उनके सामान और रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था न होने जैसी सामान्य किस्म की शिकायतें मिल रही हैं ।

(ख) रेलों पर अपराध की रोकथाम और कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखना राज्य-सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी हैं ।

*ये आंकड़े अनन्तिम हैं ।

रेल प्रशासन ने रेलवे सुरक्षा दल बनाया हुआ है जिस के पास बहुत कम कानूनी अधिकार हैं। इस दल का काम केवल रेल संपत्ति, जिसमें बुक किये गये परेषण भी शामिल हैं की हिफाज़त करना है। इस दल का उपयोग यार्डों, माल गोदामों में पहरा देने और माल तथा पार्सल गाड़ियों के साथ रक्षार्थ जाने के लिये किया जाता है।

रेलों में यात्रा को निरापद बनाने के लिये राज्य सरकारों ने जो कदम उठाये हैं उनमें रात के समय महत्वपूर्ण गाड़ियों में रक्षार्थ रेलवे पुलिस को तैनात करना, विशिष्ट अपराधों के लिये अपराधियो पर मुकदमा चलाना और रेलो पर अपराध करने में जिन लोगों के शामिल होने का संदेह हो, उन्हें आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन हिरासत में रखना शामिल है।

रेल यात्रा को और अधिक निरापद बनाने और यात्रियों की जान-माल तथा माल सहित संपत्ति की बेहतर हिफाज़त की गारंटी देने के उद्देश्य मे एक सम्मिलित पुलिस दल रखने के प्रस्ताव की भी जांच की जा रही है।

रेलवे के खंडों पर सक्रिय बदमाशों पर कड़ी निगाह रखने के लिये रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ निकट संपर्क बनाये रखा जाता है।

स्वयं दीवालिया हो जाने वाली कम्पनियां

4631. श्री शंकर राव सावंत : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72, 1972-73 और फरवरी, 1974 तक 1973-74 में स्वयं दीवालिया हो जाने वाली कंपनियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और दीवालिया होते समय उन पर ऋणों की कुल राशि कितनी थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : 1971-72, 1972-73 व 1973-74 (दिसम्बर 1973 तक) के मध्य स्वयं परिसमाप्ति हुई कम्पनियों की राज्य अनुसार संख्या, संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6540/74**]

उपरोक्त अवधि के मध्य, परिसमापन के समय पर, इन कम्पनियों के कुल ऋणों की राशियों की बाबत सूचना संग्रह की जा रही है वह सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

वर्ष 1974–75 के लिए जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों क विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता

4632. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या अगले वित्त वर्ष में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पिछड़े और पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण में सहायतार्थ केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय सहायता देने हेतु काई विशेष उपबन्ध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक राज्य के लिये उन उपबन्धों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाता है और उन पर उनकी राज्य-योजनाओं में से धन लगाया जाता है। ग्राम विद्युतीकरण निगम राज्य बिजली बोर्डों को

उनकी ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिये ऋण सहायता देता है । निगम ने अब तक जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों के पिछड़े/कम विकसित पहाड़ी, रेगिस्तानी और जनजाति क्षेत्रों से संबद्ध स्कीमों के लिये निम्नलिखित सहायता स्वीकृत की है :—

राज्य का नाम	स्वीकृत ऋण राशि	
	पिछड़ा क्षेत्र	कम विकसित पहाड़ी, रेगिस्तानी और जनजाति क्षेत्र (लाख रु० में)
1	2	3
जम्मू और काश्मीर . . .	132.60	712.14
हिमाचल प्रदेश . .	97.88	541.46
उत्तर प्रदेश	1819.64	219.97

1974-75 के दौरान सहायता राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा प्रायोजित और ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों पर निर्भर करेगी ।

अलाभकारी शाखा लाइनों संबंधी समिति

4633. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलाभकारी शाखा लाइनों संबंधी समिति, 1969 ने शाखा लाइनों के विस्तार/बदलने/पुनः चालू करने के लिये किन 28 सर्वेक्षणों की सिफारिश की है;

(ख) रेलवे ने कौन से 12 यातायात सर्वेक्षण करने के आदेश दिए थे ;

(ग) इनके क्या निष्कर्ष हैं और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(घ) अलाभकारी शाखा लाइनों संबंधी समिति द्वारा जिन शेष 10 सर्वेक्षणों की सिफारिश की थी उनकी क्या स्थिति है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6541/74]**

गत तीन वर्षों में बदलने के लिए मंजूर की गई रेलवे लाइनें

4634. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1974 तक गत तीन वर्षों में कितने और कौन-कौन से रेल मार्ग बदलने के लिए स्वीकृत किए गए है;

(ख) प्रत्येक की लम्बाई, उस पर आने वाले लागत और काम पूरा होने की अन्तिम तिथि क्या क्या है

(ग) क्या सभी छोटी और मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिये कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है, और यदि नहीं, तो क्या ऐसी योजनाएं बनाई जाएगी; और

(घ) 28 फरवरी, 1974 तक गत तीन वर्षों में इन मार्गों को बदलने की मंजूरी देने हेतु चयन के आधार क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में 28 फरवरी, 1974 तक निम्नलिखित मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलन की मंजूरी दी गयी है :

क्रम सं०	खंड का नाम	लम्बाई (कि० मी० में)	लागत (करोड़ रु० में)	पूरा करने की निर्धारित तारीख
1	वीरमगाम-ओखा तथा कानालुस-पोरबन्दर (इसमें जामनगर-बेदी तथा कानालुस-सिक्का शामिल है) . .	556.97	42.93	31-12-1977
2	गुन्तकल्लु से धरमावरम तक समांतर बड़ी लाइन और धरमावरम-बेंगलूर सिटी लाइन का आमान परिवर्तन . .	280.29	17.59	दिसम्बर, 1976.
3	तिरुवनंतपुरम-कोल्लम-एर्णाकुलम .	221.00	13.60	1976 के शुरु में
4	बाराबंकी समस्तीपुर लाइन जिसमें कतर-नियाघाट और कोरियालाघाट के बीच वाली नयी मीटर लाइन शामिल है .	603.89	46.34	मार्च, 1977

इसके अलावा 28.00 करोड़ रुपये की लागत पर मनमाड से पुर्ती तक 354 किलोमीटर लम्बे खंड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने की मंजूरी दी गयी है । इस काम के लिए रकम की व्यवस्था 1974-75 के बजट में की गयी है ।

1974-75 के बजट में आमान परिवर्तन की निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल की गयी हैं :

(1) न्यू बोंगाई गांव—गुहावाटी ।

(2) समस्तीपुर—दरभंगा ।

(3) गुंटूर—मचेली ।

(4) मुरादाबाद और रामपुर से रामनगर और काठगोदाम तक बड़ी लाइनों की व्यवस्था ।

(ग) छोटे आमान और मीटर आमान की सभी लाइनों को बड़े आमान की लाइनों में बदलने का कोई चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है और ऐसी कोई योजना आवश्यक भी नहीं समझी जाती क्योंकि मार्गों के आमान परिवर्तन का मूल्यांकन उस समय किया जाता है जब या तो उनकी लाइन क्षमता संतप्त बिंदु पर पहुंच जाती है या जब यातायात स्थल पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है ।

(घ) आमान परिवर्तन के मुख्य आधार हैं—उस खंड पर यातायात का घनत्व और क्या वह खंड संतृप्त हो चुका है, और आमान परिवर्तन के परिणामस्वरूप यानांतरण कार्य समाप्त हो जाने से परिचालन संबंधी लाभ की मात्रा और संचलन में तेजी लाने की आवश्यकता ।

कोचीन के उर्वरक कारखाने को हुआ घाटा

4635. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोचीन के उर्वरक कारखाने में मूल अनुमति लागत की अपेक्षा और स्थापित क्षमता की तुलना में वर्तमान वार्षिक उत्पादन को देखते हुए इसके उत्पादन में कमी और लागत में वृद्धि होने से क्या इसे वार्षिक घाटा हो रहा है, और

(ख) इस कारखाने में नियमित उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । प्रायोजना के पूर्ण होने तथा चालू करने में विलम्ब हुआ ।

(ख) विभिन्न समस्या वाले स्थानों का विधिवत् पता लगाया है तथा आवश्यक सुधार उपाय कार्यान्वित किये जा रहे है परीक्षणात्मक उत्पादन किये जा रहे तथा उत्पादन का स्थिर करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

1942 के पश्चात नियुक्त स्टेशन मास्टरों को किराया मुक्त आवास

4636. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1942 से पूर्व के रेलवे स्टेशन मास्टरों को देश भर में किराया मुक्त आवास दिये गये हैं;

(ख) क्या 1942 के बाद नियुक्त किये गये अथवा पदोन्नति किये गये स्टेशन मास्टरों को मकान किराया देना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि डाक तार विभाग जैसे अन्य विभागों में इंचार्जों को किराया मुक्त आवास दिया जाता है; और

(घ) स्टेशन मास्टरों का किराया मुक्त आवास दिये जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) वर्तमान अनुदेशो के अनुसार सरकारी रेलो के स्टेशन मास्टरो सहित अराजपत्रित कर्मचारियों की उन सभी कोटियों के कर्मचारियो को बीना किराये के मकान पाने की रियायत ग्राह्य है जो अपनी पिछली सेवा के दौरान किसी भी समय किसी ऐसे पद पर मूल रुप से रह चुके हों जिनपर बिना किराये के मकान देने की रियायत या मुफ्त मकान के बदले मकान किराया भत्ता पाने की रियायत मिलती रही हो । यदि अपनी अपनी अनुवर्ती सेवा के दौरान वे उसी तरह के किसी पद पर काम करते रहते हैं तो उन्हें यह रियायत मिलती रहेगी । यह रियायत समय-समय पर सरकार द्वारा ले ली गयी, भूतपूर्व कम्पनी रेलों और भूतपूर्व रियायती रेलों के कर्मचारियों को भी दी जाती है ।

(ग) रेल कर्मचारी पृथक नियमों द्वारा शासित होते हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे कर्मचारियों को वर्दी का एक और जोड़ा

4637. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग रेलवे के आवश्यक सेवा कर्मचारियों को एक जैसी वर्दी दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के विचाराधिन रेगिस्तान जहां जल्दी जल्दी धुलाई के कारण वर्दियों जल्दी फट जाती है, नियुक्त कर्मचारियों को एक जोड़ा और वर्दी देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा यह कार्यवाही कब तक किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पात्र रेल कर्मचारियों की भिन्न भिन्न कोटियों को वर्दियां देने के लिए भिन्न भिन्न मान अपनाये गये हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल कम्पनियों को नियंत्रण में लेने के सरकार के निर्णय को निष्फल बनाने का प्रयास

4638. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री शशि भूषण :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल उत्पादक संघ देश में विदेशी तेल हितों को उत्तरोत्तर नियंत्रण में लाने के सरकार के निर्णय को निष्फल बनाने की प्रयास कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) समाचार पत्र में इस प्रकार के कार्यकलाप के प्रस्ताव प्रकाशित हुए हैं लेकिन इस प्रकार के कार्यकलाप का कोई ठोस प्रमाण देखने में नहीं आया है ।

(ख) उक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल और आसाम में बाढ लाने वाली नदियों पर नियंत्रण

4639. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल तथा आसाम में जिन नदियों में बाढ़ आती रहती है उन पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या सुरक्षात्मक कार्य आरंभ किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : पश्चिम बंगाल और असम की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में बाढ़-प्रवण नदियों पर निम्नलिखित प्रकार के बाढ़ सुरक्षा उपाय आरंभ कर दिये हैं अथवा करने का प्रस्ताव किया है :—

(1) तटबंधों का निर्माण ।

(2) वर्तमान तटबंधों को ऊंचा और पक्का करना ।

(3) नदी नियंत्रण कार्य ।

(4) जल विकास सुधार कार्य ।

(5) बाढ़ नियंत्रण के लिये संयंत्रों के साथ बाढ़ अवरोध जलाशय और बहुद्देशीय जलाशय ।

अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् न्यायाधीशों की पुनःनियुक्ति

4640. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, अदिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्, पुनःनियुक्ति के बारे में वर्तमान प्रक्रिया क्या है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा पुनःनियुक्त किए गए न्यायाधीशों के ब्यौरे क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सामान्यतः न्यायिक या न्यायिक-कल्प प्रकृति के कृत्यों वाले पदों पर नियुक्त किया जाता है क्योंकि यह हमेशा संभव या वांछनीय नहीं होता कि ऐसे पदों के लिए अधीन न्यायाधीशों की सेवाओं की अपेक्षा की जाए ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है । और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

रिवाड़ी, झुनझुन और बिकानेर स्टेशनों पर लाइसेंसधारी विक्रेता

4641. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में रिवडी झुनझुन और बीकानेर स्टेशनों पर लाइसेंसधारी विक्रेताओं के नाम और पते क्या हैं ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक के पास जलपान गृहों, स्टालों और ट्रालियों के लिये ये लाइसेंस किस किस तारीख से हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) उन व्यक्तियों के नाम और पते संलग्न विवरण में दिये गये हैं जिन्हें खोमचे के लाइसेंस दिये गये हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6542/74]**

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

4642. श्री वी० मायावन
श्री निहार लास्कर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रही विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण संबंधी अद्यतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या अन्ततः उनका राष्ट्रीकरण कर दिया जाएगा ;

(ग) क्या बर्मा शैल और कालटेक्स को भी एस्सो का मार्ग अपनाने के लिये कहा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) भारत में एस्सो के कार्यकलापों पर सरकार ने 74% का नियंत्रण प्राप्त कर लिया है।

(ग) और (घ) चूंकि उनके साथ अभी विचार विमर्श किये जाने हैं, अतः इस स्तर पर विषय के बारे में कुछ भी बताना असम्भव है। तथापि बर्मा शैल के अपने कार्यक्रमों में सरकार के 74% की साम्य पूंजी अर्जित करने के लिए विचार विमर्श हेतु सहमति व्यक्त की है। कालटैक्स की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

तेल की खोज के बारे में भारत और श्रीलंका में समझौता

4643. **श्री वी० मायावन :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका के बीच दोनों देशों में तेल की खोज में सहयोग का कोई समझौता हुआ है ;

(ख) क्या श्रीलंका को मन्नार जिले में तेल मिलने की आशा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह कार्य भारत के सहयोग से किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं

(ख) और (ग) मन्नार जिले में किसी तेल प्रयोजन के लिए श्रीलंका एवं भारत के बीच कोई सहयोग नहीं किया गया है।

कटनी स्टेशन पर पार्सलों और ट्रालियों के जमा हो जाने से यात्रियों को असुविधा

4644. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटनी स्टेशन पर पार्सलों के ढेरों और ट्रालियों के जमा हो जाने से प्लेट फार्म पर यात्रियों को बहुत असुविधा होती है ; और

(ख) क्या इस संबंध में शिकायतें भी की गई हैं ; और यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं, लेकिन जाने वाले कुछ पार्सल ऊपरी पैदल पुल के पास ट्रीप प्लेटफार्म पर, जहां गाड़ियों के ब्रेकयान रुकते है, चट्टा लगाकर रखे जाते है। हो सकता है कि इस कारण इस स्थान पर कभी कभी यात्रियों के मुक्त आवागमन में कुछ बाधा पड़ती हो। लेकिन ट्रालियों के कारण किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो रही है।

(ख) इस सम्बन्ध में अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। फिर भी, उपर्युक्त असुविधा को दूर करने के लिए पार्सलों के चट्टे बनाने का काम को सुधारा जा रहा है ताकि यात्रियों के गुज़रने के लिए अधिक से अधिक स्थान छोड़ा जा सके।

मध्य प्रदेश को अपर्याप्त माल डिब्बों की सप्लाई के कारण हर्रा की बरबादी

4645. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य को अपर्याप्त माल डिब्बों की सप्लाई के कारण हर्रा को बरबादी से सरकार को लाखों रुपयों की हानि हुई है ; और

(ख) तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण भारत के बीडी उद्योग के लिए अपर्याप्त माल डिब्बे

4646. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यदि तुरंत पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध न कराये गये तो दक्षिण भारत के समस्त बीड़ी उत्पादों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सम्भवतः इस प्रश्न का संबंध मध्य प्रदेश में स्थित स्टेशनों से दक्षिण भारत में स्थित स्टेशनों को बीड़ी के पत्तों की ढुलाई से है। गाड़ियों के परिचालन तथा माल-डिब्बों के संचलन, को प्रभावित करने वाले प्रतिकूल कारणों के बावजूद बीड़ी के पत्तों के यातायात की ढुलाई यथा शीघ्र करने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। दिसम्बर 1973 से फरवरी 1974 तक की अवधि में मध्य प्रदेश में स्थित स्टेशनों से बड़ी लाइन पर कुल 1820 माल डिब्बों में बीड़ी के पत्तों का लदान किया गया जिनमें 728 माल डिब्बे दक्षिण भारत के स्टेशनों के लिए थे।

सोडियम ट्राइपोलीफास्फेट के उत्पादन के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु मिले आवेदन

4647. **श्री मधु दंडवते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर के अलावा अन्य निर्माताओं ने साबुन रहित सफाई पदार्थ (डिटर्जेंट) बनाने के लिए अपेक्षित सोडियम ट्राइपोली फास्फेट बनाने की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके आवेदनों पर विचार किया है या उन्हें एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को भेज दिया गया है ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) पेट्रोल तथा रसायन मंत्रालय द्वारा 23-3-74 तक भेजी गई सूचना प्रदर्शित करते हुए एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6543/74]**

(ख) तथा (ग) इन आवेदन-पत्रों पर विभिन्न स्तरों के अन्तर्गत विचार किया जा रहा है। मैं० बेल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स लिमिटेड तथा दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल-मिल्स कम्पनी लिमिटेड के विषयों के सिवाय, कोई आवेदन-पत्र, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, के अन्तर्गत अनुमोदनार्थ, प्राप्त नहीं हुआ था, तथा इन दो विषयों के बारे में, आयोग के लिये कोई निर्देश आवश्यक नहीं समझा गया था।

उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी और उड़ीसा विधान सभाओं के निर्वाचनों में डाले गए मत

4648. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में हाल में हुए निर्वाचनों में कांग्रेस, संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स), स्वतंत्र, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा तथा अन्य दलों को कितने-कितने मत मिले ;

(ख) पांडिचेरी में हाल में हुए निर्वाचनों में कांग्रेस, संगठन कांग्रेस, अन्ना डी० एम० के०, भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स) को कितने-कितने मत मिले; और

(ग) उड़ीसा मे हाल में हुए निर्वाचनों में कांग्रेस, संगठन कांग्रेस, स्वतंत्र, उत्कल कांग्रेस, जन कांग्रेस, भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स) को कितने कितने मत प्राप्त हुए ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाले तीन विवरण सदन के पटल पर रख दिये गए हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 6544/74]**

गेस्टेटनर डुप्लीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड को नासिक ले जाना

4649. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेस्टेटनर डुप्लीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक विदेशी कम्पनी ने नासिक चले जाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

मणिपुर और नागालैण्ड की विधान सभाओं के निर्वाचन में हुआ मतदान

4650. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर और नागालैण्ड की विधान सभाओं के हाल के निर्वाचनों में प्रत्येक राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दल को कितने मत प्राप्त हुए ; और

(ख) नागालैंड विधान सभा के इस निर्वाचन में कितने अभ्यर्थियों की, दल-वार, जमानतें जब्त हुई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण I

साधारण निर्वाचन---विधान-सभा राज्य : मणिपुर

दलों के अनुसार प्राप्त किए गए मत और प्राप्त किए गए मतों की प्रतिशतता (अनंतिम)

दल का नाम	साधारण निर्वाचन 1974	
	प्राप्त किए गए मत	%
1	2	3
1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	164,727	27.62
2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (सं०)	8,764	1.47
3. भारतीय साम्यवादी दल	33,039	5.54
4. समाजवादी दल	35,643	5.98
5. भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी)	3.347	0.56
6. भारतीय जनसंघ	—	—
7. माणिपुर पीपुल्स पार्टी	134,483	22.55
8. मणिपुर हिल यूनियन	38,657	6.48
9. कुकी नेशनल असेंबली	7,395	1.24
10. निर्दलीय	170,378	28.56
कुल	596,433	100.00

विवरण II

साधारण निर्वाचन : 1974—विधान-सभा राज्य : नागालैंड

दलों के अनुसार प्राप्त किए गए मत और प्राप्त किए गए मतों की प्रतिशतता (अनंतिम)

दल का नाम	साधारण निर्वाचन, 1974	
	प्राप्त किए गए मत	%
1	2	3
1. नागालैंड नेशनलिस्ट आर्गेनाइजेशन	103,461	35.77
2. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	86,987	30.07
3. निर्दलीय . .	98,811	34.16
कुल	*289,259	100.00

*केवल 58 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रें के लिए (2 अविरोध) ।

उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए दिल्ली क्लाथ मिल तथा शा वेल्लेस को दिए गए लाइसेंस

4651. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली क्लाथ मिल्स तथा शा वेल्लेस नामक दो एकाधिकार गृहों को उर्वरक उत्पादन के लिये लाइसेंस दिये है ;

(ख) क्या इन नये कारखानों पर विदेशी मुद्रा खर्च होगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) सरकारने (क) मैसर्स दिल्ली कलाथ तथा जनरल मिल्स को० लि० के लिए कोटा में उनके वर्तमान उर्वरक संयंत्र के वास्तविक विस्तार के लिए और (ख) मैसर्स नागर्जुन फर्टिलाइजर्स लि० (मैसर्स शा वैल्लेस द्वारा निगमित) को आंध्र प्रदेश में काकीनदा में नए औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किए हैं। सप्लाई और सेवाएं, जो देश में उपलब्ध नहीं है को प्राप्त करने के लिए दोनों परियोजनाओं को विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी और उनको जारी किए गए आशय पत्रों में निर्धारित शर्तों के अनुसार दोनों कम्पनियों से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही मात्रा का पता लगेगा ।

तेल का पता लगाने के लिए सोमाफर घाटी में छिद्रण स्थल

4653. श्री डी० डी० देसाई : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज सम्बन्धी छिद्रण कार्य के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने सोमाफर घाटी में कोई स्थान चुना है ;

(ख) यदि हां, तो चुने गये स्थलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) छिद्रण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सोमाफर घाटी जहां स्थित है उसका सही स्थान ज्ञात नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री आर० पी० गोयंका और उनके भाईयों के 30 प्रतिशत से अधिक शेयरों वाली कम्पनियां

4654. श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डनकन ब्रदर्स के श्री आर० पी० गोयंका तथा उनके परिवार के सदस्यों के पास पश्चिम बंगाल की जूट मिलों के अधिकांश शेयर है और इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन, इंडियन टी प्लांटर्स एसोसिएशन आदि का प्रबन्ध भी उन्हीं के हाथ में हैं ;

(ख) क्या श्री आर० पी० गोयंका तथा उनके बंधुओं के पास 30 प्रतिशत से अधिक शेयरोंवाली कम्पनियों की संख्या के बारे में सरकार ने अभी तक कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

गोइन्का फर्में और जी० उमाशंकर

4655. श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर० पी० गोयन्का और उनके बन्धुओं, सर्वश्री जे० पी० गोयंका और जी० पी० गोयंका द्वारा अकेले या इकट्ठे कलकत्ता स्थित किन-किन फर्मों का प्रबन्ध सम्भाला हुआ है ;

(ख) क्या कोई 'जी० उमाशंकर' नामक फर्म 'डनकन ब्रदर्स' की फर्म की सहयोगी फर्म है ; और

(ग) यदि हां, तो 'जी० उमाशंकर' फर्म के निदेशकों और प्रबन्ध निदेशक के नाम क्या हैं और यह फर्म क्या कारोबार करती है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा वह सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

दिनांक 20 अप्रैल, 1974 के पश्चात कोल्हापुर स्टेशन से रेलगाड़ियां न चलने देने के बारे में फौंड्री मालिकों तथा श्रमिकों का निर्णय

4656. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लगभग 40 फौंड्री मालिकों तथा उनके श्रमिकों यह निर्णय किया है कि 20 अप्रैल, 1974 के बाद कोल्हापुर रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ियों को नहीं चलने दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कोल्हापुर इंजीनियरी एसोसिएशन के अवैतनिक सचिव ने स्टेशन मास्टर, कोल्हापुर को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि वे देसी लोहा और कोक परेषणों को तौल के अनुसार सुपुर्दगी देने के लिए उच्च रेल अधिकारियों को लिखें। उन्होंने यह भी धमकी दी है कि यदि उनकी मांग 60 दिनों के अन्दर पूरी नहीं की जाती, तो वे दबाव डालने के लिए अन्य हथकंडे अपनायेंगे ।

Convention of Trade Unions held in Delhi on 27th February 1974.

4657. Shri Ramavatar Shastri : Willthe Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether any convention was held in Delhi on 27th February, last, by All India Railwaymen's Federation, All Iandia Rilway Employees' Confederation, the workers unions formed in various Railways and attached with All India Trade Union Congress, All India Loco Running Staff Association, some other categorical unions and Bhartiya Mazdoor Sangh;

(b) if so, whether any charter of demands in regard to the demands of the Railway workers and a resolution in regard to agitation was adopted;

(c) if so, the salient features thereof; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) The convention has set forth a number of demands which are given below on which they may be preparing to proceed on strike from any date after the 10th April 1974:

1. (a) All Railwaymen be treated as industrial workers with full trade union rights including the right to negotiate.

   (b) The working hours of Railwaymen shall not exceed eight hours per day.

   (c) There shall be job evaluation of all railwaymen through a scientjfic system to be followed by their reclassification-regradation with the need-based minimum wage as the wage for the lowest paid worker.

   (d) Pending the completion of job evaluation and reclassification, immediate parity in wages with those of workers in the Central Undertakings, *viz.* HMT, BHEL, HSL, HAL, etc.

2. Dearness allowance linked to the cost of living index with full neutralisation for every rise of 4 points in a six month period.

3. Bonus at the rate of one month's wages for the year 1971 and 1972-73.

4. Decasualisation of all casual railwaymen and their confirmation in service with all benefits given to them with retrospective effect.

5. Adequate and subsidised foodgrains and other essential commodities through departmentally run shops.

6. All victimisation cases should be withdrawn.

(d) The demands being of serious economic consequences in the present strained circumstances they would require a great deal of scrutiny which the Government is undertaking.

Work-to-rule Agitation by All India Signal and Telecomunication Staff Association

4658. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the All India Signal and Telecommunications staff Association had launched 'Work-to-rule' agitation in November last;

(b) if so, their demands;

(c) whether the above agitation had been called off after the conclusion of an agreement with him in regard to their demands; and

(d) if so, the demands in respect of which the agreement had been concluded and the stage of their implementation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) and (d) A statement is attached indicating the demands and the position in their respect [*Placed in Library. See No. L. T.* 6545/74].

(c) No written agreement was entered into.

नैमित्तिक श्रमिकों को खपाने के लिए सभा नीति

4659. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नैमित्तिक श्रमिकों विशेषकर रेलवे के अन्य विभागों में वर्षों से कार्य कर रहे गैंगमैनों को खपाने के लिये कोई नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए बनाए गये कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) 120 दिन की लगातार सेवावधि पूरी होने पर अस्थाई पद के बारे में निर्माण विभाग में नमित्तिक श्रमिकों के साथ किये जाने वाले अभावपूर्ण बरताव को दूर करने के लिये क्या कायवाही की गई है ; और

(घ) क्या डिविजनल रेलवे एम्प्लाईज कोअरडोनेशनल कमेटी, धनबाद के आव्हान पर 17 जनवरी, 1974 को नैमित्तिक श्रमिकों ने कोई प्रदर्शन किया था तथा डिवीजनल इंजीनियर (निर्माण), धनबाद को एक ज्ञापन दिया था और यदि हां, तो उनकी माँगे क्या हैं तथा प्रशासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) ऐसे सभी नैमित्तिक मज़दूर, जो परियोजना सम्बन्धी कार्यों या अन्य कार्यों पर लगे हुए हैं और जिन्होंने छः महीने की सेवा पूरी कर ली है, नियमित पदों पर खपाये जाने के पात्र हैं। लगभग 70,000 नैमित्तिक मज़दूर खपाये जा चुके हैं।

(ग) श्रमिक संगठनों ने भेद-भावपूर्ण व्यवहार की ओर मियांभाई अधिकरण का ध्यान दिलाया था। अधिकरण ने सहमति प्रकट की थी कि परियोजना मज़दूरों को गैर-परियोजना मज़दूरों की तरह अस्थायी ओहदा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि सिफारिश की कि छः महीने की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें नियमित वेतन मान के न्युनतम पर की गयी गणना के आधार पर मज़दूरी दी जानी चाहिए। सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है।

(घ) जी हां, कुछ थोड़े समय के लिए प्रदर्शन हुआ था। प्रस्तुत ज्ञापन से सम्बन्धित ब्यौरे इकट्ठे किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

इराकी तकनीकी दल की भारत यात्रा

4660. श्री आर० बी० स्वामीनाथन :
श्री निहार लास्कर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों विदेशों में विशेषकर पैट्रो-रसायन की संयुक्त परियोजनाओं पर बातचीत करने के लिए एक इराकी तकनीकी दल 3 मार्च, 1974 को भारत आया था ;

(ख) क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) डा० मेहदी शेख अली तेल प्रायोजनाओं के लिये राज्य परामर्शदात्री कंपनी के अध्यक्ष, के नेतृत्व में, 2 मार्च, 1974 को एक ईराकी शिष्ट-मण्डल भारत वर्ष पहुंचा। शिष्ट मंडल ने अनेक संस्थाओं, जैसे इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और भारतीय तेल निगम जो भारत में तेल उद्योगों के कार्य-कलापों से संबंधित है, के प्रतिनिधियों के साथ दोनों देशों के सहयोग जिसमें भारतवर्ष से विशेषज्ञों का भेजा जाना भी सम्मिलित था, विचार-विमर्श किया।

(ख) किसी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं योजना के दौरान तमिलनाडु में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

4661. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में चौथी योजना के दौरान पर्याप्त ग्रामीण विद्युतीकरण नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में पांचवीं योजना में आरंभ की जाने वाली ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तमिलनाडु में 14,124 ग्राम हैं। इन ग्रामों में से चतुर्थ योजना के आरंभ तक 9,472 ग्रामों (अर्थात् 67%) का विद्युतिकरण हो चुका था। चतुर्थ योजना के दौरान (जनवरी, 1974 तक) 4,048 और ग्रामों का विद्युतिकरण हो चुका है। राज्य बिजली बोर्ड चतुर्थ योजना के अंत तक सभी ग्रामों के विद्युतिकरण करने का प्रस्ताव रखता है। अत: चतुर्थ योजना के अंत तक ग्राम विद्युतिकरण 67% से बढ़कर 100% हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चतुर्थ योजना के दौरान उर्जित पम्प सेटों की संख्या भी काफी हद तक बढ़ जाएगी अर्थात् 4,10,119 से 6,74,115 तक हो जाएगी ।

अत: तमिलनाडु में ग्राम विद्युतिकरण की काफी प्रगति हुई है।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्राम विद्युतिकरण के लिए कुल प्रस्तावित परिव्यय 50 करोड़ रुपये है। ग्राम विद्युतिकरण के पूर्ण होने पर, इस राशि से 1,43,000 पम्प सेटों के ऊर्जन करने में सहायता मिलेगी।

Proposal to stop Prayag Express and 17 Up and 18 Dn. Vaishali Express at every station between Barauni and Katihar.

4662. Shri G. P. Yadav: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to make arrangements for stopping Prayag Express and 17 Up and 18 Dn. Vaishali Express Trains every station between Barauni and Katihar till the running of Janta Passenger train from Lucknow to Siliguri is not resumed; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways. (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) 33 Up/34 Dn. Katihar-Lucknow Janata Fast Passenger trains are scheduled to run only on Katihar-Khagaria portion of Katihar-Barauni section. 17 Up/18 Dn. Vaishali Express and 37 Up/38 Dn. prayag Express trains are already scheduled to stop at number of stations on Khagaria-Katihar section. In addition, 85 Up/86 Dn. Passenger trains running during day and 35 Up/36 Dn. Passenger trains running during night cater to the needs of, traffic at wayside stations on Khagaria-Katihar section. In view of these considerations provision of temporary stoppages of 17 Up/18 Dn. Vaishali Express and 37 Up/38 Dn. Prayag Express trains at the remaining stations on Khagaria-Katihar section is not considered necessary.

दिल्ली तथा वालटेयर के बीच सीधा रेल सम्पर्क

4663. श्री बी० एस० मूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय को दिल्ली से विजयवाडा होते हुए, विजयवाड़ा में बिना गाड़ी बदले वाल्टेयर (दक्षिण-पूर्व रेलवे) तक सीधा रेल सम्पर्क स्थापित करने की बढ़ती हुई आवश्यकता के बारे में पता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है और यह सुविधा कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) इस समय विजयवाड़ा के रास्ते नयी दिल्ली और वाल्तेरु के बीच तीसरे दर्जे का एक 3-टियर शयन यान 15 डाउन/16 अप मद्रास-नयी दिल्ली जी० टी० एक्सप्रैस और 45 अप/46 डाउन हवड़ा-हैदराबाद एक्सप्रैस गाड़ियों के साथ सप्ताह में दो बार चल रहा है जो सीधे जाने वाले यातायात की जरुरतों को पर्याप्त रूप से पूरा कर रहा है। दिल्ली/नयी दिल्ली और

वाल्तेरु के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने का न तो यातायात की दृष्टि से औचित्य है और न ही मार्गवर्ती कुछ खण्डों पर संतृप्त लाइन क्षमता तथा दिल्ली/नयी दिल्ली स्टेशनों पर पर्याप्त टर्मिनल सुविधाएं न होने के कारण परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक है।

कोचीन तेलशोधक कारखाने में अशोधित तेल के परिष्करण में कमी होना

4664. श्री धामनकर :

श्री शशि भूषण :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 की तुलना में वर्ष 1973 में कोचीन तेल शोधक कारखाने में अशोधित तेल कम मात्रा में परिष्कृत हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और वर्तमान स्थिति क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) जी हां, । वर्ष 1973 में कोचिन शोधनशाला द्वारा साफ किए गए खनिज तेल की मात्रा में वर्ष 1972 की तुलना में मामुली कमी हुई । शोधनशाला ने वर्ष 1973 में, वर्ष 1972 के 2.35 मिलियन टन की तुलना में, 1.97 मिलियन टन खनिज तेल साफ किया। 2.5 मिलियन टन से 3.3 मिलियन टन प्रति वर्ष तक का विस्तार करने के लिए शोधन शाला का बन्द रखा जाना तथा खनिज तेल को भेजने की व्यवस्था करने में कठिनाई होना, उत्पादन में कमी के मुख्य कारण है। वर्तमान में शोधनशाला अपनी क्षमता से कम पर कार्य कर रही है। शोधनशाला को उसके इष्टतम स्तर पर चलाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

कृषि के लिए अशोधित तेल की सप्लाई सम्बन्धी नीति

4665. श्री एन० शिवप्पा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में तेल की सप्लाई करने संबंधी कोई नीति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) वर्तमान में, हाइ स्पीड डीजिल तेल तथा लाइट डीजिल तेल की, कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी मांग है। शोधनशालाओं द्वारा डिजिल तेल के उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए, कार्यवाही की गई है। इस सम्बन्ध मे निम्न लिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) डीजिल तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, अन्य मध्यवर्ती आसुतों तथा विमानन तेल का उत्पादन तदनुरुप से घटा दिया गया है।

(ii) अधिकतम उत्पादन की सुनिश्चितता हेतु, डीजिल तेल के कुछ विशिष्टियों में अस्थाई रूप से कुछ छूट दे दी गई है।

(iii) मिट्टी के तेल में भी कुछ छूट दी गई है तथा डीजिल तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारी लसीले तेलों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(iv) डीजिल तेल भेजने के कार्य को, विशेषरुप से उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र को जहां पर कृषि क्षेत्र की मांग सबसे अधिक है, प्राथमिकता दी जा रही है।

पश्चिम बंगाल में सिंचाई तथा विद्युत योजनाएं

4666. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में सिंचाई तथा विद्युत के विकास के लिये गत दो वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को कितनी बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाएं तथा विद्युत योजनाएं पेश की गई हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ग) इस अवधि में मंजूर योजनाओं में से कितनी योजनाएं पूरी हो गई हैं और मंजूर योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गत दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार से दो बृहत् और ग्यारह मध्यम सिंचाई स्कीमें और पांच विद्युत स्कीमें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) और (ग) इनमें से, तीन मध्यम सिंचाई स्कीमों और तीन विद्युत स्कीमों को योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। ये स्कीमें अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं।

इन स्वीकृत स्कीमों का ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति नीचे दी जाती है :—

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	लागत लाख रु० में	लाभ 000 हैक्टेयर में	वर्तमान स्थिति
			प्रतिष्ठापित क्षमता (मैगावाट में)	
(क)	**सिंचाई स्कीमें**			
1.	तारागोनिया . .	36.83	0.91	8-2-74 को योजना आयोग द्वारा स्वीकृत । कार्य अभी आरंभ नहीं किया गया । पांचवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में पूर्ण होने की संभावना ।
2.	परगा . .	41.62	·92	
3.	मुतोरजोर . .	40.29	1.07	
(ख)	**विद्यत जनन स्कीमें**			
1.	कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र	11,559.00	3×200	जून, 1973 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत । कुछ उपस्कर के लिए आदेश दे दिए गए हैं । भूमि का कब्जा ले लिया गया । प्रथम यूनिट के चालू होने की लक्ष्य-तिथि अक्तूबर, 1978 है ।

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	लागत लाख रु० में	लाभ 000 हैक्टेयर में	वर्तमान स्थिति
			प्रतिष्ठापित क्षमता (मैगावाट में)	
2.	जलढ़ाका जल-विद्युत चरण-दो	316.00	2×4	अक्तूबर, 1973 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत। सिविल कार्यों के लिए प्रारंभिक कार्रवाई की गई है। चालू होने की लक्ष्य-तिथि 1978–79 है।
3.	रिचिंग्टन जल-विद्युत चरण-दो	136.00	2×1	अक्तूबर, 1973 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत। 1974–75 में कार्य आरंभ होगा।

हाल्दियां में सोडियम ट्रियालीफास्फेट संयंत्र लगाने के लिए हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड से प्रस्ताव

4667. श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री एस० एन० सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड से पश्चिम बंगाल के हाल्दिया में सोडियम ट्रियालीफास्फेट संयंत्र लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है और इस पर कितनी पूंजी लगेगी और अन्य व्यय कितना होगा ; और

(ग) क्या परियोजना को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव की मुख्य बातें/ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(i) प्रस्ताव में निम्नलिखित के उत्पादन की परिकल्पना की गई है :—

सोडियम ट्रिपोलीफास्फेट . .	30,000 मीटरी टन/प्रतिवर्ष
सल्फ्यूरिक एसिड . . .	54,000 मीटरी टन/प्रति वर्ष
फास्फोरिक एसिड . . .	19,500 मीटरी टन/प्रति वर्ष

(ii) लगभग 50 प्रतिशत सोडियम ट्रिपोलीफास्फेट का उत्पादन संश्लिष्ठ प्रक्षालक के उत्पादन में कैप्टिव खपत के लिए अपेक्षित है। सल्फ्यूरिक एसिड तथा फास्फोरिक एसिड, सोडियम ट्रिपोलोफास्फेट के उत्पादन में कैपिटव खपत के लिए होगा।

(iii) स्थिर आस्तियों के लिए अनुमानित आवश्यकता :—

भूमि	10 लाख रुपये
भवन . . .	290 लाख रुपये
मशीनरी . . .	आयातित 200 लाख रुपये देशीय 500 लाख रुपये

(iv) आयातित कच्चे माल की अनुमानित आवश्यकताएं :—

गंधक	54 लाख रुपये प्रतिवर्ष ।

(ग) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर को नये यूनिटों की स्थापना करने के लिए उन मदों के सम्बन्ध में जिनके लिए उन्होंने आवेदन किया है आशय पत्र जारी किया गया है।

पश्चिम बंगाल में मयुराक्षी तथा कांगसाबारो परियोजना के लिए स्वीकृत राशि

4668. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल को मयुराक्षी तथा कांगसाबारी परियोजनाओं के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर कौन से गांव लाभान्वित होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मयूराक्षी परियोजना के लिये मूलरूप में 15.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे और इसकी अद्यतन अनुमानित लागत 20.46 करोड़ रुपये है। कंगसावती परियोजना के लिए मूलरूप से 25.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे तथा इसकी अद्यतन अनुमानित लागत 52.00 करोड़ रुपये है ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सोडियम ट्रिपालीफास्फेट संयत्र तथा उनसे उत्पादन

4669. **श्री शक्तिकुमार सरकार :**

श्री एस० एन० सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में एक सोडियम ट्रिपालीफास्फेट संयत्र लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) देश में कितने सयंत्र सोडियम ट्रिपालीफास्फेट का उत्पादन कर रहे हैं तथा कितनी मात्रा में ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) इसके साथ एक विवरण पत्र संलग्न है जिसमें सरकारी क्षेत्र में सोडियम ट्रिपिलफास्फेट का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव की मुख्य 2 बातें ही है। मैसर्स ट्रावनकोर टिटानियम, ट्रावनकोर (केरल) राज्य सरकार के उपक्रम को 36,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता तक

सोडियम ट्रिपल फास्फेट का निर्माण करने के लिए आशय पत्र जारी कर दिया गया है। शेष तीन प्रायोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्रों को देखा जा रहा है।

(ग) मैसर्स अलब्राइट मोरारजी एण्ड पण्डित लि० बम्बई नामवाला एक इस समय सोडियम ट्रिपल फास्फेट का निर्माण कर रहा है। गत दो वर्षों के दौरान इसका उत्पादन निम्नलिखित रुप में हुआ :—

1972	. . .	16938 मी०टन
1973	. .	12576 मी०टन

विवरण

क्रम संख्या	एकक का नाम	आवेदित क्षमता प्रति वर्ष मी० टन	स्थान	क्या विदेशी सहयोग की परिकल्पना है	यथा परिकल्पित कच्चे माल पर आधारित निर्माण
1	2	3	4	5	6
1	मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लि०	20,000	खेतड़ी (राजस्थान)	हां	खेतड़ी फायर प्रायोजन राजस्थान में उत्पादन किए जाने वाले फास्फोरिक एसिड से
2	मैसर्स सरकारी सौप फैक्टरी, बंगलोर	30,000	पोरम्पूर, मंगलोर (मैसूर)	हां (अपेक्षित मूल इंजीनियरी शुल्क आदि के लिए अदायगी)	मैसूर राज्य औद्योगिक निवेश और विकास कार्पोरेशन से या मैसर्स मंगलोर कैमिकल्स और उर्वरक के लिए प्राप्त किए जाने वाले फोस्फोरिक एसिड से
3	मैसर्स यू० पी० राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लि०, कानपुर	30,000	उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिले	हां	जिन कास्टिक सोडा/क्लोराइन संयंत्र के लिए उन्हें पहले आशयपत्र जारी किया जा चुका है उन संयंत्रों में तैयार किए जाने वाले हाइड्रो-क्लोरिक एसिड से अपने यूनिट में उत्पादन किए जाने वाले फोस्फोरिक एसिड से
4	मैसर्स ट्रावनकोर टिटानियम उत्पाद लि०, त्रिवेन्द्रम (केरल)	36,000	केरल राज्य में उचित स्थान	हां	अपने टिटानियम डायोक्साइड कम्पलेक्स में सहउत्पाद के रुप में प्राप्त फोसफोरिक एसिड से

वर्ष 1973 में पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण से लाभान्वित लघु उद्योग

4670. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल (जिलावार) का विशेष उल्लेख करते हुए ग्रामीण विद्युतिकरण संबंधी योजनाओं से, राज्यवार, कितने लघु उद्योग लाभान्वित हुए हैं ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के लिए मंजूर की गई ग्यारह योजनाओं के अधीन पश्चिम बंगाल में 950 लघु उद्योग एकत्र लाभान्वित हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो राज्य में जिलावार, लघु उद्योग कौन-कौन से हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाता है और इसका कार्यान्वियन तत्संबंधी राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है। अतिरिक्त ऋण सहायता की व्यव ा ग्राम विद्युतिकरण निगम द्वारा की जाती है। 1969 में इसके प्रारंभ होने से लेकर अब तक निगम ने राज्य बिजली बोर्डों की 618 स्कीमें स्वीकृत की है जिसमें 300.38 करोड़ रुपये की ऋण सहायता शामिल है । इन स्कीमों में 52931 ग्रामों का विद्युतिकरण, 558383 पम्पों का सर्जन और 89436 लघु उद्योगों की विद्युत की सप्लाई परिकल्पित है। इन पश्चिम बंगाल में (जिलेवार ब्यौरा उपाबंध-1 में दिया गया है) 6425 ग्राम, 24148 पम्प और 17567 लघु उद्योग शामिल हैं। राज्यवार ब्यौरा उपाबंध-2 के विवरण में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6546/74**]

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड की 11 स्कीमों 1973 के दौरान ग्राम विद्युतिकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई थी। इन स्कीमों में लघु उद्योगों की 969 यूनिटों की विद्युत की सप्लाई परिकल्पित है। जिलेवार ब्यौरा उपाबंध-3 के विवरण में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6546/74**]

पश्चिम बंगाल के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी योजनाएं

4671. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में जिलावार कितने गांवों में बिजली लगाई गई ;

(ख) पश्चिम बंगाल के लिये मंजूर की गई ग्यारह योजनाओं के अंतर्गत राज्य में जिलावार किन-किन गांवों में बिजली लगाई गयी है अथवा लगाई जायेगी ;

(ग) राज्य में, जिलावार, इन ग्यारह योजनाओं के अंतर्गत अब तक कितने पम्प सेट लगाये गये हैं ; और

(घ) पश्चिम दिनाजपुर और मालदा का विशेष उल्लेख करते हुए राज्य में इन ग्यारह योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1973 में देश में 17100 ग्रामों में बिजली लगाई गई थी । इसमें पश्चिम बंगाल के 3455 ग्राम शामिल हैं। जिलेवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1973 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड की 11 स्कीमों को स्वीकृति दी है । इन स्कीमों में 1036 ग्रामों के विद्युतीकरण और 3308 पम्पसैटों के ऊर्जन के लिए 589.517 लाख रुपये की ऋण सहायता शामिल है । इन 11 स्कीमों का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) पश्चिम दिनाजपुर और माल्दा जिलों के लिए स्वीकृत ऋण सहायता क्रमशः 116.391 लाख रुपये और 159.319 लाख रुपये है ।

विवरण

वर्ष 1973 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत पश्चिम बंगाल की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का विवरण

क्र० सं०	स्कीम का नाम	ग्राम	पंपसैट	स्वीकृत ऋण की राशि (लाख रुपयों में)
1	मुर्शिदाबाद जिले के 2 थाने नामशः नबाग्राम तथा सागरदिघी	131	498	60.115
2	मिदनापुर जिले में एस० टी० स्कीम .	..	..	71.470
3	माल्दा जिले में कालीचक थाना . . .	124	415	61.845
4	24 परगना जिले में जोका तथा लक्ष्मीकान्तपुर में एस०टी० स्कीम	..	..	55.100
5	जलपाइगुडी जिले में माल और मटियाली थाना . .	131	..	59.503
6	पश्चिम दिनाजपुर जिले के हुमताबाद तथा कालीगंज ब्लाक	151	530	64.649
7	माल्दा जिले में खार्वा थाना .	139	474	60.990
8	माल्दा जिले में गाजोल थाना .	92	447	36.484
9	बीरभूम जिले में नानूर ब्लाक . . .	10	64	6.919
10	कूचबिहार जिले में कूचबिहार थाना . . .	136	464	60.700
11	पश्चिम दिनाजपुर जिले में कुमारगंज थाना . .	122	416	51.742
	कुल . .	1,036	3,308	589.517

गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वीक्षेत्र के राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण

4672. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, राज्यवार, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों (आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मनीपुर तथा अरुणाचलम प्रदेश) में कितने कितने गांवों में बिजली लगाई गई है ;

(ख) क्या देश के अन्य राज्यों की तुलना में इन राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण के अनुपात का औसत कम है ; और

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सम्पूर्ण योजना प्रस्तावों की तुलना में इन राज्यों के लिये पांचवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कितनी राशि मंजूर की, गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1970–71, 1971–72 और 1972–73 के दौरान विद्युतीकृत किये गये ग्रामों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) पांचवीं योजना के मसौदे में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 1098.24 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के लिए आवंटन निम्न प्रकार है :—

	(करोड़ रु० में)
असम	27.00
त्रिपुरा . .	8.00
मेघालय . . .	3.00
मणिपुर . . .	2.48
अरुणाचल प्रदेश . . .	4.00

विवरण

1970–71, 1971–72 और 1972–73 के दौरान विद्युतीकृत किये गये ग्रामों के ब्यौरे का विवरण

क्रम सं०	राज्य	ग्रामों की कुल संख्या	1970–71	1971–72	1972–73
			के दौरान विद्युतीकृत किये गये ग्रामों की संख्या		
1	असम . . .	20565	109	52	151
2	त्रिपुरा . . .	4932	13	19	10
3	मेघालय . . .	4407	2	5	32
4	मणिपुर . .	1866	30	..	18
5	अरुणाचल प्रदेश . .	2451	..	4	6

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण

4673. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार, पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ;

(ख) वर्ष 1974–75 और पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में, वर्षवार, राज्य के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में, जिलावार, कितने गांवों में बिजली लगा दी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाता है और उन्हीं के राज्य योजना परिव्ययों से उसके लिए धन की व्यवस्था की जाती है। बहरहाल, ग्राम विद्युतीकरण निगम, जो कि भारत सरकार द्वारा गठित एक सरकारी क्षेत्र उपक्रम है, अतिरिक्त ऋण सहायता देता है। निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को निम्नलिखित ऋण सहायता स्वीकृत की है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1971–72 . .	8.73
1972–73 . . .	9.57
1973–74 (28-2-74 तक)	4.61

(ख) और (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में ग्राम विद्युतीकरण के लिए कुल 43 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है । इसमें 6600 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 43000 पम्पसेटों का ऊर्जन प्रस्तावित है। वर्षवार आवंटन और जिला-वार लाभान्वित क्षेत्रों के संबंध में ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

पांचवीं योजना में आसाम में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए धनराशि

4674. श्री निहार लास्कर : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए आसाम राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण उत्साहवर्धक नहीं रहा ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने पाचवीं योजना में इस प्रयोजन के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आसाम के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए कुल कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चतुर्थ योजना के आरंभ में असम के 331 ग्राम विद्युतीकृत और 55 पम्प ऊर्जित हुए थे । चतुर्थ योजना के दौरान (प्रथम चार वर्ष) विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 490 और ऊर्जित पम्पों की संख्या 606 है। अत: चतुर्थ योजना में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति, पहली अवधि के मुकाबले बहुत अच्छी रही है ।

(ख) से (घ) पांचवीं योजना में राज्य सरकार ने 42 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया था, किन्तु केवल 27 करोड़ रुपये ही आवंटित करना सम्भव हो सका है। इस धनराशि से 3300 ग्रामों के विद्युतीकरण और 9500 पम्पों के ऊर्जन सहायता मिलेगी।

स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) के विश्राम करने के लिए पर्याप्त आवास

4675. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के विश्राम करने के लिये पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उपरोक्त प्रयोजन के लिये पर्याप्त आवास की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ऐसा समझा जाता है कि वर्तमान स्थान साधारणत: पर्याप्त हैं। यदि अपर्याप्त स्थान का कोई मामला ध्यान में लाया जाय तो सरकार उसकी प्रसन्नतापूर्वक छानबीन करेगी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में कर्मचारियों की बदली के लिए अपनाये गए मानदंड

4676. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रशासनिक आधार पर एक जगह से दूसरी जगह किसी कर्मचारी की बदली करने के लिये कोई मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : कोई निश्चित मापदण्ड नहीं है। प्रशासनिक आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरण का आम सिद्धान्त यह है कि स्थानान्तरण से प्रशासन की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए ।

फरक्का बराज परियोजना की जंगीपुर नहर का पूरा होना

4677. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बांध परियोजना के विभिन्न चरणों के समय पर पूरा होने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जंगीपुर नहर के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कार्य में निर्धारित समयानुसार प्रगति हो रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) फरक्का बराज परियोजना को पोषक नहर (फरक्का से जंगीपुर तक) का कार्यान्वयन अपनी प्रौढावस्था में है और इस पर 97% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष कार्य के 1974 की मानसून तक पूर्ण होने की संभावना है।

(ख) और (ग) विलम्ब मुख्यतया परियोजना के क्षेत्र में विधि और व्यवस्था स्थिति, नहर पर अतिरिक्त पुलों की मांग को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा बाधा तथा अन्य कठिनाइयों के कारण हुआ । बहरहाल कार्य प्रगति पर है ।

अशोधित तेल के मूल्य के बारे में तेल निर्यातक छः देशों का निर्णय

4678. **श्री राज देव सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारस की खाडी के तेल निर्यातक छः देशों द्वारा अपने अशोधित तेल के प्रकाशित मूल्य (पोस्टिड प्राइस) को दुगुना करने के नवीनतम निर्णय का आगामी कुछ वर्षों में हमारी अर्थ व्यवस्था पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पडेगा ;

(ख) क्या उन छः देशों के सरकारी अधिकारियों ने समय समय पर विकासशील तथा गरीब देशों को इसे रियायती मूल्य पर देने और अन्य प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या तेल उत्पादक अरब देशों के इस बहुप्रचारित आश्वासनों के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या के बारे में कोई संकेत मिले है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) विकासशील देशों को रियायती दर पर तथा अन्य उपभोक्ताओं को सामान्य मूल्य दर तेल की मूल्य निर्धारण पद्धति की दोहरी नीति के लिए ओपेक सरकारों का विरोध किया गया है तथापि अत्यधिक मूल्य वृद्धि के, विशेषकर विकासशील एवं अर्ध विकासशील देशों पर प्रभाव को कम करने के लिए एक संगठन के रूप में ओपेक तथा इसकी सदस्य सरकारें विभिन्न बहुपक्षीय पद्धति के साथ साथ द्विपक्षीय पद्धति पर विचार कर रही है। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से अनेक खाडी के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था की गई है अथवा की जा रही है । इन व्यवस्थाओं के ब्योरें बताना जनहित में उचित नहीं है।

दिल्ली क्षेत्र (उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों के कार्य का विश्लेषण

4679. **श्री राज देव सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह दिल्ली क्षेत्र (उत्तर रेलवे) के कुछ स्टेशनों के सहायक स्टेशन मास्टरों के कार्य का विश्लेषण करने के बारे में 31 जुलाई, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 131 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे स्टेशन कौन कौन से है जहां यह कार्य विश्लेषण पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो 31 दिसम्बर, 1973 की निर्धारित तारीख तक कार्य का विश्लेषण पूरा न किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) यह कार्य विश्लेषण कब तक पूरा हो जायेगा और इस दिशा में की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) तिलक ब्रिज और ओखला में कार्य कर रहे सहायक स्टेशन मास्टरों के कार्य भार के सम्बन्ध में किये गये कार्य विश्लेषण के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका, क्यों कि यह मतभेद उत्पन्न हो गया था कि पिछले स्टेशन से निजी नम्बर को आदान प्रदान करने में किस समय से लाभ दिया जाय। साहिबाबाद, शकूरबस्ती, तुगलकाबाद, तुगलकाबाद (पूर्व), दिल्ली-शाहदरा और हजरत निजामुद्दिन पर काम करने वाले इसी तरह के कर्मचारियों के कार्य विश्लेषण का काम इस कारण पूरा नहीं हो सका कि हडताल और गाडी सेवाओं के स्थगित किये जाने आदि के कारण वहां स्थिति असामान्य हो गयी थी। फिर भी रेल प्रशासनों से कहा जा रहा है कि वे इस काम को शीघ्र पूरा करने के लिए विशेष कदम उठायें।

जोनल प्रशिक्षण स्कूल, मुजफ्फरपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

4680. **श्री राज देव सिंह : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी जोनल प्रशिक्षण स्कूलों के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम मे शामिल होने वाले सभी कर्मचारी पाठ्यक्रम के अन्त में परीक्षाओं का बहिष्कार कर रहे है;

(ख) क्या कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण पूर्वोत्तर रेलवे के जोनल प्रशिक्षण स्कूल, मुजफ्फरपुर में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिये किसी कर्मचारी को नहीं भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड ने लगभग सभी जोनल प्रशिक्षण स्कूलों में हो रहे अनेक आन्दोलनों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के अन्त में होने वाली परीक्षा को समाप्त करने अथवा इस पाठ्यक्रम की अवधि को कम करने के बारे में कोई प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

आसाम आयल कम्पनी के अधिकांश शेयरों का अधिग्रहण

4681. **श्री प्रबोध चन्द्र : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आसाम आयल कम्पनी के अधिकांश शेयरों का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितना लाभ होगा; और

(ग) पूरी तरह से इसे अपने अधिकार मे न लेने के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पश्चिम बंगाल के कंटाई सब-डिवीजन के लिए बाढ-नियंत्रण तथा जल निकासी परियोजनाएं

4682. **श्री समर गुह : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदन किये जाने के बाद, पांचवीं योजना में शामिल करने के लिए पश्चिम बंगाल के कंटाई सब डिवीजन के लिए बाढ नियंत्रण तथा जल निकासी परियोजनायें तैयार की गई है;

(ख) क्या इस क्षेत्र के लिए पांचवीं योजना में शामिल करने हेतु बाढ नियंत्रण तथा जल निकासी संबंधी कोई व्यापक योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कटाई क्षेत्र को लाभ देने वाली निम्नलिखित बाढ नियंत्रण तथा जल निस्सार स्कीमें, धन की उपलब्धता के अनुसार राज्य योजना के अंश के रूप में, योजना आयोग द्वारा कार्यान्वयनार्थ स्वीकृत की जा चुकी है ।

	अनुमानित लागत लाख रुपये
(1) दुब्दा बेसिन जल निस्सार स्कीम .	268.35
(2) कालियाघाई जल निस्सार स्कीम	534.00
(3) बडा चौका जल निस्सार स्कीम . . .	32.41
(4) सुवर्ण रेखा तथा बंध स्कीम . .	128.00
(5) कोंटाई बेसिन जल निस्सार स्कीम चरण दो .	47.83

(1) से (3) तक की स्कीमें पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वियनार्थ शुरू की जा चुकी हैं और इनको पांचवीं योजना के दौरान पूरा करने का प्रस्ताव है।

सुवर्ण रेखा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर स्कीम (4) को राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जाना है।

राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित स्कीमें तैयार की जा चुकी है और राज्य बाढ नियंत्रण बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा उनकी सिफारिश की जा चुकी है :–

	(लाख रुपयों में)
1. पालावोनी खाल की दुबारा खुदाई . .	42.47
2. भगवानपुर थाना क्षेत्र की सिपुलीपुर कटगाचिया स्कीम .	5.05
3. भगवानपुर थाना क्षेत्र की दरियादिघि उद्बादल खाल जल-निस्सार स्कीम	18.00

उपर्युक्त स्कीमें जिनमें से प्रत्येक की लागत 50 लाख रुपये से कम है योजना आयोग को बिना भेजे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा सकती है।

कोंटाई क्षेत्र में बाढ नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान अभी तक तैयार किया जाना है।

पांचवीं योजना में शामिल की जाने वाली नई स्कीमों को राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

खड़गपुर और मद्रास के साथ डीधा को जोड़ना

4683. श्री समर गुह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डीधा समुद्र तट की यात्रा करने वाले निम्न आय वर्ग के पर्यटकों को सुविधा देने क लिए, उत्तर बंगाल स्थित डीधा को, जो उडीसा के बाहर पूर्वी भारत में एक मात्र समुद्र विश्रामस्थल (सी-रिजार्ट) है, खडगपुर मद्रास रेल लाइन के साथ जोडने का है;

(ख) क्या डीधा क्षेत्र से प्रति वर्ष लगभग 35 करोड रुपये के मूल्य के पान, काजू, मछली, नारियल और चटाइयों का भी निर्यात होता है और यदि हां, तो क्या डीधा आने वाले अनेक पर्यटकों और वहां से देश के विभिन्न भागों को होने वाले बडे पैमाने पर निर्यात

से डीधा तथा खडगपुर मद्रास लाइन के बीच इस रेल सम्पर्क के आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होने की पूर्ण संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डीधा को खडगपुर मद्रास लाइन के साथ जोडने के बारे में आर्थिक और सामान्य व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु कोई नया सर्वेक्षण करने का है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) कांथी रोड से डिगहा तक प्रस्तावित लाइन 95.00 कि० मी० लम्बी होगी और इस पर लगभग 13.00 करोड रुपये की लागत आयेगी। माननीय सदस्य ने जिस यातायात का उल्लेख किया है उसे देखते हुए इसके निर्माण के औचित्यपूर्ण होने की संभावना नहीं है और इस पर तभी विचार किया जा सकता है जब कि डिगहा में पर्यटन और व्यापार के विकास की निश्चित योजनाएं हों।

हिली तथा बलूरघाट में सम्पर्क स्थापित करना तथा एक नई रेल लाइन बिछाना

4684. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नई रेल लाइन बिछा कर पश्चिम बंगाल के पश्चिम देवाजपुर में बलूरघाट तथा हिली को मिलाने के लिये सरकार को बहुत से लोगों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या हिली के साथ रेल सम्पर्क की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए कोई सर्वेक्षण आरम्भ किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) हिली और बेलूरघाट को जोडने के लिए अध्यावेदन मिले है। गाजोल, बुनियादपुर और गंगारामपुर के रास्ते एकलाखी और बेलूरघाट के बीच बडी लाइन बिछाने के लिए यातायात सर्वेक्षण हाल ही में पूरा हुआ है और रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है । रेल मंत्री अपने बजट भाषण में पहले ही यह उल्लेख कर चुके है कि पांचवीं योजनावधि में इस लाइन का निर्माण करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। बेलूरघाट तक रेल लाइन बन जाने के पश्चात उसे आगे हिल्ली तक बढाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

नई दिल्ली तथा दिल्ली से चलने तथा यहां तक पहुंचने वाली शटल रेल गाड़ियों का देरी से आना जाना

4685. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि रेलवे के आपरेशनल स्टाफ ने 31 जनवरी, 1974 के मंत्री महोदय के प्रेस सम्मेलन के तुरन्त पश्चात फिर से "नियमानुसार काम करो" आन्दोलन चालू कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली तथा दिल्ली से चलने तथा यहां तक पहुंचने वाली कितनी शटल रेल गाडियां 1 फरवरी से 5 फरवरी, 1974 के बीच दरी में आयीं तथा गयीं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) गाडी परीक्षकों के नियमानुसार काम करने के आन्दोलन के कारण 1-2-74 से 5-2-74 के बीच दिल्ली से दो शटल गाडियां देर से छूटी थीं।

केरल में ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां

4686. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 के अन्त तक केरल राज्य में कुल कितनी ज्वाईंट स्टाक कम्पनियां कार्य कर रही थीं;

(ख) इस वर्ष के अन्त तक इन कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूंजी कितनी थी;

(ग) वर्ष 1972–73 में कौन कौन सी नई ज्वाईंट स्टाक कम्पनियां स्थापित की गई; और

(घ) इस अवधि के लिये इन नई कम्पनियों की अधिकृत पूंजी क्या थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) 31-3-1973 तक केरल राज्य में हिस्सों द्वारा सीमित 1175 कम्पनियां कार्यरत थीं। उनकी प्रदत्त पूंजी 132.4 करोड रुपये थी।

(ग) तथा (ख) 1972–73 के मध्य, केरल राज्य में, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत सतहत्तर नवीन कम्पनियों के नाम तथा अधिकृत पूंजी संलग्न विवरण पत्र में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6546/74**] इन नवीन पंजीकृत कम्पनियों की कुल अधिकृत पूंजी 21.72 करोड रुपये बैठती है।

केरल राज्य में अधिक रेलवे अस्पताल तथा स्वास्थ केन्द्र

4687. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में वे कौन कौन से रेलवे स्टेशन है जहां कर्मचारियों के लिये रेलवे अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं और उनमें उपलब्ध करायी गयी सुविधाए क्या है ;

(ख) प्रत्येक स्टेशन में काम कर रहे कितने कर्मचारी इससे लाभान्वित हो रहे है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अधिक अस्पतालों को खोलने का है, यदि हां, तो वे स्थान कौन कौन से है जहां ये अस्पताल खोले जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) ओलवक्कोड में एक मंडलीय अस्पताल है जहां बहिरंग और अन्तरंग रोगियों के लिए मंडलीय अस्पताल में निदान सम्बन्धी और अनुसंधानात्मक सुविधाएं है और इस अस्पताल से 12,044 कर्मचारी लाभ उठाते है। इसके अतिरिक्त कण्णनूर, कालिकट, एर्णाकुलम, शुरुवण्णूर, कोट्टायम और कोल्लम में छः स्वास्थ्य यूनिट है जो बहिरंग सुविधाएं प्रदान करते है और जिनसे क्रमशः 1075, 1040, 1475, 2150, 850 और 2534 रेल कर्मचारी लाभ उठाते है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में चौथी योजना के लिए बिजली उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य

4688. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में केरल राज्य में बिजली उत्पादन तथा सिंचाई के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ख) इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) यदि कोई कम रही है तो उसके क्या कारण है; और

(घ) पिछली कमी को पूरा करने के लिए पांचवी योजना में क्या कदम उठाने का विचार है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) केरल राज्य में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए चौथी योजना अवधि के लिए 335 मैगावाट का लक्ष्य नियत किया गया था, जिसमें से 75 मैगावाट क्षमता का प्रचालन कर दिया गया है । बार बार श्रमिक अशांति और दुर्लभ सामग्री की कमी के कारण इदिक्की जल विद्युत स्कीम की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है । इसको शीघ्र पूरा करने के लिए कार्यवाही की जा रही है । विद्युत उद्योग की पुनर्संरचना तथा निवेश की आपूर्ति के लिए व्यवस्था में सुधार से पांचवी योजना के दौरान कार्य निष्पादन सुधार जाने की प्रत्याशा है। परियोजनाओं को प्रभावशाली ढंग से अनुभवित (मानीटर) करने तथा समय पर किन्हीं भी अड़चनों का पूर्वानुमान करने के लिए भी प्रस्ताव है जिससे सूची के अनुसार परियोजनाओ को चालू किया जा सके।

केरल में गैर सरकारी तथा सरकारी लिमिटेड कम्पनियां

4689. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 के दौरान केरल राज्य में कितनी गैर सरकारी तथा सरकारी लिमिटेड कंपनियां काम कर रही है और इनमें से प्रत्येक में कितना पूंजी निवेश किया गया है तथा उक्त अवधि के दौरान पंजीकृत की गई ऐसी कम्पनियों और फर्मों की संख्या क्या है तथा प्रत्येक मामले में कार्यकारी पूंजी कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बन्द की गई कम्पनियों अथवा जिन्होंने अपना काम बन्द कर दिया है ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक मामल में कार्यकारी पूंजी कितनी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) 31 दिसम्बर, 1973 तक केरल राज्य में शेयर द्वारा 1240 लिमिटेड कम्पनियां, कुल प्रदत्त पूंजी 144.5 करोड रुपये सहित कार्यरत थीं। इनमें से 340 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां और 880 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां थीं। उनकी प्रदत्त पूंजी क्रमशः 105 करोड और 38.6 करोड़ रुपये थी । अप्रैल, 1973 से दिसम्बर, 1973 की अवधि में पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, दोनो ही शेयर द्वारा लिमिटेड सत्तर कम्पनियां केरल राज्य में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत की गई थीं।

इन कम्पनियों के नाम और प्राधिकृत पूंजी संलग्न विवरण पत्र 1 में दी जाती है चूंकि यह राज्य सरकार का मामला है फर्मों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्य नहीं है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6548/74**]

(ख) 5 कम्पनियों ने या तो परिसमापन में जाकर या नाम हटवाकर, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(5) के अन्तर्गत अप्रैल, 1973 से दिसम्बर, 1973 की अवधि में केरल राज्य में कार्य करना बन्द कर दिया था। इन प्रत्येक कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी संलग्न विवरण पत्र II में दी जाती है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6548/74]**

केरल में स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक कारखाने

4690. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का केरल राज्य में वर्ष 1974 से 1979 तक कौन कौन से नय औद्योगिक कारखाने स्थापित करने का विचार है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : इस सम्बन्ध में सरकार से प्रस्ताव मिले हैं।

(i) इण्डोसल्फन, कीट नाशी का निर्माण करने के लिए हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइडस लि० के अलवाय यूनिट के भाग के रूप में संयंत्र की स्थापना करना।

(ii) फैक्ट के उद्योग मण्डल के उत्पाद मिश्र का विविधीकरण करना या और

(iii) फैक्ट द्वारा कोचिन में अतिरिक्त उर्वरक क्षमता का विकास करना।

इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों की अस्तियां लाभ तथा उत्पादन

4691. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 और 1972–73 में भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों की शाखाओं तथा सहायक कम्पनियों की कुल आस्तियां, लाभ और उत्पादन क्या है; और

(ख) भारत में विदेशी नियंत्रण वाली ऐसी कम्पनियों की शाखायें तथा सहायक कम्पनियां कौन कौन सी है जो बहु राष्ट्रीय निगम के नियंत्रण में हैं और इन वर्षों में इसकी कुल आस्तियां लाभ या उत्पादन क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

दामोदर घाटी निगम विद्युत संयंत्रों की विद्युत जनित्र लागत

4692. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दामोदर घाटी निगम विद्युत संयंत्रों द्वारा वर्षवार उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट जनित्र लागत क्या है?

(ख) दामोदर घाटी निगम द्वारा (1) कलकत्ता इलैक्ट्रिकल सप्लाई निगम, और

(2) पश्चिम बंगाल राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितनी किलोवाट बिजली बेची गई; और

(ग) दामोदर घाटी निगम द्वारा (1) कलकत्ता इलैक्ट्रिकल सप्लाई निगम और (2) पश्चिम बंगाल राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार किस मूल्य (प्रति यूनिट) पर बिजली बेची गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दामोदर घाटी निगम विद्युत संयंत्रों में विद्युत के उत्पादन की लागत नीचे दी जाती है :—

वर्ष	लागत
1970–71	5.28 पैसा
1971–72	5.21 पैसा
1972–73	5.77 पैसा

(ख) दामोदर घाटी निगम द्वारा बेची गई कुल विद्युत नीचे दी जाती है :—

वर्ष	कलकत्ता बिजली सप्लाई कम्पनी	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड
	(सभी आंकडें मिलियन किलोवाट में हैं)	
1970–71	613.341	35.896
1971–72	505.781	198.347
1972–73	589.649	249.951

(ग) दामोदर घाटी निगम द्वारा बेची गई बिजली का प्रति यूनिट औसत मूल्य :—

वर्ष	कलकत्ता बिजली सप्लाई कंपनी को	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को
1970–71	6.106 पैसा	6.129 पैसा
1971–72	6.428 पैसा	5.512 पैसा
1972–73	7.102 पैसा	अभी तय नहीं हुआ है

केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान के राक फासफेट निक्षेपों के निकालने के कार्य को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना

4693. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार इस तर्क पर कि राज्य सरकार के पास तेजी से फासफेट निकालने के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है, राजस्थान के एक फासफेट के समस्त निक्षेपों को निकालने का कार्य अपने हाथ में लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे राज्य के आय के संसाधनों को गम्भीर आघात पहुंचेगा; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से तथा विश्व बैंक से भी आवश्यक निधि के लिये कोई सहायता मांगी है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार तथा विश्व बैंक की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) राक फास्फेट के दो मुख्य भण्डार जमारकोटा तथा मेटन भण्डार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है । सरकार ने राजस्थान में जमारकोटा क्षत्रों में राक फास्फेट के विकास के संबंध में तकनीकी एवं अन्य तथ्यों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है। समिति की शर्तों में से एक शर्त है निहित निवेश की सीमा, वित्त व्यवस्था की पद्धति तथा विदेश मुद्रा के स्रोतों को ध्यान में रखते हुए विकास के लिए अतिउपयुक्त सम्मिलित ढांचे का सुझाव देश, विश्व बैंक विदेशी मुद्रा के संभाव्य स्रोतों में से एक है । इन मामलों में अन्तिम निर्णय एजेंशी सहित जिसे कि भण्डार का विकास कार्य सौंपा जायगा, रिपार्ट के प्राप्त होने के बाद लिया जायेगा । जहां तक मेटन भण्डार का सम्बन्ध है, खान विभाग के अन्तर्गत सरकारी उपक्रम हिन्दुस्तान जिंक लि० इस कार्य का विकास कर रहा है ।

दिल्ली में बिजली के फेल होने के संबंध में प्रसार समिति का प्रतिवेदन

4694. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिजली के बार-बार फेल होने के कारणों तथा बिजली सप्लाई में तोड़-फोड़ की आशंका के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त की गई प्रसाद समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने इस दोहरी समस्याओं के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाले है; और

(ग) बिजली की निर्बंध सप्लाई सुनिश्चित करने के सबंध में समिति ने क्या सुझाव दिये है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) प्रसार समिति ने अभी हाल में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसकी दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की संरचना पद्धति, प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी गठन में सुधारों के लिए समिति ने बहुत सी सिफारिशें की हैं । समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि जबकि कुछ ब्रेक–डाऊन अकस्मात हो सकते हैं, अन्य अपर्याप्त अनुरक्षण, कर्मचारियों की भूलचुक तथा प्रबंध संबंधी असफलताओं के परिणामस्वरूप हुई है । बहरहाल समिति निश्चित रूप से किसी व्यक्ति विशेष की भूल को निर्धारित नहीं कर पाई हैं ।

दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका की बिजली की अलग-अलग दरें

4695. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर तथा नई दिल्ली नगरपालिका अलग अलग दरों पर बिजली सप्लाई करती है जबकि दोनों ही संगठन दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से एक ही दर पर बिजली लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस असंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हां। एक ही श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा ली जा रही दरों म भिन्नता मुख्यतया वितरण तारजालों पर पूंजीगत निवेश और भारों के संवेग तथा प्रसार में भिन्नता के कारण है । नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में निवेश उच्चतर है क्योंकि नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में अधिकांश वितरण लाइनें भूमिगत है जबकि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के क्षेत्र में ये ओवर हैड है ।

राष्ट्र नायकों के विरुद्ध गवाही देने तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन करने वालों को निर्वाचन लड़ने से रोकने का प्रस्ताव

4696. श्री शशि भूषण :

श्री सतपाल कपूर :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन व्यक्तियों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन लड़ने से रोकने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिन्होंने न्यायालयों में राष्ट्रनायकों तथा स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध गवाहियां दीं तथा स्वतंन्त्रता आन्दोलन तथा अपने क्रांतिकारी साथियों को धोखा दिया और इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन किया ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जायेगा और यदि हां तो कब ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इन्डियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन के पैराक्सीलीन प्लांट के कम्प्रैसर के दोषपूर्ण कार्य के बारे में जांच

4697. श्री शशि भूषण :

श्री सुकदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा में राज्य द्वारा संचालित इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन के पैराक्सीलीन प्लांट में कंप्रेशर की खरीद तथा उसके दोषपूर्ण कार्य के बारे में जांच के लिये आदेश दे दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है; और

(ग) यदि जांच प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो चुका है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार इस मामले में क्या कदम उठानी चाहती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) सरकार विषय की जांच कर रही है । आगामी कुछ महीनों में विषय की जांच पूर्ण होने की संभावना है ।

Secret Voting System

4698. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether the secret voting system received a setback because of the new procedure followed in the recent U.P. Vidhan Sabha elections; and

(b) the purpose behind obtaining the signatures or thumb-impression of the voter on the counter foil of the ballot paper?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) No new procedure was followed at the recent general elections to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh. The procedure adopted at the general elections to various Legislative Assemblies of States held in 1972 was followed at the recent general elections to Uttar Pradesh Legislative Assembly also. The secrecy of voting has not received a set back by any such election procedure.

(b) The procedure for obtaining the signature or thumb-impression of the voters on the counterfoil of the ballot paper is being followed in order to effectively safeguard against impersonation and bogus voting.

विवाह की आयु बढ़ाने के लिए बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में संशोधन

4699. श्री सतपाल कपूर : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए लड़के तथा लड़कियों की विवाह योग्य आयु को बढ़ाने के लिए बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में संशोधन करने संबंधी प्रस्तावों पर कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पांचवीं योजना के दौरान इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली नई सिंथेटिक दवाइयां

4700. श्री सतपाल कपूर : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली नई 'सिंथेटिक' दवाइयों और उनके निर्माण के लिये नये एकक स्थापित किये जाने के प्रश्न पर निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) भारतीय औषध एवं भेषज लि० या तो अपने विद्यमान संयंत्र में या नये संयंत्र स्थापित करके सल्ला डायजीन, मीथाइल डीपा, मेट्रोनीडाजोल, क्लोरोक्वीन, क्लोरप्रोपेमाइड, इन्डोमेथेसिन,

ट्रिमेथोप्रिम, इथमवूटील, निकोटिनामाइड आदि विभिन्न संश्लिष्ट औषधों का निर्माण करने का विचार रखते हैं। इन प्रस्तावों का कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई अथवा प्रस्तुत की जाने वाली तकनीकी आर्थिक संभाव्य रिपोर्टों के आधार पर सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना है।

विधि आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु विशिष्ट सैल

4701. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि मंत्रालय से संबंधित विधि आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने तथा अन्य मंत्रालयों से संबंधित सिफारिशों के समन्वय हेतु स्थापित किये गये विशिष्ट सैल ने अपना काम शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) इस सेल ने विधि आयोग की सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पर दी गई 14वीं, 27वीं, 54वीं और 55वीं रिपोर्टों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की जांच की और एक प्रारूप विधेयक तैयार किये जाने में सहायता की, जिसके कि चालू सत्र के दौरान संसद् में पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है। सिविल प्रक्रिया संहिता संबंधी कार्य समाप्त होते ही सेल अन्य रिपोर्टों की, जो कि इस मंत्रालय में हैं या अन्य मंत्रालयों में है, जांच का कार्य आरम्भ करेगा। सेल उन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ, जो विधि आयोग की रिपोर्टों की कार्यान्वयन से संबद्ध हैं कार्यान्वयन कार्य में तीव्रता लाने और उसे समन्वित करने की दृष्टि से, पत्र-व्यवहार कर रहा है।

सिंचाई को केन्द्रीय विषय बनाना

4702. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नदी जल वितरण के संबंध में होने वाले अन्तर्राज्यीय विवादों को देखते हुए सिंचाई को केन्द्रीय विषय बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में राज्य सरकारों की राय ली गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, देश के सीमित जल संसाधनों का इष्टतम समुपयोजन करने के उद्देश्य से, एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन में मार्गदर्शन करने और अन्तर्राष्ट्रीय जल-विवादों को शीघ्रता से निपटाने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् के गठन के प्रस्ताव पर, कुछ समय से, विचार किया जा रहा है। प्रथम पग में रूप में संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन करने के प्रस्तावों को राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजा था। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् तथा इसके अभिकरण के जरिए जल विवादों को निपटाने के प्रस्तावो का प्रायः सभी राज्यों ने समर्थन किया है। जबकि कुछ राज्यों ने इन संशोधन का विरोध किया है, अधिकांश राज्यों ने महसूस किया है कि संशोधनो को अन्तर्राज्यीय विवादों तक ही सीमित रखा जाए तथा जल के प्रयोग तथा नियंत्रण के संबंध में राज्य सरकारों के वर्तमान अधिकारों को यथावत बने रहने दिया जाए। राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त विचारों की रोशनी में इस मामले पर और अध्ययन किए जा रहे हैं।

सिकन्दराबाद-बंगलौर और बंगलोर सेलम मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4703. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने नई लाइन बिछाने की संकल्पना और कसौटी में परिवर्तन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है;

(ख) क्या सिकंदराबाद से बंगलोर और बंगलोर से सेलम के बीच की वर्तमान मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए एक सर्वेक्षण कराया जायेगा;

(ग) क्या इससे नई दिल्ली और मंगलौर, जोकि भोपाल, हैदराबाद और बंगलौर होकर जायेगी, के बीच एक सीधे गाड़ी चलाने में सहायता प्राप्त होगी; और

(घ) क्या इस लाइन को बदलने से आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर, कर्नाटक के बेलारी और और तमिलनाडू के धर्मपुरी और सेलम के ओरनपुर ज़िलो के ग्रामीणों को रोज़गार प्राप्त होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां । रेल मंत्री ने 1973-74 के बजट पर अपने भाषण में जिस नयी नीति का उल्लेख किया है उसमें व्यवस्था है कि पिछड़े क्षेत्रों में नयी लाइनों के निर्माण तथा आमान परिवर्तन-परियोजनाओं पर लाभप्रदता का मापदण्ड कड़ाई से लागू किय बिना काम होगा । प्रस्ताव यह है कि रेलों पर पड़ने वाला वित्तीय भार को राज्य सरकारों से पूंजीगत लागत हिस्सा मांग कर, किराया और भाड़ा बढा कर के किया जाये ताकि इन योजनाओं के निवेश पर निम्नवित्तीय प्रतिफुल के कारण उनके प्रारंभ किये जाने के मार्ग में बाधा उपस्थित न हो सके । यह सुझाव दिया गया है राज्य सरकारें जमीन और निर्माण संबंधी मजदूरी की लागत वहन करेंगी ।

(ख) बैंगलूर–गुन्तकल्लु खंड की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम पहले से किया जा रहा है । गुन्तकल्लु से सिकन्दराबाद तक एक नयी बड़ी लाइन के यातायात सहायता की मंजूरी दी जा चुकी है । जहाँ तक बैंगलूर सेलम के आमान परीवर्तन का प्रश्न है, रेलवे से प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट की जाँच की जा रही है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां ।

जल विद्युत उत्पादन हेतू मशीनरी और कल पुर्जो का आयात

4704. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी और उसके परीक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सरकार तापीय बिजली का उत्पादन करने की अपेक्षा जल विद्युत के उत्पादन को प्राथमिकता दे रही है; और

(ख) क्या सरकार का विचार विद्युत सयंत्रो में इस उद्देश हेतू सारी मशीनरी और कल पुर्जो तथा तकनीकी जानकारी आयात करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विद्युत के समग्र विकास में जल-विद्युत एवं ताप विद्युत परियोजनाओं दोनो को अपनी अपनी भूमिका निभानी होती है । परियोजनाओं का चयन तुलनात्मक आर्थिक दृष्टिकोण भार आवश्यकता में, जल संसाधन के व्यापक प्रयोग, परिवहन सुविधाओं और बहुत से अन्य तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के आधार पर किया जाता है । जल-विद्युत के बहुत से लाभों को दृष्टिकोण में रखते हुए, जिसमें

मितव्ययिता एवं संसाधनों का संरक्षण शामिल है, जहां भी संभव होता है, जल-विद्युत के विकास को प्राथमिकता दी जाती है ।

(ख) विद्युत संयंत्र एवं उपस्कर की आवश्यकताओं को कुल मिलाकर, देशीय निर्मित संयंत्र द्वारा पूरा किया जाएगा । बारहाल, पांचवीं योजना के लिये प्रथम वर्षा में अपेक्षित कुछ अनुपूरक ताप संयंत्रों और कुछ जल-विद्युत उत्पादन अथवा पम्प टर्बाइन सैटों को आयात करने का प्रबंध किया जा रहा है । कुछ नए प्रकार के उपस्कर को छोड़कर, जिसके लिये उपयुक्त प्रबंध किए जा रहे हैं, विद्युत संयंत्रों के लिये अधिकांश जानकारी देश के अन्दर उपलब्ध होने की संभावना है ।

टूंडला (उत्तर प्रदेश) की रेलवे कालोनियों में बनाए गए 'आऊट हाऊसिस'

4705. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे द्वारा अब तक टूंडला की रेलवे कालोनियों में कुल कितने रेलवे 'आऊट हाऊसिस' बनाए गए हैं और ऐसे 'आऊट हाऊसिस' की संख्या क्या है जिनमें गैर-रेलवे कर्मचारी उत्तर रेलवे को बिना किराया दिये रह रहे हैं;

(ख) उत्तर रेलवे को टूंडला के रेल कर्मचारियों से 'आऊट हाउसिस' के किराए के रूप में प्रति माह कुल कितनी राशि प्राप्त होती है ;

(ग) उत्तर रेलवे को 'आउट हाऊसिस' में गैर रेलवे कर्मचारियों के रहने से प्रति माह कुल कितनी क्षति हो रही है; और

(घ) गैर रेलवे कर्मचारियों से 'आउट हाऊसिस' खाली कराने के लिये रेलवे द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) (i) टूंडला रेलवे कालोनी मे रेलवे आऊट हाऊसिस की संख्या : 415

(ii) बिना किराया दिये गैर रेल कर्मचारियों द्वारा कब्जा किये गये आऊट हाउसिस की संख्या 50 ।

(ख) 1,397.95 रुपए ।

(ग) 191.50 रुपए

(घ) सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत सितम्बर 1973 में खाली कराने की कार्रवाई की गई ।

रेल्वे इंटरमीडिएट कालेज, टूंडला में प्राध्यापकों के पद

4706. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल्वे इंटरमीडिएट कालेज टूंडला में प्राध्यापकों (लैक्चरर) का पद 'सेलैक्शन' पद है;

(ख) यदि हां, तो रेल्वे बोर्ड ने इसे 'सेलैक्शन' पद घोषित करने के संबंध में कब पत्र जारी किया था; और

(ग) रेल्वे इंटर कालेज, टूंडला में इसे कब तक 'नान सैलैक्शन' पद माना जाता रहा था ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) 1964 में किये गये वर्गीकरण और उसके समय-समय पर दुहराये जाने के अनुसार शिक्षण कर्मचारियों के लिये 300-600 रुपए का ग्रेड एक प्रवरण पद है ।

नार्दन रेलवे इंटर कालेज टूंडला में अप्रशिक्षित अध्यापक

4707. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्दन रेलवे इंटर कालेज, टूंडला में कालेज के विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु पिछले दो तीन सत्रों से बराबर उन्हीं पुराने अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त किया जा रहा है;

(ख) क्या पिछले सत्रों में उक्त पदों के लिये इन पुराने अप्रशिक्षित अध्यापकों के साथ-साथ कई प्रशिक्षित अध्यापकों ने भी आवेदन पत्र दिए थे;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश शिक्षा प्राधिकारी प्रतिवर्ष रेलवे प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं कि ऐसे अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति न की जाये; और

(घ) कितने गैर प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये गए है तथा रेलवे कालेज के प्रत्येक सत्र में ऐसे गैर-प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करने के क्या कारण ह ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी करैशी) : (क) स्थानीय प्रवरण द्वारा केवल एक अप्रशिक्षित ऐवजी अध्यापक की नियुक्ति की गयी थी ।

(ख) ऐवजी अध्यापक के लिये किये गये प्रवरण में किसी प्रशिक्षित अध्यापक ने आवेदन-पत्र नहीं दिया था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उपर्युक्त एक अध्यापक को छोड़कर और वह भी उन कारणो से, जैसा कि ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है; रेलवे इंटर कालेज, टूंडला में पिछले 2 या 3 सत्रों से किसी अन्य अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गयी है ।

Petition about Election held in 1972 to Legislative Assembly of Madhya Pradesh

4708. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether many election petitions filed in regard to the elections held to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh during 1972 have not yet been disposed of;

(b) whether in some of the election petitions, Judgements have not been delivered even after a lapse of three months after the final arguments thereon ; and

(c) the time likely to be taken for the disposal of these election petitions ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) Out of 50 election petitions, only 17 are pending.

(b) and (c) Apart from what is stated in reply to part (a) of the question, no other additional information is available with the Government. However it is not possible to lay down any rigid time-schedule applicable to all cases generally, and the law accordingly provides that every election petition shall be tried as expeditiously as possible and endeavour shall be made to conclude the trial within six months of presentation of the election petition.

मध्य रेल्वे में वर्धा और कटोल के बीच एक नयी रेल्वे लाईन

4709. श्री धामनकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेल्वे में 12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वर्धा और कटोल के बीच एक नई रेलवे लाइन का शीघ्र निर्माण करने का प्रस्ताव है जिसके कारण दोनों स्टेशनों के बीच अन्तर में लगभग 60 किलोमीटर की कमी हो जाएगी और वराता नागपुर जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी;

(ख) प्रस्तावित नई लाइन द्वारा यात्री सम्भाव्यता एवं वाणिज्यिक महत्व के ऐसे किन-किन नये केन्द्रों की आवश्यकता की पूर्ति की जायेगी जिनकी आवश्यकता की पूर्ति वर्तमान रेल-मार्ग द्वारा नहीं की जा रही है ;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में नई रेल लाइन की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिये अभी हाल ही में कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण किया गया था ; और

(घ) क्या उक्त रेल लाइन का नागपुर से चलने वाले और नागपुर होकर चलने वाले यात्री और माल यातायात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) वर्धा-कटोल बड़ी लाइन (80 किलोमीटर) के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी दी जा चुकी है और सर्वेक्षण हो रहा है ।

(ख) यह नयी लाइन वर्धा और कटोल के बीच के उस अपवाह क्षेत्र में से गुजरेगी जो इस समय रेलवे स्टेशन से बहुत दूर पड़ता है । सर्वेक्षण पूरा होने और परिणाम ज्ञात हो जाने पर ही केन्द्रों के बारे में निश्चित ब्यौरा पता लग सकेगा ।

(ग) अतीत में कोई अध्ययन नहीं किया गया और हाल में जिस सर्वेक्षण की मंजूरी दी गयी है उसका उद्देश्य इस लाइन की आवश्यकता का अनुमान लगाना ही है ।

(घ) सर्वेक्षण दल इस पहलू पर भी विचार करेगा ।

कर्नाटक सरकार द्वारा 1974–79 के दौरान नई रेल्वे लाईनें बिछाने और लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी सिफारिशें

4710. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-79 के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा कौन सी नई लाइनें बिछाने और कौन सी मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने की सिफारिश की गई है ;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा इनमें से किन्हीं भी लाइनों पर होने वाले व्यय को पूरा अथवा अधिक रूप में वहन करने की पेशकश की गई है ; और यदि हां, तो वह लाइनें कौन सी हैं ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) कर्नाटक सरकार से अन्य बातों के साथ साथ कुछ नयी लाइनें बिछाने और आयात परिवर्तन के सुझावों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए ह । यह इस प्रकार है :—

1. हुबली-कारवार (बड़ी लाइन) (नयी लाइन)
2. कोट्टूर-हरिहर (मी० ला०) (नयी लाइन)
3. तालमुप्पा-होनावर (मी० ला०) (नयी लाइन)
4. चामराज नगर-सत्यमंगलम (मी० ला०) (नयी लाइन)

5. रायदुर्ग-चित्रदुर्ग (मी० ला०) (नयी लाइन)

6. बेलारी-गुलबर्गा (ब० ला०) (नयी लाइन)

7. मिरज-गुलबर्गा बीजापुर होकर (नयी लाइन)

8. कोडची-रायपुर (नयी लाइन)

9. मैसूर-बेंगलूर (मी० ला० से ब० ला० में बदलाव)

10. मिरज-हुबली-होस्पेट और शोलापुर-हुबली (मी० ला० से ब० ला० में बदलाव)

(ख) जी हां, आंशिक रुप से बेंगलुर-मैसूर के मीटर लाइन से बड़ी लाइन के आभान परिवर्तन के मामले में ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है ।

रेल्वे कर्मचारियों द्वारा चलाई जाने वाली उपभोक्ता सहकारी समितियों वाले रेलवे स्टेशन

4711. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में रेल कर्मचारियों द्वारा बहुत सी उपभोक्ता सहकारी समितियां चलाई जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के प्रत्येक महत्वपूर्ण स्टेशन पर यह योजना लागू है ;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन, केन्द्रीय और जोनल, ने ऐसी समितियों, स्टोरों और उचित दर की दुकानों को चलाने हेतु आवश्यक वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता दे रखी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) आमतौर से जिन स्टेशनों पर 300 या इससे अधिक कर्मचारी होते हैं, वे इस योजना के अन्तर्गत आते हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) इन समितियों को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख रियायत और सुविधाएं दी जाती हैं :—

	रु० प्रति समिति
(i) हिस्सा पूंजी में तदनुरुपी अंशदान	2,500
(ii) ब्याज देय संचालन पूंजी ऋण जिसकी अदायगी की जानी है. .	10,000

(iii) **आर्थिक सहायता :**

(क) **सामान्य आर्थिक सहायता :** पहले तीन वर्षों में प्रशासनिक तथा स्थापना प्रभारों का 50 प्रतिशत

(ख) समितियों की उचित मूल्य की दुकानों वाले भाग के सम्बन्ध में तीन वर्षों के लिए प्रशासनिक और स्थापना प्रभारों का 50 प्रतिशत ।

iv **स्थान :**

(क) इन समितियों के लिए जो उचित मूल्य की दुकानें नहीं चलातीं रियायती दर पर उपयुक्त स्थान की व्यवस्था की जाती है ।

(ख) जो उचित मूल्य की दुकानें चलाती हैं उनसे 20 रु० प्रति वर्ष का नाम मात्र का किराया लिया जाता है ।

बिहार में खिरोई नदी पर स्लुस फाटक एवं पुल बनाना

4712. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री बिहार में खिरोई नदी पर स्लूस फाटक एवं पुल बनाने के बारे में 26 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 856 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970 से क्रमशः हरिहरपुर और मुरेठा के निकट नदी खिरोई में हाशिया अवधी के दौरान पानी के बहाव के जल विज्ञान के संबंधी विशिष्ट आंकड़ क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि खिरोई नदी पर 1970 से किए गए प्रेक्षणों से हाशिया अवधि के दौरान निम्नलिखित तौर पर जल निकास हुआ :—

(क) मारैथा स्थल पर प्रेक्षण :

वर्ष	न्यूनतम	अधिकतम	औसत
		(क्यूमेक्स/क्यूसेक)	
1970. .	3.96/140	85.83/3031	47.7/1662
1971. .		—उपलब्ध नहीं—	
1972. .	4.55/160	18.35/648	10.42/368
1973. . . .	17.44/616	80.73/2851	55.73/1969

(ख) हरिहरपुर-कालोगांव पर केवल 1973 के ही प्रेक्षण उपलब्ध हैं । इस स्थल पर जल-निकास निम्न प्रकार से थे :—

वर्ष	न्यूनतम	अधिकतम	औसत
		(क्यूमेक्स/क्यूसेक)	
1973. . . .	42.48/1500	70.79/2500	55.16/1948

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कटिहार की समन्वय समिति द्वारा पेश मांगों पर कार्यवाही

4713. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रेल** मंत्री पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे कटिहार की समन्वय समिति द्वारा पेश की गई मांगों पर कार्यवाही के बारे में 19 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 155 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई और, यदि हां, तो ज्ञापन में उल्लिखित जिन मांगों को स्वीकार कर लिया गया है अथवा उन्हें स्वीकार करने हेतु उन पर विचार किया जा रहा है और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो विशेष मांगो को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6549/74]

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में पर्यवेक्षकों के पद

4714. **श्री कमला प्रसाद :**

श्री चन्द्रभाल मनी तिवारी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने 425-700 रुपये के वेतनमान में पर्यवेक्षकों के पद पर भर्ती के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया है ;

(ख) क्या उक्त पदों के लिए इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमाधारी व्यक्तियों से आवेदनपत्र मांगे गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को समान दर्जा देने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ज़ी हां।

(ग) इन्जीनियरी में डिग्री तथा डिप्लोमा प्राप्त दोनों ही इस पद के लिए पात्र हैं।

पांचवीं योजना में उड़ीसा में जाखपुरा बासपानी रेल्वे लाइन का निर्माण

4715. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में जाखपुरा-बासपानी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरु करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक चालू होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। इस प्रस्ताव को 1974-75 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

(ख) 39 करोड़ रुपये।

(ग) अन्तिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण जो चालू है, के पूरा हो जाने पर इसके निर्माण का काम हाथ में लिया जायेगा।

खुदरा रोड़ (दक्षिण-पूर्व रेल्वे) डिवीजन में नैमत्तिक श्रमिक

4716. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के खुदरा रोड डिवीजन के उन नैमत्तिक श्रमिकों की कुल संख्या क्या है जिनकी सेवायें वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में नियमित कर दी गई हैं ; और

(ख) खुदरा रोड डिवीजन के ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है जिन्हें 1974-75 और 1975-76 में स्थायी बनाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नार्थ ब्रुक जूट कम्पनी लिमिटेड के लेखों में कथित हेर-फेर

4717. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ ब्रुक जूट कम्पनी लिमिटेड की जमा राशि जो कि वर्ष 1972 में लगभग 42 लाख रुपये थी, वर्ष 1973 में घट कर 22 लाख रुपये रह गई ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) नार्थ ब्रुक जूट कम्पनी लिमिटेड का आरक्षित और अधिशेष जो 31-3-1972 को 41,83,336 रु० था, 31-3-73 को 21,98,425 घट गया ।

(ख) आरक्षित (1) सांविधिक विकास जूट आरक्षित से 1,32,303 रु० और (2) लाभ और हानि लेखा से सामान्य आरक्षित से 16,61,544 और 31-3-1972 की वर्ष समाप्ति के सम्बन्ध में यथा लाभांश 1,91,244 की घोषणा द्वारा हस्तांतरण के परिणाम स्वरुप गिर गया था । 31-3-1973 की वर्ष समाप्ति के लिए, कुल हानि 17,93,847 रु० हो गई जो पहिले उल्लिखित आरक्षित से 17,93,847 रु० से हस्तांतरण द्वारा विस्थित हो गई । हानि के कारण 31-3-1973 की वर्ष समाप्ति हेतु निदेशक रिपोर्ट में दिये गये हैं ।

नार्थ ब्रुक जूट कम्पनी लिमिटेड, की लेखा बहियों का निरीक्षण, कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (4) के अन्तर्गत सम्पन्न किया जा रहा है और 72-73 के कार्यकरण के परिणाम , मदों में निरीक्षण किये जाने के लिए एक होंगे ।

धनबाद में पाटलिपुत्र एक्सप्रैस के रवाना होने के समय में परिवर्तन

4718. श्री योगेश चन्द्र मुरमू : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद से पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पटना के लिये बड़े गलत समय पर रवाना होती है जिसके कारण यात्रिओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार धनबाद से इसके रवाना होने का समय प्रातः 7 बजे करने का है ;

(ग) क्या इसमें भोजन-यान प्रति दिन नहीं लगाया जाता है और साथ में इसकी देखभाल भी असन्तोषजनक है; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उसी दिन शाम को लौटने से पूर्व पटना में कार्य सम्पादन हेतु यात्रियों को पर्याप्त समय मिल जाय धनबाद से 4-50 बजे छूटने वाली 25 अप पाटलीपुत्र एक्सप्रेस के रुप में धनबाद और पटना के बीच एक तेज़ गाड़ी की व्यवस्था है ।

(ख) जी नहीं, क्योंकि इससे पटना में कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध समय 4 घंटे 30 मिनट से कम होकर 2 घंटे 30 मिनट रह जाने से और प्रस्तावित समय-सूची से गाड़ी के लिए मार्ग की कठिनाइयों के कारण यात्रियों को असुविधा होगी ।

(ग) और (घ) इस गाड़ी में एक भोजन-यान पहले से लगाया जा रहा है । कुछ थोड़े से अवसरों पर, जब भोजन यान क्षतिग्रस्त हो गया, उसे लगाया नहीं जा सका लेकिन भोजन यान का अनुरक्षण सामान्यत: सन्तोषजनक रहा है ।

समाचार पत्रों पर माल भाड़े की दरों में परिवर्तन

4719. श्री ओंकार लाल बैरवा :

श्री पन्नालाल बारूपाल :

क्या रेल मंत्री पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर समाचार पत्रों की खेपों पर कम शुल्क लेने के बारे में 10 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6715 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड द्वारा समाचार पत्रों की खेपों पर माल भाड़े की दर में परिवर्तन करने के बारे में जारी आदेशों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) स्टेशन के कर्मचारियों को ये आदेश किस तिथि को दिये गये थे;

(ग) यदि सरकार ने इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी की है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस का प्रकाशन किस तिथि के किस गजट में हुआ है; और

(घ) क्या सरकार यह तथ्य जानने के लिये एक स्वतंत्र आयोग नियुक्त करेगी कि क्या माल भाड़े की दरों में परिवर्तन की सूचना समय पर संबद्ध कर्मचारियों के ध्यान में लायी गयी थी और यदि नहीं, तो क्या संबंधित अधिकारीयों को हानि वहन करनी चाहिये ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेल प्रशासनों को आदेश थे कि 1 अप्रैल, 1970 से समाचार पत्रों के पार्सलों पर संशोधित पार्सल दरों के मान 7 के अनुसार प्रभार लिया जायेगा ।

(ख) इन आदेशों और 1 अप्रैल 1970 से लागू होने वाली पार्सल दरों की संशोधित तालिकांए मार्च 1970 के अन्तिम सप्ताह में भिन्न भिन्न तारीखों को स्टेशनों को दे दी गई थी जो ठीक समय है ।

(ग) कोई गजट अधिसूचना जारी नहीं की गयी थी ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता । पश्चिम रेलवे प्रशासन को भी कहा गया है कि इन न्यून प्रभारों को व्यापारियों से वसल किया जाय, कर्मचारियों से नहीं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

एल० आर० डी० ई०, बंगलौर में इलैक्ट्रानिक उपकरण बेकार पड़े होने का समाचार

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : श्रीमन, मैं रक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"दोषपूर्ण उपकरणों के क्रय किये जाने के कारण एल० आर० डी० ई०, बंगलौर में, एक करोड़ रुपए के मूल्य के इलैक्ट्रानिक उपकरण बेकार पड़े होने का समाचार" ।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, बंगलौर के इलैक्ट्रानिक्स रेडार एवं विकास स्थापना में एक करोड रुपए मूल्य के कथित बेकार पड़े इलैक्ट्रानिक्स उपस्कर की सूचना ठीक नहीं है । इलैक्ट्रानिक्स रेडार एवं विकास स्थापना में सामान्यतः लगभग 4 लाख रुपए के वास्तविक क्रय मूल्य का इलैक्ट्रानिक्स उपस्कर है जो या तो पुराना पड़ जाने अथवा कई वर्ष से उपयोग में आने के पश्चात् ठीक न रहने के कारण उपयोग करने लायक नहीं रहा है । ये मदें 1966 से पूर्व क्रय की गई थीं ।

एक समिति द्वारा उपस्कर के और दूसरे उपयोग का सुझाव दिया गया है और उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने मंत्रालय पर लगाये गये सभी आरोपों का खण्डन किया है । मंत्री महोदय को ऐसे व्यक्तियों का पता लगाना चाहिये जो समाचारपत्रों में इस प्रकार के गलत समाचार प्रकाशित करते हैं ।

कुछ समय पूर्व विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का एक दल बंगलौर गया था किन्तु उसे उपकरणों को देखने की अनुमति नहीं दी गयी । मेरा सुझाव है कि उच्चस्तर के सरकारी अधिकारियों के साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये और ऐसे उत्तरदायी अधिकारियों को गोपनीय उपकरण दिखाने में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये । देश में 32 प्रयोग शालाएं है तथा उनमें हजारो इंजीनियर काम करते हैं । उनके कार्य की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिये तथा उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं जिससे वे देश में आधुनिकतम मशीनें बना सके । क्या उक्त सभी बातों का पालन हो रहा है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रकाशित समाचार नितांत गलत जानकारी पर आधारित है । सम्बद्ध समाचारपत्र को इस समाचार को प्रकाशित करने से पूर्व हमसे जानकारी लेनी चाहिये थी । मेरे विचार से उसकी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

अधिकारियो के दल की बात भी गलत है । दिल्ली से बगलौर को कोई दल नहीं भेजा गया था ।

Shri Ram Bhagat Paswan (Rasera): Inspite of the fact that huge amount is allocated every year for the defence purposes, reports regarding defective procedure of purchase and procurement of defence equipments appear in the press. How is it that big officers are not allowed to see the equipment ? I would like to know the value of the equipments declared useless. May I also know whether these equipments can be utilised some where else? May I also know whether any departmental inquiry has been conducted to find out the persons responsible for this hevy loss, and if so, what action has been taken against the persons held responsible for it?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already said that the press report is baseless. The recommendations of the Committee set up to find out the possibilities of alternative use of the rejected equipments are under examinations.

I have also said that no officer was sent there from Delhi. The present system of purchasing equipments is satisfactory and we do not propose to make any major changes in this system.

श्री एच० एम० पटेल (ढुंढका) : एक ओर मंत्री महोदय कहते है कि यह समाचार निराधार है तथा दूसरी ओर वह समाचारपत्र अथवा सम्वाददाता के विरुद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं करना चाहते । उसी सम्वाददाता ने अपने हस्ताक्षरों सहित आज के समाचारपत्र में भी कहा है कि और भी उपकरणों के दुरुपयोग के समाचार मिले हैं । एस०एस०पी० एल० में लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के उपकरण बेकार पड़े है । डी० आर० डी० एल०, हैदराबाद में 45 लाख रुपए के उपकरण को कभी कभी उपयोग में लाया जाता है । क्या इस स्थिति में मंत्री महोदय को उक्त समाचारपत्र के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करनी चाहिए ? मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय को सही जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिये । इलैक्ट्रानिक के क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति को देखते हुए किन्हीं उपकरणों का पुराना हो जाना स्वाभाविक है । किन्तु जब मंत्री महोदय समाचारपत्र में प्रकाशित रिपोर्ट को निराधार बताते हैं तो सम्बद्ध समाचारपत्र के विरुद्ध अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिये

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरा निवेदन है कि इस बात का सभा में खण्डन किये जाने के पश्चात् किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । सम्बद्ध पत्रकार के विरुद्ध कुछ कार्यवाही किये जाने की माननीय सदस्य की मांग न्यायसंगत है । पत्रकार को पहले इस जानकारी की पुष्टि करनी चाहिये थी । हमारें देश में समाचारपत्रों को स्वतंत्रता है । किन्तु यदि उनमें कोई गलत समाचार प्रकाशित होता है तो सरकार उसकी खण्डन करती है तथा संसद और देश के समक्ष तथ्यों का उद्घाटन करती है । मैं सरकारी तौर पर इन समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपार्टों का खंडन करता हूं । रक्षा मंत्रालय की ओर स उक्त पत्रकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करन की आवश्यकता नहीं है तथा इस संबंध में यदि अन्य जानकारी की अपेक्षा की गई तो उसे प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

श्री एच० एम० पटेल : हिंदुस्तान टाइम्स जैसे उत्तरदायी समाचारपत्र को इस प्रकार के गलत समाचार नहीं देने चाहियें तथा मंत्री महोदय को इस पर गंभीरता स विचार करना चाहिए (**व्यवधान**)

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस समाचार पत्र का स्तर चाहे जैसा हो, किन्तु मेरा कथन है कि उसमें प्रकाशित यह समाचार गलत है ।

श्री पी० के० देव (कालादांडी) : पत्रकार से यह अपेक्षा करना कि वे मंत्री महोदय से परामर्श करके कोई समाचार दें, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करना है । दूसरी बात यह है कि पुरानी किस्म की मशीनों का मूल्य चाहे जो हो किंतु यह सच है कि एल० आर० डी० ई० के पास कुछ ऐसे उपकरण है जो पुराने पड़ गये है । मैं जानना चाहता हूं कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का क्या कार्य है तथा उसका एल० आर० डी० ई० से क्या संबंध है । क्या एल० आर० डी० ई० के उपकरणों की जांच की जा सकती है ?

एल० आर० डी० ई० द्वारा अभी तक आधुनिक किस्म का रडार नहीं बताया जा सका जिसका नौसेना और स्थल सेना द्वारा उपयोग किया जा सके । रूस तथा पूर्वी यूरोपीय देशों से कम्प्यूटरों के लिये बड़ी संख्या में उपकरणों का आयात किया गया है जिनका मूल्य

[श्री पो० के० देव]

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कम्प्यूटरों के मूल्य से भी अधिक है । मैं जानना चाहता हूँ कि पुरानी किस्म के उपकरणों की खरीद के लिये किसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा ?

क्या विभिन्न रक्षा प्रयोग शालाओं के कार्यकर्ता की जांच करने के लिए सरकार कोई समिति नियुक्त करेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अनुसंधान संबंधी साहित्य को हमें भी उपलब्ध कराया जाएगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सामान्यतः पत्रकार किसी जानकारी की सत्यता के लिए मंत्रालयों से जानकारी प्राप्त करते हैं । उन्हें सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा उपलब्ध जानकारी दे दी जाती हैं, चाहे वे इस पर विश्वास करें अथवा नहीं । अतः माननीय सदस्य का यह तर्क कि पत्रकार मंत्रालय से क्यों पूछें, उपयुक्त नहीं है ।

रक्षा प्रयोगशालाएँ रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं तथा इस संगठन का नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है । रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार इस संगठन का पुरक अधिकारी होता है ।

कभी इस बात की आवश्यकता नहीं पड़ी की इनके कार्य की जांच कराई जाये । वर्षों तक उपयोग में लाये जाने के कारण कुछ उपकरण दोषपूर्ण हो गये तथा कुछ पुराने पड़ गये । इन उपकरणों को भी बेकार नहीं रखा जाएगा तथा विशेषज्ञों से एक दल से इस बात का पता लगाने को कहा गया है कि क्या अन्य प्रयोगशालाओं में जिनका रक्षा कार्यों से कोई संबंध नहीं है, इन उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है । यदि उनमें इनका उपयोग किया जा सकेगा तो इन उपकरणों को उन्हें सौंप दिया जायेगा ।

इस संस्थान की अनेक सराहनीय उपलब्धियां हैं । उदाहरण के लिये, इसमें मूविज टार्गेट उपकरणों का विकास और उत्पादन हुआ है तथा यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है । प्रयोग शाला में विकसित रडार को आयातित रडार से बहुत उत्तम पाया गया । अब इसका उत्पादन भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में किया जाएगा । इस अकेले उपकरण के उत्पादन से ही 15 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी ।

फील्ड आर्टिलरी रडार का विकास भी यही हुआ है तथा बी० ई० एल० में इसका उत्पादन हो रहा है । इस रडार को सेना द्वारा उपयोग में भी लाया जा रहा है । एल० आर० डी० ई० तथा बी० ई० एल० ने संयुक्तरुप से बैटलफील्ड सर्विलैंस रडार का विकास किया है । इस रडार की सहायता से 10 किलोमीटर दूरी तक शत्रू सेना की गतिविधि का पता लगाया जा सकता है । इनके अतिरिक्त, इस संस्थान ने अन्य अनेक आधुनिकतम उपरकणों का विकास किया है । अतः इस संबंध में कोई जांच कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस संस्थान में किसी दोष का पता लगाने पर उसे दूर कर दिया जाता है ।

श्री निहार लास्कर (करीमगंज) : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने इस समाचार का खंडन किया है । मेरा सुझाव है कि उपकरणों की विदेशों से खरीद के समय सावधानी बरती जाए । इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ही समस्या का सही समाधान है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये प्रयोगशाला द्वारा गम्भीर प्रयत्न किये जा रहे हैं । अनुसंधान पत्रों का उत्तर देना मैं भूल गया था । गत कुछ वर्षों में लगभग 200 पत्र प्रकाशित किये गये हैं । किन्तु जिन पत्रों को गोपनीय घोषित किया जाता है उनको हम प्रकाशित नहीं कर सकते ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE : QUESTION OF PRIVILEGE

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय ! मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया था । महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने बम्बई में वाणिज्य और उद्योग मण्डल की बैठक में यह वक्तव्य दिया था कि केन्द्र सरकार इस नीति के बारे में निर्णय करने जा रही है कि 50 प्रतिशत खाद्यान्न खुले बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा तथा शेष को अपने अधिकार में लिया जाएगा। संसद् का सत्र चालू रहने पर भी इस प्रकार का वक्तव्य दिया जाना सभा का अवमान है । मुझे यह प्रश्न उठाने का अवसर दिया जाए ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Any change in the Food Policy should be indicated in the House by the Food Minister.

अध्यक्ष महोदय : खेद है मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या राज्यों के मुख्य मंत्री को इस प्रकार की घोषणा करने की अनुमति दी जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकारों के बहुत से मंत्रियों ने यहां आकर यह मांग की कि खाद्य नीति में सुधार किया जाये । केन्द्रीय मंत्री द्वारा इस बारे में पुनः विचार किये जाने का आश्वासन दे दिया होगा । इस पर यदि राज्य सरकार के मंत्री अपने राज्य में जाकर ऐसा कह दे तो इसमें क्या दोष है ? चूंकि नीति के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई, अतः इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने जो बात कही है वह वर्तमान नीति से भिन्न है। क्या हम यह समझ लें कि अब नीतियां मुख्य मंत्रियों द्वारा बनाई जा रही हैं ?

(व्यवधान)

सभापटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रारूप योजना 1974–79

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रारूप, 1974-79 खंड 1 और 2 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6535/74]

कम्पनी अधिनियम 1956 के कार्यकरण और प्रशासन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन लागत लेखा अभिलेख (एक मुश्त औषध) नियम, 1974 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग के प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के कार्यकरण और प्रशासन संबंधी वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रंथालय मे रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 6536/74]**

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत लागत लेखा अभिलेख (एकमुश्त औषध) नियम, 1974, की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 130(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिंदी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6537/74]

(3) (एक) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 22(3) (ख) के अन्तर्गत मैसर्स हिंदुस्तान एल्युमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 11 फरवरी, 1974 का आदेश ।

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) के अन्तर्गत मैसर्स हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बम्बई के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 6 मार्च, 1974 का आदेश ।

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 22(3) (ख) के अन्तर्गत मैसर्स टेलीराड प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 21 फरवरी, 1974 का आदेश ।

(घ) उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) के अन्तर्गत मैसर्स कामानी ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 28 फरवरी, 1974 का आदेश ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदनों तथा उन पर केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अंग्रेजी संस्करणों के साथ-साथ हिंदी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाले विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6538/74]

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I am sorry to point out that Hindi Version of these papers have not been laid on the Table along with the English versions, as usual. The hon. Minister should be instructed to provide Hindi translation of all the papers laid on the Table simultaneously.

Mr. Speaker : It had been pointed out several times by me.

Shri Atal Bihari Vajpayee : There is no justification in saying that due to the non-availability of translated version it could not be laid on the Table. All the Ministries can be provided with Hindi Translations very easily.

अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों में संशोधन
AMENDMENT TO DIRECTIONS BY THE SPEAKER

महासचिव : महोदय, मैं लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश 2 के संशोधन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव स प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

"कि राज्य सभा को गुजरात विनियोग विधेयक, 1974 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 22 मार्च, 1974 को पास किया गया था, लोक सभा सकोई सिफारिश नहीं करनी है।

कि राज्य सभा को विनियोग (रेल) विधेयक, 1974 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 22 मार्च, 1974 को पास किया गया था, लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

सदस्य की दोषसिद्धि और रिहाई
CONVICTION AND RELEASE OF MEMBER
(श्री अटल बिहारी बाजपेयी)

अध्यक्ष महोदय : मैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अधिक्षक, केन्द्रीय जेल, दिल्ली, प्राप्त संदेशों के बारे में सभा को सूचित किया जिनमें 25 मार्च, 1974 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी, सदस्य, लोक सभा, की दोषसिद्धि और रिहाई के बारे में बताया गया है।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377

गुजरात में सीमेंट और कोयले की कमी

श्री के० एस० चावडा (पाटन) : गुजरात राज्य में सीमेंट की भारी कमी है। जामनगर जिले में द्वारका स्थित ए० सी० सी० कारखाने में प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों की जबरन छुट्टी किये जाने और कोयले की कमी से सीमेंट का कारखाना संकट में है।

कोयले की कमी के कारण भावनगर स्थित न्यू जहांगीर मिल बन्द होने की हालत में है। अतः सरकार को गुजरात राज्य में पर्याप्त मात्रा में कोयले की शीघ्र सप्लाई करनी चाहिये।

गुजरात राज्य की सीमेंट की तिमाही मांग 8.16 लाख टन है जबकि सरकार ने राज्य को केवल 3.16 लाख टन सिमेंट का आवंटन किया है। इसके कारण राज्य मे सीमेंट की भारी कमी है और उसकी चोर बाजारी की जा रही है। सहकारी आवास समितियों और ऐच्छिक एजेंसियों को इस सम्बध में बडी कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। सीमेंट के उपलब्ध न होने के कारण नविन निर्माण का कार्य स्थगित करना पड रहा है। अतः सरकार को राज्य का सिमेन्ट का कोटा 3.16 लाख टन से बढाकर 6 लाख टन कर देना चाहिए।

[श्री के० एस० चावडा]

दूसरे सरकार को सिमेंट का आवंटन फैक्टरीवार करना चाहिये और राज्य सरकार को आवंटन की सीमा के भीतर सिमेंट कारखानों को सिमेंट सप्लाई करने के अधिकार दिये जाने चाहियें ।

गुजरात बजट, 1974-75—सामान्य चर्चा और गुजरात राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

GUJRAT BUDG1974-75—GENERAL DISCUSSION AND GUJRAT STATE (LEGISLATIVE DELEGATION OF POWERS)

अध्यक्ष महोदय : अब दस वर्ष 1974-75 के गुजरात बजट पर आगे चर्चा करेंगे ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : सरकार ने गुजरात विधान सभा को भंग करने का निर्णय बहुत देर में लिया है । इसमें सबसे अनुचित बात यह की कि ऐसा राज्य के राज्यपाल के माध्यम से किया गया जब कि अब तक ऐसी कार्यवाही राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा की जाती रही है । राष्ट्रपति को न तो पहले सूचित किया गया न उनकी अनुमति ही ली गई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[MR. DOPUTY SPEAKER *In the Chair*]

सरकार की यह कार्यवाही बहुत अनुचित थी ।

राज्य में अब नव निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना चाहिये । आशा है राज्य में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जायेगा कि ईमानदार और देश भक्त लोग आगे आयेंगे और राज्य में लोक तांत्रिक वातावरण तैयार हो जायेगा ।

आशा है छात्र ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे उनका अथवा राज्य अथवा देश का नाम बदनाम हो ।

मैं सब प्रकार की हिंसक कार्यवाही का विरोध करता हूं ।

बजट में राज्य मे विकास कार्यों के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है । राज्य के लिये पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में अपर्याप्त धनराशि का आबंटन किया गया है ।

बजट में राज्य में बिजली की कमी, सौराष्ट्र में परमाणु बिजली घर की स्थापना, कांडला अबाध व्यापार जोन, अहमदाबाद में टेलीविजन केन्द्र संबंधी समस्याओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

गुजरात में खाद्यान्न की कमी है । वहां अनाज की फसलों की तुलना में नकद फसलें अधिक होती हैं । अतः नर्मदा जल समस्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है । यह दुःख की बात है कि दो वर्ष बीत जाने के बाद भी इस संबंध में प्रधान मंत्री ने कोई निर्णय नहीं लिया है ।

जहां तक धुवरन बिजली घर का संबंध है, सरकार को भारतीय तेल निगम से आर० एफ० ओ० को धुवरन को सप्लाई करने की अनुरोध करना चाहिये जिससे धुवरन संयंत्र सुचारु ढंग सेकार्य कर सकें ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की भर्ती नीति उचित नहीं है । 300 से 400 रुपये तथा इससे नीचे वेतन मान के पदों पर भर्ती देहरादून में की जाती है । आयोग स्थानीय लोगों की भर्ती नहीं करता ।

गुजरात में उर्वरक कारखानों में वहां के लोगों को पर्याप्त कोटा देने से इन्कार किया जाता है । इसीलिये केन्द्र ने हमारा कोटा 70 से घटाकर 54 प्रतिशत कर दिया है । राज्यमें उत्पादित उर्वरक का वहां के लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । राज्य मे 30,000 किसान गुजरात फर्टिलाइझर्स के शेयरधारी हैं । उन्हें उनका उर्वरक का शेयर दिया जाना चाहिये ।

गुजरात राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल श्री श्रीमन्ननारायण ने युवा कार्यक्रमों तथा व्यावसायिक शिक्षा के बारे में महत्वाकांक्षी योजना तैयार की थी । उक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अधिकाधिक युवा कल्याण कार्यक्रम आरम्भ किये जाने चाहिये ।

भावनगर बडौदा क्षेत्र में दो पुलों का निर्माण किया जा रहा है । इनका निर्माण 1972 में आरम्भ किया गया था लेकिन अब उनका डिजायन बदलने का प्रयास किया जा रहा है । सरकार को इस बारे में जांच करनी चाहिये ।

सरकार को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करनी चाहियें । इस बारे में सरकार को शीघ्र ही न्यायाधीकरण नियुक्त करना चाहिये । पुलिस द्वारा चलाई गई गोली तथा ज्यादतियों की न्यायिक जांच की जानी चाहिये ।

गुजरात राज्य में खाद्यान्न, कोयले और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी को दूर करने के लिये सरकार को वहां शीघ्र ही उक्त वस्तुए भेजनी चाहियें । निर्धन लोगों को सहायता देने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिये । राज्य में राष्ट्रपति शासन कुछ महीनों तक लागू रहेगा और उक्त अवधि में प्रशासन में आमूल सुधार कर नये चुनाव कराने के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाना चाहिये ।

श्री भालजी भाई परमार (दोहद) : गुजरात राज्य के युवकों के लिये पर्याप्त रोजगार के अवसरों की व्यवस्था नही की गई है । छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा रोजगार प्रधान होनी चाहिये । बढ़ती हुई बेरोजगारी को हल करने का यही उपाय है। गुजरात राज्य में पशु-पालन, डेरी, मत्स्यपालन तथा बन विभाग का पर्याप्त विकास किया जाना चाहिये । आज बनों का धीरेधीरे विनाश होता जा रही है । डेअरी विकास के लिये दुग्ध उत्पादों की सहकारी समितियां बनाई जानी चाहिये और उन्हें कैरा जिला सहकारी समिति के आधार पर संगठित किया जाना चाहिये ताकि लोगों को सहायक रोजगार मिल सके ।

कच्छ जिले में प्रत्येक तीन वर्ष बाद अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। केन्द्रीय सर्वेक्षण दल द्वारा हाल ही में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात राज्य को चालू वर्ष में 225 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 1974-75 में 1,359 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। गुजरात राज्य में लोगों की क्रय शक्ति समाप्त हो गई है और वे असहाय हो गयें हैं । केन्द्रीय सरकार को शीघ्र ही राज्य में राहत कार्य आरम्भ करना चाहिये । और लोगो की कठिनाईयों को बिना विलम्ब दूर करना चाहिये सरकार को लोगों की मोटे अनाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मोटा अनाज खरीद कर उसका स्टाक करना चाहिये और उसकी बिक्री उचित दर की दुकानों से करनी चाहिये ।

अत्यावश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को कम करने के लिये ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये अन्यथा निर्धनों का जीना दूभर हो जायेगा ।

[श्री भालजी भाई परमार]

नर्मदा परियोजना के बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिये ।

इस समय गुजरात में बिजली, उर्वरक और खाद्यान्नों की कमी है । सरकार को इनकी कमी दूर करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री एस० के० एम० इसहाक (बसिरहाट) : गुजरात में छात्रों को आन्दोलन के कारण परीक्षतओं में पास करने की परम्परा उचित नहीं है । यही बात अन्य स्थानों पर भी लागू हो सकती है और उन्हें परीक्षा दिये बिना परीक्षा पास करने के लिये कहने का बहाना मिल जायेगा । पश्चिम बंगाल में भी 1961 में यह मांग की गई थी कि 70 प्रतिशत विद्यार्थियों को उनकी योग्यता को ध्यान में रखे बिना पास किया जाना चाहिये ।

शिक्षा पद्धति में न केवल गुजरात में बल्कि समस्त देश में परिवर्तन किया जाना चाहिए । सरकार को देश में व्यवसाय प्रधान शिक्षा पद्धति आरम्भ करनी चाहिये क्योंकि जैसे ही छात्रों को यह विश्वास होगा कि उन्हें शिक्षा समाप्त करने के बाद कोई काम मिल जायेगा वे आन्दोलनात्मक रवैय्या नहीं अपनायेंगे ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : 1974-75 के गुजरात के बजट 143.37 करोड़ रुपये की परिव्यय की व्यवस्था है । कृषि कार्यक्रमों को, जिनमें सहकारित सामुदायिक विकास और सिंचाई शामिल है, प्राथमिकता दी जाती है और उनके लिये कुल परिव्यय का 37.78 प्रतिशत धन निर्धारित किया गया है । सुखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यक्रमों के लिये 3.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसका 50 प्रतिशत भाग भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । बजट में अनाज की वसुली और सप्लाई के लिये 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है आपको पता है राज्य में खाद्य स्थिति संतोषजनक नहीं है । मुझे पता चला है कि उसमें कुछ सुधार होने के संकेत मिल रहे हैं और इस नियतन से खाद्य आवश्यकताओं को तत्काल पुरा करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी ।

जहां तक विद्युत का सम्बन्ध है, 1 मई, 1960 को 315 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता थी जो चौथी योजना अवधि के अन्त तक 1142 मेगावाट हो जायेगी । जिन गांवों में बिजली लगाई गई थी, उनकी संख्या पहले 537 थी जो अब 5687 हो गई है । उकाई तापीय बिजली घर, उकाई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट और गान्धीनगर तापीय बिजली घर में काम चल रहा है इन परियोजनाओं के लिये वर्ष 1974-75 में 44 करोड़ रुपये की पर्याप्त धन राशि रखी गई है ।

भारत सरकार ने वर्ष 1972-73 में मुख्य सिंचाई परियोजनाओं और आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये योजना से इतर सहायता दी थी । इस लिये इस मद में कुछ अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय 1053 करोड़ रुपये का है । इस योजना के प्रथम वर्ष में इस राशि का पांचवा भाग खर्च किया जायेगा और इसमें प्रतिवर्ष वृद्धि होती रहेगी । यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार ने सुखे से राहत के लिये पर्याप्त धनराशि नहीं दी है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने बहुत ही उदार दृष्टिकोण अपनाया है । गुजरात को देय 60 करोड़ रुपये की राशि में से लगभग 57 करोड़ रुपये पहले ही दे दिया गया है और शेष 3 करोड़ रुपये की राशि भी शीघ्र दे दी जायेगी । सुखे और अकाल के लिये राहत देने हेतु एक विशेष प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार को सहायता दी जाती है ।

गान्धी नगर केपिटल प्रोजेक्ट को दो चरणो में बांट दिया गया है। पहले चरण पर 29.54 करोड़ रुपये खर्च होंगे और दूसरे चरण पर 16.23 करोड़ रुपऐ। अभी पहले चरण का काम हो रहा है और मार्च 1974 के अन्त तक इस कार्यक्रम पर 27.96 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस प्रोजक्ट के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के 6,221 रिहाइथी क्वार्टर तथा अन्य इमारतें पूरी हो चुकी हैं। वर्ष 1974-75 में इस निर्माण परियोजना के लिये 98 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार वर्ष 1973-74 में शिक्षा पर लगभग 60 करोड़ रुपय खर्च करेगी जबकि वर्ष 1972-73 में इस मद पर वास्तविक व्यय 55 करोड़ रुपये था। आगामी वर्ष के बजट प्राक्कलनों में शिक्षा के लिये 68 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। गुजरात सरकार ने राज्य में हुए दंगों में मृतकों और गम्भीर रूप से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिय मुआवजे के रुप में क्रमशः 5000 रुपये और 2500 रुपये दिये जाने के आदेश जारी किये हैं। राज्य में परमाणु बिजली घर बनाने का मामला विचाराधीन है। नर्मदा जल विवाद को हल करने के लिये प्रधान मंत्री द्वारा दिये जाने वाले निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। जहाज़ बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये गुजरात के सूरत जिले में हज़ीरा स्थान का सुझाव दिया गया है और भारत सरकार इस सम्बन्ध में एक तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार कर रही है।

इसके अतिरिक्त सब प्रकार के अनिवार्य खर्च के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलनों अथवा अनुपूरक अनुदानों की मांगो में व्यवस्था की जायेगी। हम जानते हैं कि गुजरात की अनेक समस्याएं है। गुजरात के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग किया जायेगा। परन्तु समस्त देश की स्थिति को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि गुजरात पिछड़ा हुआ राज्य है। यह कहना गलत है कि गुजरात के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव बरता गया है। गुजरात की स्थिति के बारे में कई वक्तव्य दिये गये हैं और मुझे आशा है कि गृह मंत्री उन पर विचार करेंगे। छात्रो में उत्तेजना का उल्लेख किया गया है। परन्तु इस उत्तेजना को विशेष रुप देना मुश्किल है। हमें गुजरात की स्थिति पर उचित रुप में विचार करना होगा क्योंकि किसी पक्ष के कार्य को बढ़ा चढ़ा कर व्यक्त करना ठीक नहीं है। संसदीय लोक-तंत्र में सीमा-विवाद, राज्यो का पुनर्गठन, भाषायी राज्य, कर्मचारियों की समस्या आदि अनेक समस्याएं पैदा होती हैं और इनको हल करने के भी तरीके हैं। इस व्यवस्था देश के किसी एक भाग के लिये किसी चीज की मंजूरी देते समय इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि क्या उसको देश के अन्य भागो में भी दिया जा सकता है ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अतः मेरा निवेदन यह है कि जो लोग इस बातमें विश्वास रखते हैं कि संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है उन्हें इस व्यवस्था की रक्षा करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये

इन शब्दों के साथ मैं सभासे अनुरोध करता हूं कि इस बजट को स्वीकृति दी जाये

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : विधान सभा का विघटन करने के सम्बन्ध में कोई मूल नीति या सिद्धांत अथवा प्रतिष्ठा के प्रश्न की बात नहीं थी। प्रश्न केवल यह था कि विघटन कब किया जाये। यह कहना अनुचित है कि हमने इस प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ था। मुख्य बात यह थी कि यदि विधिवत् गठित विधान मंडल के विधिवत् निर्वाचित सदस्यो को डरा धमका कर त्यागपत्र देने पर विवश किया जाय और इस प्रकार विधान सभा का विघटन करने के लिये भारत सरकार पर दबाव डाला जाये, तो इसका अर्थ यह होगा कि हम भी एक ऐसे निर्णय में भागीदार होंगे जो भविष्य में अच्छा नहीं समझा जायेगा मैंने पहले भी यह बात कही थी और अब भी मेरी यह राय है।

गुजरात के छात्र दिल्ली में आये थे और उन्होंने मंत्रिमंडल के एक सदस्य के साथ बैठके भी की थी और एक प्रारुप भी तैयार किया गया था। परन्तु बाद में कुछ कारणों से उसमें

[श्री उमा शंकर दीक्षित]

परिवर्तन किया गया । अन्त में वे नौजवान निराशा की स्थिति को अधिक देर तक सहन न कर सके और उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया और वे जेल चले गये । जेल जाने से पहले और बाद भी वे रचनात्मक कार्य करने के लिये रज़ामन्द थे और वे केन्द्रीय सरकार और देश की नेता की नीयत में विश्वास रखते थे । मैंने छात्रों का प्रारुप देखा था और बाद में मुझे पता चला कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं । मैंने जेल प्राधिकारियों को कहा कि उन्हें मुझसे मिलने की अनुमति दी जाये परन्तु उसमें काफ़ी दूरी के कारण कुछ समय लग गया और जब वे आये तो रात के 11.30 बज चुके थे । फिर वे प्रधान मंत्री से मिलना चाहते थे । स्वभावतः उस समय प्रधान मंत्री से मिलना मुश्किल था अतः उन्हें सुझाव दिया गया कि वे लिख दें कि वे केन्द्रीय नेताओं से मिले थे । बाद में वे प्रधान मंत्री से भी मिले थे और उनकी उपस्थिति में उनमें से चार छात्रों ने हस्ताक्षर किये और मैंने स्वयं यह सब कुछ देखा था । यह कहना गलत है कि उनपर किसी प्रकार का कोई दबाव डाला गया था।

जहां तक जमाखोरी रोकने का संबध है मुझे बताया गया है कि 2500 छापे मारे गये थे ; 75,000 क्विंटल मूंगफली बरामद की गयी थी; अन्य प्रकार का पकड़ा गया अनाज लगभग 2400 क्विंटल था ; लाइट डीजल आयल 50,0,700 लिटर पकड़ा गया था । अतः यह कहना गलत है कि जमाखोरी रोकने के लिये छापे मारने का प्रयत्न नहीं किया गया था या उनमें कोई सफलता नहीं मिली थी । सीमा चौकियों की मंजूरी दी गई है । गुजरात में अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया गया है । वहां पर ऐसे अनेक संस्थाएं हैं जिनमें सेवा करने की सच्ची भावना है और उनकी सहायता का पूरा उपयोग किया जा रहा है ।

जहां तक बेरोजगारी का संबंध है गुजरात में देश के अन्य भाग से भिन्न स्थिति है। गुजरात का नवयुवक नौकरी करने में रुचि नहीं रखता बल्कि वह उद्योग, वाणिज्य व्यापार तथा उत्पादक कार्य करना चाहता है, अतः यदि हम गुजरात में बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं तो हमें उन तरीको से भिन्न तरीके अपनाने होंगे जो हम देश के अन्य भागों में अपनाते हैं। हमें वहां पर बड़े पैमाने पर मध्यम और लघु उद्योग स्थापित करने के लिये विशेष प्रयत्न करने होंगे । लघु उद्योग से मेरा अभिप्राय कुटीर उद्योग से है । मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि हम उसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे जो वहां के लोगों को पसंद है । निःसंदेह गुजरात की जनता को कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा है । हमने उस कठिन स्थिति में भी उनका साथ दिया है और अब भी रुकावटों और कटुता को दूर करने के लिए तो संयुक्त प्रयत्न किये जायेंगे और उनकी भावनाओं को शान्त करने के लिये जो भी उपाय किये जायेंगे, हम उनके साथ हैं ।

श्री के० एस० चावड़ा : जब तक आप मूल्य कम नहीं करेंगे तब तक रोष समाप्त नहीं होगा । सरकार ने स्वयं ही मोटे अनाज के मूल्य बढ़ा दिये हैं । सरकार ने मूल्य कम करने के लिये क्या कदम उठाये है ? यह सारा आन्दोलन मूल्यों में वृद्धि के विरुद्ध है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह समझना सही नहीं है कि सरकारी आदेश जारी कर देने मात्रसे ही मूल्य कम हो जायेंगे । मैं बता रहा था कि कृषि क्षेत्र में बीज तथा उर्वरकों की मूल्यों में वृद्धि होने के कारण ही अनाज के मूल्य बढ़े हैं । अब यदि माननीय सदस्य यह कहें कि किसानों को इस महंगाई के लिये ऊंचे मूल्य न दिये जाय तो यह गलत बात होगी । इस बारे में कोई भी उनसे सहमत नहीं होगा । मूल्यों में कमी करने का एकमात्र उपाय खेतों तथा कारखानों में उत्पादन बढ़ाना है । उत्पादन बढ़ाने से ही मूल्य स्थिर हो सकते हैं ।

श्री जगन्नाथराव जोशी यह बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि गुजरात की सहायता करने की जरूरत है फिर न जाने वह क्यों भड़क उठे और कह बैठे :"क्या हम को संगठन करने का अधिकार नहीं है ? जनता कहती है कि हम सड़क हल करेंगे हम निर्दोष नहीं है; हम आकाश से नहीं उतरे हैं ।" यद्यपि इसमें भी श्री जोशी ने बड़ी ईमानदारी से अपने दल की स्थिति स्पष्ट की है परन्तु उनका यह कहना उनके दल को हित में भी नहीं है कि जनता गली गली में लड़ाई लड़ेगी । मैंने इसका यह अर्थ लिया है कि उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग तो किया है परन्तु उनका आशय ऐसा नहीं है ।

श्री कृष्णन का यह कहना तो सही है कि हमें गुजरात की घटनाओं से सबक लेना है । परन्तु क्या सबक लेना है किसी प्रकार का सबक लेना है ? यह जरुर सोचने और समझने की बात है ।

श्रीमती मनीबेन पटेल का यह कहना यही है कि गुजरात में भोजन की समस्या से यह कठिनाई पैदा हुई है । इस लिये यह फिर वही प्रश्न आधारभूत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा वितरण में सुधार करने का है । उसी स यह समस्या हल होगी। जहां तक अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात है, उसके लिये यदि मुझे विशिष्ट आरोपों की जानकारी मिले तो मैं कार्यवाही कर सकता हूं ।

श्री के० एस० चावड़ा : हमने प्रधान मंत्री को 17 जनवरी को मिल कर दिया था कि आपने दल ने चुनाव लड़ने के लिये 25 लाख रुपया लिया ।

श्री **उमाशंकर दीक्षित** : यह कोई आरोप नहीं है, जिसकी जांच की जा सके, जब तक की यह न बताया जाये कि किस दल के किस व्यक्ति ने किससे कितनी राशि ली । पहले भी हमें कुछ समाचार-कतरने भेजकर भ्रामक बातें बताई गई और बाद में वे बात निराधार निकलीं। हां यदि कोई जिम्मेदार आदमी हमें किसी मामले की जानकारी देता है तो हम निश्चय ही उसकी जांच करने के इच्छुक रहते है ।

श्री मधु दंडवते ने छात्रों की कार्यवाही का समर्थन किया और उन्हे महात्मा गांधी के पद-चिन्हों पर चलने वाला बताया । इस कार्यवाही द्वरा गांधी जी के पथ पर चलने का यह एक नया ही आदर्श मालूम होता है । गांधी जी का दंडी मार्च समूचे राष्ट्र के लिये एक विदेशी सत्ता के विरुद्ध था । जबकि यह तों अपने ही देश का मामला है । श्री पी० जी० मावलंकर स्वयं उन छात्रों के दल के नता थे । वह जानते होंगे ।

श्री पी० जे० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दुं । मैं किसी दल का नेता नहीं था । मैंने तो मद्रास से वापस आकर छात्रों से केवल इतना कहा था कि वे अपना संघर्ष जारी रखें और यह संघर्ष किसी दल अथवा किसी प्रकार की हिंसा को लेकर न हो ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं भी यही कहना चाहता हूं और यह माननीय सदस्य के हक में ही जाता है कि वह छात्रों की हिंसात्मक कार्यवाहियों से सहमत नहीं थे । जबकि श्री मधु दंडवते उनकी तुलना महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति के साथ कर रहे है । (**व्यवधान**)

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : जिस काम को कोई भी आदमी 26 वर्षों में नहीं कर सका, छात्रों ने उसे दो महीनों में करा दिया अर्थात् वहां की सरकार को गिरा दिया ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : वहां सरकारें कई बार बदली हैं, परन्तु उसमें श्री पीलू मोदी का कोई योगदान नहीं था । माननीय सदस्य का पद कहना भी गलत है कि सैना के जवानों ने वोट डाले । वे भला किसके लिये और क्यों वोट डालते ?

श्री पी० जी० मावलंकर : राष्ट्रपति को पहले सूचित क्यों नहीं किया गया था ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : जो बातें राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा मंत्री परिषद के बीच होती हैं उनकी चर्चा यहां करने की परम्परा नहीं है । प्रधान मंत्री को राष्ट्रपति के विचार मालूम थें . . . (**व्यवधान**) फिर राष्ट्रपति ने जहां राज्यपाल से शक्तियां वापस लेने का आदेश जारी किया वहां उसे शक्तियां वापस करने का आदेश भी जारी किया । इसमें संविधान की अशक्तता का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री डी० डी० देसाई ने तो ऐसा निराशपूर्ण चित्र पेश किया कि मानो गुजरात में राष्ट्रपति के शासन के दौरान या श्री घनश्याम ओझा के शासन के दौरान कुछ विकास नहीं हुआ । गुजरात की प्रतिव्यक्ति आय पंजाब और हरियाणा को छोड़ कर, अन्य सभी राज्यों से अधिक है । इस लिये यह कहना अन्यायपूर्ण है कि गुजरात की उपेक्षा की जाती रही है । इसका अनुमान उस बात से भी हो सकता है कि चौथी योजना के दौरान गुजरात के लिये हर वर्ष निर्धारित राशि से अधिक राशि खर्च की गई और वह राशि भी निरन्तर बढ़ती ही गई । इस अवधि में श्री घनश्याम ओझा की सरकार का ही शासन था। इसी प्रकार बाद में भी राष्ट्रपति शासन के दौरान और मुख्य मंत्री के शासन में खर्च निर्धारित परिव्यय से अधिक हुआ जबकि इस बीच गुजरात में उपद्रव भी हुए थे । सिंचाई कमेटी के लिये भी वहां बहुत धनराशि खर्च की गई

कहा गया है कि गुजरात में विद्युत कार्यों की उपेक्षा की गई । यह सच है कि देश में विद्युत प्रजनन कम हो रहा है । चौथी योजना के आरंभ में स्थापित क्षमता 618 मैगावाट की थी जबकि लक्ष्य 1064 मैगावाट का रखा गया और योजना के अन्त में हमने 1142 मैगावाट बिजली पैदा की । चौथी योजना के आरम्भ में 3048 गावों में बिजली थी तथा लक्ष्य 5000 का था, मगर वास्तव में 5687 गांवों के लक्ष्य की प्राप्ति हुई । चौथी योजना के आरंभ में 37,735 पम्पसेटों को बिजली प्राप्त थी परन्तु योजना के अन्त तक 1,40,651 पम्पसेटों को विद्युत मिल गई ।

मेरे विचार से उपरोक्त आंकड़े सभा को यह बता देने के लिये काफ़ी हैं कि गुजरात में विकास की उपेक्षा नहीं हुई है और वहां खूब विकास हुआ है । मेरा सभा से अनुरोध है कि वह इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दे ।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : गृह मंत्री ने कहा है कि हमने गुजरात की घटनाओं से सबक़ लिया है और एक सबक़ यह भी है कि वहां की समस्याओं का समाधान वहां उत्पादन में वृद्धि करना है । परन्तु उन्होंने उसके लिये कोई ठोस योजना नहीं बताई है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह एक बड़ा उत्तम सुझाव है । वैसे तो हम सारे देश में ही उत्पादन बढ़ाने तथा फलस्वरूप मूल्यों में कमी लाने के लिए तत्परता से प्रयास कर रहे हैं । परन्तु यह एक व्यापक प्रश्न है और इस पर चर्चा सामान्य बजट के दौरान की जा सकती है। यह प्रश्न तो विशेष रूप से गुजरात के बारे में है ।

श्री एच० एम० पटेल : फिर भी एक राज्य में मूल्य वृद्धि का दूसरे राज्यों पर भी कुप्रभाव पड़ता है । अब क्योंकि मुझे पता है कि कुछ निर्णय ऐसे लिये गये हैं जिनसे मूल्यों में वृद्धि होगी तो मैं जानना चाहूंगा कि इसे रोकने के लिये क्या किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत ही व्यापक प्रश्न है और समूचे देश से इसका संबंध है । आप इस बारे में फिर कभी चर्चा कर सकते हैं ।

गुजरात में हुई घटनाओ तथा वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं इस चर्चा की और आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा । यहां बहुत कुछ कहा गया है और मैं नहीं जानता कि उससे गुजरात में सामान्य स्थिति तथा शांति स्थापित करने में कितनी सहायता मिलेगी। आज के समाचार पत्रों में छात्र आन्दोलन में फूट के समाचार हैं। पता नहीं हमारी चर्चा का वहां शांति स्थापना पर कितना प्रभाव पड़ेगा । अब प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति को गुजरात राज्य के विधान-मण्डल की, विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 तथा 3, खण्ड 1,अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 तथा 3, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 2 and 3, clause 1, the Enacting Formal and the Title were added to the Bill.

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अनुदानों की मांगें, 1974-75
DEMANDS FOR GRANTS, 1974-75

औद्योगिकी विकास मंत्रालय

और

विज्ञान और औद्योगिकी विभाग

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा औद्योगिक विकास मंत्रालय की मांग संख्या 57 से 59 तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की मांग संख्या 99 से 101 पर चर्चा तथा मतदान करेगी । इनके लिये सात घंटे का समय नियत किया गया है ।

सर्वश्री ज्योतिर्मय बसु, सरदीश राय तथा रेणुपददास ने औद्योगिक विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्तावों की सूचना दी हुई है । क्या वे इन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं ? ये मांगें सभा के समक्ष हैं ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
57	29	डा० सरदीश राय	उद्योग स्थापित करने में विदेशी सहयोग की वर्तमान नीति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय ।
,,	30	डा० सरदीश राय	एकाधिकारी गृहों पर रोक लगाने में असफलता	,,
,,	31	डा० सरदीश राय	देशमें लगी समस्त निजी विदेशी पुंजी का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	,,
,,	32	डा० सरदीश राय	केन्द्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान केन्द्र , बरहामपुर, पश्चिम बंगाल में आयु तथा न्यूनतम योग्यताओं के संबंध में समान भर्ती नियम बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	33	डा० सरदीश राय	बरहामपुर, केन्द्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान केन्द्र, पश्चिम बंगाल, के कार्यालय परिसर में कानून और व्यवस्था लागू करने में असफलता ।	,,
,,	34	डा० सरदीश राय	पीतल और बेल धातु उद्योगों को पुनर्जिवित करने के विषय में नया दृष्टिकोण अपनाने में असफलता ।	,,
,,	35	डा० सरदीश राय	राज्य व्यापार निगम द्वारा पीतल और बेल धातु के बर्तनों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का पता लगाने में अफसलता ।	,,
,,	36	डा० सरदीश राय	केन्द्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान केन्द्र, बरहामपुर, पश्चिम बंगाल में प्राधिकारियों द्वारा गैर-कानूनी निक्षिप्तियां ।	100 रुपए ।
,,	37	डा० सरदीश राय	पश्चिम बंगाल में सहकारी आधार पर पीतल और बेल धातु उद्योग के पुनर्गठन की आवश्यकता ।	,,
,,	38	डा० सरदीश राय	बरहामपुर केन्द्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान केन्द्र में बाह्य तथा समाज विरोधी तत्वों की घुसपैठ जिसके कारण मान्यता प्राप्त संगमों के सामान्य कार्यकरण में बाधा पैदा हो रही है ।	,,
,,	39	डा० सरदीश राय	केन्द्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान केन्द्र, बरहामपुर पश्चिम बंगाल के आकस्मिक संदत्त मजदूरों को बढ़ा हुआ मासिक वेतन देने में असफलता ।	,,

औद्योगिक विकास मंत्रालय की मांगों के सम्बध में निम्नलिखित कटौतीप्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
57	40	डा० सरदीश राय	केन्द्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान केन्द्र, बरहामपुर पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों और कर्मकारों को वेतन और मजदूरी न देना ।	100 रुपये ।
59	41	डा० सरदीश राय	खादी और ग्रामीद्योग आयोग में फीजूल खर्ची रोकने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय ।
,,	42	डा० सरदीश राय	अम्बर चर्खा की कम उत्पादिता की समीक्षा करने की आवश्यकता और उसमें हो रहे बेकार के व्यय को रोकने में असफलता ।	,,
,,	43	डा० सरदीश राय	असंतुलन कम करने के उद्देश्य से पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपए ।
,,	44	डा० सरदीश राय	बड़े उद्योगों की अत्यधिक प्रतियोगिता के मुकाबले लघु उद्योगों को समर्थन देने की निश्चित नीति का विकास करने में असफलता ।	,,
,,	45	डा० सरदीश राय	रियायती दरों पर औजारों की सप्लाई की व्यवस्था करने तथा छोटे उद्योगों को सहायता देने की आवश्यकता	,,

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : सरकार की गलत नीतियों के कारण औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ रहा है । बिजली के अभाव, कच्चे माल की कमी, मूल्यों में वृद्धि तथा उत्पादन में कमी के कारण देश में औद्योगिक संकट पैदा हो गया है ।

सरकार औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के गलत आंकड़े देती रही है और एकाधिकार प्राप्त उद्योग चुपचाप अपनी स्थापित क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं ।

वर्ष 1973-74 के 'इकोनामिक सर्वे' के अनुसार वर्ष 1973 के पहले अर्धभाग में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक घटा है । इस्पात, विद्युत तथा उर्वरक जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगों का कार्यकरण सर्वथा असन्तोषजनक रहा है । लगता है कि चालू वर्ष के शेष भाग में औद्योगिक उत्पादन भी बहुत कम रहेगा । हालांकि जनवरी, 1971 से अबतक की अवधि में औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में कमी ही आती गई है परन्तु एकाधिकार गृहों तथा बड़े बड़े एककों ने बहुत भारी मुनाफा कमाया है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में 201 बड़े औद्योगिक उपक्रम हैं और 1972-73 में उन्हें पूंजी पर 10.5 प्रतिशत का लाभ हुआ है । फिजर जैसे बहुत बड़े एकको ने तो अपनी पूंजी पर 32.6 प्रतिशत तक का लाभ अर्जित किया है । वर्ष 1973 में सरकार ने अपनी औद्योगिक लाइसेंस

[डा० सरदीश राय]

नीति में बड़ी शर्मनाक तब्दीली की है । उद्योगों में कतिपय अनिश्चितताओं को दूर करने के बहाने केन्द्र सरकार ने एकाधिकार गृहों को अधिक रियायतें दीं तथा उन्हें अपनी कार्यों का विस्तार करने तथा पिछड़े क्षेत्रों में अपने उद्योग स्थापित करने की अनुमति और प्रोत्साहन दिये ताकि वे और अधिक लाभ कमा सकें । सरकार बड़े बड़े व्यापार गृहों के सामने घुटनें टेकती जा रही है तथा अपनी नीतियों को उनके लाभार्थ बदल रही है ।

हाल ही में पेश किया गया बजट भी इसी बात का द्योतक है । इसमें आम जनता पर तो भारी कर लगाये गये हैं परन्तु निजामत क्षेत्र को बिल्कुल नहीं छुआ है । मशीनरी तथा जहाजों की खरीद में उनको अग्रेतर एक वर्ष के लिये विकास छूट दी गई है। साथ ही अधिक आय वालों के लिय आयकर की दर को 97 75 प्रतिशत से घटाकर 77 प्रतिशत कर दिया गया है । इस प्रकार बड़े-बड़े व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को ये रियायतें दी गई हैं ।

पूंजीवादी देशों के साथ सहयोग की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है । विदेशी सहयोगियों द्वारा लगाये गये बायलर फट गये हैं जिसके फलस्वरूप उत्पादन रुक गया है । उर्वरक कारखाने में काम रुक जाने की घटनायें तो सामान्य बात हो गई हैं । यहां तक कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र तक खराब होते जा रहे है । राऊरकेला स्थित इस्पात संयंत्र भी निर्धारित क्षमता से कम इस्पात का उत्पादन कर रहा है। आजादी के बाद 25 वर्षों के दौरान भारत सरकार ने 3600 विदेशी सहयोग करार किये हैं । इस प्रकार का सहयोग अब गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे टूथ पैस्ट, टैनिस बालों आदि के मामलों में भी किया जा रहा है। भारत में नीजि विदेशी पूंजी 1948 में 256 करोड़ रुपए से बढ़कर 1400 करोड़ रुपए हो गई है ।

बड़े बड़े उद्योगपति नियंत्रित मूल्य वाला कपड़ा बनाने के लिये तैयार नहीं है । चूंकि वे बढ़िया कपड़े के उत्पादन से बहुत अधिक लाभ कमाते हैं, इसलिये वे ऐसा कर रहे हैं । राष्ट्रीय कपड़ा निगम निष्प्रभावी ढंग से काम कर रहा है ।

हथकरघा उद्योग पर लगभग 30 लाख लोक निर्भर करते हैं परन्तु उन्हें पर्याप्त मात्रा में सूत उपलब्ध नहीं किया जा रहा है । इससे मजदूरों में बड़े पैमाने पर बेकारी फैल रही है और मजदूरों की मजदूरी कम होती जा रही है । सरकार इस पर ध्यान दें ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लघु उद्योगों की अच्छी सेवा नहीं कर रहा है । बड़े बड़े लोगों को ही लाभ हो रहा है । सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करे ।

पीतल धातु उद्योग में स्थिति सुधारी जाये और पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराया जाये। इसके उत्पादों की बिक्री के लिये भी उचित व्यवस्था की जाये ।

बरहामपुर स्थित सेंट्रल सेरीकल्चर इन्स्टीटचूट में कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिलता । मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और समाजविरोधी तत्वों को गड़बड़ न करने दें । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के विरुद्ध भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें हैं । मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें ।

औद्योगिक नीति इस प्रकार संशोधित की जाये कि सभी 93 एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये । भारत में लगी समूची नीजी विदेशी पूंजी का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये । विदेशी सहयोग संबंधी वर्तमान नीति में परिवर्तन करके सभी विदेशी सहयोग समझौते समाप्त कर दिये जायें । छोटे उद्योगों की सहायता की जाये और बड़े बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता समाप्त करके छोटे उद्योगों को सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध की जायें ।

कार्मिकों को सभी औद्योगिक एककों के प्रबंध में प्रतिनिधित्व दिया जाये । कर्मचारियों को कार्मिक संघ बनाने और अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखने के लिये पूरी आजादी होनी चाहिये । सभी कर्मचारियों के लिये आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन और बोनस की नीति को लागू किया जाये ।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : Management of the public sector undertakings should be entrusted to technical experts. There has been considerable loss in production on account of mis management and defective licensing policy. Government should look in to it.

It is generally alleged that public sector undertakings are not earning as much profit as their counterparts in private sector. It should be remembered that huge amount of money is spent on public amenities like housing, schools, electricity etc. for workers in public sector undertakings. Therefore, the margin of profit in public sector undertakings could not be compared to the private sector.

Government took a very long time in taking a decision in regard to the take over of side mills, whith the result that Govrnment received only junk for which huge compensation had to be paid. 103 textile mills were taken over by the Government, out of which 34 are being run by the National Textile Corporation and 67 by different State Textile Corporation their management is satisfactory . Necessary attention has not been paid towards proper functioning and renovating of the plants. In order to see that the plants functions efficiently and profitably, neccessary attention should be paid towards renovating and modernising them.

In order to boost up industrial production, the practice of payment of overtime allowance and lay off compensation of workers should be discontinued.

***एस० ए० मूरुगनन्तम** (तिरुनेलवली) : हमारा औद्योगिक उत्पादन निरंतर घटा जा रहा है । इस्पात, कोयला, सीमेंट, अखबारी कागज, वनस्पति आदि सभी मुख्य औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन घटा है । सरकार ने कोयले का उत्पादन 790 लाख टन से 950 लाख टन तक और इस्पात का उत्पादन 50 लाख से 100 लाख टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है । मुझे इन लक्ष्यों के पूरा होने में संदेह है ।

सरकार सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की बजाय गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रही है । तीसरी योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित पूंजीगत परिव्यय 1050 करोड रुपये था जो पांचवी योजना में बढ़कर 5200 करोड़ रुपया हो गया है । गैर-सरकारी क्षेत्र को विदेशों से भी सहायता मिलती है । उन्हें बहुत लाभ होता है । काला धन भी बढ रहा है ।

अपने देश में एकाधिकारी गृहों के विकास की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । "इकानामिक टाइम्स" में इस विषय पर 3 दिसम्बर से 6 दिसम्बर, 1973 तक एक लेखमाला छपी थी । वर्ष 1972-73 में एकाधिकारी गृहों के विकास में असाधारण वृद्धि हुई जबकि औद्योगिक विकास मंत्री का दावा है कि उसमें साधारण वृद्धि हुई है । वर्ष 1971-72 में उनके पूंजीनिवेश में 56.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । दूसरी बात यह है कि वर्ष 1972-73 में जीवन-बीमा निगम ने इनकी बिमा संबंधी आवश्यकताओं का 42 प्रतिशत पूरा किया । सरकार कहती है कि इनके विकास पर नियंत्रण किया जा रहा है जबकि उसमें वस्तुत: वृध्दी होती जा रही है । सरकार ने उन्हें वे उद्योग लगाने की अनुमति भी दे दी है, जो लघु क्षेत्र के लिए सुरक्षित थे । उदाहरणार्थ टेलीविजन सैट बनाने की अनुमति टाटा बन्धुओं की 'नेलको' नामक फर्म को दे दी गई है । अधिक उत्पादन के नाम पर एकाधिकारी गृहों के विस्तार को

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रुपांतर ।

Summarised translated version based on english translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री एस० ए० मूरुगनन्तम]

बर्दाश्त किया जा रहा है । उसके पीछे एक भारी साजिश यह है कि एकाधिकारी गृहों का लघु क्षेत्र की कीमत पर विस्तार हो । कृत्रिम रेशे, टूथ पेस्ट, बिस्कुट, मूंगफली की खली आदि के क्षेत्र में बड़े उद्योग-गृह घुस गये हैं । राज्य सरकारें गैर-सरकारी उद्योगपतियों के साथ मिलकर संयुक्त क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं । अन्य सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए क्रमशः 62 प्रतिशत और 38 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है । इसे 80 और 20 प्रतिशत किया जाना चाहिए । सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ वहां के श्रमिकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और उनमें लाभ का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किये जाने चाहिए । वहां कदाचार समाप्त किया जाना चाहिए और दोषी अधिकारियों को दंड दिया जाना चाहिए ।

यद्यपि सरकार की यह घोषित नीति है कि एकाधिकारी गृहों के विकास को रोका जाये परन्तु वर्ष 1971 में उन्हें 114 औद्योगिक लाइसेंस, 1972 में 61 औद्योगिक लाइसेंस और 1973 में 48 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये । एकाधिकार को रोकने का यह कौनसा तरीका है । सरकार ने भारतीय सीमेंट निगम की स्थापना की है और सरकारी क्षेत्र में दो नये कारखाने स्थापित किये गये हैं । किन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र में ए० सी० सी०, डालमिया और बिरला जैसे बड़े उद्योग गृह छोटे-छोटे सीमेंट कारखाने लगाकर सरकारी क्षेत्र के सीमेंट उद्योग की प्रगति को रोकना चाहते हैं । गैर-सरकारी क्षेत्र के उस प्रयास को विफल बनाना चाहिये ।

आजादी के 25 वर्ष बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था पर विदेशी पूंजी का बहुत हद तक नियंत्रण है । वर्ष 1972-73 में भी हिंदुस्तान लिवर, यूनियन कार्बाइड, फिलिप्स इंडिया ब्रूक बोंड, ग्लेक्सो, गुड इअर और सीएट टायर्स आदि कम्पनियों ने बहुत अधिक लाभ कमाया है । हमारे देश में लोग लम्बे अरसे से यह मांग करते आ रहे हैं कि विदेशी एकाधिकार वाली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाये । किंतु सरकार की नीतियां ऐसी है कि वे अधिकाधिक लाभ कमाते जा रहे हैं । औद्योगिक विकास मंत्री को देश में विद्यमान सभी विदेशी फर्मों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव लाना चाहिए ।

पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु वर्ष 1970 से 1973 तक 232 औद्योगिक लाइसेंस और 284 आशयपत्र जारी किये गये । किन्तु आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण भारत के राज्यों के लिये उक्त अवधि में केवल 64 औद्योगिक लाइसेंस और 80 आशय पत्र जारी किये गये । इस मामले में दक्षिण राज्यों की उपेक्षा की जा रही है । उनका समुचित औद्योगिक विकास किया जाना चाहिए । पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिय जो 10 प्रतिशत राज सहायता दी जाती है उसको वितरण भी ठीक प्रकार से नहीं किया गया है। तमिलनाडु के 638 आवेदनों में से कुल 59, महाराष्ट्र 315 में से केवल 120 और आसाम के 108 आवेदनों में से केवल 28 को स्वीकृत किया गया । केन्द्र सरकार के इस भेदभाव पूर्ण रवैये की मैं भर्त्सना करता हूं ।

केरल से नारियल जटा का 80 प्रतिशत का निर्यात किया जाता है । किन्तु विदेश व्यापार मंत्री के आश्वासन के बावजूद उसका निर्यात व्यापार सरकारी संस्थाओं के माध्यम से नहीं किया जाता है । केरल सरकार ने नारियल जटा उद्योग के पुनर्गठन के लिये 30 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केन्द्र के पास भेजा था । किंतु केन्द्रीय सरकार ने केवल एक करोड़ रुपए की राशि इस कार्य के लिए इस वर्ष के बजट में रखी है । चमड़े की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र के फुटवियर कारपोरेशन को मजबूत बनाना चाहिए। तूतीकोरीन में नमक का उत्पादन होता है । वहां नमक का भंडार बढ़ता जा रहा है और रेल वैगन और जहाज उपलब्ध नहीं है । परिणामतः आसाम और पश्चिम बंगाल में नमक का भाव 1 रुपया प्रतिकिलो है । नमक आयुक्त को इस ओर ध्यान देना चाहिये । शिवकाशी, कोयलपट्टी, कालुगुमाली और तमिलनाडु के पड़ोसी क्षेत्र में लाखों लोग माचिस बनाने का काम करते हैं किन्तु उन

पर्याप्त माता में पोटॅशियम क्लोराइड नहीं मिल पड़ रहा है, चूंकि इसके उत्पादन पर तीन बड़े औद्योगिक गृहों का एकाधिकार है। इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु और अधिक औद्योगिक लाईसेंस दिये जाने चाहिये। जहां तक खादी के उत्पादन का सम्बन्ध है, 1968-69 की तुलना में 1972-73 में खादी का उत्पादन बढ़कर 772 लाख वर्गमीटर हो गया किंतु इसमें रोजगार अवसर 13 लाख से घटकर 12 लाख रह गये। यह विरोधाभास समझ में नहीं आया। तुतीकोरीन में एक ऐसा कारखाना लगाया जाय जिसमें पामीए के तन्तुओं और डठंलों से 'प्रेस' और 'ब्रूम' बनाये जाये, जो खादी आयोग द्वारा बेचे जायें। एक सर्वेक्षण के अनुसार कच्चे माल के बनाये निमित ब्रूम आदि के निर्यात की काफी गूंजाइश है।

अन्त में मैं लोक लेखा समिति की उन टिप्पणियों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन और उसके चैयरमैन के विरुद्ध हैं। उसके चैयरमैन श्री आर० के० सेठी अब भी अपने पद पर आसीन है। इस मामलों में मंत्री महोदय द्वारा स्वयं उच्चस्तरीय जांच की जाये। टायर और टचूबों में हो रही चोर बाजारी भी मंत्री महोदय जांच करे साधारण टायर और टच्यूब का एक जोड़ा चोरबाजार में 4100 रुपये मे मिलता है जबकि उसका मूल्य केवल 2100 रुपये है। नायलन का टायर-टच्यूब जोड़ा 6500 रुपए का मिलता है जबकि उसकी कीमत 2480 रुपये है। अब तक लगभग 4000 विदेशी सहयोग के आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं। इससे अपने देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों में बेरोजगार बढता जा रहा है। स्वदेशी वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ाने का यह तरीका नहीं है। अपने ही देश के प्रतिभा संपन्न लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : Mr. Chairman, Sir, I support the demands of the Ministry of Industrial Development and Science and Technology Department. But I would like to say that the Industrial Policy Resolution of 1956 has not been properly implemented. Had it been done, the situation in the country would have been different and the points raised about the industrial development of backward areas from time to time, would have not arisen. There is no doubt that many new industries had been set up in the country and there has been enough progress in this regard. But the priority industries, which needed more attention, have not been developed much. On the contrary, non-priority industries have been developed much. It means that the development of industries has not taken place as was diserable. For instance, the production of commercial vehicles, Milk powder, sugar, vanaspati, baby food has increased while the production of beer, wine, air-conditioners, refrigerators has increased.

As regards Science and Technology, there has been foreign collaborations in 4000 cases and with these foreign collaborations foreign money and know-how also come in. In view of it I doubt whether science in our country will make any progress. I request the Minister that such foreign collaboration with Import of foreign know-how should not be encouraged in future.

So far as the small scale industries are concerned, they are employment oriented and Government should set up small scale industries in backward areas of the country in order to remove their backward ness. At present the number of small scale idustries in our country is 4,05,000. Some of them are only on papers and such industries sell thier raw material in blackmaket. On the other hand some genuine industries are not gettig enough raw material. This should be looked into and stern action should be taken against bogus firms. As regards industrial co-operatives, their number was said to be 4,8800 at the end of 1973. This figure appears to be incorrect. An inquiry should be made in this case also.

The Khadi and Village Industries Commission was set up to encourage industries in rural areas of the country. But this organisations has not been functioning properly. In Jaunpur district the perfume oil industry, which is cottage industry there, is not making progress because it cannot compete with the big perfume oil industries. More over, sales tax has been imposed on perfume oil produce by cottage industry as well as on that,

[Shri Rajdeo Singh]

produceb by big industry. If this rural industry is exempted from sales tax, it can come uP It can be exempted from sales tax on the recommendation of the Khadi and Village Industries Commission. We wrote several times to the Commission to do the needful in the matter but they do not care even to reply. The Minister should pay attention to this matter.

In regard to backward areas. I would like to submit that those areas should be considered backward where the per capita income is the lowest. But according to the new difinition evolved by the Planning Commission that district is considered backward which does not have any industries even though the per capita income is quite high there. It is not proper. Only economic condition should be taken into consideration while determining the backwardness of a particular area. There are 62 districts which are economically backward and priority should be given to these districts in the matter ofsetting up industries. There are 29 economically backward districts in Uttar Pradesh but only 6 have been selected for the purpose. More districts should be taken from the states which have more backward districts. About 15 districts of Uttar Pradesh are very backward and the people living there are very poor Some concrete steps should be taken for their industrialisation. In this context I would like to point out one thing that the capitalists are not interested in setting up industries in backward areas. Government issued letters of intent for setting up of industries in backard areas but the industrialists do not want to establish the industries in the areas for which letters of intent are issued, so they applied for change of location. Permission should not be granted for such a change and such industrialists should be blacklisted. With these words I support all the three demands.

*श्री ई० आर० कृष्णन : (सलेम) सभापति महोदय, मैं अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से औद्योगिक विकास मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वर्ष 1974-75 की अनुदानों की मांगों के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज देश के सामने विद्युत की कमी, तेल के संकट और परिवहन गतिरोध के कारण आर्थिक संकट है और इसमें औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये औद्योगिक मंत्री को गुरुतर दायित्व निभाना होगा। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक उत्पादन में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी परन्तु तीसरी और चौथी योजनाओं में वृद्धि की प्रतीशतता कम रही। वर्ष 1965-66 में यह वृद्धि 5.3 प्रतिशत रही और वर्ष 1973-74 में 5 प्रतिशत से भी कम। मैं यह मानता हूं कि देश में विद्युत की कमी है, कोयले, लोहे और इस्पात, सीमेंट आदि का अभाव और ये वस्तुएं उचित समय पर नहीं मिलती है। किंतु साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि औद्योगिक उत्पादन में कमी के लिए प्रशासनिक कुप्रबन्ध भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। 2 फरवरी, 1973 को सरकार की औद्योगिक नीति में किया गया संशोधन और 31 अक्टूबर, 1973 को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में किया गया सुधार मेरे कथन की पुष्टि करते हैं। सरकार का लक्ष्य है, स्वदेशी तकनीकी जानकारी पर ही आत्मनिर्भर होना। वर्ष 1973 में विदेशी सहयोग के 265 आवेदन स्वीकार किये गये। वर्ष 1972 में 257 आवेदन स्वीकार किये गये। इस प्रकार स्वदेशी तकनीकी जानकारी पर आत्मनिर्भरता सरकार कैसे प्राप्त करेगी।

18 फरवरी, 1970 में श्री ए० के० सरकार की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बड़े औद्योगिक गृहों के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था और उसे रिपोर्ट 2 फरवरी, 1971 तक देनी थी किन्तु अब उसका कार्यकाल 17 फरवरी, 1975 तक बढ़ा दिया गया है। इससे सरकार 1976 में होने वाले लोक सभा निर्वाचनों में लाभ उठाना चाहती है।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

औद्योगिक उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता के पूर्ण उपयोग पर आधारित होता है । हमारे देश में सीमेंट के 51 कारखाने हैं उनकी कुल उत्पादन क्षमता 197.6 लाख टन है । वर्ष 1973 में कुल उत्पादन 150 लाख टन हुआ । 63 कागज मिलों की अधिष्ठापित क्षमत 9.62 लाख लाख टन है किन्तु वर्ष 1973 में उनका उत्पादन केवल 8 लाख टन रहा । हमारे देश में 50 कांच के कारखाने हैं, जिनकी अधिष्ठापित क्षमता 4.63 लाख टन है किन्तु वर्ष 1972-73 में उनका उत्पादन केवल तीन लाख टन रहा । कुहित इस्पात (फोर्जड स्टील) की आवश्यकता सभी प्रकार की मशीनरी के निर्माण के लिये होती है । उसकी उत्पादन क्षमता 1,79,600 टन है किन्तु 1973 में उसका उत्पादन केवल 95,000 टन हुआ । विद्युत संकट के संदर्भ में अधिक जेनेरेटरों का उत्पादन होना चाहिये ताकि लघु उद्योग अपने जेनेरेटर लगा सकें और उनके उत्पादन में कमी न होने पाये । परन्तु जेनेरेटरों के निर्माण की क्षमता का केवल 60 प्रतिशत काम में लाया जा रहा है । अधिष्ठापित क्षमता के पूरा उपयोग में न लाये जाने से उत्पादन तो कम होता ही है, साथ ही आवश्यकता की पूर्ति के लिये आयात अधिक करना पड़ता है । आजकल कपड़ा मशीनरी का 15.3 प्रतिशत, मशीन औजारों का 37.8 प्रतिशत और अखबारी कागज का 83.8 प्रतिशत आयात करना पड़ता है । जब तक अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण प्रयोगनहीं किया जायेगा तब तक आयात पर अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी होगी । मंत्री महोदय को अधिष्ठापित क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिये प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिये ।

राज्य सरकार ने 184 आवेदन औद्योगिक लाइसेंस के लिये केन्द्रीय सरकार के पास भेजे थे और उनमें से कुछ तो 1969 से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । तमिलनाडु से औद्योगिक लाइसेंस के लिए 638 आवेदन राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु भेजे गये, जिन से मंत्रालय द्वारा केवल 59 को स्वीकृति दी गई है ।

केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स अनुसंधान संस्थान ने मेग्नेसाइट से मैग्नीसियम धातु का विकास करते ही प्रक्रिया का पता लगाया है । इस संस्थान द्वारा तमिलनाडु सरकार के सहयोग से सेलम के मेग्नेसाइट संस्थानों के वाणिज्यिक उपयोग के लिये एक कारखाना भी स्थापित किया गया है परन्तु इसी बीच मैसूर की कुछ उद्योगपति इस प्रक्रिया के संबंध में विदेशी सहयोग प्राप्त करने को उत्सुक है । यह विदेशी मुद्रा का अपव्यय है । माननीय मंत्री को इसे रोकना चाहिये ।

महात्मा गांधी खादी को सर्वसाधारण का कपड़ा मानते थे परंतु आज खादी राजनीतीज्ञों की पहचान मात्र बन गया है । 25 वर्ष पश्चात् खादी आयोग को इसका होश आया है और इसे लोकवस्त्र बनाने की योजना तैयार की जा रही है । मंत्री महोदय को इस योजना को प्रोत्साहन देना चाहिये ।

तमिलनाडु सरकार ने राज्य की 13 बीमार कपड़ा मीलों का प्रबंध अपने हाथ में लिया है राज्य सरकार ने इन मिलों पर काफी धनराशि व्यय की है परन्तु अब इन मिलों को केन्द्र द्वारा अपने अधिकार में लेने की बात है । मैं इन मिलों के राष्ट्रीकरण का विरोध नहीं करता परन्तु मेरा अनुरोध है कि इन मिलों का स्वामित्व और प्रबंध तमिलनाडु सरकार के अधीन होना चाहिये ।

मैं इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1971-72 से 1973-74 के वर्षों में आक्सीजन के सिलैंडरों के आयात के लिये 452.88 करोड़ रुपये के लाइसस जारी किये गये । इस दृष्टि से मैं यह जानना चाहता हूं कि इनके निर्माण की स्वदेशी तकनीकी जानकारी को प्रोत्साहन देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ।

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने तूतीकोरीन में औद्योगिक शोधनशाला की स्थापना के संबंध में प्रधान मंत्री को पत्र लिखा, परन्तु उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई । इसी प्रकार

[श्री ई० आर० कृष्णन्]

ईरानी सहायता से तमिलनाडु में "नैफथा क्रैकर यूनिट" की स्थापना की मांग पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । अमरावती सहकारी चीनी मिल और कोठारी चीनी एवं कैमिकल्स फैक्टरी ने अपनी क्षमता के विस्तार के लिये आवेदन पत्र दिये हैं परन्तु उन पर अनुमति अभी तक प्रदान नहीं की गई है । मद्रास एल्युमिनियम कम्पनी एवं साउथ इंडिया कास्टक सोडा एंड कैमिकल्स वर्क्स ने कास्टक सोडा उत्पादन करने के लिये अनुमति मांगी है । परतु अभी तक अनुमतिप्रदान नहीं की गई है । देश भर में वनस्पति की कमी को देखते हुए, सरकार को लोक शनमुगा पेरूमल आयल मिल्स के वनस्पति उत्पादन के आवेदन पत्र पर स्वीकृति प्रदान करनी चाहिये । इसी प्रकार तमिलनाडु सरकार ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखे हैं । तमिलनाडु के औद्योगिक विकास के हित में उन पर शीघ्र निर्णय करके सरकारी अनुमति प्रदान की जाय ।

देश के सामने आज बहुत बड़ा संकट है । तेल संकट और विद्युत की कमी के कारण देश का औद्योगिक विकास रूक गया है । सरकार को औद्योगिक प्रयोजनों के लिये सूर्य ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं की जांच करनी चाहिये । इसी पर देश का भविष्य निर्भर करता है ।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं देश के औद्योगिक उत्पादन में गत वर्ष सात प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि चौथी योजना का अंतिम वर्ष होने कारण और अधिक वृद्धि की संभावना थी । पिछले वर्ष मंत्री महोदय ने कहा था कि वर्तमान क्षमता के अधिकतम उपयोग, जारीकिये जा चुके आशय पत्रों को लाइसेंसों में बदलने और लाइसेंस नीति को नया रूप देने अदि जैसे उपायों से उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे । ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री महोदय ने इस प्रकार के अनेक उपाय किये हैं ।

दुर्भाग्य से इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन अवरुद्ध रहा है जिसके अनेक कारण हैं । देश भर में विद्युत की कमी इसका सबसे प्रमुख कारण है । इस्पात के उत्पादन में 11 लख टन की कमी हुई है । रसायनों के उत्पादन में 10.30 प्रतिशत तक की कमी हुई है । सीमेंट के उत्पादन में 8 प्रतिशत और कागज के उत्पादन में 11 प्रतिशत की कमी हुई है । लघु उद्योगो और मध्यम दर्जे के उद्योगों के उत्पादन में 48 प्रतिशत तक की कमी हुई है । इसका कारण भी बिजली की कमी और रेलवे द्वारा माल के लाने ले जाने में असफलता है । दूसरो के लिये तो क्या रेलवें स्वयं अपने लिये कोयले की ढुलाई नहीं कर सकी । इसका कोयले पर आधारित उद्योगों पर बहुत प्रभाव पड़ा है ।

उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से ,सरकार ने अब अनेक उपाय किये हैं । एक करोड़ रु० तक की पूंजी वाले ऐसे उद्योगों की सूची बढ़ा दी गई जिनके लिये लाइसेंस नहीं लेना पड़ता । इसी प्रकार अनेक उद्योगों में 25 प्रतिशत विस्तार तक की अनुमति प्रदान कर दी गई है । सरकार पर यह निर्णय भी इसी दृष्टि से है कि उद्योग संबंध आवेदनपत्रों को 90 दिन की अवधि में मंजूर कर दिया जायेगा । परन्तु इन सभी उपायों के बावजूद अभी भी मंत्रालय के कार्य में समुचित गति नहीं आई है । इस दृष्टि से मैं यह जानना चाहूंगा कि 90 दिन की अवधि में कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं । यह भी बताया जाय कि एक करोड़ रुपये तक की पूंजी वाले उद्योगों की योजना के अन्तर्गत कितने नये उद्योग स्थापित हुए हैं । इसके साथ ही यह भी सूचित किया जाये कि कितने मामलों में 25 प्रतिशत विस्तार किया जा चुका है ।

यदि इन उपायों का कार्यान्वयन हुआ होता तो उत्पादन में 10--12 प्रतिशत वृद्धि हुई होती । परन्तु ऐसा नहीं हुआ है जिसका अर्थ है कि इन योजनाओं ने कार्य नहीं किया है। मंत्रालय के कार्य की गति में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । लाइसेंस देने की प्रक्रिया दोषपूर्ण

और लम्बी है । विदेशी सप्लायर्स इतने अधिक समय तक इन्तजार नहीं करते । इसी बीच मूल्यों में वृद्धि हो जाती है । इस कारण दोबारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होता है । अंत में 10--15 लाख रुपये अधिक व्यय करने पड़ते हैं । इस प्रकार के सैकड़ों मामले होते हैं । इस प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए, अन्यथा देश औद्योगिक रूप से प्रगति नहीं कर सकेगा ।

सरकार की "क्लियरेन्स समिति" से मंजूरी मिलने के पश्चात् पार्टी को वित्तीय संस्था को आवेदन पत्र देना होता है उस संस्था द्वारा फिर से सारे प्रस्ताव पर विचार किया जाता है जिसमें 3-4 मास तक का समय लग जाता है । इन रुकावटों को भी दूर किया जाये जिससे कि इतना अमूल्य समय नष्ट न हो ।

सरकार चाहती है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हो व उनका स्थानान्तरण हो। परंतु ऐसा न होने के क्या कारण हैं ? हम जानते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों में आधारमूल आवश्यक ढांचे की कमी है । कई क्षेत्रों में संचार साधन उपलब्ध नहीं है, कहीं पर परिवहन सुविधाएं नहीं । इन दोनों सुविधाओं के बिना उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकती । अतः मंत्रालय को इस स्थिति को सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिये । जहां तक सरकारी उपक्रमों का संबंध है, हम देखते हैं कि उनकी पूर्ण क्षमता के उपयोग की दिशा में कोई सुधार नहीं हो रहा । मंत्री महोदय को इस ओर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिये ।

मेरा यह भी सुझाव है कि किसी भी उद्यमी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व, पानी, बिजली, भूमि आदि सुविधाओं की उपलब्धता के सम्बंध में सम्बंध राज्य सरकार से पत्र प्रस्तुत करना चाहिये । वित्त के लिये राज्य सरकार अथवा किसी वित्तीय संस्था की अनुमति पहले से प्राप्त की जानी चाहिये जिससे कि सरकार को भी अनुमति देने से पूर्व पता हो कि उसके पास वित्त की व्यवस्था है अथवा नहीं ।

Shri Chiranjib Jha (Saharasa) : I rise to support the demands of this Ministry, Last year has been the year of shortages, price rise and frequent strikes and this has been the year of continuous shortage of coal and Power. Inspite of all this, the rate of our Industrial production has not decreased. Had these disturbing factors not been there, our Industrial production would have increased.

The progress of the implementation of the Scheme relating to self employment of unemployed Eengineers and educated unemployed has been slow. This is a matter of serious concern. The Report states that an amount of Rs. 2.5 Crores was rspent on village Industries during the last year. But this year an amount of only Rs. 2.00 Crores has been provided. This is not fair. Village Industries can help to great extent in solving the problem of unemployment. Village Industries can also check migration of population towards urban. area. I, therefore, feel that more liberal attitude should be adopted towards village Industries.

Ashoka Mehta Committee had made certain suggestions with regard to setting up of Village Industries. But the Planning Commission has come to the conclusion that the responsibility for the development of Village Industries should he transferred to the States wherever the Governments desire to assure the responsibility. There is no State Government which does not want to take upon itself this responsibility but the Report states that the amount sanctioned for this purpose in various states was not actually disbursed. Perhaps a conspiracy has been hatched to see that village and cottage Industries do not make any progress. I would request the hon. Minister to reverse the said decision of the Planning Commission. Village Industries Commission should be set up as per the recommendations of the Ashoka Mehta Committee. It would also help improving our economic condition.

I would like to draw the attention of the hon. Minister towards backward areas of the country. North Bihar is one such area. There is no Industry worth the name in that part. In the absence of Infrastructure in backward areas enterpreneurs find it difficult to set up

[Shri Chiranjib Jha]

Industries in such areas. The people of those areas do not possess adequate resources to et up Industries there. In the Circumstances, it is imperative that the Central Government should it self sets up big Industries.

It was told in the consultative Committee meeting that it is proposed to operate pumping sets with "Gobar Gas". A number of people have realised that it is a possibility. If Gobar Gas is utilised for operating pumping sets, it will help solving Irrigation problem to a great extent. I would, therefore, request that adequate attention should be paid toward research on this subject, so that 'Gobar Gas Plant' could be set up by each and every rural family.

In the end, I would request that our country is not going to progress unless we encourage the setting up of Village and Cottage Industries and turn every home into an industry. The big industries alone are not going to help us.

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाडा) : उद्योग मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत रेशम से लेकर विस्फोटकों जैसे पदार्थ, संयुक्त सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा ग्रामीण उद्योग एवं बृहत उद्योग आते हैं ।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में स्वीकार किया गया है कि 1973 का वर्ष अवरुद्धता का वर्ष रहा है । परन्तु इसके साथ ही प्रतिवेदन में 1974 वर्ष के संबंध में बहुत आशाएं व्यक्त की गई हैं । इस आशावाद के आधार अधिक तर्कसंगत नहीं हैं । वर्ष 1974 के औद्योगिक विकास का मुख्य आधार सामान्य वर्षा को बनाया गया है । परन्तु यदि पर्याप्त वर्ष न हुई तो कृषि कच्चे माल की उपलब्धता में प्रचुरता नहीं होगी और औद्योगिक उत्पादन में कमी होगी । कोयला, इस्पात और बिजली आवश्यक आधार वस्तुएँ हैं । प्रतिवेदन में इन तीनों की उपलब्धता के संबंध में भी बहुत अधिक आशाएँ व्यक्त की गई हैं । शायद इस प्रतिवेदन को तैयार करने वाले अपने होश-हवास में नहीं थे । अन्यथा कोयले की परिवहन की स्थिति, बिजली की अत्यधिक कमी और इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में कमी को देखते हुए वर्ष 1974 के संबंध में अच्छी स्थिति होने की संभावनाएं व्यक्त नहीं की जा सकती थीं । स्वयं वित्त मंत्री ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में स्वीकार किया है कि वर्ष 1974 कमियों का वर्ष होगा ।

मंत्रालय का मुख्य कार्य देश के औद्योगिकीकरण का संवर्धन है और यह सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में बड़े, मध्यम दर्जे के एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देकर हो सकता है । परन्तु जहां तक लघु उद्योगों का संबंध है, इनकी प्रगति सन्तोषजनक है । देश में औद्योगिकीकरण के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है । प्रतिवेदन में बताया गया है कि लघु उद्योगों की संख्या 31 दिसम्बर, 1973 को बढ़ कर 405,000 हो गई थी । परन्तु दुख की बात है कि लघु उद्योगो का विकास देश में एक समान नहीं हुआ है । उदाहरणतया महाराष्ट्र में 1971 में 31,000 लघु उद्योग थे जबकि उड़ीसा में केवल 4,000 ही थे । दिल्ली का क्षेत्रफल बहुत कम है । इसकी जनसंख्या भी अनेक राज्यों से बहुत ही कम है, परंतु फिर भी लघ उद्योगों के क्षेत्र में यह राज्य अनेक राज्यों से काफी आगे हैं ।

मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय यह कहेंगे कि अनेक राज्यों में उद्यमकर्त्ताओं की कमी के कारण लघु उद्योग का विकास नहीं हुआ है । परन्तु इस प्रतिवेदन में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त मंत्रालय उद्यमकर्त्ताओं को कैसे प्रोत्साहन देगा यद्यपि मंत्रालय ने प्रबंध कार्य तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं में प्रशिक्षण कि व्यवस्था की है फिर भी मंत्रालय ने पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों में उद्यम कर्त्ताओं को आकर्षित करने के लिये कार्यवाही नही की है ।

लघु उद्योगों के विकास के लिये पिछड़े क्षेत्रों को उचित प्रशासनिक उपायों से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

सरकार ने पश्चिम बंगाल से, जो एक औद्योगिकीकृत राज्य है, 771.27 लाख रुपए मूल्य की महाराष्ट्र से 595.21 लाख रुपये मूल्य की तथा आंध्र प्रदेश से 5.51 लाख मूल्य की वस्तुएं खरीदी है जबकि उड़ीसा से केवल 75,000 रुपए की वस्तुएं खरीदी हैं । यदि पूर्ति निदेशालय ने औद्योगिक दृष्टि से पिछडे राज्यों को प्राथमिकता नहीं दी तो उनका विकास नहीं हो सकेगा । अतः मंत्री महोदयको पूर्ति और निपटान निदेशालय से यह अनुरोध करना चाहिये कि वह औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों से अधिक वस्तुएखरीदे ।

यदि यह सच है कि बड़े औद्योगिक गृह कच्चा माल नियंत्रित मूल्य पर प्राप्त करने के लिये लघु उद्योगों का बहाना कर रहें हैं, तो सरकार को लघु उद्योंगों के बारे में पुनः विचार करना होगा ।

यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन दे रही है और उन्हें रियायती दरों पर धन, विकास तथा परिवहन संबंधी सहायता दे रही है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये।

213 जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है । सरकार को यह बताना चाहिये कि उक्त पिछड़े क्षेत्रों में कितने औद्योगिक एकक स्थापित किये गये हैं ।

मेरी शिकायत यह है कि रियायतों का लाभ अधिकतर बड़े व्यापार गृहों को मिलता है। 20 बड़े उद्योगों ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये आवेदन किया है । बड़े उद्योगों की स्थापना से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों की आर्थिक समस्याएं हल नहीं होती हैं ।

रुरकेला इस्पात संयंत्र में बहुत कम स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है । वास्तव में बड़े औद्योगिक गृह पिछड़े क्षेत्रों के लिये लाभप्रद नहीं रहे हैं ।

औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों को योजनाओं से समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं हो रही है । उदाहरणार्थ, 31 अक्तूबर, 1973 तक औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के नामपर महाराष्ट्र के लिये 120 एकक, गुजरात के लिये 785 एकक और गोआ, दमन और दीव जैसे छोटे संघ राज्य क्षेत्रों के लिये 52 एकक स्वीकृत किये गये लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिये केवल 24 एकक स्वीकृत किये गये और उड़ीसा को केवल 15 एकक स्वीकृत किये गये लाइसेंस तथा वित्त संबंधी नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों और क्षेत्रों में अधिक एककों की स्थापना की जा सके ।

सरकार ने विकास केन्द्रों की स्थापना की है । लेकिन नई योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में कितने उद्योग लगाये गये हैं ?

माननीय मंत्री को पिछड़े राज्यों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिये और उन्हें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि लाइसेंस नीति इस प्रकार बनाई जाये कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र अथवा अर्ध-विकसित क्षेत्र अधिक मध्यम और छोटे दर्जे के उद्योगों को आकर्षित कर सकें तथा इस प्रकार देश में समान औद्योगिक विकास हो सके ।

श्री देवेन्द्र नाथ महाता (पुरुलिया) : वर्ष 1973 में हमें सबसे अधिक, 3280 औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदनपत्र प्राप्त हुए और 1972 में 2851 तथा 1971 में 2932 आवेदनपत्र प्राप्त हुए । वर्ष 1973 में 3540 मामलों का निपटारा किया गया । अतः हम यह कह सकते हैं कि उक्त विभाग औद्योगिक लाइसेंसों का निपटारा करने में बहुत अधिक सक्रिय है ?

सरकार ने औद्योगिक विकास के लिये अनेक प्रगतिशील नीतियां अपनाई हैं। सरकार की नीतियां न्यायोचित हैं । उसने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये स्वनियोजन संबंधी योजनाएं बनाई हैं। उक्त योजनाओं के अन्तर्गत युवक इंजीनियरों और शीक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है । लगभग 4,300 इंजीनियरों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उनमें से 400 इंजीनियरों ने अपने उद्योग स्थापित कर लिये हैं और उनमें लगभग 4,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं।

सरकार ने लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की है और उसने गहन कार्यक्रम के अन्तर्गत 32 विकास केन्द्रों की स्थापना की है और प्रत्येक केन्द्र द्वारा 320 लघु उद्योग एकक स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है । इस बारे में आठ जिलों का सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है ।

पिछड़े जिलों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 48 जिलों का विकास के लिये और 230 जिलों का रियायती वित्तीय कार्यक्रम के अन्तर्गत चयन किया गया, जिसके अनुसार उन्हें बैंकों से वित्तीय सहायता मिलेगी, पिछड़े जिलों में केन्द्रीय सरकार से 15 प्रतिशत राजसहायता भी मिलती है ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने की सीमा को 50 लाख रुपए से बढ़ा कर 1 करोड़ रुपया कर दिया गया है फिर भी गैर-सरकारी उद्यमकर्ता इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित नहीं कर रहे हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि जिलों का चयन उचित ढंग से किया गया है। इस बारे में अवश्य सर्वेक्षण किया जाना चाहिये । पुरूलिया जिले को 48 जिलों में से सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया है । लेकिन इस बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । उचित सर्वेक्षण किये बिना उद्योगपतियों को 15 प्रतिशत राज सहायता देने से कोई लाभ नहीं होगा । यदि पिछड़े हुए क्षेत्रों में राज्य सरकारें उद्योग-पतियों को उद्योग स्थापित करने के लिये सहायता नहीं देतीं तो केन्द्रीय सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिये ।

सड़क, परिवहन, जल, बिजली, भूमि और टेलीफोन विभाग के प्रतिनिधियों का एक बोर्ड बनाया जाना चाहिये जो इस बात का निश्चय करे कि अमुक जिले में कौनसा उद्योग स्थापित किया जाना चाहिये। इससे पिछड़े जिलों में औद्योगिक विकास तेजी से होगा ।

पुरूलिया जिले में मधुकुन्टा में एक मिश्रित इस्पात संयंत्र और जालदा में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने की बात की जा रही थी लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है ।

जोधपुर के उत्तर में एक सहायक औद्योगिक इस्टेट की स्थापना की जानी चाहिये । इसके लिये वहां पर्याप्त भूमि तथा जल उपलब्ध है । ऐसा करने से वहां सहायक उद्योगों का विकास होगा ।

सीमेंट का उत्पादन 290 लाख टन करने की बड़ी मांग की जा रही है । आशा है आगामी पंचवर्षीय योजना में इसका उत्पादन 250 लाख टन हो जायेगा । सीमेंट के नये उद्योग स्थापित करने की पूर्ण संभावना है । आज यह देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है । आज हमें निर्माण कार्यों में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस बारे में राज्य-सरकारों पर दबाव डालना चाहिये जिससे हमारी सीमेंट उत्पादन की सम्पूर्ण मांग पूरी हो सके ।

औद्योगिक विकास विभाग ने शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देनेके लिये कुछ कार्य किया है । उसने मैट्रिक पास युवकों को प्रशिक्षण दिया है । उनको दी जाने वाली सहायता को और उदार बनाया जाना चाहिये । इस योजना के अन्तर्गत 4,000 व्यक्तियों को रोजगार मिला है । सरकार को देश में बेरोजगारी की समस्या को जो बहुत गम्भीर है, हल करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये । ऐसे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जिनके लिये बिजली की आवश्यकता नहीं है अथवा जिनकी स्थापना से कोई श्रमिक असन्तोष की संभावना नहीं है । सरकार को जापान की भांति लघु उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिये । इस प्रकार बेरोजगारी की गम्भीर समस्या को हल किया जा सकता है ।

श्री एस० एन० सिंह देव (बांकुरा) : योजना आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार ने चुने हुए पिछड़े जिलों में उद्योगों के विकास के लिये कुछ राज सहायता, ऋण तथा अन्य सुविधाएं दी हैं लेकिन केवल प्रोत्साहन देने से कुछ नहीं बनता । जब तक हम पिछड़े जिलों में किसी उद्योग के लिये आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं कराते तब तक उक्त जिलों में कोई उद्योग स्थापित नहीं किये जा सकते ।

पश्चिम बंगाल के पुरलिया और बांकुरा के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिये अनेक उद्योगपतियों को आशयपत्र जारी किये गये थे लेकिन अभी तक वहां कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया है । उक्त आशय-पत्र गैर-सरकारी फर्मों को दिये गये थे लेकिन अन्ततः यह बताया गया कि उनके पास आवश्यक धनराशि नहीं है । यदि यह सच है, तो सरकार ने इसकी सिफारिश क्यों की थी ? यह समझ में नहीं आता कि इसके पीछे क्या नीति थी ?

यह बताया गया है कि जल्दा में सीमेंट कारखाना, पुरलिया जिले में मधुकुन्डा में मिश्रित इस्पात कारखाना, बांकुरा में नाइलोन कारखाने के लिये पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा आशय-पत्र जारी कर दिये गये हैं । लेकिन दुःख की बात है कि इस बारे में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । केन्द्रीय सरकार को उक्त स्थिति को गम्भीरता से लेना चाहिये और राज्य सरकारों को ऐसा करने के लिये कहना चाहिये और इस बात का प्रयास करना चाहिये कि सब परियोजनाएं बिना अग्रेतर विलम्ब के आरम्भ हो जायें ।

पश्चिम बंगाल में हजारों शिक्षित और अशिक्षित युवक अभी भी बेरोजगार हैं । यदि उनके लिये कोई काम की व्यवस्था नहीं की जाती और पश्चिम बंगाल के इन पिछड़े जिलों में उद्योग आरम्भ नहीं किये जाते तो, वे अशांत हो जायेंगे और उन्हें मजबूर होकर ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर भागना पड़ेगा जिससे अहितकर स्थिति उत्पन्न होगी । इसके परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ जायेगी ।

सरकार को इस ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिये और इस बात का प्रयास करना चाहिये कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में शीघ्र ही ठोस कार्यवाही की जाये ।

Shri Shrikishan Modi (Sikar) : The progress of a country mainly depends upon its industries. Our policy in this regard is rather elastic and because of this we have not created favourable conditions for the establishment of industries in the Country.

Shri Shrikrishan Modi]

The entire field of industry is under the control of 22 big Business housed.

The industrialist should prepare a plan for five years on so far setting up various industries in different areas of the country according to the conditions prevailing in those areas. The industrial policy of the Government should be clearly defined. The Government should also state the measures proposed to be taken to bring about the much needed industrial development of the Country.

The Copper Project at Khetri has not been commissioned as yet. It has not been clarified as to which industries are proposed to be started and in which areas. The Government should pay more at tention towards the development of small scale industries. The Cottage and small scale industries have been left at the mercy of big industrialists. This is not proper. The entire small scale industries should be taken away from the hands of the big business houses. The Government has imposed so many taxes on the small scale industries that they have closed down and a large number of workers have been rendered unemployed.

The small scale industries are not getting coal and raw materials. Arrangements should be made to meet their basic demands of coal, raw materials and electricity.

It is very difficult to increase production unless small business men are separated from big Capitals.

There are adequate raw materials, and minerals in Rajasthan. Rajasthan is full of limestone and so many cement factories can be established there The Government should give encouragement for the setting up of small plants with production capacity of 20 to 40 tonnes there are small cement plants in West Germany and they are profitable. In Rajasthan also, small cement plants should be set up so that blackmarketing in cement may be put to an end. An iron ore smelting plant should also be set up in Rajasthan in public or private sector, because it is not being exported from there on account of high rates of railway freight. There are huge deposits of iron pyrite in Salehadipura in Sikar District of Rajasthan. A scheme should be formulated to set up a factory for making use of these deposits fertilizers should be made available in Rajasthan.

Shri Chotey Lal (Chail) : Mr. Chairman, Sir, though our country is mainly an agricultural country, yet there is a great need of industrial development coal, power, raw material and iron ore necessary for industrialisation. As regards Uttar Pradesh's requirement of coal, it is 10,000 wagons per month. But a quota of only 5,000 wagons is fixed for Uttar Pradesh by this Ministry and only 3,000 wagons of coalare being supplied to U. P. For industrial development of U.P. full quota should be supplied to it. As regards power generation, more funds should be given to U. P. by central Government. As regards U. P's requirement of iron and steel, it is 80,000 tonne per month, but the state is getting only 4,000 or 5,000 tonnes of iron per month. The iron requirement of U. P. should be met in full. Money should be made available to Uttar Pradesh people at lower rates of interest for investment in industries.

I met the hon. Member from the reserved constituencies. It is the opinion of all that reserved constituencies of Lok Sabha and Vidhan Sabha in U.P. for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being neglected in the matter of industrial development. The Government and Planning Commission should pay adequate attention towards the development of these reserved areas.

It is seen that the recruitment of the scheduled castes and scheduled Tribes candidates is not made for the posts reserved for them in public sector under takings. They should not be ignored in the matter of recruitment in public sector as well as joint sector or private sector. If it is done, all the educated and trained persons of the reserved communities will get jobs.

As regards my constituency, there is no factory in it and it is industrially backward. Steps should be taken to set up industries in this region so that local people may get employment. With these words, I support the demands of the Ministry of Industrial Development.

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : सभापति महोदय, इस रिपोर्ट के अध्याय 2 में यह कहा गया है कि औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई है। विकास-दर 7.4 प्रतिशत से घटकर केवल 0.8 प्रतिशत रह गई है। इसका कारण विद्युत आदि की कमी बताई गई है किन्तु इसके मुख्य कारणों पर कहीं भी प्रकाश नहीं डाला गया है। वर्ष 1963-64 में 20 बड़े औद्योगिक गृहों की कुल परिसंपत्तियां 1780 करोड़ रुपये थीं और 1968 में यह राशि बढ़कर 2752.07 करोड़ रुपये हो गई थी। वर्ष 1971 में यह राशि बढ़कर 3102 करोड़ रुपये हो गई और इस वर्ष तक इसमें 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अनुपात में उनके लाभ में भी वृद्धि हुई है। अकेले बिड़ला उद्योग समूह की परिसंपत्ति 500 करोड़ रुपये तक बढ़ गई हैं। जब स्थिति यह है तो फिर उत्पादन में कमी का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः यह कहना गलत है कि उत्पादन में कमी हो रही है। इस सभा में शासक दल के कई सदस्य कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि देश में चोर बाजारी, महंगाई तथा राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन में भ्रष्टाचार का कारण एकाधिकारी गृहों की पूंजी है। परन्तु अब तक इस दिशा में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। जब तक इन बड़े औद्योगिक गृहों की पूंजी पर प्रहार नहीं किया जायेगा तब तक काला धन समाप्त नहीं होगा।

वस्त्र उद्योग के संबंध में मेरा निवेदन है कि यह उपभोक्ता वस्तु उद्योग है और यह उद्योग भी एकाधिकारी गृहों के हाथ में ही है। कपड़े के मूल्य इतने अधिक बढ़ गये हैं कि कपड़ा खरीदना निर्धन लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वस्त्र उद्योग का शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण कर ले और कपड़ा मिलों को रुग्णावस्था तक पहुंचने की प्रतीक्षा न करे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो रुग्ण मिल सरकार ने अपने नियंत्रण में लिए हैं उनमें 560.23 लाख रुपये का लाभ हुआ है। इस दृष्टि से भी सभी कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण तुरन्त किया जाना चाहिए।

देश में क्षेत्रीय असंतुलन है। इसे दूर करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों के विकास की वकालत की जाती है। इसके लिये कुछ सिद्धांत और मार्गदर्शी सिद्धांत भी निर्धारित किये जाते हैं किन्तु उन पर अमल कभी भी नहीं किया जाता। एक वर्ष जो सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं, उन्हें अगले वर्ष बदल दिया जाता है। परिणाम होता है औद्योगिक विकास में गतिरोध। मेरे राज्य उड़ीसा के औद्योगिक विकास के लिये क्या किया गया। तटीय क्षेत्र में रासायनिक उद्योग के विकास के लिये लघु उद्योगपतियों को अवसर दिये जाने चाहिएं। परन्तु मेरे जिले गंजम में एक बड़े उद्योगपति श्री बगूर ने दो-तीन करोड़ रुपये की पूंजी लगाई और वह प्रतिदिन 15,000 रुपये का लाभ कमा रहा है। मेरा सुझाव है कि उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यो के औद्योगिक विकास हेतु एक समयबध्द कार्यक्रम बनाया जाय और इसके लिये उचित योजना तैयार की जाय।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : भारत सरकार के अधीन सभी सरकारी उपक्रमों में लगी पूंजी लगभग 20,000 करोड़ रुपये है। मैं अच्छे एकाधिकारवादी का विरोधी नहीं हूं, मैं तो पुरे एकाधिकारवादी का विरोधी हूं। सरकारी क्षेत्रों के कुछ उपक्रमों की कार्यकुशलता और सफलता पर मुझे असंतोष है और उनके कार्यकरण की विस्तृत जांच की जानी चाहिये। इनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिये विभिन्न मंत्रालयों के तत्संबंधी कार्यक्रमों में समन्वय होना चाहिये। हमारे देश में सरकारी क्षेत्र में 86 कम्पनियां है और 12 उनकी सहायक कम्पनियां है। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि इस सभा में किसी भी सरकारी उपक्रम के कार्यकरण के बारे में चर्चा नहीं की गई है।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, इसे भूमि, विद्युत, जल, कच्चे माल तथा अन्य सुविधाओं के रूप में बहुत सी औद्योगिक रियायतें प्राप्त हैं। मेरे हिसाब के अनुसार, गत 25 वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को लगभग 39,000 से 40,000 करोड़ रुपये के मूल्य

[श्री बी० वी० नायक]

की रियायतें दी गई । कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं । गैर सरकारी क्षेत्र के एक बडे कारखाने ने एक बड़े राज्य के बिजली बोर्ड को दिवालिया बना दिया है । एक फर्म को कच्चा माल केवल 1 रुपया की दर से दिया गया जब कि बाजार भाव 120 रुपये था । इस प्रकार उसे 12,000 प्रतिशत की रियायत दी गई । एक अन्य गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्म को 25 करोड़ रुपये की मूल्य की भूमि केवल 20 लाख रुपये में दी गई और इस राशि का 20 वर्ष में भुगतान किया जाना था । इस मामले में फर्म को 40,000 प्रतिशत रियायत मिली । अत: मैं औद्योगिक विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह एक जांच आयोग शीघ्र नियुक्त करें जो गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को प्राप्त औद्योगिक रियायतों के बारे में जांच करे ।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Mr. Chairman, Sir, today we are discussing the demands of the Ministry of Industrial Development.

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार 27 मार्च 1974/6 चैत्र, 1896 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesdey March 27, 1974 *Chaitra* 6, 1896 (*Saka*).